# वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

राष्ट्रीय महिला आयोग

# वार्षिक रिपोर्ट
# 2014-15

jk"Vªh; efgyk vk;ksx
4] nhu n;ky mik/;k; ekxZ]
ubZ fnYyh &110002
http : www.ncw.nic.in

# fo"k; & lph


| | | i"B l- |
|---|---|---|
| | lan'k | (i) |
| | ikDdFku | (iii-iv) |
| अध्याय 1 | प्रस्तावना | 1—24 |
| अध्याय 2 | मीडिया और पहुंच कार्यक्रम | 25—33 |
| अध्याय—3 | शिकायत और जांच प्रकोष्ठ | 35—51 |
| अध्याय—4 | अनिवासी भारतीय (एन. आर. आई.) प्रकोष्ठ | 53—58 |
| अध्याय—5 | विधिक प्रकोष्ठ | 59—68 |
| अध्याय—6 | अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ | 69—71 |
| अध्याय—7 | पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ | 73—88 |
| अध्याय—8 | सूचना का अधिकार | 89—91 |
| अध्याय—9 | सिफारिशें | 93—176 |
| | अनुलग्नक | 177—237 |
| अध्याय—10 | वार्षिक लेखे 2014—15 | 239—287 |

e=h
efgyk ,oa cky fodkl e=ky;
Hkkjr ljdkj
ubZ fnYyh&110001
MINISTER
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

eudk lat; xka/kh
*Maneka Sanjay Gandhi*

# lans'k

मैं यह जानकर प्रसन्न हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपने प्रमुख कार्यकलापों को समाविष्ट करते हुए वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है ।

महिलाओं के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को किया गया । वर्ष 2014–15 के दौरान, आयोग ने अपनी अधिदेशित भूमिका एवं कार्यकलापों को जारी रखा जिनमें महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना, महिला अधिकारों के अनवंचन की शिकायतों तथा महिलाओं के साथ अत्याचारों, उनके उत्पीड़न, अधिकारों के हनन एवं शोषण के मामलों की जांच करना शामिल है । आयोग ने महिलाओं को प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षोपायों को सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों के विशिष्ट मामलों में स्व–प्रेरणा से भी कार्रवाई की ।

अपने अधिदेश के अनुसरण में, आयोग द्वारा किए गए अन्य कार्यकलापों में अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित करना, कार्यशालाओं / संगोष्ठियों / सम्मेलनों / परामर्शों का आयोजन करना शामिल है, ताकि जमीनी स्तर की वास्तविकताओं का मूल्यांकन करने के साथ–साथ सभी पक्षकारों के साथ मुद्दों पर चर्चा की जा सके। सभी स्तरों पर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुँचने के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक लोक अदालतों और जन सुनवाइयों का भी आयोजन किया गया । इनके अलावा, आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनों के उचित क्रियान्वयन के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों के जेंडर संवेदीकरण के उपाय भी किए।

मुझे यह जानकर संतोष हो रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं । मुझे विश्वास है कि आयोग अपने अधिदेश को पूरा करने में नई ऊँचाइयों पर पहुँचेगा ।

Maneka Sanjay Gandhi

¼Jherh eudk lat; xka/kh½

# çkDdFku

मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 13 की परिकल्पना के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बेहद खुशी हो रही है ।

वर्ष के दौरान, आयोग ने अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य किया और पिछले वर्ष के कार्यों को आगे बढ़ाया और जेंडर संबंधी मुद्दों को उठाकर, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधनों के सुझाव देकर और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों की घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया।

अपने अधिदेश के अनुसरण में, आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न कानूनों अर्थात् राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925, मुस्लिम कानून, रूढ़िजन्य कानूनों, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 का क्रियान्वायन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2014, अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित कानूनों और महिलाओं पर उनके प्रभाव, संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम में संशोधन, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, पासपोर्ट अधिनियम, 1967, अत्याचार (सार्वजनिक रूप से अमानवीय एवं कलंककारी) निवारण एवं महिला संरक्षण विधेयक, 2014 की समीक्षा की और अधिनियमों में उपयुक्त संशोधनों का सुझाव दिया । आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पुलिस तथा न्यायिक अकादमियों के सहयोग से जेंडर संवेदी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया ।

वर्ष के दौरान, आयोग ने महिलाओं को उनके बुनियादी कानूनी अधिकारों के बारे में व्यावहारिक जानकारी देने और महिलाओं को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनेक कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों और पारिवारिक महिला लोक अदालतों को प्रायोजित क्रिया में भागीदारी की ।

अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, आयोग ने महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य किया। आयोग के सदस्यों और अधिकारियों ने आयोग द्वारा आयोजित बैठकों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/जन सुनवाइयों में हिस्सा लेने और महिलाओं के विरुद्ध हुए अत्याचार के मामलों का अन्वेषण करने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा किया । इसके अलावा, आयोग के प्रतिनिधियों ने जेलों/सुधार गृहों जैसी अभिरक्षा संस्थाओं का दौरा किया और महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं के बारे में सीधे जानकारी प्राप्त करने और उनके बारे में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने तथा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष मामलों को उठाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों के सहयोग से महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर आयोग द्वारा आयोजित जागरूकता शिविरों में भागीदारी की । आयोग ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने के लिए कुछ विशेषज्ञ समितियां भी गठित कीं।

आयोग के कार्यकरण में सुधार लाने और सरत एवं कारगर बनाने और राज्य महिला आयोगों को सुदृढ़ बनाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने समय–समय पर संगोष्ठियों और विचार–विमर्श बैठकों का

आयोजन करके राज्य महिला आयोगों के साथ संपर्क जारी रखा ।

वर्ष 2014–15 में, आयोग ने ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु एवं त्रिपुरा राज्यों में महिलाओं एवं लड़कियों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज (एएससीआई), हैदराबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

वर्ष के दौरान, आयोग ने देश भर में एन.टी.पी.सी के कर्मचारियों को जेंडर सरोकारों और कार्य स्थल पर उपयुक्त व्यवहार के बारे में संवदनशील बनाने के लिए अपनी–अपनी ताकतों का उपयोग करके एक–दूसरे का सहयोग करने के लिए एन.टी.पी.सी. लि. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

मैं महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने के विचार से 08 मार्च, 2015 अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "महिलाओं के लिए सशक्त वातावरण का सृजन" विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से एक राष्ट्रीय विचार–विमर्श आयोजित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ की आभारी हूँ ।

अपने अधिदेश का उचित रूप से क्रियान्वयन करने के लिए, प्रचार एवं मीडिया ने महिलाओं के समाने आ रहे मुद्दों / समस्याओं को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है । आयोग ने लोगों में जानकारी का प्रसार करने और जागरूकता विकसित करने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों, प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक दोनों का भरपूर उपयोग किया ।

वर्ष 2014–15 के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के विभिन्न मुद्दों पर पूर्वोत्तर के लोगों के संवेदीकरण के लिए महिला सशक्तीकरण और महिला अधिकारों पर रेडियो जिंगल्स और ऑडियो स्पॉट्स तैयार किए । 16 दिसम्बर, 2014 को निर्भया दिवस मनाने के लिए देश के सभी हिंदी भाषी राज्यों में निजी एफएम रेडियो के माध्यम से 15 दिनों का रेडियो अभियान शुरू किया गया । पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से "महिला सशक्तीकरण" और "घरेलू हिंसा" पर वीडियो स्पॉटों का प्रसारण भी किया गया ।

मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेषकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों तथा राज्य महिला आयोगों, अपने साथी सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी सामूहिक मेहनत ने ही हमारे लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति को संभव बनाया । मुझे विश्वास है कि आयोग आने वाले वर्षों में अपने कार्यकलापों और प्रयासों को और अधिक तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रयास करता रहेगा ।

¼yfyrk dekjexye½
v/;{k
jk"Vªh; efgyk vk;ksx

# 1-

# çLrkouk

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में, महिला अधिकारों एवं हितों की सुरक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का गठन किया गया । आयोग को प्राप्त व्यापक अधिदेश में महिला विकास के लगभग सभी मुद्दे आते हैं । आयोग संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदत्त कानूनी सुरक्षोपायों की विवेचना एवं जांच करता है और उनके कारगर क्रियान्वयन हेतु उपायों की सरकार को सिफारिश करता है । आयोग महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान एवं अन्य कानूनों के मौजूदा उपबंधों की समीक्षा भी करता है; ऐसे कानूनों में किसी कमी, अपर्याप्तता अथवा त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करता है; महिला अधिकारों के हनन आदि से संबंधित शिकायतों की जांच करता है तथा ऐसे मामलों में स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

आयोग महिलाओं से संबंधित मुद्दों का अध्ययन / अनुसंधान करता है; महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक विकास हेतु आयोजना प्रक्रिया में भागीदारी करता है एवं सलाह देता है, इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करता है; जेलों, सुधार गृहों आदि का, जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है, निरीक्षण करता है और जहां कहीं आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करता है ।

अपने अधिदेश के अनुसार, आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनेक उपाय शुरू किए और उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य किया। आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों एवं अधिकारियों ने आयोग अथवा इसके सहयोग से अन्य संगठनों द्वारा आयोजित बैठकों / संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / जन–सुनवाइयों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा किया । महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के अनेक मामलों की जांच करने के लिए कदम उठाए गए । इसके अलावा, जेलों, सुधार गृहों आदि जैसी अभिरक्षा संस्थाओं के दौरे भी किए गए । सदस्यों / अधिकारियों ने राज्य महिला आयोगों, गैर–सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों द्वारा आयोजित महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर कानूनी जागरूकता शिविरों में भी भाग लिया । उपचारात्मतक उपायों का सुझाव देने तथा संबंधित प्राधिकारियों के साथ मुद्दों को उठाने के लिए देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए भी दौरे किए गए । आयोग ने दलित महिलाओं के साथ किए जा रहे भेदभाव जैसे विभिन्न प्रासंगिक विषयों का अध्ययन करने और कार्य योजना का सुझाव देने तथा पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तीकरण के लिए विशेषज्ञ समितियों की गठन भी किया । आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई और उसने शीघ्र न्याय दिलाने के लिए अनेक मामलों में स्वतः संज्ञान भी लिया । आयोग ने जेंडर / कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों, पारिवारिक महिला लोक अदालतों आदि को प्रायोजित किया और संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / परामर्शों का आयोजन किया । संदेशों का प्रचार करने के लिए प्रिन्ट मीडिया एवं टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों, नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से प्रचार भी किया गया ताकि महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं अन्य मुद्दों पर जागरूकता का विकास किया जा सके ।

# l jpuk

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य् तथा एक सदस्य सचिव होगा । वर्ष 2014–15 में आयोग की संरचना इस प्रकार है :–

1. श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, 29.09.2014 से अध्यक्ष
2. श्री वी.एस. ओबेराय, पूर्व सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और 02.08.2014 से 28.09.2015 तक अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग
3. श्रीमती ममता शर्मा, 02.08.2011 से 01.08.2014 तक पूर्व अध्यक्ष
4. डा0 चारू वलीखन्ना,, 02.08.2011 से 01.08.2014 तक पूर्व सदस्य
5. सुश्री हेमलता खेरिया, 15.03.2012 से 14.03.2015 तक पूर्व सदस्य सदस्य
6. श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावलकर, 19.03.2012 से 23.12.2014 तक पूर्व सदस्य सदस्य
7. श्रीमती शमीना शफीक, 10.04.2012 से 10.04.2015 तक पूर्व सदस्य सदस्य
8. श्रीमती लालडिंगलियानी साइलो, 19.09.2013 से सदस्य (आज तक)
9. डा. नन्दिता चटर्जी, 26.12.2013 से 02.02.2015 पूर्वाहन तक पूर्व सदस्य सचिव
10. श्री डी.वी. प्रसाद, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 04.02.2015 से 12.04.2015 तक सदस्य सचिव

आयोग के कार्य मुख्यतः निम्नलिखित छह प्रकोष्ठों में बांटे गए हैं –

(i) शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ

(ii) अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ

(iii) विधिक प्रकोष्ठ

(iv) अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ

(v) पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

(vi) जन संपर्क प्रकोष्ठ

इन प्रकोष्ठों में से प्रत्येक प्रकोष्ठ के विस्तृत क्रियाकलाप आगामी अध्यायों में दिए गए हैं। आयोग का संगठनात्मनक चार्ट **vuqyXud 1** में दिया गया है ।

## vk;kx dh cBdk e fy, x, fu.k;k dk lkj

वर्ष 2014–15 के दौरान, आयोग ने महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों और आयोग की कार्यप्रणाली से संबंधित निर्णय लेने के लिए सात बैठकें आयेजित कीं । इन सात बैठकों में से 27 अक्तूबर, 2014 और 29 अक्तूबर, 2014 को आयोजित बैठकें क्रमश "देवदासी प्रथा" पर अनुसंधान अध्ययन के विषय पर निर्णय लेने, 16 दिसम्बर, 2014, निर्भया दिवस पर चर्चा तथा आयोग की ओर से नए पोस्टरों एवं आउट–डोर प्रचार योजना तथा रेडियों जिंगल्स प्रसारित करने के अनुमोदन के लिए बुलाई गई विशेष बैठकें थीं । अन्य पांच बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

### 22 eb] 2014 dk vk;kftr vk;kx dh cBd %&

(i) आयोग ने वर्ष 2014–15 में संगोष्ठियों का आयोजन करने और विशेष अध्ययन / अनुसंधान करने के लिए मुद्दों / विषयों / आयोग की प्राथमिकताओं का अनुमोदन किया ।

(ii) आयोग ने "हिंसा मुक्त घर – महिला का अधिकार" परियोजना पर कार्य कर रहे परामर्शदाताओं और समन्वयकों के वर्ष 2014–15 के लिए पारिश्रमिक में वृद्धि का अनुमोदन किया ।

(iii) आयोग ने भारत के प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं के पारिस्थितिकीय विश्लेषण को अद्यतन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस संबंध में, आयोग ने श्री लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रस्तावित राज्यो में पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल करने के सुझाव को नोट किया ।

(iv) आयोग ने निम्निलिखित मामलों में संज्ञान लेने का निर्णय लिया :–

a) "बंगाल में जनजातीय महिला का सामूहिक बलात्कालर; पश्चिाम बंगाल में महिला पैनल ने जांच के आदेश दिए"।

b) जोधपुर, राजस्थान में एक महिला की हत्या् ।

c) जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेष में "पंचायत में महिला को निर्वस्त्र किया" पर मीडिया में आई रिपोर्ट।

d) "अंधविश्वास के कारण महिलाओं को छत पर जाने की अनुमति नहीं" जिला डबरा, मध्य प्रदेश।

e) बूंदी, राजस्थान में तलाकशुदा महिलाओं का उत्पींड़न / शारीरिक प्रहार ।

f) गांव लूंदरा, तहसील बाली, जिलापाली, राजस्थाघ्न में एक लड़की का सामूहिक बलात्कार ।

### 26 t;kb] 2014 dk vk;kftr vk;kx dh cBd %&

(i) आयोग ने "भारत में खाप पंचायतों, गैर–कानूनी न्यायालयों एवं शैलशी न्यायालयों द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव और अपमानजनक प्रथाएं" विषय पर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा अध्ययन के लिए बजट एवं रिपोर्ट का अनुमोदन किया ।

(ii) आयोग ने सेरोगेट माताओं को न्यूनतम मुआवजे से संबंधित प्रस्तावित प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2013 पर विचार–विमर्श करने का निर्णय लिया ।

(iii) आयोग ने "एसिड हमला : भारत में महिलाओं पर एसिड हमलों के निहित कारणों और राज्यों के प्रतिक्रिया की प्रकृति का अध्ययन" की अध्ययन रिपोर्ट और विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय को 1,01,000/– रुपये के शेष भुगतान की निर्मुक्ति का अनुमोदन किया । श्रीमती चारू वलीखन्ना, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह सिफारिश भी की कि एसिड की खुदरा बिक्री रोक लगानी चाहिए।

(iv) आयोग ने 'देवदासी प्रथा' पर अध्ययन को इस संशोधन के साथ अनुमोदन किया कि अध्ययन का शीर्षक "देवदासियों के रूप में महिलाओं का शोषण और इससे जुड़ी बुराईयां" होना चाहिए ।

(v) आयोग ने 09 जुलाई, 2014 को आयोजित अनुवीक्षण समिति की बैठक में अनुमोदित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, पारिवारिक महिला लोक अदालत संगोष्ठियों / कार्यशालाओं और अध्ययनों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया ।

(vi) आयोग ने निम्नलिखित मामलों में संज्ञान लेने का निर्णय लिया :–

a) 'महिला ने बलात्काारी पिता की हत्या की' ।

b) 'पत्नी एवं उसके नाबालिक प्रेमी द्वारा वायु सेना के सार्जेन्ट की हत्या ' ।

c) पडोसी द्वारा पीछा करने से तंग युवती ने जान दी ।

d) उत्तर प्रदेश में दो किशोरियों को सामूहिक बलात्कार के बाद पेड़ पर लटकाया ।

e) न्यू इण्डिया इन्योरेंस कंपनी लि0, नई दिल्ली में कार्यस्थल पर उत्पीड़न ।

f) लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा एक लड़की का यौन उत्पीड़न एवं अवैध देह व्यापार ।

g) पांच आदमियों और दो पुलिसकर्मियों द्वारा एक लड़की का अपहरण और सामूहिक बलात्कार ।.

h) सोनीपत जिला, हरियाणा के एक स्कूल में किशोरी का बलात्कार ।

i) 'पुरी जिला, ओडिशा में पीपली किशोरी का तीन माह तक बलात्कार ।

j) बालूगांव जिला, ओडिशा में सामूहिक बलात्कार के बाद छात्रा की हत्या ।

(vii) आयोग ने वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में आयोजित अनुवीक्षण समति की बैठकों में अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों के वित्तीय अनुमोदन की अभिपुष्टि की ।

## 14 vDVwcj] 2014 dk vk;kftr vk;kx dh cBd %&

(i) आयोग ने "दलित महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और व्यक्त कार्य योजना" पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और निर्देश दिया कि समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट संबंधित समिति की अधिसूचना की तारीख

से चार माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(ii) आयोग ने जसोला, नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के भवन के लिए 438.22 लाख रुपये के आंतरिक सज्जा कार्य और 1.25 करोड़ रुपये की निर्मुक्ति के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (एनबीसीसी) के साथ समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर की अभिपुष्टि की ।

(iii) प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2013 के अंतर्गत सेरोगेट माताओं को न्यूनतम मुआवजा के लिए फार्मूला विकसित करने के लिए गोल मेज परामर्श के संबंध में, आयोग ने निर्णय लिया कि सेरोगेसी विषय पर आयोजित सभी संगोष्ठियों की रिपोर्टें विषय पर और आगे कोई परामर्श करने से पहले आयोग को प्राप्त हो जानी चाहिए । यह भी निर्णय लिया गया कि रिपोर्टें समयबद्ध तरीके से प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा न होने पर, आयोग संगठन को बकाया राशि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

(iv) आयोग ने अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों / कार्यशालाओं, जन सुनवाइयों, कानूनी जागरूता कार्यक्रमों और पारिवारिक महिला लोक अदालतों से संबंधित संशोधित दिशा निर्देश भी अनुमोदित किए जो 01 नवम्बर, 2014 से प्रवर्तन में आ जाएंगे ।

(v) आयोग ने ओडिशा, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में महिलाओं एवं बालिकाओं के परिस्थितिकीय विश्लेषण, जो क्रम से भारतीय प्राशासनिक स्टाफ कालेज, ए.एस.सी.आई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश द्वारा आयोजित किया जाएगा, का अनुमोदन किया ।

(vi) आयोग ने रेडियो जिंगल्स के प्रसारण का अनुमोदन किया और निर्णय लिया कि उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत के हिंदी भाषी राज्यों में रेडियो जिंगल्स प्रसारित करने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य् प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) को आदेश जारी किए जाएं ।

(vii) नए पोस्टरों और आउट डोर प्रचार योजना के अनुमोदन के बारे में, आयोग ने निर्णय लिया कि अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग पोस्टरों और आउटडोर प्रचार योजना को अंतिम रूप देने के लिए डिजाइन करने वाली एजेंसी के साथ बैठक करेंगी । .

(viii) आयोग ने आयोग द्वारा संज्ञान ली जाने वाली शिकायतों का पुनः वर्गीकरण करने का निर्णय लिया ।

(ix) मेलों और समारोहों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, आयोग ने निर्णय लिया कि सुश्री हेमलता खेरिया, (पूर्व सदस्यं), राष्ट्रीय महिला आयोग दिशा निर्देशों का प्रारूप तैयार करने के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों से विचार–विमर्श करेंगी ।

## 15 fnlEcj] 2014 dk vk;kftr vk;kx dh cBd %&

(i) राशि की निर्मुक्ति के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में वर्ष 2013–14 के दौरान अनुमोदित कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों / पारिवारिक महिला लोक अदालतों से संबंधित मामलों को बंद करने के संबंध में, आयोग ने निर्णय लिया कि कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों (एलएपी) के अनुमोदन की प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन किया जाए । इसके साथ ही, ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों के लिए विधि कालेजों

विश्वविद्यालयों के परामर्श से एक प्रामाणिक मॉड्यूल विकसित किया जाए । इसलिए, आयोग ने किसी भी नए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम को अनुमोदित नहीं करने का निर्णय लिया है जब तक कि नई प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है । कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों / पारिवारिक महिला लोक अदालतों को बंद करने के संबंध में, बंद करने के प्रस्ताव को (सभी गैर–अनुमोदित मामले, जिनमें प्रस्तावकों ने दस्तोवेज प्रस्तुत नहीं किए थे) आयोग द्वारा सहमति दी गई ।

(ii) आयोग ने राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा "महिलाओं से संबंधित कानूनों के उचित क्रियान्वयन" के लिए न्यायायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और बुनियादी स्तर पर अधिगम के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मॉड्यूल विकसित करने का निर्णय लिया ताकि इन कार्यक्रमों की प्रभावोत्पादकता का भविष्य में वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके ।

## 03 ekp] 2015 dk vk;kftr vk;kx dh cBd %&

(i) आयोग ने विभिन्न नीतियों, समर्थन और कानूनी मामलों में आयोग को सलाह देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का "समर्थन समूह" गठित करने का अनुमोदन किया ।

(ii) आयोग ने मासिक समाचार पत्र "राष्ट् महिला" के ई–प्रकाशन का अनुमोदन किया ।

(iii) आयोग ने निम्नलिखित मामलों में संज्ञान लेने का निर्णय लिया :–

a) महिला को निर्वस्त्र कर गधे पर घुमाने के आरोप में 25 को जेल ।

b) "बैंगलुरु जेल में वेश्यालय"?

c) उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 6 डाक्टारों ने 42 महिलाओं का महिला नसबंदी आपरेशन किया ।

d) भारतीय खाद्य निगम, मैसूर, कर्नाटक में कार्यस्थल पर कथित यौन उत्पीड़न ।

e) बीरभूमि जिला, पश्चिरम बंगाल के पुलिस प्रशासन द्वारा एक ग्रामीण महिला के साथ कथित बर्बरतापूर्ण घटना ।

f) मदुरै में सम्मान के लिए हत्या और पुलिस की उदासीनता और होसूर, कृष्णागिरि, तमिलनाडु में पुलिस कर्मियों द्वारा अभिरक्षा में कथित यौन हिंसा ।

(iv) आयोग ने पिछली अनुवीक्षण समिति की 12 जनवरी, 2015 को आयोजित बैठक में संगोष्ठियों कार्यशालाओं और अध्ययनों के अनुमोदित प्रस्तावों का अनुमोदन किया ।

(v) आयोग ने "हिंसा मुक्त घर–महिला का अधिकार" परियोजना के 01/04/2014 से 31/03/2016 तक विस्तार का अनुमोदन किया और कुछ अन्य राज्यों में परियोजना का विस्तार करने की संभावना का पता लगाने का निर्णय लिया ।

## çfrfuf/k eMyksa dk vk;ksx dk nkSjk

इस अवधि के दौरान, आयोग की कार्यप्रणाली एवं महिलाओं के हितों के सुरक्षापायों में इसकी भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशों के अनेक प्रतिनिधि मंडलों ने आयोग का दौरा किया । निम्नालिखित प्रतिनिधि मंडलों ने आयोग का दौरा किया :–

## fons'k ds çfrfuf/k eMy

(i) सुश्री सेली मोयले, विदेशी कार्य एवं व्यापार विभाग (डीईएटी) में प्रधान जेंडर विशेषज्ञ के नेतृत्व में एक ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल ने 16 सितम्बर, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग के व्यावहारिक तौर–तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की ।

(ii) श्री मेनोजेल्वे एम. शोजी, अध्यक्ष, जेंडर समानता आयोग, दक्षिण अफ्रीका के नेतृत्व में दो–सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 14 नवम्बर, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया । संबंधित आयोगों के कार्यकरण एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए व्यापक चर्चा की ।

*14 नवम्बर, 2014 को अपने दौरे के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से विचार–विमर्श करते हुए जेंडर समानता आयोग, दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि*

## vU; çfrfuf/k eMy

(i) मोहम्मद अब्दुल बारी विधिक विज्ञान संस्थान, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल के नौ सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिसमें सात छात्र एवं दो शिक्षक शामिल थे, आयोग के कार्यकरण एवं उसकी भूमिका को समझने के लिए 02 मई, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया।

(ii) न्याय दर्शन, वडोदरा, गुजरात के तीस सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के कार्यकरण एवं उसकी भूमिका को समझने के लिए 19 अगस्त, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ संवादात्मक सत्र में भाग लिया ।

(iii) हरियाणा पुलिस अकादमी, हरियाणा के नौ प्रशिक्षणाधीन परिवेक्षक अधिकारियों / पुलिस उप अधीक्षकों और दो शिक्षकों वाले प्रतिनिधि मंडल ने 28 अक्तूबर, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ संवादात्मक सत्र में अधिकारियों को महिलाओं से संबंधित मामलों का कैसे निपटारा किया जाए, के बारे में शिक्षित एवं उनका संवेदीकरण किया गया। उन्हें आयोग की भूमिका एवं व्यवहारिक क्रिया विधियों के बारे में भी जानकारी दी गई ।

(iv) आनंद विधि कालेज, आनंद, गुजरात के पैंसठ छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने आयोग की भूमिका एवं उसके कार्यकरण को समझने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ संवादात्मक सत्र में भाग लेने के लिए 08 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया ।

(v) बिहार विधान परिषद की बालक संरक्षण और महिला सशक्तीकरण समिति के दो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के कार्यकरण एवं उसकी भूमिका को समझने के लिए 16 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया । राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ एक संवादात्मक सत्र में, विधायकों को आयोग की भूमिका एवं उसकी व्यवाहारिक क्रिया–विधियों के बारे में भी जानकारी दी गई। समिति और आयोग के कार्यकरण एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी का आदान–प्रदान करने के लिए व्यापक चर्चा का आयोजन किया गया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व श्रीमती किरण घई सिन्हा ने किया।

(vi) डा0 अम्बेडकर विधि कालेज, नागपुर, महाराष्ट्र के बाईस सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिसमें 19 छात्र एवं 3 शिक्षक शामिल थे, आयोग की भूमिका एवं उसके कार्यकरण को समझने के लिए 17 फरवरी, 2015 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया ।

(vii) समाज कार्य विभाग, सेंट एडमण्ड्स कालेज, शिलोंग, मेघालय के शिक्षकों एवं छात्रों के सत्ताईस सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 23 फरवरी, 2015 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया । आयोग की व्यवाहारिक क्रिया विधियों एवं भूमिका के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए एक प्रस्तुतीकरण दिया गया ।

## vfHkj{kk lLFkkvksa dk nkSjk

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 (1) (ट) के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग का एक कार्य जेलों, सुधार गृहों, महिला संस्थाओं अथवा अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान का, जहां महिलाओं को कैदी के रूप में रखा अथवा अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना अथवा करवाना और उपचारात्मक कार्रवाई हेतु, यदि ऐसा आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाना है । अभिरक्षा में महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन तथा विश्लेषण करने के उद्देश्य से, आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों ने महिला कैदियों की मौजूदा स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित अभिरक्षा संस्थाओं का दौरा किया । उसके बाद संबंधित प्राधिकारियों को उचित कार्रवाई के लिए सिफारिशें भेजी गईं ।

1. आयोग की पूर्व सदस्य ने 26 मई, 2014 को जिला कारागार, सीतापुर का निरीक्षण किया और जेल अधीक्षक, जेल के अन्य अधिकारियों एवं महिला कैदियों से मुलाकात की । राज्य प्राधिकारियों से निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :–

(i) सीतापुर कारागार में कुल 1593 कैदी हैं जिनमें 46 महिला कैदी हैं । महिला कैदियों के लिए 08 शौचालयों के साथ 2 हॉल हैं ।

(ii) कारागार में 38 विवाहित, 3 अविवाहित, 5 विधवा और बच्चों के साथ 11 महिलाएं हैं। 25 महिलाएं दहेज से संबंधित अपराधों के लिए आरोपित हैं और 14 महिलाएं विचाराधीन हैं ।

(iii) कारागार परिसर में व्यवसायिक केंद्र पर जय हिंद सेवा संस्थान, गाजियाबाद द्वारा नियमित रूप से सिलाई एवं कशीदाकारी के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं । दो व्यावसायिक शिक्षक कैदियों को अध्यापन कराते हैं ।

(iv) महिला कैदियों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान कराना जेल प्राधिकारियों की ओर से अच्छा प्रयास था। छोटी लड़कियों को अधिगम प्रक्रिया से जोड़ कर रखा गया था। हकीकत में, दो कैदी बी.ए. की परीक्षा दे रही थीं ।

(v) किसी चिकित्सकीय आपातकाल के लिए एक डाक्टर उपलब्ध था । तथापि, स्त्री रोग विशेषज्ञ बुलाने पर कारागार का दौरा करते थे ।

(vi) यह देखा गया कि कैदियों को उनके मुकद्दमों की स्थिति की जानकारी नहीं थी । जिला विधिक प्राधिकरण की भूमिका संदेहास्पद थी । प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला विधिक प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा अधिक दौरे नहीं किए जाते थे ।

(vii) एक लड़की, जो विधि स्नातक थी, अनुमति होने के बावजूद उसके मुलाकातियों को नहीं मिलने दिए जाने से काफी परेशान थी । तथापि, सदस्य के हस्तक्षेप के बाद, उसे मिलने दिया गया । यह सिफारिश की जाती है कि उसके कानूनी ज्ञान का उपयोग अन्य महिला कैदियों को शिक्षित करने के लिए उपयोग किया जाए ।

(viii) अधिकांश महिलाएं समाज के अत्याधिक गरीब तबके से थीं । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मध्यम वर्ग और उच्च आर्थिक वर्ग की महिलाएं अपराध नहीं करती हैं । कुछ हद तक, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मामलों में उनकी पैरवी करने के लिए अच्छे वकील करने की अक्षमता के कारण उन्हें दोष सिद्ध किया जाता है ।

(ix) कैदियों के बच्चों के लिए पर्याप्त संख्या में खिलौने उपलब्ध थे । यह सिफारिश की जाती है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एक आंगनवाड़ी कार्यकत्री को भी कारागार का दौरा करना चाहिए । बच्चों को पोषणयुक्त आहार / भोजन भी दिया जाए ।

(x) महिलाएं अपने बच्चों से अलगाव और उनसे मिलने में असमर्थ रहने के कारण विशेष रूप से विक्षिप्त थीं ।

(xi) दोषी पाई गई महिलाओं को उनकी आयु और अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए । अलग–अलग श्रेणियों हेतु पुनर्वास नीतियों के अनुसार उनके अलग आवास एवं क्रियाकलापों की अलग समय सूची होनी चहिए ।

(xii) सुधार, परामर्श एवं समझ के जरूरमंद अपराधियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।

(xiii) महिलाओं को उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार के लिए व्यवस्था करने हेतु उन्हें कैद किए जाने के बाद शीघ्रातिशीघ्र, यदि संभव हो, लेकिन कारावास के दो माह से पहले, पैरोल सुविधा की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(xiv) दोषी महिला को, एक अधिकार के रूप में, न्यायालय के निर्णय सहित सभी दस्तावेज, जो उसके दोष सिद्ध होने का आधार बनाते हैं, स्वतः प्राप्त होने चाहिए ।

(xv) विचाराधीन महिलाओं को उनके बच्चों, मित्रों एवं रिश्तेदारों से मिलने में सक्षम बनाने के लिए उनकी पसंद की जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति होनी चाहिए ।

(xvi) कारागार में स्थायी महिला चिकित्सा अधिकारी होनी चाहिए ।

(xvii) जिला विधिक प्राधिकरण के अधिकारियों को कारागार का आवधिक रूप से दौरा करना चाहिए।

2. आयोग की पूर्व सदस्य ने 26 मई, 2014 को जिला कारागार, हरदोई, उत्तर प्रदेश का निरीक्षण किया और जेल अधीक्षक, जेल के अन्य अधिकारियों एवं महिला कैदियों से मुलाकात की । राज्य प्राधिकारियों से निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :–

(i) हरदोई कारागार में कुल 1230 कैदी हैं जिनमें 39 महिला कैदी हैं । महिला कैदियों के लिए अच्छी स्थिति में 05 शौचालय हैं । भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी पाई गई ।

(ii) 10 महिला कैदी 15–30 वर्ष के आयु वर्ग की हैं, 19 कैदी 30–45 वर्ष के बीच की हैं, 9 कैदी 45 से 65 वर्ष बीच की हैं और एक कैदी 65 वर्ष से अधिक आयु की है ।

(iii) कारागार में 34 विवाहित, दो अविवाहित, 3 विधवा और बच्चों के साथ 8 महिलाएं हैं। 26 महिलाएं विचाराधीन हैं और 13 महिलाएं दोषसिद्ध हैं ।

(iv) यह पाया गया कि कारागार में कोई प्रशिक्षण / कौशल अधिगम सुविधा नहीं है, लेकिन कारागार में चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता आदि उपलब्ध हैं । कैदियों को अनैतिक व्यापार, दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या, हत्या, अपहरण, डकैती आदि जैसे अपराधों के अंतर्गत आरोपित किया गया है ।

(v) अधिकांश महिलाएं समाज के अत्याधिक गरीब तबके से थीं । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मध्यम वर्ग और उच्च आर्थिक वर्ग की महिलाएं अपराध नहीं करती हैं । कुछ हद तक, ऐसा प्रतीत

होता है कि उनके मामलों में उनकी पैरवी करने के लिए अच्छे वकील करने की अक्षमता के कारण उन्हें दोष सिद्ध किया जाता है ।

(vi) यह पाया गया कि किशोरियों, पहली बार अपराध करने वाली भी, और साधारण अपराधों की दोषी महिलाओं को जघन्य अपराधों की आरोपी महिलाओं तथा आपराधिक इतिवृत्त वाली महिलाओं से अलग नहीं रखा गया था । यह कैदियों के सुधार के उपचारात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत एक अच्छां पहलू नहीं था ।

(vii) यद्यपि कारागार में मुलाकातियों को अपने रिश्तेदारों से मिलने की सुविधा है, महिलाएं अपने बच्चों से अलगाव और उनसे मिलने में असमर्थ रहने के कारण विशेष रूप से विक्षिप्त थीं ।

(viii) ऐसे मामलों का, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 (क) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (1) एवं (2) के दायरे में आते हैं, लोक अभियोजकों तथा संबंधित प्राधिकरियों के साथ मासिक बैठकें करके पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा नियमित जांच किया जाना चाहिए ।

(ix) महिलाओं को उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार के लिए व्यंवस्था करने हेतु उन्हे कैद किए जाने के बाद शीघ्र अति शीघ्र, यदि संभव हो, लेकिन कारावास के दो माह से पहले, पैरोल सुविधा की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(x) दोषी महिला को, एक अधिकार के रूप में, न्यायालय के निर्णय सहित सभी दस्तावेज, जो उसके दोष सिद्ध होने का आधार बनाते हैं, स्वतः प्राप्त होने चाहिए ।

(xi) विचाराधीन महिलाओं को उनके बच्चों, मित्रों एवं रिश्तेदारों से मिलने में सक्षम बनाने के लिए उनकी पसंद की जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति होनी चाहिए ।

(xii) सभी जेलों में एक नियमित प्रक्रिया के रूप में जीवन कला पाठ्यक्रमों, योग एवं ध्यान शिविरों तथा कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए ।

(xiii) सुधार, परामर्श एवं समझ के जरूरमंद अपराधियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए ।

(xiv) इस संबंध में पुलिस अधिकारियों में संचेतना विकसित करना एक नियमित अभ्यास होना चाहिए ।

(xv) प्रशासन द्वारा अपराध के पीछे के मकसद को समझने एवं उसका विश्लेषण करने, सुधारात्मक उपचार का तरीका निर्धारित करने और अति संवेदनशीलता एवं सहानुभूति के साथ जेलों का प्रबंधन करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए ।

3. आयोग की पूर्व सदस्य ने 03 सितम्बर, 2014 को जिला कारागार, हरदोई, उत्तर प्रदेश का निरीक्षण किया और जेल अधीक्षक, जेल के अन्य अधिकारियों एवं महिला कैदियों से मुलाकात की । राज्य प्राधिकारियों से निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :–

(i) कारागार में कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण / गतिविधि चलाई जा रही नहीं प्रतीत होती है । ऐसी गतिविधियों में महिला कैदियों को लगाने से उन्हें अच्छा समय व्यतीत करने में ही नहीं सहायता करेगा अपितु उन्हें कारागार से बाहर आने के बाद सम्माननीय / स्व वहनीय जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम बनाएगा ।

(ii) कारागार में कोई मनोरंजन सुविधा उपलब्ध नहीं थी । एक महिला डाक्टर द्वारा कारागार का महीने में दो बार दौरा करने के बावजूद, पूरे समय (9 माह) की गर्भवती महिला को अभिनिर्धारित नहीं किया गया (वह मानसिक रूप से विक्षिप्त थी लेकिन सही प्रश्न यह है – डाक्टर यह पता क्यों नहीं कर सकी कि वह गर्भवती थी) । शायद उत्तर यह है कि यह रोगियों / कैदियों के प्रति यह सामान्य दृष्टिकोण है । एक रेजीडेंट महिला डाक्टर अथवा कम से कम एक नर्स होनी चाहिए जो महिला कैदियों की समस्याओं को जानने और समय पर उनका निदान करने के लिए दैनिक आधार पर बातचीत करे ।

(iii) कुछ महिला कैदी उनसे मिलने के लिए अपने संबंधियों के इंतजार में अत्याधिक तनाव और गहरे सदमें में थीं । उन्हें निरंतर मनोवैज्ञानिक परामर्श की जरूरत है । मानसिक स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए ।

(iv) कारागार परिसर में एक पुस्तकालय है जिस तक केवल पुरुष कैदियों की ही पहुंच है । स्पष्टतयाः लिंग भेदभाव दर्शाता था । यहां तक कि महिला बंदी गृह में पुस्तकों की सूची भी नहीं प्रदर्शित की गई थी जो उन्हें पढ़ने के प्रयोजनार्थ पुस्तकें जारी करने का अनुरोध करने के लिए सक्षम बनाती है। प्राधिकारियों से महिला कैदियों की कोठरी में पुस्तकों की सूची चिपकाने और यह सुनिश्चित करने का कि महिला कैदियों की भी पुस्तकालय में समान पहुंच हो, निर्देश दिया गया ।

(v) आयोग के लिए आश्चर्य एवं निराश की बात यह थी कि दोषसिद्ध कैदी कपड़े की अनुपलब्धता के कारण, जिसका जिला कारागारों द्वारा प्रबंध किया जाता है, वर्दी में नहीं थीं । कैदियों ने इस मुद्दे की शिकायत की और जेल प्राधिकारियों को इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट से चर्चा करने का निर्देश दिया गया जो बाद में सूचीबद्ध गैर–सरकारी संगठनों को सार्थक रूप से भागीदारी करने के लिए निर्देश दे सकते हैं / अनुरोध कर सकते हैं ताकि कैदी सम्मानपूर्वक जिन्दगी जी सकते हैं ।

(vi) कैदियों को साबुन – नहीं दिया जाता है। साबुन दैनिक उपयोगार्थ जरूरी वस्तु है। साबुन केवल उन्हीं कैदियों को दिया जाता है जो झाड़ू लगाने एवं सफाई का काम करती हैं । यह बहुत ही अस्वास्थ्यकर है और स्थिति के बारे में प्रश्न खड़े करती है । इस समस्या का यथासंभव शीघ्र हल किए जाने की जरूरत है ।

(vii) अपने कारावास को काटने के लिए कैदियों के लिए आवास एक बुनियादी कारक है और इसकी सज्जा को कारागार में उनका स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को पूरा करना चाहिए । उचित सज्जा से बेहतर स्वच्छता में भागीदारी करना अपेक्षित है । खराब सफाई व्यवस्था से कैदियों में तेजी से बीमारी फैलने का जोखिम होता है और अपर्याप्ता चिकित्सा देखरेख उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है और इसके परिणामस्वरूप कभी–कभार उनकी मृत्यु भी हो जाती

है । इस प्रकार, अच्छी सफाई और चिकित्सा देखरेख जेल प्राधिकारियों द्वारा पूरी की जाने वाली मूल अपेक्षाएं हैं ताकि कैदी स्वस्थ जीवन जी सकें ।

(viii) यह महत्वपूर्ण है कि सभी जेल अधिकारियों को जेल परिस्थितियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए । उदाहरण के लिए, छोटी–छोटी मरम्मत के कार्य जेल अधिकारियों द्वारा स्वयं करने चाहिए और कैदियों के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए । यह बिना किसी अतिरिक्त लागत के जेल की परिस्थिंतियों में सुधार लाने में भागीदारी करेगा ।

(ix) कैदियों को स्वयं भी जेल की परिस्थतियों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए । अलग–अलग पृष्ठभूमि के कैदियों को जेल में पहुंचने के बाद कुछ बुनियादी प्रशिक्षण की जरूरत होती है । उन्हें उनके मानवाधिकारों, अपेक्षाओं एवं उत्तरदायित्वों के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से पुस्तिका प्रदान की जानी चाहिए । कैदियों में सफाई समिति, रखरखाव समिति, स्व–प्रबंधन समिति आदि जैसी अलग–अलग समितियों का गठन जेल की परिस्थितियों के प्रति सकारात्म्क दृष्टिकोण विकसित करने का दूसरा उपाय हो सकता है । यदि कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिस्पर्धा प्रणाली की शुरूआत के साथ किया जाता है, उनके दृष्टिकोण में इन प्रलोभनों के द्वारा प्रोत्साहित एवं बढ़ाया जा सकता है ।

(x) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे क्रियाकलापों के दौरान जेल कर्मियों और कैदियों के बीच अच्छे संबंध बनने की संभावना की जा सकती है । जेल में कैदियों के बीच स्व–प्रेरणा का माहौल बनाया जाना चाहिए ताकि उनमें जेल की परिस्थिंतियों में सुधार लाने के प्रयासों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके ।

(xi) जेल प्रभारी अधिकारी को सभी वार्डों, कोठरियों, यार्डों, कार्यशाला, रसोई और शौचालयों तथा कारागार के अन्य भागों का निरीक्षण करना चाहिए ।

(xii) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जा चुका है । तथापि, इसके बारे में सभी को जानकारी दी जानी चाहिए (केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पुरुषों को भी) ।

4. आयोग की पूर्व सदस्या ने 03 अगस्त, 2014 को जिला कारागार, हरदोई, उत्तर प्रदेश और 30 अगस्त, 2014 को केंद्रीय कारागार, अमृतसर, पंजाब का निरीक्षण किया और क्रमशः जेल अधीक्षक, जेल के अन्य अधिकारियों एवं महिला कैदियों से मुलाकात की । संबंधित राज्य प्राधिकारियों से निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :–

(i) महिलाएं अपने परिवार से अलगाव और अपने बच्चें से मिलने में असमर्थ रहने के कारण विशेष रूप से विक्षिप्त थीं । यह भी पाया गया कि परिवार एवं मित्रों से दूर कैद स्वयं में एक सजा है। कैदियों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी साप्ताहिक मुलाकात के लिए और अधिक समय का अनुरोध किया उन्होने कहा "एक घंटा पर्याप्त नहीं है" । सदस्य ने जेल प्राधिकारियों से समय को बढ़ाकर दो घंटे करने का अनुरोध किया।

(ii) ऐसा प्रतीत हुआ कि अधिकांश महिलाएं समाज के अत्यधिक गरीब तबके से थीं । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मध्यम वर्ग और उच्च आर्थिक वर्ग की महिलाएं अपराध नहीं करती हैं । कुछ हद तक, उनकी गरीबी के कारण उनके मामलों में उनकी पैरवी करने के लिए अच्छे वकील करने की उनकी अक्षमता दर्शाता है जिसके कारण वे दोषसिद्ध हो जाती है ।

(iii) यह पाया गया कि किशोरियों, पहली बार अपराध करने वाली भी, और साधारण अपराधों की दोषी महिलाओं को जघन्य अपराधों की आरोपी महिलाओं तथा अपराधिक इतिवृत्त वाली महिलाओं से अलग नहीं रखा गया था । यह कैदियों के सुधार के उपचारात्मतक सिद्धांतों के अंतर्गत एक अच्छा पहलू नहीं था ।

(iv) ऐसे मामलों का, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 (क) और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (1) एवं (2) के दायरे में आते हैं, लोक अभियोजकों तथा संबंधित प्राधिकरियों के साथ मासिक बैठकें करके पुलिस महानिरीक्षक (कारागार) द्वारा नियमित जांच किया जाना चाहिए ।

(v) महिलाओं को उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार के लिए व्यवस्था करने हेतु उन्हे कैद किए जाने के बाद शीघ्र अति शीघ्र, यदि संभव हो, लेकिन कारावास के दो माह से पहले, पैरोल सुविधा की अनुमति दी जानी चाहिए ।

(vi) दोषी महिला को, एक अधिकार के रूप में, न्यायालय के निर्णय सहित सभी दस्तावेज, जो उसके दोष सिद्ध होने का आधार बनाते हैं, स्वतः प्राप्त होने चाहिए ।

(vii) विचाराधीन महिलाओं को उनके बच्चों, मित्रों एवं रिश्तेदारों सें मिलने में सक्षम बनाने के लिए उनकी पसंद की जेल में स्थानांतरित करने की अनुमति होनी चाहिए ।

(viii) दोषी पाई गई महिलाओं को उनकी आयु और अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए । अलग–अलग श्रेणियों हेतु पुनर्वास नीतियों के अनुसार उनके अलग आवास एवं क्रियाकलापों की अलग समय सूची होनी चहिए ।

(ix) सभी जेलों में एक नियमित प्रक्रिया के रूप में जीवन कला पाठ्यक्रमों, योग एवं ध्यान शिविरों तथा कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए ।

(x) अपराधियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए और अपराधियों को सुधार, परामर्श एवं समझदारी के जरूरतमंद व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए ।

(xi) इस संबंध में पुलिस अधिकारियों में संचेतना विकसित करना राष्ट्रीय महिला आयोग / राज्य सरकारों का एक नियमित अभ्यास होना चाहिए ।

(xii) प्रशासन द्वारा अपराध के पीछे के मकसद को समझने एवं उसका विश्लेषण करने, सुधारात्मक उपचार का तरीका निर्धारित करने और अतिसंवेदनशीलता एवं सहानुभूति के साथ जेलों का प्रबंधन करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए ।

(xiii) अतिरिक्त सुविधाएं / कारागार के मनोरंजन कक्ष में एक रेफ्रिजरेटर था जहां से कैदी कभी–कभी शीतल पेय और ऐसी ही अन्य वस्तुएं खरीद सकती थीं ।

(xiv) अन्य जेलों के साथ सर्वोत्तम पद्धतियों की जानकारी का आदान–प्रदान करने से भारत में कारागारों की स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी ।

(xv) कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिलना चाहिए जिसे वे इण्डियन विघ्न फाउण्डेंशन और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से प्राप्त कर रहे हैं ।

5. आयोग की पूर्व सदस्य ने 15 जून, 2014 को सिलवासा उप कारागार (दादर व नगर हवेली) का निरीक्षण किया और जेल अधीक्षक, जेल के अन्य अधिकारियों एवं महिला कैदियों से मुलाकात की । राज्य प्राधिकारियों से निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :–

(i) कारागार की मूलभूत सुविधाएं संतोषजनक नहीं थीं । महिला कैदियों को अलग से शौचालय / प्रसाधन कक्ष और अलग से प्रवेश द्वार के साथ कुछ जगह उपलब्ध कराई जाए ।

(ii) कारागार की समय–समय पर मरम्मत / रखरखाव / अनुरक्षण कराया जाए ।

(iii) महिला वार्ड के लिए महिला गार्ड की प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जाए ।

6. श्रीमती लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती रिचा ओझा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मिजोरम राज्य महिला आयोग की एक सदस्य और सदस्य सचिव के साथ 28 फरवरी, 2014 को 11.00 बजे पूर्वाह्न केंद्रीय कारागार, ऐज्वल की महिला कोठरी का निरीक्षण किया । केंद्रीय कारागार की महिला कोठरी को निरीक्षण राष्ट्रीय महिला अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1) (ट) के अनुसार किया गया ।

केंद्रीय कारागार, ऐज्वल की वास्तविक क्षमता 575 कैदियों की है और 26.02.2015 की स्थिति के अनुसार कारागार में कैदियों की वास्तकविक संख्याक 556 थी जिसमें 518 पुरुष कैदी और 38 महिला कैदी थीं।

केंद्रीय कारागार के महिला खण्ड के निरीक्षण के दौरान, दल ने निम्नलिखित पाया :–

(i) महिला कैदियों को तीन हॉलों / कमरों / कोठरियों में रखा गया था और पहले कमरे / कोठरी में 1 सश्रम कारावास सहित 5 दोषी महिला कैदी और 13 विचाराधीन महिला कैदियों (अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए) को एक साथ एक कमरे में रखा गया । दोषी कैदियों को विचाराधीन कैदियों से इस लिए भेद नहीं किया जा सकता था क्यों कि कोई भी महिला कैदी वर्दी में नहीं थी ।

(ii) कोठरियां / कमरे सभी कैदियों को रखने के लिए पर्याप्त् स्थान के साथ साफ–सुथरे थे और कोई अति संकुलता नहीं पाई गई । तथापि, कोठरियों में सभी कैदियों के पास स्थायी शैय्याएं नहीं थी। अधिकांश कैदी जमीन पर सोती थीं क्योंकि शयनकक्ष में केवल कुछ ही स्थायी शैय्याएं बनाई गई थीं ।

(iii) कारागार की महिला कोठरी में 38 कैदियों में से, 10 महिलाएं विवाहित थीं, 5 अविवाहित थीं, 21 तलाकशुदा और 2 विधवाएं थीं । निरीक्षण के समय कारागार में कोई भी बच्चों वाली महिला अथवा गर्भवती महिला नहीं थी ।

(iv) दल ने (यदि) बच्चों वाली महिला कैदियों को कारागार में लाया जाता है, बच्चो के लिए झूलों के लिए कुछ बुनियादी व्यवस्था पाई । तथापि, उनके लिए शिशुगृह अथवा शिक्षा सुविधा की अनुचित व्यवस्था पाई गई ।

(v) कारागार में चिकित्सा सुविधा पर्याप्तं नहीं पाई गई और प्राधिकारियों ने बताया कि चिकित्सकीय आपातकाल के मामले में कैदियों को सिविल अस्पताल रेफर किया जाता है । एक एचआईवी पॉजीटिव कैदी का कारागार में ही उपचार किया जा रहा था । किसी भी दौरे, विशेषकर स्त्री रोग विशेषज्ञ के दौरे के बारे में नहीं बताया गया ।

(vi) कानूनी सहायता अथवा निःशुल्क विधिक सहायता सेवा भी अपर्याप्त पाई गई और कैदियों को नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराई जाती थी ।

(vii) रसोई का रखरखाव और भोजन की गुणवता सामान्य थी । कैदियों द्वारा बताया गया कि प्रति दिन केवल आलू, चावल एवं दाल दी जाती है और सप्ताह में एक बार ही गोश्त दिया जाता है । तथापि, कैदियों ने उन्हें आलू के अलावा अन्य् सब्जियां देने का भी अनुरोध किया। कोठरियों के शौचालय / प्रसाधन गृह साफ पाए गए और समग्ररूप से सफाई का स्तर बनाए रखा गया था । तथापि, कोई मच्छरदानी नहीं दी गई थी और कैदियों ने इसके लिए अनुरोध किया ।

(viii) कैदियों को सिलाई / बुनाई में बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा था तथापि, सिलाई मशीनों की संख्या बढ़ाने और कारागार में बुनाई का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग की गई ।

(ix) निरीक्षण दल ने कारागार के सभी कैदियों से बातचीत की और कुछ निष्कर्ष निम्नानुसार थे :–

a) कारगार में 5 दोषसिद्ध महिलाओं में से, दो कैदी कम आयु की लड़कियां थीं जो शराब पीने /मद्यपान की दोषी थीं । दोषसिद्ध मिजोरम में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगाने वाले मौजूदा कानून का परिणाम थी । तथापि, कानून संशोधन के अधीन थी और प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन कर रही सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाया जा रहा है । तथापि, दल इस बात से चिंतित था कि दोनों लड़कियां नशीले पदार्थ बेचने, हत्या का प्रयास और हेरोइन के अवैध व्यापार, आदि के गंभीर आरोपों के दोषसिद्ध कैदियों के साथ रह रही थीं ।

b) अन्य 3 दोषसिद्ध महिलाओं में अपने पति की हत्या के प्रयास की दोषी एक महिला शामिल थी दूसरी महिला पैसा कमाने के लिए गैस सिलेंडर बेचने की दोषी थी और एक गांजा एवं मरिजुआना रखने की दोषी थी ।

c) विचाराधीन कैदियों से बातचीत के दौरान, यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि महिलाओं को

म्यांमार की सीमा से भारत में नशीले पदार्थों, विशेषकर हेरोइन के संवाहक के रूप में उपयोग किया जा रहा था । अधिकांश विचाराधीन कैदियों ने स्वयं ही अपने म्यांमार संपर्कों के बारे में बताया और यह भी बताया कि उन्हें पैकेज ले जाने के लिए कैसे फुसलाया गया ।

d) अधिकांश विचाराधीन कैदियों पर हेरोइन रखने / ले जाने के आरोप थे और कुछ आबकारी विभाग द्वारा विशेष अभियान के दौरान पकड़ी गई थीं ।

e) कुछ महिलाओं ने बताया कि जल्दी पैसा कमाने के प्रलोभन ने उन्हें मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में फंसा दिया और कुछ ने जानकारी का अभाव बताया । तथापि, कुछ महिलाए मादक पदार्थ / अल्कोहल का उपयोग करती थीं और यह पाया गया कि कारागार नशाखोरों से निपटने के लिए सही तरह से लैस नहीं था क्योंकि यह किसी भी सहायता / पुनर्वास केंद्र से नहीं जुड़ा था । आपातकाल की हालत में, मामलों को कारागार की नर्स के पास रेफर किया जाता था, जो गंभीर मादक पदार्थ परावर्तन प्रतिक्रिया के दौरान दवाएं देती है (जैसा कि प्राधिकारियों ने बताया) ।

f) विचाराधीन एक कैदी ने बताया कि उसे सिंगापुर से जुड़े एक मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है । तथापि, उसके विरुद्ध अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कोई मामला दर्ज नहीं है ।

g) इसके अलावा यह भी पाया गया कि 33 विचाराधीन कैदियों में से 26 कैदी कारागार में 3 महीने से कम समय के लिए, 6 कैदी 3–6 माह के लिए और 1 विचाराधीन कैदी 6–12 माह के लिए कारागार में थी ।

h) जब निरीक्षण दल ने यह जानना चाहा कि क्या उनके परिवार वाले उन्हें वापस ले जाना चाहते हैं अथवा जमानत पर उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, अनेक कैदियों ने बताया कि उनके मित्र और परिवार वाले कारागार में उनसे मिलने आते हैं । लगभग 12 कैदियों ने यह भी बताया कि उनके परिवार वाले कारागार में उनसे मिलने नहीं आते हैं ।

i) केंद्रीय कारागार की महिला कोठरी में कुछ संगठनों के परोपकारी / कल्याणकारी कोष से महिलाओं के लिए सेनिटरी नैपकिन प्राप्त हो रहे हैं लेकिन निरीक्षण दल ने पाया कि स्वच्छता एवं सफाई की जरूरत को पूरा किया जा सकता है यदि ऐसी संस्थाओं में सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए कुछ सीएसआर पहलों के साथ स्थायी संपर्क स्थापित किया जाए ।

(x) महिला कैदियों में मादक पदार्थों / मादात्यय की समस्या गंभीर लगती है और इसकी जड़ को समाप्त करने की जरूरत है ।

**jk"Vh; efgyk vk;kx d fujh{k.k ny dh lcf/kr çkf/kdkfj;k d fy, dN flQkfj'k ¼&**

**d½ ty çkf/kdkjh**

(i) दोषसिद्ध एवं विचाराधीन कैदियों के लिए अलग व्यवस्था की जाए ।

(ii) कैदियों को उत्पादक क्रियाकलापों में लगाने के लिए अधिक क्रियाकलापों / कौशलों के साथ प्रशिक्षण सुविधा में बढ़ाई जाए ।

(iii) बहुत से कैदियों के प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से पदार्थ दुर्व्यवहार से जुड़े होने के कारण, जेल प्राधिकारियों को नशा मुक्ति केंद्रों और स्वैच्छिक संगठनों आदि से संपर्क स्थापित करने चाहिए । कारागार में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा परामर्श का प्रावधान किया जाए ।

(iv) कैदियों को अग्रसक्रिय कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए ।

(v) अलग–अलग प्रकार का भोजन और मच्छरदानी प्रदान करने से संबंधित कैदियों की मांग को पूरा किया जाए ।

(vi) छोटे अपराधों के विचाराधीन / दोषी कैदियों को गंभीर आरोपों के दोषी / विचाराधीन कैदियों के साथ नहीं रखा जाए ।

(vii) प्राधिकारियों को महिला कैदियों द्वारा नियमित जरूरतों के सेनिटरी नैपकिन, साबुन आदि जैसे सामान की स्थायी आपूर्ति सहित कारागार में सुविधाओं में सुधार लाने के लिए सीएसआर कोष का पता लगाना चाहिए ।

(viii) सीखने एवं खेलने के लिए महिला कैदियों के बच्चों के लिए बाल देखरेख के लिए बालक अनुकूल स्थान और उचित सामग्री होनी चाहिए ।

(ix) पहाड़ी क्षेत्रों में, स्थानीय कारणों का समाधान करने के उद्देश्य से मुलाकात की पहुंच अर्थात् परिवार वालों एवं मित्रों द्वारा मुलाकात के दिनों एवं समय को लचीला बनाया जाए ।

(x) पदार्थ दुर्व्यवहार के मामलों की जांच के लिए कारागार का स्त्री रोग विशेषज्ञों / मादक पदार्थ दुर्व्यवहार विशेषज्ञों सहित डाक्टरों द्वारा नियमित दौरा किया जाए ।

## [k½ fetkje jkT; ljdkj

(i) स्थिति की गंभीरता का मूल्यांकन के लिए महिला संवाहकों सहित भारत एवं म्यांमार के बीच मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर अध्ययन कराया जाए ।

(ii) मिजोरम में महिलाओं में पदार्थ दुर्व्यवहार / मादात्यय और इसके प्रभाव पर एक अध्ययन भी किसी अकादमिक संस्थान को प्रायोजित किया जाए ।

(iii) मादक पदार्थों / पदार्थ दुर्व्यवहार, मादात्यय जैसे मुद्दों पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए ।

(iv) सभी मामलों में विचारण समयबद्ध तरीके से किया जाए और राज्य सरकार राज्य पुलिस के माध्यम से कानून की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र जल्दी दायर करना सुनिश्चित करे।

(v) राज्य सरकार को अंतर राज्यीय और अंतर देशीय सीमाओं के बीच मादक पदार्थों / अन्य सामानों के अवैध व्यापार का संज्ञान लेना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्रों में महिलाओं / पुरुषों / बच्चों में जागरूकता विकसित करनी चाहिए ताकि उन्हें मादक पदार्थ उत्पादक संघों / माफियाओं द्वारा प्रलोभित न किया सके ।

(vi) राज्य सरकार को पुनर्वास / नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सहायता लेनी चाहिए ।

(vii) विचाराधीन एवं दोषसिद्ध महिला कैदी क्षेत्र में अवैघ व्यापार के नेटवर्क को समाप्त् करने के लिए प्रासंगिक मार्गदर्शन कर सकती हैं / सूचना दे सकती हैं जिनका उपयोग सीमा पार अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

(viii) शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं में मुख्य भूभाग से विपणन संपर्क के साथ–साथ नई गतिविधियों के अलावा बांस से वस्तुएं बनाने, बुनाई आदि जैसी मिजोरम की परंपरागत, सांस्कृतिक गतिविधियों को पुनः शुरू किया जाए क्योंकि ऐसी गतिविधियां महिलाओं को लाभप्रद रूप से नियोजित करेंगी और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगी ।

## vk;kx dh ubl igy% &

### I. tu tkx:drk ij ldUæ.k ¼cy½

महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं स्कीमों के बारे में जन जागरूकता में वृद्धि करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं। रू–

(i) बलात् श्रम के लिए महिलाओं की खरीद फ़रोख्त पर जांच समिति की रिपोर्ट जिसमे सुरक्षित प्रवासन और घरेलू कार्य के विधि परिपालन की आवश्यकता समझी गयी है।

(ii) जेंडर एवं शिक्षा पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ।

(iii) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर पुरुष राजनेताओं, युवा एवं छात्र संगठनों को लगाना ।

(iv) "जेंडर और भूमि अधिकार" पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ।

(v) छात्राओं, इन्टर्न, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से जुड़े विभिन्न पणधारियों के लिए दिशा निर्देश।

(vi) राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम (सबला) की राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समीक्षा की रिपोर्ट ।

(vii) महिलाओं के सुरक्षित प्रवासन और मानवों के अवैध व्यापार के निवारण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भाग – I– I I, परामर्शो का सार–संग्रह ।

(viii) जेलों, सुधार गृहों और अभिरक्षा के अन्य स्थलों का जनवरी, 2012 से जून, 2014 तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए गए निरीक्षणों की दौरा रिपोर्टें ।

(ix) 02 अगस्त, 2011 से 01 अगस्त, 2014 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियां ।

## II. ehfM;k vkj çpkj

### (i) byDVkfud ehfM;k] eyk @ dk;Øek vkfn d ek/;e l çpkj

वर्ष 2014–15 के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने "घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून", "दहेज के विरुद्ध कानून", "यौन उत्पीड़न", "अनिवासी भारतीयों का विवाह" और "महिला सशक्तीकरण" विषय पर पांच रेडियो जिंगलों का निर्माण किया । 16 दिसम्बर, 2014 को निर्भया दिवस के दौरान देश के सभी हिंदी भाषी राज्यों में निजी एफ. एम. रेडियों के माध्यम से एक 15 दिन का रेडियो अभियान भी शुरू किया गया था ।

इस अवधि के दौरान, आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए "महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा", "महिलाओं और लड़कियों का अवैध व्यापार" और "महिलाओं का सम्मान करने के लिए लड़कों को शिक्षित करना / संवेदी बनाना" विषयों पर रेडियो जिंगलों और ऑडियो स्पॉटों का भी निर्माण किया । इन जिंगलों और स्पॉटों का एक माह तक चलने वाले रेडियो अभियान के रूप में 16.12.2014 से 15.01.2015 तक पूर्वोत्तर राज्यों में आकाशवाणी के स्टेशनों के माध्यम से प्रसारण किया गया । इस कार्यक्रम को 04.03.2015 से 31.03.2015 तक एक माह के लिए पुनः चलाया गया ।

एक गहन प्रचार अभियान के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नव वर्ष, 2015 की पूर्व संध्या पर नए साल के विशेष कार्यक्रम के दौरान पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों के माध्यम से "महिला सशक्तीकरण" और "घरेलू हिंसा" विषय पर वीडियो स्पॉटों का प्रसारण भी किया । इन वीडियो स्पॉटों को 08 मार्च, 2015, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से शुरू होकर मार्च, 2015 माह के दौरान क्षेत्र में दूरदर्शन के सभी टीवी स्टेशनों द्वारा पुनः प्रसारित किया गया ।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के लिए अनेक मेलों में भागीदारी की और इस बारे में आम लोगों में संचेतना पैदा करने के लिए जागरूकता सामग्री वितरित की ।

इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुरी, ओडिशा के जगन्नाथ मेले में भागीदारी की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुरी मेला परिसर में एक प्रचार बूथ लगाया जहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रचार सामग्री प्रदर्शित की और प्रदर्शन मंजूषा में रखा । मेले का आयोजन 29 जून, 2014 से 08 जुलाई, 2014 तक किया गया । राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से लगाई स्टॉल ने अनेक हितबद्ध दर्शकों को आकर्षित किया । मेले मे महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करने एवं उन्हें संवेदी बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रचार सामग्री वितरित की गई ।

### (ii) fçV foKkiu

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग ने "निर्भया दिवस" मनाने के लिए 16.12.2014 को पूरे भारत में दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी किया । विज्ञापन का विषय "निर्भय नारी, सशक्त नारी" था ।

(ii) राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर 31 जनवरी, 2015 को पूरे भारत में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में एक और विज्ञापन जारी किया गया ।

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 08 मार्च, 2015 को देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में "महिला सशक्तीकरण" विषय पर आधे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित किया गया

(iv) राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2015 के लिए अपना कैलेंडर एवं डायरी मुद्रित कराई जिसमें महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता विकसित करने के विचार से महिलाओं के लिए उपलब्ध विभिन्न सुरक्षोपायों के बारे जानकारी दी गई थी । इन कैलेंडरो एवं डायरियों को महिलाओं के मुद्दों के बारे में व्याापक प्रचार–प्रसार करने और जागरूकता फैलाने के लिए राज्य महिला आयोगों, महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों एवं व्यक्तियों, राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों / विभागों, मीडिया और केंद्र एवं राज्य पुलिस कर्मियों में वितरित किया गया ।

### (iii) vkmV&Mkj çpkj

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली, राज्यों की राजधानियों और देश के प्रमुख शहरों में एक माह तक चलने वाला आउट–डोर प्रचार अभियान चलाया । इस देश–व्यापी आउट–डोर प्रचार अभियान के दौरान "कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न" और "घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून" विषयों पर मैट्रो रेल के अंदर, बस क्यू शेल्टरो, पैट्रोल पम्पों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स लगाए गए ।

### (iv) lokndkrk lEesyu vkj vU; çpkj

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा निपटान किए गए मुद्दों के बारे में मीडिया को जानकारी देने और उन्हें अद्यतन बनाए रखने के लिए अनेक अवसरों पर संवाददाता सम्मेलनों का आयोजन किया और प्रैस विज्ञप्तियां वितरित कीं ।

(i) 01.08.2014 को मीडिया को आयोग की तीन वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया । इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया ।

(ii) मीडिया के साथ बातचीत करने के लिए, जब श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था, 29 सितम्बर, 2014 को एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया ।

(iii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक मामले में जिसमें बैंगलुरु के एक मठ का पुजारी एक बलात्कार की घटना में कथित रूप से शामिल था, आयोग की भूमिका के बारे में स्पष्टीकण देने के लिए 01.10.2014 को एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया ।

(iv) उपरोक्त के अलावा, आयोग द्वारा निपटाए गए विभिन्न मामलों / मुद्दों पर उसकी भूमिका और दृष्टिकोण के बारे में मीडिया को जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अक्सर प्रेस विज्ञप्तियां / प्रेस नोट जारी किए ।

(v) इस अवधि के दौरान, जन संपर्क प्रकोष्ठी द्वारा प्रायः अध्यक्ष एवं सदस्यों की व्यक्तिगत बैठकें और साक्षात्कार भी आयोजित किए गए ।

## III. Hkkjrh; ç'kklfud deZpkjh dkyst ¼,,llhvkbZ½ ds lkFk le>kSrk Kkiu ¼,evks;w½

ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों में महिलाओं एवं लड़कियों का पारिस्थितकीय विश्लेषण करने के लिए भारतय प्रशासनिक कर्मचारी कालेज (एएससीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 09 दिसम्बर, 2014 को हस्ताक्षर किए गए ।

## IV. le>kSrk Kkiu ¼,evks;w½

राष्ट्रीय महिला आयोग और एन. टी. पी. सी. लि. ने 21 जुलाई, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । दोनों संगठन जेंडर मुद्दों और कार्य स्थल पर अनुचित व्यवहार, यौन उत्पीड़न की व्याख्या और स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य व्यावहार में अंतर आदि के बारे में देश भर में एन. टी. पी. सी. लि. के कर्मचारियों को संवेदी बनाने के लिए अपनी ताकतों का उपयोग करके सहयोग करने और साथ–साथ कार्य करने के समाझौते पर पहुंचे । इस बात पर सहमति बनी कि राष्ट्रीय महिला आयोग देश भर में विभिन्न कार्यशालाओं में एन. टी. पी. सी. लि. के कर्मचारियों को संवेदी बनाने के लिए विशेषज्ञ / संसाधन व्यक्ति उपलब्ध कराएगा / अनुशंसा करेगा । समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, आयोग जेंडर मुद्दों और कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण पर कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए संसाधन व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करेगा । वर्ष के दौरान, लखनऊ, हरियाणा में झझर, मुम्बई, पटना और हिमाचल प्रदेश में कोलडाम जैसे विभिन्न स्थानों पर 5 कार्यशालाएं आयोजित की गईं ।

## V. efgykvksa ls lacfa/kr dkuwuksa ds mfpr fØ;kUo;u ds fy, U;k;ikfydk ,oa iqfyl vf/kdkfj;ksa dk {kerk fuekZ.k

आयोग ने न्याायपालिका एवं पुलिस कर्मियों को जेंडर संवेदी बनाने से संबंधित स्कीम अनुमोदित कर दी है । पुलिस एवं न्यायपालिका अकादमियों के सहयोग से क्षमता निर्माण अभ्यास को नियमित आधार पर संस्थागत बनाए जाने की जरूरत है । आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम प्रायोजित किए :–

(i) **dkLVscy çf'k{k.k Ldwy ¼lhVh,l½] Hkkxyiqj] fcgkj %** आयोग ने जेंडर संवेदीकरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर एक दो दिवसीय कार्यशाला प्रायोजित की । अकादमी ने जेंडर से संबंधित कानूनों पर 300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया है ।

(ii) **vkj-ch-oh-oh-vkj- vkU/kz çns'k iqfyl vdkneh] gSnjkckn %** आयोग ने जेंडर संवेदीकरण एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पुलिस अकादमी, हैदराबाद के माध्यम से दो पाठ्यक्रम प्रायोजित किए ।

(iii) **gfj;k.kk iqfyl vdkneh] e/kqcu] djuky %** आयोग ने जेंडर संवेदीकरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर दो पाठ्यक्रम प्रायोजित किए हैं । अकादमी ने जेंडर से संबंधित मुद्दों पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में 500 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया है ।

(iv) **jktLFkku iqfyl vdkneh] t;iqj %** आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनों के क्रियान्वायन से जुड़े अधिकारियों के लिए पुलिस प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण, जेंडर संवेदीकरण पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रत्येक कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों के लिए) प्रायोजित किए ।

(v) **d-Vh-Mh-,l- iqfyl vdkneh] f=iqjk %** आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनों के क्रियान्वन से जुड़े अधिकारियों के लिए पुलिस प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण, जेंडर संवेदीकरण पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया ।

## VI. jk"Vh; efgyk vk;kx dk jkT;' efgyk vk;kxk d lkFk uVofdx

राष्ट्रीय महिला आयोग समय–समय पर संगोष्ठियों / कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके राज्य आयोगों से बातचीत करता रहता है । महिला सशक्तीकरण पर संसदीय स्थायी समिति ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच नियमित बातचीत के लिए एक तंत्र विकसित करने की सिफारिश की ।

इस दिशा में एक कदम और आगे के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य महिला आयोगों के साथ निम्नलिखित परामर्श / विचार–विमर्श बैठकें आयोजित की :–

(i) 05 जून से 07 जून, 2014 तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य का दौरा ।

(ii) 09 से 12 जुलाई, 2014 तक नागालैंड में नागालैंड राज्य महिला आयोग / महिला किसानों के साथ विचार–विमर्श बैठक ।

(iii) 27 एवं 28 नवम्ब्र, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में राज्य महिला आयोगों (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के साथ राष्ट्रस्तरीय विचार–विमर्श ।

(iv) दिल्ली में 02 एवं 03 फरवरी, 2015 को राज्य महिला आयोगों के साथ विचार–विमर्श बैठक ।

## VII. vrjjk"Vh; efgyk fnol dk vk;ktu

08 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारतीय औद्योगिक परिसंघ के सहयोग से 08 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन" विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया । महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने समारोह का उद्घाटन किया।

परामर्श का आयोजन महिलाओं के लिए एक ऐसे वातावरण का सृजन करने के लिए किया गया जिसमें उन्हें स्वयं को सशक्त बनाने और स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन जीने के लिए अच्छी शिक्षा हासिल कर सकती हैं और अपने कौशलों एवं उद्यमशीलता में वृद्धि कर सकती हैं। अलग–अलग विषयों जैसे कि (1) शिक्षा,

कौशल एवं उद्यमशीलता (2) स्वास्थ्य एवं पोषण (3) कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर तीन सत्रों का आयोजन किया गया ।

## VIII. vk;kx dk lpuk i= % jk"Vª efgyk

आयोग का मासिक सूचना पत्र राष्ट्र महिला, जिसका प्रकाशन हिंदी एवं अग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है, देश भर में महिला कार्यकर्ताओं, कानूनी जगत के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों एवं छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों के बारे में निरंतर सूचना प्रदान करता है ।

पत्र में आयोग के क्रियाकलापों के साथ – साथ आयोग में दर्ज की गई शिकायतों के संबंध में सफलता की कहानियां और महिलाओं को प्रभावित करने वाले न्यायालयों एवं सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रकाश डालता है । मुद्रण की बढ़ती हुई लागत के बावजूद, यह सूचना पत्र सभी पाठकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है । यह मासिक सूचना पत्र आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

# v/;k; 2

# ehfM;k vkj igqp dk;Øe

आयोग ने अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं तथा यह उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए कार्य करता है । आयोग ने देश में समाज के विभिन्न वर्गों से अलग–अलग विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न महिला मुद्दों पर कार्यशालाएं /संगोष्ठियां / सम्मेलन / परामर्श बैठकें आयोजित / प्रायोजित कीं ।

## vk;kx }kjk vk;kftr vFkok çk;kftr @ lg&çk;kftr egRoi.k lxkf"B;k @ dk;'kkyk, @ ijke'k @ cBd

### I. vk;kx }kjk fuEufyf[kr lxkf"B,;k @ dk;'kkyk, @ ijke'k cBd vk;kftr dh xb&

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "भारत में साइबर अपराधों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के तरीके और साधन" विषय पर दिनांक 23 जुलाई, 2014 को इण्डिया हेबीबेट सेंटर, नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया ।

*इण्डिया हेबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में 23 जुलाई, 2014 को "भारत में साइबर अपराधों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के तरीके और साधन" विषय पर आयोजित परामर्श बैठक के दौरान श्रीमती शमीना शफीक, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग और "नीतिगत पहलों के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देना" सत्र की अध्यक्ष ने सत्र की संकल्पना प्रस्तुत की*

(ii) हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "पर्वतीय (हिमालयी) क्षेत्र में महिलाएं और विकास : मुद्दे और सरोकार" विषय पर 23 जुलाई, 2014 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में एक संगोष्ठी आयोजित की गई ।

*हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "पर्वतीय (हिमालयी) क्षेत्र में महिलाएं और विकास : मुद्दे और सरोकार" विषय पर 23 जुलाई, 2014 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित संगोष्ठी में श्री वीरभद्र सिंह , माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश, सुश्री जेनब चन्देल, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, श्रीमती ममता शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग और सुश्री हेमलता खेरिया, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग*

(iii) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाउण्डेटशन के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "शांति और सद्भावना का संवर्धन : अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार – चुनौतियां और उपचार" विषय पर 01 सितम्बंर, 2014 को केजुअर्निया हॉल, हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई ।

*आयोग द्वारा "शांति और सद्भावना का संवर्धन : अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार : चुनौतियां और उपचार" विषय पर 01 सितम्बर, 2014 को केजुअर्निया हॉल, हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी*

(iv) जामिया मिलिया इस्लामिया के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, चुनौतियां और उपचार : सिख और जैन समुदाय की महिलाओं पर एक व्यापक अध्ययन" विषय पर 05 सितम्बर, 2014 को सरोजिनी नायडू महिला अध्ययन केंद्र, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की गई ।

(v) सामर्थयम वीमेन विद डिसेबिलेटीज फॉरम फॉर एक्शन के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "विकलांग महिलाओं से संबंधित गंभीर मुद्दे" विषय पर 06 जनवरी, 2015 को एक परामर्श बैठक आयोजित की गई ।

*सामर्थयम, नई दिल्ली के सहयोग से आयोग द्वारा "विकलांग महिलाओं से संबंधित गंभीर मुद्दे" विषय पर 06 जनवरी, 2015 को आयोजित परामर्श बैठक*

(vi) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "सूचना एवं संचार प्राद्यौगिकी और महिलाएं" विषय पर 11–12 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई ।

*भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के सहयोग से आयोग द्वारा "सूचना एवं संचार प्रोद्योगिकी और महिलाएं" विषय पर 11–12 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित परामर्श बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित करती श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग*

(vii) अमर उजाला फाउण्डेशन और प्राण सभरवाल फाउण्डेशन के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "एसिड हमलों के उत्तरजीवी" विषय पर 21 फरवरी, 2015 को तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई ।

(viii) आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "भारत में देवदासियों की स्थिति" विषय पर 23 फरवरी, 2015 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई ।

*आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य महिला आयोग के सहयोग से आयोग द्वारा "भारत में देवदासियों की स्थिति" विषय पर 23 फरवरी, 2015 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आयोजित परामर्श बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित करती श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग*

(ix) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "भारतीय मुस्लिम महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ना – आगे की राह" विषय पर 24 फरवरी, 2015 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई ।

*मौलाना आजाद राष्ट्रींय उर्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "भारतीय मुस्लिम महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़न – आगे की राह" विषय पर 24 फरवरी, 2015 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आयोजित परामर्श बैठक में प्रतिभागियों को संबोधित करती श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग*

(x) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारतीय औद्योगिक परिसंघ के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "महिलाओं के लिए समर्थ वातावरण का सृजन" विषय पर 08 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक परामर्श बैठक आयोजित की गई ।

*महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और भारतीय औद्योगिक परिसंघ (सीसीआई) के सहयोग से आयोग द्वारा "महिलाओं के लिए समर्थ वातावरण का सृजन" विषय पर 08 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित परामर्श बैठक में श्रीमती मेनका संजय गांधी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्री डी.वी. प्रसाद, पूर्व सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती शमीना शफीक, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग और डा0 प्रेमा रामचन्द्रन*

(xi) सामाजिक विकास फाउण्डेशन, नई दिल्ली के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "हाथों से सफाई करने में संलग्न सर्वाधिक उपेक्षितों की आवाज सुनना" विषय पर 10 मार्च, 2015 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया ।

*सामाजिक विकास फाउण्डेशन के सहयोग से आयोग द्वारा "हाथों से सफाई करने में संलग्न सर्वाधिक उपेक्षितों की आवाज सुनना" विषय पर 10 मार्च, 2015 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित सम्मेलन में समाज में उनके कार्यों के लिए कार्यकर्ताओं / प्रतिभागियों को सम्मानित करती सुश्री हेमलता खेरिया, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग*

## II. fofHkUu lLFkkvk @ xj&ljdkjh lxBuk d lg;kx l fuEufyf[kr lxkf"B;k @ dk;'kkyk, vk;kftr dh xb %&

(i) मदर टेरेसा ग्रामीण और जनजातीय विकास सोसायटी, आंध्र प्रदेश के सहयोग से "लिंग चयन के निवारण और घटते हुए बाल लिंग अनुपात को रोकने के लिए सामुदायिक संघटन और लोगों के प्रत्युत्तर को समर्थन" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(ii) ऑल इण्डिया शिक्षा एवं विकास एसोसिएशन, द्वारिका, नई दिल्ली के सहयोग से "घटता हुआ लिंग अनुपात" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(iii) रामेश्वरम, मधुबनी, बिहार के सहयोग से "बिहार में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति – उन्नयन हेतु कार्यनीतिक योजना पर व्यापक विचार–विमर्श" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(iv) इलाश्री सेवा संस्थान, मधुबनी, बिहार के सहयोग से "बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं किशोरियों, घरेलू नौकरों का कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या – माननीय उच्चतम न्यायालय के विशाखा दिशा निर्देशों के आलोक में परिचर्चा" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(v) आर.बी. मेमोरियल सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश के सहयोग से "भारत में यौन व्यापार, यौन शोषण और बलात्कार" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

*23 दिसम्बर, 2014 को आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी*

(vi) मणिपुर पशु चिकित्सक परिषद, इम्फाल के सहयोग से "हथकरघा बुनाई क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(vii) इसाबेला थोबरुन कालेज, लखनऊ, उ.प्र. के सहयोग से "महिलाओं के भूमि अधिकार और जेंडर समानता हासिल करना – मुद्दे और चुनौतिया" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(viii) आंध्र प्रदेश महिला विकास सोसायटी, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश के सहयोग से "एकल महिलाओं के अधिकार और विधवाओं, परित्यक्ता एवं अविवाहित महिलाओं का सशक्तीकरण" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(ix) गायत्री ग्रामीण विकास सोसायटी, चामराजनगर, कर्नाटक के सहयोग से "एकल महिलाओं के अधिकार और विधवाओं, परित्यक्ता एवं अविवाहित महिलाओं का सशक्तीकरण" विषय पर एक क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(x) सार्थक, नई दिल्ली के सहयोग से "दिल्ली में भारत की विमुक्त एवं घुमंतू समुदायों की महिलाओं की समस्या" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(xi) जीवन किरण, त्रिसूर, केरल के सहयोग से "केरल में महिलाओं एवं लड़कियों का अवैध व्यापार" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(xii) सिनम, वालारघम, तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु के सहयोग से "अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और महिलाओं का शिक्षा का अधिकार" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(xiii) राष्ट्रीय बधिर एसोसिएशन, नई दिल्ली के सहयोग से "बधिर महिलाओं का सशक्तीकरण" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

*राष्ट्रीय बधिर एसोसिएशन, नई दिल्ली के सहयोग से आयोग द्वारा "बधिर महिलाओं का सशक्तीकरण" विषय पर 18–19 अप्रैल, 2015 को आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी*

(xiv) इन्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेन्ट एसोसिएशन, नई दिल्ली के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "सरोगेसी : मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

(xv) बालाजी ग्रामीण विकास सोसायटी, कर्नाटक के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "भूमिहीन महिला किसानों का बेहतर आजीविका परिस्थितियों के लिए उनके द्वारा जोती जा रही भूमि पर कानूनी अधिकार दिलाने के लिए सशक्तीकरण" विषय पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

*बालाजी ग्रामीण विकास सोसायटी, कर्नाटक के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "भूमिहीन महिला किसानों का बेहतर आजीविका परिस्थितियों के लिए उनके द्वारा जोती जा रही भूमि पर कानूनी अधिकार दिलाने के लिए सशक्तीकरण" विषय पर 27–28 दिसम्बर, 2014 को राज्यस्तरीय संगोष्ठी का आयोजन*

(xvi) त्रि–संस्थान सुन्दरी, राजस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "दहेज प्रथा से संबंधित जेंडर हिंसा और महिलाओं के जीवन चक्र पर इसका प्रभाव" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया ।

*त्रि–संस्थान सुन्दरी, राजस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "दहेज प्रथा से संबंधित जेंडर हिंसा और महिलाओं के जीवन चक्र पर इसका प्रभाव" विषय पर 19–20 जुलाई, 2014 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन*

# v/;k; 3

# f'kdk;r ,oa tkp çdk"B

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसार आयोग को शिकायतों की जाँच करने तथा महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन न किए जाने से संबंधित मामलों पर स्व–प्रेरणा से ध्यान देने का अधिकार दिया गया है। इस उपबंध का अनुपालन करने के लिए शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ (सी एण्ड आई सैल) महिला अधिकारों की वंचना / कानूनों का कार्यान्वयन न किए जाने से संबंधित मामलों के संबंध में देश भर से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करता है। ये शिकायतें मौखिक, लिखित रूप में या आयोग की वेबसाइट अर्थात www.ncw.nic.in के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त, आयोग महिलाओं के साथ जघन्य अपराधों से संबंधित घटनाओं का स्व–प्रेरणा से संज्ञान भी लेता है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ इन महिलाओं की शिकायतों का उपयुक्त निपटान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और शीघ्र राहत प्रदान करने हेतु इन शिकायतों पर कार्रवाई करता है। सामान्यतः, शिकायतों पर आगे दर्शाए गए तरीके से कार्रवाई की जाती है :–

(i) पुलिस की उदासीनता/निष्क्रियता की शिकायतें ऐसे मामले में समय पर और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं। इस प्रकार संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) की जाँच करके आगे निगरानी की जाती है।

(ii) पारिवारिक/वैवाहिक विवादों का समाधान परामर्श के माध्यम से किया जाता है। दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बुलाया जाता है और परामर्श के माध्यम से विवादों/वैवाहिक कलह के समाधान का प्रयास किया जाता है;

(iii) गंभीर अपराधों के मामलों में, आयोग जाँच समितियों का गठन करता है, जो घटनास्थल पर जाकर जाँच करती हैं, विभिन्न गवाहों की जांच करती हैं, साक्ष्य एकत्र करती हैं और सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करती हैं (ऐसे अन्वेषणों से हिंसा और अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को तत्काल राहत और न्याय प्रदान करने में मदद मिलती है)। आयोग संबंधित राज्य सरकारों / प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाकर जाँच समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है;

(iv) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के मामले में, संबंधित संगठन/विभाग से ऐसी शिकायतों की जाँच करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने और उसकी रिपोर्ट की एक प्रति अवलोकन के लिए आयोग को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है । सरकारी तथा कारपोरेट क्षेत्रों में "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" के मामलों की जाँच करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन की आवश्यकता के विषय में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस

अधिनियम के उपबंधों के विषय में विज्ञापन भी विभिन्न राज्यों के अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं;

(v) जहाँ कहीं और जब कभी आवश्यक पाया जाता है, तभी शिकायतें विभिन्न राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग तथा तत्संबंधी राज्य आयोगों को अपनी ओर से उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए भेजी जाती हैं। ये शिकायतें ऐसी होती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित नहीं होती हैं ।

## I. v,uykbu f'kdk;r i:thdj.k ç.kkyh

राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग की वेबसाइट अर्थात www.ncw.nic.in के माध्यम से शिकायतों के शीघ्र और सरल पंजीकरण के लिए वर्ष 2005 में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली का शुभारंभ किया ।

इस प्रणाली के परिणामस्वरूप शिकायतों के पंजीकरण और पावती जारी करने में तेजी आई है। कोई भी भारत/विश्व के किसी भी भूभाग से उक्त साइट पर लॉग इन करके अपनी शिकायत का पंजीकरण करा सकता/सकती है। उक्त शिकायत को पंजीकरण संख्या दी जाती है । तत्पश्चात उस शिकायत का निपटान भी डाक द्वारा/दस्ती प्राप्त होने वाली शिकायतों आदि की तरह ही किया जाता है ।

यह प्रणाली शिकायतकर्ता को मामले की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर शिकायत के पंजीकरण के समय उन्हें दी गई विशिष्ट प्रयोक्ता आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग करके मात्र लॉग इन करके सक्षम बनाती है ।

दोनों आंकड़ो के आधारों (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) के विलय के साथ, आयोग में प्राप्त शिकायतों की संख्या (प्रकृति–वार एवं राज्य–वार) से संबंधित आंकड़े शिकायतकर्ताओं और प्रतिवादियों की जानकारी उजागर किए बिना सार्वजनिक डोमेन पर भी उपलब्ध है ।

## II. lkekU;r% fopkj.kh; u eku tkus okyh f'kdk;r

आगे दर्शाई गई श्रेणी की शिकायतें / मामले सामान्यतः विचारणीय नहीं होते हैं :–

(i) अपठनीय या अस्पष्ट, अनाम या छद्म नाम वाली शिकायतें।

(ii) जब उठाया गया मुद्दा पक्षों के बीच संविदात्मक अधिकारों, दायित्वों आदि जैसे सिविल विवादों से जुड़ा हो।

(iii) जब उठाए गए मुद्दे महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर सेवा संबंधी मामलों से जुड़े हों।

(iv) जब उठाया गया मुद्दा महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित न होकर श्रम संबंधी/औद्योगिक विवादों से जुड़ा हो।

(v) जब मामला किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण के विचाराधीन हो।

(vi) आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अनुसार विधिवत गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हो।

(vii) जब आयोग ने मामले में निर्णय पहले ही कर दिया हो।

(viii) जब मामला किसी अन्य कारण से आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर हो।

(ix) जब उठाया गया मामला संपत्ति विवाद से संबंधित हो।

## III. 'kh"k ftudk vrxr f'kdk;r ith—r dh tkrh g

01 नवम्बर, 2014 से, आयोग में प्राप्त और पंजीकृत होने वाली शिकायतों को मुख्यतः आगे दर्शाई गई श्रेणियों में पंजीकृत किया जाता है :–

1. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा :–

   (i) बलात्कार का प्रयास

   (ii) बलात्कार

   (iii) यौन प्रहार

   (iv) तेजाब हमला

2. लिंग चयनित गर्भपात मादा भ्रूण हत्या / गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच

3. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सहित यौन उत्पीड़न

4. महिला अधिकारों के प्रति अपमानजनक परंपरागत प्रथाए अर्थात् सती प्रथा, देवदासी प्रथा, चुड़ैल हत्या

5. स्त्री अशिष्ट रूपण

6. दहेज उत्पीड़न / दहेज हत्या

7. महिलाओं का अवैध व्यापार / वेश्यावृत्ति

8. महिलाओं का शील भंग करना

9. पीछा करना / रतिदर्शन

10. महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध

11. द्विविवाह / बहुविवाह

12. विवाह में विकल्प देने का अधिकार

13. सम्मान के साथ जीना

   (i) घरेलू हिंसा

(ii) क्रूरता

(iii) उत्पीड़न

14. तलाक की हालत में बच्चों की अभिरक्षा का महिलाओं का अधिकार

15. शिक्षा एवं कार्य का समान अधिकार सहित जेंडर भेदभाव

16. महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता

17. महिलाओं की निजता और इससे संबंधित अधिकार

18. महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता

19. महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य का अधिकार

## IV. o"kZ 2014&15 ds nkSjku iath—r f'kdk;rksa dk fo'ys"k.k ¼ç—fr&okj ,oa jkT;&okj½

वर्ष के दौरान, शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ में 32118 शिकायतें/मामले पंजीकृत किए गए। वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा पंजीकृत शिकायतों का प्रकृति–वार और राज्य–वार ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक– II एवं अनुलग्नक–III में दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त हुई सबसे ज्यादा शिकायतें महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता से संबंधित 6775 शिकायतें थी, जिसके बाद सम्मान के साथ जीने की 6421 शिकायतें थीं । महिलाओं का शील भंग करने की 2659 शिकायते थीं । विवाहित महिलाओं की दहेज उत्पीड़न / क्रूरता की 1338 शिकायतें थीं, जिसके बाद संपति विवाद से संबंधित 1327 शिकायतें थीं । बलात्कार की 1041 शिकायतें थीं । 975 शिकायतें दहेज उत्पीड़न / दहेज हत्या की थीं । महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की 911 शिकायतें थीं जिसके बाद ससुराल जनों द्वारा 863 शिकायतें की गई थीं । बलात्कार के प्रयास की 709 शिकायतें और सेवा मामलों से संबंधित 503 शिकायतें थीं । कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की 414 शिकायतें थीं । आयोग द्वारा साइबर अपराध की 178 शिकायतें और तेजाब हमले की 21 शिकायतें पंजीकृत की गई थीं । 27206 शिकायतें विविध श्रेणी में पंजीकृत की गई थीं ।

**'kh"kZ nl Jsf.k;ksa dh lwph ¼vojksgh Øe esa½ ftuesa f'kdk;rsa iath—r dh xbZ gSa%&**

| Ø-la- | Js.kh | f'kdk;rksa dh la[;k |
|---|---|---|
| 1. | महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता | 6775 |
| 2. | सम्मान के साथ जीने का अधिकार | 6421 |
| 3. | महिलाओं का शील भंग करना | 2659 |
| 4. | विवाहित महिलाओं का दहेज उत्पीड़न / क्रूरता | 1338 |
| 5. | संपत्ति विवाद | 1327 |

| क्र.सं. | श्रेणी | शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 6. | बलात्कार | 1041 |
| 7. | दहेज उत्पीड़न / दहेज हत्या | 975 |
| 8. | महिलाओं के विरुद्ध | 911 |
| 9. | ससुराल जनों द्वारा शिकायत | 863 |
| 10. | बलात्कार का प्रयास | 709 |

नोट : उपरोक्त तालिका में, विविध / गैर अधिदेशित श्रेणी में पंजीकृत शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है ।

आयोग को उत्तर प्रदेश से 19385 शिकायतें/मामले, दिल्ली से 1720, हरियाणा से 1720, राजस्थान से 1473 और मध्य प्रदेश से 1086 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बिहार से 775, महाराष्ट्र से 758, उत्तराखण्ड से 530 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पंजाब से 403 और झारखंड से 357 शिकायतें प्राप्त हुईं हैं। पश्चिम बंगाल से 342, तमिलनाडु से 327, छत्तीसगढ़ से 145 और गुजरात से 158 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

**पंजीकृत शिकायतों की संख्या के आधार पर शीर्ष दस राज्यों की सूची (अवरोही क्रम में)**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश | 19385 |
| 2. | दिल्ली | 3619 |
| 3. | हरियाणा | 1720 |
| 4. | राजस्थान | 1473 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 1086 |
| 6. | बिहार | 775 |
| 7. | महाराष्ट्र | 758 |
| 8. | उत्तराखण्ड | 530 |
| 9. | पंजाब | 403 |
| 10. | झारखण्ड | 357 |

**आयोग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाइयां और अन्वेषण :-**

1. आयोग को त्रिलोकपुरी, दिल्ली की रहने वाली एक महिला से उसके पति द्वारा कथित घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई । आयोग ने मामले को परस्पर सम्मति से मामले को निपटाने के लिए आयोग के समक्ष सुनवाई / परामर्श सत्रों का आयोजन कर विचार किया । आयोग द्वारा त्वरित

मध्यस्थता किए जाने के कारण मामला सुलझ गया क्यों कि शिकायतकर्ता अपने वैवाहिक जीवन को एक और मौका देने के लिए सहमत हो गई । इस समय, शिकायतकर्ता अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रह रही है ।

2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), पश्चिीम बंगाल की एक वरिष्ठ अधिकारी ने कार्यस्थल पर कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में आयोग से संपर्क किया । आयोग द्वारा मामले की सुनवाई आयोजित कर विचार किया गया जिसमें शिकायतकर्ता के अलावा संबंधित विभाग के प्रतिनिधि दोनों को आयोग के समक्ष बुलाया गया । दोनों पक्षों को सुनने के बाद, आयोग इस निष्कषर्ष पर पहुंचा कि विभाग के निर्णय से शिकायतकर्ता को काफी शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय नुकसान हुआ है और उसकी पर्याप्त् रूप से प्रतिपूर्ति उसके कार्यालय द्वारा की जानी चाहिए । सीबीडीटी को भी उनके कार्यालय में आंतिरिक शिकायत निवारण समिति गठित करने संबंधी अधिदेशित प्रावधान का अनुपालन करने, प्रमुख स्थाठन पर उन्हें अधिसूचित करने और तीन माह के भीतर आयोग को अनुपालन रिपोर्ट भेजने की सिफारिश की गई थी ।

3. गांधी नगर, दिल्ली की एक शिकायतकर्ता ने उसके पति और ससुरालजनों द्वारा कथित घरेलू हिंसा के संबंध में आयोग से संपर्क किया । शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया है और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है । आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और शिकायतकर्ता को आश्रय गृह में भेजा । उसके बाद, आयोग में परामर्श सत्रों का आयोजन किया गया जहां दोनों पक्ष हाजिर हुए और बाद में, प्रतिवादी शिकायतकर्ता को वापस उसके वैवाहिक घर ले जाने को राजी हो गया । इस समय, शिकायतकर्ता अपने वैवाहिक घर में शांतिपूर्वक रह रही है ।

4. आयोग को एक महिला से जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एम.फिल. की छात्रा थी, भारत में कालेजों में सेनिटरी नैपकिन डिसपेंसर लगाने सहित बेहतर सफाई सुविधा की मांग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई । आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और शिकायत को पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों को उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित किया ।

आयोग को विभिन्न मंत्रालयों / राज्य सरकारों से निम्नलिखित उत्तर प्राप्त हुए हैं :–

(i) गोवा सरकार, शिक्षा निदेशालय ने सूचित किया है कि स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत, अनेक कॉरपोरेट क्षेत्रों और गैर–सरकारी संगठन स्वेच्छा से लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण और उनकी मरम्मत करने के लिए और अपनी सेवाएं देने के लिए आगे आए हैं ।

(ii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सूचित किया कि सरकार द्वारा स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय अभियान शुरू किए गए हैं जिसमें शौचालय ब्लॉकों को निर्माण करने के इच्छुक व्यक्तियों / कॉर्पोरेटों / संस्थाओं को प्रोत्सांहित किया जाता है । इसके अलावा, स्कूलों में शौचालयों का निर्माण संबंधी केंद्रीयकृत ऑनलाइन आंकड़ा आधार भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया और राज्य सरकारों की सहायता से यह सुनिश्चित करने

के प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी स्कूलों में अगस्त, 2015 तक लड़कियों के लिए अलग शौचालय हों ।

(iii) महिला जल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य केंद्र ने सूचित किया है कि वे स्कूलों, कालेजों और महिला संस्थाओं में सेनिटरी नैपकिन वेंडिग मशीनें और भट्टियों लगा रहे हैं तथा महिलाओं एवं लड़कियों के लाभ और उनकी सुविधा के लिए स्वास्थ्यकर सेनिटरी नैपकिन भी भारी मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं ।

(iv) प्रधानाचार्य, धनंजयराव गाडगिल कालेज ऑफ कॉमर्स, जिला सतारा, महाराष्ट्र ने सूचित किया है कि सेनिटरी नैपकिन के लिए वेंडिग मशीन कालेज द्वारा खरीद ली गई है और महिला चपरासी एवं छात्राओं के प्रतिनिधि को मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

5. सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से एक शिकायतकर्ता ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की लंबित शिकायत में पुलिस की कथित उदसीनता के बारे में आयोग से संपर्क किया । आयोग ने पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, उत्तंर प्रदेश से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई । प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, मामले की पुनः जांच की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई । इस समय, आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और मामला माननीय न्यायालय में लंबित है ।

6. दिल्ली की एक लड़की ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आयोग से संपर्क किया । आयोग ने मामले पर विचार किया और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जागरण से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी । प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, मामले में आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन कर दिया गया है और जांच की जा रही है ।

7. दिल्ली की घरेलू हिंसा की पीडिता ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई । आयोग ने सुनवाई आयोजित करके मध्यस्थता करने का प्रयास किया लेकिन प्रतिवादी पति ने घरेलू हिंसा करना जारी रखा । शिकायतकर्ता के अनुरोध के अनुसार, मामले को संबंधित पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित कर दिया गया । प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी पुलिस हिरासत में था ।

8. आयोग को दिल्ली की निवासी एक लड़की से कथित विवाह–पूर्व विश्वास भंग की एक शिकायत प्राप्ति हुई । आयोग ने मामले पर विचार किया और दोनों पक्षों को आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए बुलाया गया । तीन सुनवाईयों के बाद, पक्षों के बीच परस्पर सम्मति से मामले का निपटान किया गया और लड़की को आर्थिक सहायता दी गई ।

9. एक लड़की से विवाह–पूर्व विश्वास भंग के आरोपों के साथ आयोग से संपर्क किया । उसने बताया कि सगाई की रस्म के बाद, प्रतिवादी ने विवाह करने से मना कर दिया जिससे अपमान और मानसिक उत्पीड़न हुआ । आयोग ने परस्पर सम्मति से मामले का निपटान करने के लिए शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के साथ तीन सुनवाईयां की। प्रतिवादी शिकायतकर्ता को एक लाख रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत

हो गया और दोनों पक्षों ने आपस में जेवरातों की अदला–बदली भी की ।

10. दिल्ली का एक शिकायतकर्ता ने उसके पति एवं ससुरालजनों द्वारा धमकी देने के आरोप लगाते हुए आयोग से संपर्क किया । शिकायतकर्ता को जिला न्यांयालय, गाजियाबाद से घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवास का अधिकार दिया गया था लेकिन शिकायतकर्ता को शिकायत थी कि उसका पति एवं ससुराली जन उसे रसोई का उपयोग नहीं करने दे रहे थे और उसे नियमित रूप से धमकी देते थे । आयोग ने मामले में सुनवाई की और प्रतिवादी के साथ–साथ संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना करने का निर्देश दिया । आयोग को प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता अब अपने वैवाहिक घर में शांतिपूर्वक रह रही है लेकिन उसका घरेलू हिंसा का मामला माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

11. एक माँ ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस की उदसीनता के आरोप लगाते हुए आयोग से संपर्क किया । आयोग ने पुलिस आयुक्त, दिल्ली से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी । प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है ।

12. सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक लड़की ने क्षेत्र के पंचायत कार्यालय में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए आयोग से संपर्क किया । आयोग ने मामले में संज्ञान लिया और संबंधित विभाग से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी । प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, उसके विभाग ने आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन कर दिया है और जांच की जा रही है ।

13. आयोग को एक शिकायत घरेलू हिंसा / दहेज उत्पीड़न की पीड़िता से एक शिकायत प्राप्त हुई । उसने बताया कि उसका पति और ससुराली जन उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं । आयोग ने पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी । प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, मामले में सुनवाइयां / परामर्श आयेजित किए गए और प्रतिवादियों से भविष्य में समस्या खड़ी न करने का निर्देश दिया गया ।

## jk"Vªh; efgyk vk;ksx vf/kfu;e] 1990 dh /kkjk 10 ¼1½ vkj ¼4½ d vrxZr vUo"k.k

1. भारतीय खाद्य निगम, मैसूर में कार्यस्थल पर कथित यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच करने के लिए जांच समिति गठित की गई थी । इस दो सदस्यीय समिति ने घटनास्थल का दौरा किया और शिकायतकर्ता एवं संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की । समिति ने उपचारात्मक उपाय और सजा देने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृति के निवारण के लिए कूटनीतियों का सुझाव दिया । समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की और उसकी सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार को भेजी गईं ।

2. मदुरै, तमिलनाड़ में पुलिस की कथित उदासीनता और सम्मान के लिए हत्या की शिकायत की जांच करने के लिए जांच समिति गठित की गई थी। इस दो सदस्यीय समिति ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय प्राधिकारियों / संबंधित पुलिस से मुलाकात की । समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत

की और उसकी सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यि सचिव, तमिलनाडु को भेजी गईं ।

3. होसुर, कृष्णागिरि, तमिलनाडु में पुलिस द्वारा हिरासत में कथित यौन हिंसा की शिकायत की जांच करने के लिए जांच समिति गठित की गई थी। आयोग द्वारा गठित इस दो सदस्यीय समिति ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थानीय प्राधिकारियों / संबंधित पुलिस से मुलाकात की । समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की और उसकी सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव, तमिलनाडु को भेजी गईं ।

4. बीरभूमि जिला, पश्चिम बंगाल के प्रशासन द्वारा एक ग्रामीण महिला के साथ कथित क्रूरता की घटना की शिकायत की जांच करने के लिए जांच समिति गठित की गई थी । आयोग द्वारा गठित इस दो सदस्यीय समिति ने घटनास्थल का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की । समिति ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों को सिफारिश की । समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की और उसकी सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार को भेजी गईं ।

## jk"Vªh; efgyk vk;ksx vf/kfu;e] 1990 dh /kkjk 10 ¼1½ vkj ¼4½ ds vrxr vUos"k.k

राष्ट्रीय महिला आयोग प्रचार माध्यमों में आने वाली खबरों और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने तथा उनके संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन न किए जाने की शिकायतों के आधार पर स्व–प्रेरणा से मामलों का संज्ञान लेता है। आयोग ऐसे मामलों में संबंधित प्राधिकारियों से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मंगाकर अथवा जांच समितियों का गठन करके कार्रवाई करता है । वर्ष 2014–15 में आयोग ने निम्नमलिखित घटनाओं में जांच समितियों का गठन किया गया :–

### 1- ¼d½ fnYyh esa efgyk us cykRdkjh firk dh gR;k dh

### ¼[k½ fnYyh esa iRuh vkSj mlds çseh }kjk ok;q lsuk ds lkteUV dh gR;k

### ¼x½ iM+kslh }kjk ijs'kku fd, tkus ij yM+dh us vkRegR;k dh

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उपरोक्त मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया और 22–05–2014 के आदेश के माध्यम से एक जांच समिति गठित की जिसमें डा. चारू वलीखन्ना (राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्या) को जांच समिति की अध्यक्ष और सुश्री हुसना सुभानी (सामाजिक कार्यकर्ता) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था । जांच समिति ने निम्नलिखित तीन मामलों की जांच की :–

### ¼d½ fnYyh esa efgyk }kjk cykRdkjh firk dh gR;k

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह बताया गया कि एक 23 वर्षीय लड़की ने अपने पिता से, जो पिछले तीन वर्षों से उसके साथ कथित यौन दुर्व्यवहार कर रहा था, अपने दो पुरुष मित्रों की सहायता से नींद के दौरान लाठी से अंधाधुंध प्रहार कर क्रूरतापूर्वक बदला लिया । आयोग ने दिनांक 07–05–2014 के पत्र के माध्यम से पुलिस आयुक्त , दिल्ली से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी । थाना अधिकारी खयाला, दिल्ली से की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्ति

हुई जिसमें बताया गया कि जब्त किए गए साक्ष्यों के आधार पर तीनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए । इसके बाद, दिनांक 05–09–2014 का एक पत्र अभियोजन निदेशालय से प्राप्त् हुआ जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि थाना खयाला में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 329/14 दर्ज की गई थी । उक्त मामला तीस हजारी न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु लंबित है ।

**¼[k½ fnYyh esa iRuh vkSj mlds çseh }kjk ok;q lsuk ds lktsZUV dh gR;k**

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह बताया गया कि एक 28 वर्षीय महिला ने अपने किशोर प्रेमी की सहायता से अपने पति को नशीली पदार्थ देकर गला घोंट कर हत्या कर दी । आयोग ने दिनांक 16–05–2014 के पत्र के माध्यम से पुलिस आयुक्तं, दिल्ली से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी । प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट में बताया गया कि पोस्टमार्टम के आधार पर थाना दिल्ली कैंट में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 264/14 के द्वारा दिनांक 06/05/2014 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत हत्या का मामला दर्ज किया गया था । जांच के दौरान, आरोपी महिला ने कबूल किया कि उसने एक किशोर के साथ मिलकर अपने पति का गला दबा दिया क्योंकि वह (मृतक) किशोर के साथ उसके संबंध होने का शक करता था । दिनांक 05/09/2014 का अपने पत्र में, अभियोजन निदेशालय ने भी बताया कि दिल्ली कैंट थाना में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या् 264/14 दर्ज की गई थी । उक्त मामला पटियाला हाउस न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

**¼x½ iMkslh }kjk ijs'kku fd, tkus ij yM+dh us vkRegR;k dh**

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह बताया गया कि एक 28 वर्षीय लड़की ने अपने दो पड़ोसियों द्वारा परेशान किए जाने के बाद अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । वह सुसाइड नोट छोड़ गई थी जिसमें उसने एक वीडियो रिकार्डिंग का हवाला दिया था जिसमें उसने अपनी आत्महत्या के लिए अपने पड़ोसी और उसके परिवार को दोषी ठहराया था । आयोग ने दिनांक 22/05/2014 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी । दिनांक 09/09/2014 की एक की गई कार्रवाई रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त, पूर्वी दिल्ली से प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एफएसएल से रिपोर्ट मिलने पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी । अभियोजन निदेशालय से प्राप्त् दिनांक 05/09/2014 के अन्य पत्र में बताया कि कृष्णा नगर थाना में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306/34 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 264/14 के अंतर्गत जांच अभी जारी है । इस मामले में अद्यतन स्थिति रिपोर्ट मंगाने के लिए पुलिस उपायुक्त (पूर्वी जिला) को दिनांक 20/10/2014 को एक पत्र भेजा गया था ।

जांच समिति की सिफारिशों को दिनांक 25/06/2014 के पत्र के माध्यम से अधीक्षक (पीएचक्यूस–1) कार्यालय, कारागार मुख्यालय तिहाड़ गृह मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेजी गईं ।

पुलिस आयुक्त, दिल्ली ने दिनांक 26208/2014 के अपने पत्र के माध्यम से की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जिसमें दिल्ली पुलिस द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाई के बारे में बताया गया :–

(i) दिल्ली पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से, दिल्ली पुलिस महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करती रही है ।

(ii) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस एकक द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए नियमित जेंडर संचेतना कार्यशालाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

(iii) दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशनों में महिला हैल्प डेस्कों ने 24 X 7 कार्य करना शुरू कर दिया है ।

(iv) समर्पित टेलीफोन लाइनें उपलब्ध कराई गई हैं ।

दिनांक 12/09/2014 को गृह मंत्रालय से प्राप्त उत्तर में भी दिल्ली पुलिस द्वारा की गई उपरोक्त कार्रवाई को पुनः दोहराया गया है ।

## 2- mÙkj çn'k e nk fd'kkfj;k dk lkefgd cykRdkj dj iM l yVdk;k

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक गांव में दो दलित किशोरियों का पांच आरोपियों द्वारा कथित सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में पेड़ से लटका दिया गया । आयोग ने दिनांक 29/05/2014 के पत्र के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश से की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी । राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना की जांच करने के लिए दिनांक 29/05/2014 के आदेश के माध्यम से एक जांच समिति गठित की । जांच समिति में श्रीमती शमीना शफीक (राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य) को जांच समिति की अध्यक्ष और सुश्री हेमलता खेरिया (राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य) एवं सुश्री सुधा चौधरी (विधि अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था ।

जांच समिति की सिफारिशें दिनांक 10/06/2014 के पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को भेज दी गई थीं । पीड़िता के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को दिनांक 11/06/2014 को एक पत्र भेजा गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला बदायूं से दिनांक 27.05.2014 का एक जवाब पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह बताया गया कि 12 वर्ष एवं 15 वर्ष की दो लड़कियों का कथितरूप से अपहरण कर लिया गया जब वे शौच के लिए बाहर गई थीं और वे पेड़ से लटकी हुई पाई गईं । इस मामले में प्राप्त सूचना के आधार पर, पांच आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा सं. 376 (घ) / 302 / 180 (ख) और पॉक्सो की धारा 3 / 4 के तहत मुकद्दमा सं. 295/2014 दर्ज किया गया । अपराध में शामिल सभी पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 31/05/2014 को जेल भेज दिया गया । मृतक पीड़िताओं के परिवार को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है ।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में अपनी अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय को 11/12/2014 को प्रस्तुत कर दी है ।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी और 12/06/2014 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली । बादे में, 27/11/2014 को संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि दोनों चचेरी बहनों के साथ यौन प्रहार नहीं किया गया और उनकी हत्या नहीं की गई थी जैसा कि पुलिस ने शुरूआत में कहा था बल्कि उन्होंने अपनी जान खुद ली थी । उनकी जांच के अनुसार, फोन रिकार्ड के अनुसार यह साबित हुआ कि बड़ी मृतक लड़की का कथित आरोपियों में से एक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके साथ उसने लगभग 400 कॉलों का आदान–प्रदान किया था लेकिन पुलिस ने बताया था कि उनका बलात्कार हुआ था और उन्हें पेड़ से लटका दिया गया था । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की समापन रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला कि यह आत्महत्या का मामला था ।

## 3- ckyxko ftyk] vkfM'kk e Nk=k dh lkefgd cykRdkj d ckn gR;k vkj ihiyh fd'kkjh dk rhu ekg rd cykRdkj

राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नालिखित घटनाओं की जो ओडिशा में घटित हुई थीं, जांच करने के लिए मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया :–

¼d½ **ckyxko ftyk] vkfM'kk e Þ Nk=k dh lkefgd cykRdkj d ckn gR;k ß &** यह बताया गया कि बालूगांव कालेज की बी.ए. द्वितीय वर्ष की एक छात्रा का शव नीलाद्रीप्रसाद के बिराजय मन्दिर से सटे नाले से मिली ।

¼[k½ **Þihiyh fd'kkjh dk rhu ekg rd cykRdkjß &** यह बताया गया कि पीपली की एक 16 वर्षीय लड़की को बंधक बनाकर तीन माह तक बलात्कार किया गया । आरोपी कथित रूप से लड़की के साथ बलात्कार कर रहा था जिसके कारण वह गर्भवती हो गई । यह घटना भुवनेश्वर जिला, ओडिशा में रिपोर्ट की गई ।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 04/07/2014 के आदेश के माध्यम से एक जांच समिति गठित की। दो सदस्यीय जांच समिति में सुश्री हेमलता खेरिया (राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य) को जांच समिति की अध्यक्ष और सुश्री मानसी प्रधान (सामाजिक कार्यकर्ता) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था ।

दोनों जांचों की सिफारिशों को दिनांक 06/08/2014 के पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, ओडिशा को भेजी गईं । चूंकि कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ, दिनांक 02/12/2014 के पत्र के माध्यम से अनुस्मारक मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को भेजा गया ।

## 4- ikp 0;fä;k vkj ifyl dfe;k }kjk ,d yMdh dk dfFkr :i l vigj.k ,o lkefgd cykRdkj

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस घटना का संज्ञान लिया जिसमें यह बताया गया कि एक लड़की का पांच व्यक्तियों, पुलिस कर्मियों सहित, ने कथित रूप से अपहरण व सामूहिक बलात्कार किया । यह घटना गांव लोहारी, जिला झज्जर, हरियाणा में रिपोर्ट की गई । आयोग ने दिनांक 10/07/2014 के आदेश के माध्यम से एक जांच समिति गठित की ।

जांच समिति में डा. चारू वलीखन्ना (राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य ) को जांच समिति की अध्यक्ष और श्री सूरज चौहान (सामाजिक कार्यकर्ता) एवं एडवोकेट अभिषेक गुप्ता को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था ।

जांच समिति की सिफारिशों को दिनांक 04/07/2014 के पत्र के माध्यम से हरियाणा के मुख्य सचिव को भेजा गया । आयोग ने पीड़िता को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपायुक्त, झज्जर को दिनांक 17/07/2014 को पत्र भेजा गया । उपायुक्त, झज्जर से दिनांक 24/09/2014 के पत्र के माध्यम से जवाब प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, झज्जर की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मामलों में मुआवजा लेने के लिए पीड़िता को आवेदन विचारण न्यालयालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जो आवेदन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर को भेजेगा । महिला एवं बाल विकास विभाग बलात्कार के पीड़ितों को किसी भी प्रकार का मुआवजा, वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है ।

पुलिस अधीक्षक, झझर से दिनांक 11/08/2014 की की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि थाना झज्जर में मुकद्दमा सं. 365 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया गया है । इसके अलावा, कथित अरोपी जिसे 19/05/2014 को गिरफ्तार किया गया था, के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो की धारा 4 जोड़ दी गई थीं । एक अन्य आरोपी को 20/05/2014 को गिरफ्तार कर लिया गया । इसके अलावा, मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (घ) लगा दी गई और चार आरोपियों से गहन पूछताछ की गई । सभी अभियुक्त आरोपों से मुकर गए और सच्चाई का पता नहीं लग सका । माननीय न्यायालय ने दिनांक 07/07/2014 को अभियुक्तों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने का आदेश दिया । पुलिस अधीक्षक, झज्जर ने बलात्कार की पीड़िता को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पुलिस आयुक्त, झज्जर को दिनांक 08/08/2014 को पत्र सं. 16357 भेजा । पुलिस आयुक्त से प्राप्त दिनांक 24/09/2014 की की गई कार्रवाई रिपोर्ट में बताया गया कि मुआवजा लेने के लिए पीड़िता को आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जो आवेदन को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर को भेजेगा। पुलिस अधीक्षक, झज्जर से भी दिनांक 28/02/2015 की गई कार्रवाई रिपोर्ट भी प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि मामले में दिनांक 12/08/2015 को चालान दायर कर दिया गया था जो न्यायालय के विचाराधीन है।

## 5- eB d çe[k d fo#) ;ku no;ogkj d vkjki % f'kdk;drk d fj'rknkj u [kn dk xkyh ekjh] ekr

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जो 01/10/2014 को Daijiworld.com समाचार वेबसाइट पर आई जिसमें यह बताया गया कि एक महिला द्वारा मठाधीश और उसके अनुयाइयों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी । आगे यह बताया गया कि उसके अनुयाइयों ने शिकायत दर्ज करने के खिलाफ उसे और उसके परिवार को धमकी दी और उनके विरुद्ध एक झूठा मामला दर्ज करा दिया । परिणामस्वरूप, स्वाामी जी की छवि खराब करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया । मीडिया में यह खबर भी आई कि शिकायतकर्ता के एक रिश्तेदार ने पुत्तूर में अपने निवास पर आत्महत्या का कथित रूप से प्रयास किया ।

इस मामले में दिनांक 10/10/2014 के आदेश के माध्यम से एक जांच समिति गठित की जिसमें श्रीमती ललिता कुमारमंगलम (माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग) को जांच समिति की अध्यक्ष और श्रीमती शमीना शफीक (राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य) को एवं सुश्री अपर्णा भट्ट (एडवोकेट) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था ।

आयोग ने यौन उत्पीड़न के जघन्य् अपराधों के मामले में पूर्वाभासी जमानत न देने का अनुरोध करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायधीश को दिनांक 14/10/2014 को एक पत्र भेजा था । दिनांक 17/10/2014 का एक अन्य पत्र मामले की जांच करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजा गया ।

दिनांक 17/10/2014 का एक अन्य पत्र पुलिस महानिदेशक, कर्नाटक को भेजा गया था जिसमें उनका ध्यान 01/10/2014 को आयोजित बैठक के दौरान उनके कार्यालय द्वारा दिए गए आश्वासन की ओर दिलाया गया जो अन्य बातों के साथ–साथ मामले की तेज एवं निष्पक्ष जांच करने और पीड़िता को संरक्षण एवं सहायता प्रदान करने से संबंधित था । इसके बाद, दिनांक 27/10/2014 को पुलिस महानिदेशक, कर्नाटक को एक अनुस्मारक भी भेजा गया ।

महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, कर्नाटक से दिनांक 30/10/2014 का जवाब प्राप्त हुआ जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उठाए गए बिन्दुओं के अनुपालन में कथित मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की गई :–

(i) पीड़िता को मीडिया के सामने उपस्थित होने पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया गया ।

(ii) पीड़िता के अनुरोध के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज करने की व्यवस्था की गई थी ।

(iii) पीड़िता के अनुरोध के अनुसार, इस मामले में सरकारी अभियोजक को विशेष अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया ।

(iv) पीड़िता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2)(च) को शामिल करने की पुष्टि करने वाले अपेक्षित दस्तावेज न्यायालय से प्राप्त किए ।

(v) पीड़िता ने मुआवजे की मांग की और उसके लिए उसके पत्र को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रेषित कर दिया गया है । मामले का अनुसरण किया जा रहा है ।

(vi) स्थानीय पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की है ।

इसके अलावा, पुलिस महानिदेशक विशेष एकक एवं आर्थिक अपराध ने दिनांक 29/11/2014 के पत्र के माध्यम से नीचे लिखी की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया :–

(i) पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया था ।

(ii) कर्नाटक उच्च न्यायालय में पूर्वाभासी जमानत देने को चुनौती देने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(iii) पीड़िता के परिवार को स्थानीय पुलिस द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है ।

(iv) इस संबंध में सभी प्रयास किए जा रहे है और पीड़िता का मुआवजा प्राप्त करने में उचित मार्गदर्शन किया जा रहा है ।

(v) आरोप पत्र दाखिल करने के लिए जांच प्रगति में है और अपराध अन्वेषण विभाग को न्याय विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ।

(vi) बहनोई की आत्महत्या के मामले की भी जांच की जा रही है । अभी तक 21 गवाहों की जांच की जा चुकी है ।

पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु से दिनांक 22/12/2014 को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें बताया गया है कि मामले की जांच अपराध अन्वेषण विभाग के अधीन है । दिनांक 16/04/2015 की एक अन्य की गई कार्रवाई रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक विशेष एकक एवं आर्थिक अपराध से प्राप्त हुई है जिसमें बताया गया है कि थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज था और मामला अभी भी जांच के अधीन है ।

## 6- efgyk dk fuoL= dj x/k ij ?kekus d vkjki e 25 dk ty

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए उसका संज्ञान लिया जो दिनांक 11/11/2014 के दैनिक जागरण फरीदाबाद में प्रकाशित हुई थी जिसमें यह बताया गया कि राजस्थान की एक महिला को कथित रूप से निर्वस्त्र कर गधे पर घुमाया और स्वघोषित गांव के न्यायालय के आदेश पर जिसने यह फैसला सुनाया कि वह अपने पति के चचेरे भाई की हत्या की दोषी है, उसका चेहरा रंग दिया गया था ।

इस मामले में दिनांक 25/11/2014 के आदेश के माध्यम से एक जांच समिति गठित की गई जिसमें सुश्री हेमलता खेरिया (राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य ) को जांच समिति की अध्क्षय श्री कंवरजीत सिंह (एडवोकेट) और सुश्री सविता गुप्ता (सामाजिक कार्यकर्ता) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था । जांच समिति की सिफारिशों को दिनांक 25/02/2015 के पत्र के माध्यम से राजस्थान के मुख्य सचिव को भेजा गया ।

पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमन्द, राजस्थान दिनांक 18/05/2015 को एक की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि पीड़िता को मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये का मुआवजा और जिला स्तरीय प्राधिकारियों से वित्तीय सहायता के रूप में एक लाख रुपये की राशि दी गई है । सभी 39 आरोपियों के विरुद्ध संख्यात 130/14 के द्वारा दिनांक 16/12/2014 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है । आयोग की सिफारिशों के प्रत्युतर में, कथित मामले में पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए :–

(i) संबंधित क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी को पीड़िता और उसके परिवार को संरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित किया है ।

(ii) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्षेत्र में पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है ।

(iii) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।

(iv) ऐसी महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए, जिन्हें सहायता की जरूरत है, स्थानीय थानों में महिला हैल्प डेस्क काम कर रही है ।

## 7- cxy# tiy e o';kofÙk \ efgyk dfn;k u ldV ln'k ¼,lvk,l½ Hktk] tiy vf/kdkfj;k u vkjki >B crk,

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए उसका संज्ञान लिया जो 14 नवम्बर, 2014 को इण्डिया टुडे न्यूज वेबसाइट पर आई जिसमें यह बताया गया था कि बैंगलुरु केंद्रीय कारागार की कुछ महिला कैदियों ने कर्नाटक उच्च न्यांयालय के मुख्य् न्यायाधीश को संबोधित करते हुए दो पत्र लिखे जिनमें आरोप लगाया गया कि जेल वार्डन महिला कैदियों को "सेवा" के लिए पुरुष कैदियों से 300/– रुपये से 500/– रुपये तक की नकद राशि के बदले पुरुष कैदियों के साथ सहवास करने के लिए बाध्य कर रहे थे ।

दिनांक 25/11/2014 के आदेश के माध्यम से एक जांच समिति गठित की गई जिसमें सुश्री शमीना शफीक (राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्या) को जांच समिति की अध्यक्ष और सुश्री अपर्णा भट्ट (एडवोकेट) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था । जांच समिति की सिफारिशों को दिनांक 04/02/2015 के पत्र के माध्यम से कर्नाटक के मुख्य सचिव को भेजा गया ।

## 8- mÙkj çn'k e Ng MkDVjk u 42 efgykvk dk ulcnh vkij'ku fd;k

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए उसका संज्ञान लिया जो 15/11/2014 को इंडिया टुडे न्यूज वेबसाइट पर आई जिसमें यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक सार्वजनिक नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया जिसमें एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर छह डाक्टरों ने दो घंटे में 42 महिलाओं का कथित रूप से आपरेशन किया । अनेक महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त बिस्तरों के अभाव में उनकी शल्य क्रिया के बाद जमीन पर आराम करने के लिए बाध्य किया गया ।

दिनांक 25/11/2014 के आदेश के माध्यम से एक जांच समिति गठित की गई जिसमें सुश्री हेमलता खेरिया (राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्या) को जांच समिति की अध्यक्ष श्री कंवरजीत सिंह (एडवोकेट) और श्री विद्या भूषण रावत (सामाजिक कार्यकर्ता) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था । जांच समिति की सिफारिशों को दिनांक 29/01/2015 के पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजा गया ।

## 9- ;kfxu cykRdkj ekeyk % vkB fxj¶rkj yfdu cykRdkjh idM+ l: ckgj

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए उसका संज्ञान लिया जो 16 मार्च, 2015 को समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया, दिल्ली में आई जिसमें यह बताया गया था कि नादिया जिला (पश्चिम बंगाल) में मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल की एक इकहत्तर वर्षीय योगिन के साथ डकैतो द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया । यह भी बताया गया कि डकैतों ने 12 लाख रुपये भी लूट लिए ।

दिनांक 18/03/2015 के आदेश के माध्यम से एक जांच समिति गठित की गई जिसमें सुश्री शमीना शफीक (राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्या) को जांच समिति की अध्यक्ष सुश्री सयानी रॉय चौधरी (एडवोकेट) और सुश्री योगिता भयाना (सामाजिक कार्यकर्ता) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था । जांच समिति की सिफारिशों को दिनांक 16/04/2015 के पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भेजा गया ।

दिनांक 24/4/2015 के पत्र के माध्याम से पश्चिम बंगाल पुलिस के महानिदेशक और महानिरीक्षक से एक की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की गई । मामला दर्ज किया गया और अन्वेषण के लिए राज्य अपराध अन्वेषण विभाग को हस्तांरित कर दिया गया । दो कथित आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और शेष आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए अन्वेषण जारी है ।

## 10- jfo u] ft l fnu og ejk Fkk] efgyk vf/kdkjh dk ,d ?kaVs e: 44 ckj d,y fd;k Fkk

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए उसका संज्ञान लिया जो विभिन्न जन–प्रचार माध्यमों में आई थी, जिसमें यह बताया गया कि यद्यपि जांच प्रगति में थी, एक संवाददाता सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के मृत अधिकारी ने जिस दिन वह मरा था, एक महिला अधिकारी (जो उसके ही बैच की थी) को एक घंटे की अवधि में 44 बार कॉल किया था । कुछ मीडिया रिपोर्टों में, महिला अधिकारी का नाम भी उजागर कर दिया गया जिससे उसकी सार्वजनिक छवि पर प्रश्न चिह्न लगा दिया ।

दिनांक 10/07/2014 के आदेश के माध्यम से एक जांच समिति गठित की गई जिसमें श्रीमती ललिता कुमारमंगलम (माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग) को जांच समिति की अध्यक्ष और सुश्री सी. मंजुला (पूर्व अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य महिला आयोग) को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था ।

# v/;k; & 4

# vfuoklh Hkkjrh; ¼,uvkjvkbZ½ çdks"B

वर्ष 2006–07 के दौरान, महिला सशक्तीकरण पर संसदीय समिति (14वीं लोकसभा) ने "अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्ता भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय पर चर्चा की । अन्य सिफारिशों के साथ–साथ, यह सिफारिश भी की गई कि अनिवासी भारतीयों के विवाह से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक सुपरिभाषित / समन्वित तंत्र विकसित किया जाए ताकि पीड़ित महिलाएं अपनी समस्याओं का सम्मानपूर्ण हल प्राप्त करने में सक्षम हो सकें । इन सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए, 07 जुलाई, 2008 को एक अंतरमंत्रालयी बैठक आयोजित की गई और राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रवासी भारतीय मंत्रालय के दिनांक 28 अप्रैल, 2009 के पत्र सं. ओआई–19021/3/2006–एसएस के माध्यम से अनिवासी भारतीयों के विवाहों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्र स्तर पर समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया गया । अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ अंतरदेशीय विवाहों के परिणामस्वरूप, जिनमें महिला अधिकारों का कोई हनन हुआ हो अथवा महिलाओं के साथ घोर अन्याय का कोई मुद्दा शामिल हो, भारत एवं विदेशों से प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिए 24 सितम्बर, 2009 से राष्ट्रीय महिला आयोग में औपचारिक रूप से शुरू हुआ ।

## I. vfuoklh Hkkjrh; çdks"B dk eq[; dk;Z ,oa mÙkjnkf;Ro ;g gS fd çdks"B %&

(i) भारतीय महिलाओं के अनिवासी भारतीय / प्रवासी पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतों को प्राप्त करने एवं उन पर कार्रवाई करने के लिए समन्वय एजेंसी होगा ।

(ii) शिकायतकर्ता को समाधान, पक्षों के बीच मध्यास्थता एवं संबंधित मुद्दों पर शिकायतकर्ता को परामर्श सहित हर संभव सहायता प्रदान करेगा ।

(iii) व्यापक क्षेत्र को शामिल करने के लिए भारत में एवं विदेशों में गैर सरकारी संगठनों, समुदायिक संगठनों और राज्य महिला आयोगों के साथ जुड़ेगा तथा नैटवर्क स्थापित करेगा ताकि सुगम पहुंच को सरल बनाया जा सके और सहायता सेवाएं प्रदान की जा सकें ।

(iv) विभिन्न सरकारी एजेंसियों / संगठनों जैसे कि राज्य सरकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय दूतावासों एवं मिशनों, संबंधित मंत्रालयों आदि के बीच समन्वित प्रत्युत्तर प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेगा ।

(v) शिकायत / मामले से संबंधित मुकदमों तथा अन्य मुद्दों में पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करेगा।

(vi) पंजीकृत मामलों का डाटा बैंक रिकार्ड रखेगा ।

(vii) दर्ज शिकायतों पर राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों से रिपोर्टें तथा उन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगेगा ।

(viii). अनिवासी भारतीयों के विवाहों से संबंधित किसी भी नीति अथवा मुद्दे पर सरकार को सलाह देगा और सिफारिश करेगा ।

(ix) न्याय प्रदान करने का कार्य सौंपी गई विभिन्न एजेंसियों अर्थात न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन आदि को विषय के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूलों की योजना बनाएगा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा ।

(x) प्रासंगिक मुद्दों पर आम लोगों के लिए जागरुकता अभियान चलाएगा । इसके लिए उपलब्ध सभी मीडिया सेवाओं का प्रकोष्ठ द्वारा उपयोग किया जाएगा ।

(xi) संबंधित क्षेत्र जैसे कि दोहरी नागरिकता से जुड़ी शिकायतों, नए कानून को अधिनियमित करने अथवा अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने, अन्य देशों के विवाह कानूनों आदि के मुद्दों पर अनुसंधान एवं अध्ययन को बढ़ावा देगा / सहायता करेगा ।

(xii) शिकायतों की जांच करेगा और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 की उपधारा 4 के साथ पठित धारा 10 (1) (च) एवं अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ के संज्ञान में लाए गए किसी भी मुद्दे पर स्व–संज्ञान लेगा ।

वर्ष 2009 में इसकी शुरूआत से, आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में 31 दिसम्बर, 2014 तक लगभग 2018 शिकायतें पंजीकृत हुई हैं । वर्ष 2014–15 (31 दिसम्बर, 2014 तक) के दौरान 346 मामले पंजीकृत हुए हैं । इस प्रकार पंजीकृत मामलों की राज्य–वार तथा देश–वार संख्याक अनुलग्नलक–IV और अनुलग्नक– V में दी गई है ।

## II. vfuokl h Hkkjrh; çdk"B e çkIr f'kdk;r e[;r fuEufyf[kr Jf.k;k l lcf/kr gkrh g %&

(i) पति / ससुराल जनों द्वारा पासपोर्ट जब्त करना

(ii) बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मुद्दे

(iii) देश छोड़ रहे प्रतिवादी को पकड़ने की शिकायतें

(iv) परित्याग

(v) दहेज की मांग

(vi) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

(vii) पति का भारत में / पत्नी का विदेश में रहना

(viii) भरण–पोषण

(ix) विदेशों में दस्तावेजों की सेवा

(x) जहां पतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है

(xi) पत्नी का भारत में / पति का विदेश में रहना

(xii) विविध

’ऐसी शिकायतों, जिनमें अनेक कार्रवाइयों तथा बहुउद्देश्यीय दृष्टिकोण शामिल होते हैं, की जटिलता के कारण राज्य—वार तथा देश—वार आंकड़े हमेशा स्वतः विशिष्ट श्रेणी में ही नहीं आते हैं ।

## III. f'kdk;rks ij dkjokbl djus dh fof/k;k @ rjhds

राष्ट्रीय महिला आयोग मुख्यतः विभिन्न मंत्रालयों के बीच अभिसरण दृष्टिकोण अपनाता है तथा पीड़ितों के मामलों को उठाते समय सहायता प्रदान करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करने का प्रयास करता है । शिकायत की प्रकृति पर निर्भर रहते हुए, शिकायतों पर निम्न प्रकार से कार्रवाई की जाती है :—

(i) शिकायत का संज्ञान लेने पर, प्रतिपक्ष / बुलाए जाने वाले पक्ष को आयोग में प्राप्त शिकायत पर उत्तर देने के लिए उन्हें नोटिस जारी किया जाता है । प्रतिपक्ष / पक्षों को उपस्थित होने वाले पक्ष को समन में उल्लिखित विशिष्ट दिन आयोग के समक्ष उपस्थित होने तथा अपना उत्तर देने के लिए, यदि आवश्यक हो, समन भी जारी किए जाते हैं ।

(ii) ऐसे मामलों में जहां जांच लंबित है अथवा शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकारी की ओर से कोई कमी हुई है, संबंधित प्राधिकारी के साथ की गई कार्रवाई रिपोर्टों के लिए पत्राचार किया जाता है । यदि ऐसा अपेक्षित हो, संबंधित देश के भारतीय दूतावास को भी शिकायतें अग्रेषित की जाती हैं ।

(iii) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय को उचित न्यायालय द्वारा जारी समन, वारंट अथवा पारित कोई आदेश को देने और अन्य प्रासंगिक मामलों में जब कभी एवं जहां कहीं, शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए, लिखा जाता है ।

(iv) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय अथवा विदेशों में भारतीय दूतावासों से भी प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की स्कीम के अनुसार पीड़ित को कानूनी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संपर्क किया जाता है ।

(v) पासपोर्ट से संबंधित किसी भी मामले के लिए पासपोर्ट प्राधिकरण के साथ पत्राचार किया जाता है।

(vi) यदि आवश्यसक हो, प्रतिवादी पति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शिकायत को उसके नियोक्ता को अग्रेषित किया जा सकता है ।

## IV. vfuoklh Hkkjrh; @ çoklh ifr;k }kjk ifjR;ä Hkkjrh; o/kqvk dh leL;k d lc/k e jk"Vh; efgyk vk;kx }kjk fd, x, vU; ç;kl

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के साथ पठित धारा 8 के तहत उपबंधों के अनुसरण में अनिवासी भारतीय / प्रवासी विवाहों के संबंध में मौजूदा कानूनों में समाविष्टक उपबंधों में संशोधनों / नए कानून, जहां आवश्यक हो, निरुपित करने के लिए दिनांक 08.06.2011 के कार्यालय आदेश के द्वारा एक पाँच

सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई । विशेषज्ञ समिति की "अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित कानून और महिलाओं पर उनका प्रभाव" नामक रिपोर्ट में अन्य के साथ–साथ अनिवासी भारतीय विवाहों को अभिशासित करने वाली कानूनी अवसंरचना की अच्छी तरह से जांच करने तथा निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है :–

(i) विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 – यह सिफारिश की गई कि अधिनियम को अपने दायरे में विवाहों की व्यापक श्रेणी को शामिल करना चाहिए और वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रतिकारों तक अधिक पहुंच भी प्रदान करनी चाहिए ।

(ii) संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 – यह सिफारिश की गई कि अधिनियम में बच्चों के माता एवं पिता दोनों को प्राकृतिक संरक्षक बनाए जाने के लिए संशोधन किया जाए । इसके अलावा, न्यायालय को, जहां अवयस्क 'वर्तमान में रह रहा' है, न्याय क्षेत्र प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 9 में संशोधन किया जाए ।

(iii) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – यह सिफारिश की गई कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 को या तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के हनन का अपवाद पढ़ा जाए अथवा एक अतिरिक्त अपवाद समाहित किया जाए जहां महिला विदेश में वाद लड़ने में असमर्थ हो ।

(iv) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – यह सिफारिश की गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 में, वैवाहिक सहायता एवं विवाह से संबंधित अपराधों के लिए क्षेत्राधिकार ऐसे स्थान के न्याायालय को दिया जाना चाहिए जहां पर महिला वर्तमान में रह रही है ।

(v) भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1969 – यह सिफारिश की गई कि अनिवासी भारतीयों हेतु जमानत की शर्त में प्रावधान है कि उसे अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा करना होगा । पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) (ड़) के प्रावधानों को भी सक्रिय रूप से लागू किया जाना चाहिए ।

चूंकि अनिवासी भारतीय / प्रवासी विवाहों और अनिवासी भारतीय / प्रवासी पतियों द्वारा महिलाओं के परित्याग के मामलों में महिलाओं के अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों की घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, रिपोर्ट और उसमें की गई सिफारिशों को दिनांक 21 अगस्ता, 2014 के पत्र के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया ।

## v. fon'kk esa çokl h ?kjsyw ukSdjkfu;kas ds lkeus vk jgh leL;kvksa ,oa mudh eqíksa ds ckjs esa jk"Vªh; efgyk vk;ksx }kjk vk;kftr ijke'kZ

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय महिला प्रवासी नौकरानियों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केरल राज्य महिला आयोग के सहयोग से 20 एवं 21 जून, 2014 को "भारतीय महिला प्रवासी नौकरानियों की समस्याएं एवं सुरक्षा" विषय पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया । परामर्श की कार्यवाही और सिफारिशों को दिनांक 25 सितम्बंर, 2014 के पत्र के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया ।

(ii) राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारतीय महिला प्रवासी नौकरानियों की स्थिंति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए माइग्रेन्ट डोमेस्टिक वर्कर्स ट्रस्ट के सहयोग से 21 अगस्त, 2014 को "विदेशों में प्रवासी घरेलू नौकरानियों की समस्याएं एवं उनके मुद्दों पर अध्ययन" विषय पर एक क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया । परामर्श की कार्यवाही और सिफारिशों को दिनांक 30 अक्तूबर, 2014 के पत्र के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया ।

## VI. vfuokl h Hkkjrh; çdk"B dh lQyrk dh dN dgkfu;k

(i) शिकायतकर्ता ने पति एवं ससुरालजनों द्वारा परित्याग, दहेज की मांग, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न की शिकायत के साथ आयोग से संपर्क किया । इसके अलावा उसकी शिकायत थी कि भारतीय न्यायालयों द्वारा उसके पति के खिलाफ जारी किए गए समन तामील नहीं किए जा सके क्योंकि कतर में उसके रहने के ठिकाने का पता नहीं था । आयोग ने मामले को पुलिस आयुक्त, कोलकाता और भारतीय दूतावास के साथ उठाया । आयोग के हस्तक्षेप से, भारतीय दूतावास, कतर को संबंधित कतर प्राधिकारियों के साथ काफी अनुवर्तन के बाद शिकायतकर्ता के पति का ठिकाना एवं पत्राचार का पता प्राप्त करने में सफलता मिली ।

(ii) शिकायतकर्ता ने पति एवं ससुराली जनों द्वारा परित्याग, दहेज की मांग, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न, शीलभंग और ब्लैकमेल करने की शिकायत के साथ आयोग से संपर्क किया । शिकायतकर्ता ने आयोग से जर्मनी में उसके पति का ठिकाना जानने और जयपुर पुलिस के पास दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए सहयोग मांगा । आयोग ने मामले को अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए पुलिस आयुक्त, जयपुर और जर्मनी में शिकायतकर्ता के पति के वर्तमान ठिकाने का पता लगाने के लिए भारत के महावाणिज्यदूत, फ्रेंकफर्ट, जर्मनी के साथ उठाया । आयोग को जयपुर पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि तीन अरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दहेज का सामान भी बरामद कर लिया गया है । शिकायतकर्ता के पति के विरुद्ध रेड–कोर्नड–नोटिस एवं लुक–आउट–नोटिस जारी कर दिया गया है । भारत के महावाणिज्यदूत, फ्रेंकफर्ट, जर्मनी को भी संबंधित कतर प्राधिकारियों के साथ काफी अनुवर्तन के बाद शिकायतकर्ता के पति का ठिकाना एवं पत्राचार का पता प्राप्त करने में सफलता मिल गई ।

(iii) आयोग को शिकायतकर्ता की पत्नी एवं पुत्री को किसी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा छलपूर्वक सऊदी अरब भेजने की एक शिकायत मिली और उनकी सुरक्षित भारत वापसी के लिए आयोग के हस्तनक्षेप की मांग की । आयोग ने मामले को पुलिस आयुक्त, हैदराबाद के साथ उठाया जहां शिकायतकर्ता पहले ही शिकायत दर्ज करा चुकी थी । आयोग ने शिकायतकर्ता की पत्नी एवं बेटी की भारत सुरक्षित वापसी के लिए भारत दूतावास, रियाद, सऊदी अरब के मामले को साथ उठाया । भारतय दूतावास, रियाद, सऊदी अरब ने मामले में हस्तक्षेप किया और उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की और दोनों भारत सकुशल लौट आए ।

(iv) शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाते हुए आयोग से संपर्क किया कि वह उसके पति, जो इटली में रह रहा था, एवं उसके ससुराली जनों द्वारा दहेज की मांग और घरेलू हिंसा की पीड़ित थी । उसकी

शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और मामला न्याायालय में भी लंबित था । उसने आयोग से इस शिकायत के साथ संपर्क किया कि प्रतिवादियों के खिलाफ जमानतर वारंट जारी होने के बाद और न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को उनके पासपोर्ट अभ्यर्पित करने का आदेश देने के बाद भी, पुलिस अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही थी । आयोग ने मामले को संबंधित पुलिस प्राधिकारियों, गृह मंत्रालय एवं क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के साथ उठाया। आयोग के हस्तक्षेप के बाद, यह बताया गया कि प्रतिवादियों में से छह को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीन प्रतिवादियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं । आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान, संबंधित पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि मामले की गंभीरता से जांच करने के लिए अलग से पुलिस दल गठित किया गया है और यह आश्वासन भी दिया गया कि पुलिस प्रत्यावर्तन हेतु विदेश मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, उन प्रतिवादियों का, जो इटली में रह रहे हैं, प्रत्यावर्तन के लिए औपचारिक अनुरोध भेजने के लिए मामले में तेजी से कार्य कर रही है ।

(v) शिकायतकर्ता ने इस शिकायत के साथ आयोग से संपर्क किया कि उसने अपने पति के खिलाफ जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, परित्याग, दहेज की मांग एवं घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी और भारतीय पुलिस उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी । आयोग ने अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए मामले को संबंधित पुलिस के साथ उठाया । संबंधित पुलिस ने आयोग को बताया है कि पुलिस ने मामले की जांच की और प्रतिवादी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क, 406, 323, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली है ।

(vi) शिकायतकर्ता ने अपने पति की खिलाफ, जो ऑस्ट्रेलिया का नागरिक था, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए आयोग से संपर्क किया । चूंकि पुलिस शिकायत लंबित थी, आयोग ने अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए मामले को संबंधित पुलिस के साथ उठाया । पुलिस ने बताया कि न्यायालय ने शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के अंतर्गत कुर्की वारंट जारी कर दिया है और पुलिस ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस और ब्लू कार्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और उन्होंने आयोग को बताया कि इंटरपोल मुख्यालय फ्रांस के माध्यम से शिकायतकर्ता के पति के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस प्रकाशित कर दिया गया है और लुक आउट नोटिस खोलने के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध भी किया गया है । यह भी सूचित किया गया था कि चूंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इंटरपोल को उसके ऑस्ट्रेलिया में होने की सूचना है, उन्हों ने इंटरपोल केनबेरा से उसके ऑस्ट्रेलिया में होने की पुष्टि करने का अनुरोध किया है ।

# v/;k; & 5

# fof/kd çdk"B

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधिदेश अनुसार, आयोग कानूनों की समीक्षा करता है, कानूनों से संबंधित विशिष्ट अध्ययन कराता है, संगोष्ठियों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं आदि का आयोजन करता है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले एवं उनसे संबंधित नए कानूनों को अधिनियमित करने के साथ–साथ मौजूदा कानूनों में संशोधनों की सिफारिश करता है ।

## I. dkuuksa dh leh{kk

वर्ष 2014–15 के दौरान, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित कानूनों की समीक्षा की :–

### (i) jk"Vªh; efgyk vk;ksx vf/kfu;e] 1990 dh leh{kk

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधिनियम को सशक्त, स्वतंत्र तथा अधिक कारगर बनाने के उद्देश्य से इस अधिनियम की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की । कानून के मौजूदा उपबंधों की जांच करने के लिए दिनांक 23 जुलाई, 2012 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई । अधिनियम में संशोधन करने के लिए आयोग की सिफारिशों को वर्ष 2013 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया । आयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे और अधिक शक्तियां प्रदान करने के लिए और संशोधनों का प्रस्ताव किया गया । ब्यौरा **vuqyXud & VI** में दिया गया है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख सिफारिशों को समाहित कर लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 प्रस्तावित संशोधनों पर प्रारूप मंत्रिमंडल नोट तैयार किया है । तदोपरांत, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान भी कर दिया गया और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 28 जुलाई, 2014 को अग्रेषित कर दिया गया ।

## II. ngst çfr"ks/k vf/kfu;e] 1961

आयोग ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधनों के लिए अपनी सिफारिशें भेजीं । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए प्रारूप मंत्रिमंडल नोट तैयार किया जिसे विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को परिचालित किया गया था । राष्ट्रीय महिला आयोग से भी दिनांक 07 जुलाई, 2014 के पत्र के द्वारा टिप्पणियां मांगी गई थीं । राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी टिप्पणियां दिनांक 14 जुलाई, 2014 और बाद में 25 जुलाई, 2015 के पत्र के माध्यम से अग्रेषित की थीं । ब्यौरा **vuqyXud & VII** में दिया गया है ।

## III. fd'kksj U;k; ¼cPpksa dh ns[kjs[k vkSj lqj{k.k½ fo/ks;d] 2014

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए जिनमें 16–18 वर्ष के आयु वर्ग बच्चो

द्वारा जघन्य अपराध किए गए हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग से उसकी टिप्पणियों / सुझावों के लिए उसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2014 अग्रेषित किया । राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी टिप्पणियां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिनांक 06 अगस्त, 2014 के पत्र के माध्यम से भेज दीं। ब्यौरा **vuqyXud & VIII** में दिया गया है ।

## IV. vfuoklh Hkkjrh;k d: fookg l: lcf/kr dkuu vkj efgykvk ij mudk çHkko

आयोग ने मौजूदा कानूनों के उपबंधों में संशोधन / नए कानून निरूपित करने के लिए जहां कहीं अनिवासी भारतीय / विदेशी विवाहों के संबंध में उपयुक्त समझे, पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति और चार सदस्यीय उप समिति गठित की । विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में अनिवासी भारतीयों के विवाह को अभिशासित करने वाली कानूनी संरचना की पुनःकल्पना का प्रस्ताव किया गया है । निम्नलिखित अधिनियमों में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है :–

### (i) fon'kh fookg vf/kfu;e] 1969

विदेशी विवाह अधिनियम इस समय उन युगलों के विवाहों की बहुत कम श्रेणियों को ही अभिशासित करता है जिनमें उनमें से कम से कम एक भारतीय नागरिक हो और विदेश में विवाह हुआ हो । अधिनियम प्रकृति में प्रक्रियात्मक है और केवल उस विधि को नियत करता है जिसमें विवाह किया जाना जरूरी है । प्रतिकार के लिए, यह विशेष विवाह अधिनियम को रैफर करता है जो ऐसे किसी भी प्रतिकार के अधीन है जो विदेशी क्षेत्राधिकार कानून प्रदान करता है । अधिनियम को प्रतिकारों को तलाक, न्यायिक अलगाव, भरण–पोषण, संभरण और अभिरक्षा तक सीमित न होकर व्याापक विस्तार करना चाहिए । अधिनियम में फैसला आने से पहले संपत्ति की कुर्की का प्रावधान होना चाहिए और महिलाओं एवं बच्चों को वित्तीय सहायता का अधिकार देने के लिए सुरक्षोपाय प्रदान करने चाहिए ।

### (ii) lj{kd ,o çfrikY; vf/kfu;e] 1890 e: l'kks/ku

अनिवासी भारतीयों से विवाह करने वाली महिलाएं अपने बच्चों को अपनी अभिरक्षा में नहीं रख पाती है क्योंकि विदेश से चले आने के कारण वे विदेश में अभिरक्षा संबंधी महंगी कार्यवाही में शामिल होने में अक्षम हो जाती हैं । यदि कोई महिला बच्चों को अपने साथ भारत लाकर अपनी अभिरक्षा में रखती है तो उसे 'अपराधी' व अपहर्ता मान लिया जाता है ।

### (iii) çfØ;kRed dkuuk vkj vU; fookg dkuuk e: l'kks/ku %&

#### a) nM çfØ;k lfgrk] 1973

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 में विवाह संबंधी राहतों और अपराधों का क्षेत्राधिकार उस स्थान के न्यायालयों को दिया जाना चाहिए, जहाँ महिला फिलहाल रह रही हो ।

#### b) ikliksVZ vf/kfu;e] 1967

अनिवासी भारतीय की जमानत शर्तों में यह उपबंध होना चाहिए कि वह अपना पासपोर्ट

न्यायालय में जमा कराए । इसी के साथ, **ikliksVZ vf/kfu;e** की धारा 10 (3) (ङ) के उपबंध भी सक्रियतापूर्वक लागू किए जाने चाहिए ।

अनिवासी भारतीयों के विवाह संबंधी कानूनों से संबंधित सिफारिशों का ब्यौरा और महिलाओं पर उनका प्रभाव **vuqyXud&IX** में दिया गया ।

## V. ^^vR;kpkj ¼lkoZtfud :i ls vekuoh; ,oa dyaddkjh½ fuokj.k ,oa efgyk laj{k.k fo/ks;d] 2014** uked fo/ks;d

''सार्वजनिक रूप से महिलाओं को अमानीय और कलंककारी बनाकर उनके विरुद्ध अत्याचार का निवारण'' विषय पर 27 एवं 28 फरवरी, 2014 को इन्द्र लोक सभागार, नारायण सिंह चौक, जयपुर में एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया । इस परामर्श का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से महिलाओं को अमानीय एवं कलंककारी बनाकर उनके विरुद्ध हिंसा को मिटाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय विधान के प्रारूपित मॉडल पर चर्चा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए मंच प्रदान करना था ।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के साथ पठित धारा 8 के अनुसरण में, **^^vR;kpkj ¼lkoZtfud :i ls vekuoh; ,oa dyaddkjh½ fuokj.k ,oa efgyk laj{k.k fo/ks;d] 2014**** नामक व्यापक केंद्रीय विधान को निरूपित करने के लिए 04 अप्रैल, 2014 के आदेश के द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । प्रारूप विधेयक को आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 18.09.2014 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया । विधेयक का ब्यौरा **vuqyXud & X** पर दिया गया है ।

## VI. vk;kftr ijke'kZ

वर्ष 2014–15 के दौरान, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने निम्नलिखित परामर्श आयोजित किए :–

### (i) Hkkjr esa lkbcj vijk/kksa ls efgykvksa dh j{kk djus ds fy, vFkksZik; ij jk"Vªh; ijke'kZ

आयोग ने 23 जुलाई, 2014 को ''भारत में साइबर अपराधों से महिलाओं की रक्षा करने के लिए अर्थोपाय'' पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया । परामर्श की रिपोर्ट की एक प्रति आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 29 सितम्बर, 2014 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी गई । ब्यौरा अध्याय–9 में दिया गया है ।

## VII. djk, x, v/;;u

वर्ष 2014–15 के दौरान, अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्व विद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान राज्यों में खाप पंचायतों और शालिशी अदालतों एवं गैर–कानूनी अदालतों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध भेदभावपरक एवं अपमानजनक प्रथाओं पर एक अनुसंधान अध्ययन कराया गया । ब्यौरा अध्याय–9 में दिया गया है ।

## VIII. vU; igys

### (i) le>kSrk Kkiu ¼,evks;w½

राष्ट्रीय महिला आयोग और एन. टी. पी. सी. लि. के बीच देश भर में एन. टी. पी. सी. के कर्मचारियों में जेंडर मुद्दों एवं कार्यस्थल पर उचित व्यवहार के बारे में संचेतना पैदा करने, यौन उत्पीड़न तथा स्वीकार्य एवं अस्वीकार्य व्यवहार आदि के बारे में समझाने के लिए अपनी अपनी ताकतों का उपयोग करके सहयोग करने और साथ–साथ कार्य करने के लिए 21 जुलाई, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । वर्ष के दौरान एन. टी. पी. सी. के कर्मचारियों में संचेतना पैदा करने के लिए लखनऊ, हरियाणा में झज्जर, मुम्बई, पटना और हिमाचल प्रदेश में कोलडाम जैसे विभिन्न स्थानों पर कुल 5 कार्यशालाएं आयोजित की गई ।

### (ii) fuHkZ;k dks"k ds varxZr ;kstuk;sa

आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान निर्भया कोष के अंतर्गत विचार करने के लिए दो योजनायें तैयार कीं और उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा ।

#### a) fuHkZ;k dks"k ds varxZr tsaMj laosnhdj.k ekud çf'k{k.k e,Mîwy fodflr djus dh ;kstuk

राष्ट्रीय महिला आयोग ने **^tsaMj laosnhdj.k ekud çf'k{k.k e,Mîwy fodkl*** नामक एक प्रारूप योजना तैयार की और दिनांक 04 जुलाई, 2014 के पत्र द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अग्रेषित किया । यह स्कीम आर्थिक कार्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा तैयार की गई ।

#### b) fuHkZ;k dks"k ds varxZr cykRdkj ,oa rstkc geyk ds ihfM+rksa dh lgk;rk vkSj mudh iquokZl dh ;kstuk

दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला फोरम बनाम भारत संघ एवं अन्य रिट याचिका (दांडिक) संख्या 362/93 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए मानकों के साथ–साथ अपने स्वयं के मूल्यांकन के आलोक में बलात्कार की पीड़ितों की सहायता एवं उनके पुनर्वास के लिए एक योजना निरूपित की और वर्ष 1995 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया । पक्षकारों से परामर्श के बाद, राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्कीम को पुनर्निरूपित किया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अप्रैल, 2010 में अग्रेषित किया । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से अगस्त, 2010 में प्रारूप व्यय वित्त समिति ज्ञापन प्राप्त हुआ । तदोपरांत, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी टिप्पणियां मंत्रालय को भेजीं । तब से, सरकार द्वारा ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई गई । आयोग ने निर्भया कोष के अंतर्गत बलात्कार और तेजाब हमला के पीड़ितों को सहायता एवं उनके पुनर्वास की योजना को पुनः प्रस्तावित किया । योजना

को 21 अगस्त, 2014 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया ।

### (iii) jk"Vh; efgyk vk;kx dk jkT; efgyk vk;kx d lkFk uVofdx

राष्ट्रीय महिला आयोग समय–समय पर संगोष्ठियों / कार्यशालाओं आदि का आयोजन करके राज्य आयोगों से विचार – विमर्श करता रहता है । महिला सशक्तीकरण पर माननीय संसदीय स्थायी समिति ने भी राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच नियमित विचार – विमर्श के लिए एक तंत्र विकसित करने की सिफारिश की । अपने पारस्परिक अधिदेशों को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग दोनों ही इन विचार–विमर्शों से, जो सामान्यतः पत्राचार आदि के माध्ययम से होते हैं जो अधिक समय लेने वाले और धीमें होते हैं, लाभान्वित होंगे । त्वरित संपर्क से मुद्दों और शिकायतों पर अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करने में राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग दोनों की सहायता होगी ।

इस दिशा में एक कदम और आगे के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान राज्यं आयोगों / राज्य सरकारों के साथ निम्नलिखित परामर्श / विचार–विमर्श बैठकें आयोजित कीं :–

#### (i) jk"Vh; efgyk vk;kx dk 05 l 07 tykb] 2014 rd v#.kkpy in'k jkT; dk nkjk

राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने महिला एवं बाल विकास विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार / राज्य महिला आयोग द्वारा ''रूढ़िजन्य कानूनों – विवाहों / तलाक, उत्तराधिकार और इनका महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव'' विषय पर आयोजित विचार–विमर्श में राज्य महिला आयोग, राज्य सरकार, गैर–सरकारी संगठनों, महिला पक्षकारों से विचार–विमर्श करने के लिए 05–07 जुलाई, 2014 तक अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया ।

#### (ii) jk"Vh; efgyk vk;kx dh ukxkyM jkT; efgyk vk;kx @ efgyk fdlku d lkFk ukxkyM e 09 l 12 tykb rd fopkj & foe'k cBd

राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रतिनिधिमंडल ने रूढ़िजन्य कानूनों पर विचार–विमर्श करने के लिए 09–12 जुलाई, 2014 तक नागालैंड राज्य का दौरा किया ।

#### (iii) jk"Vh; efgyk vk;kx] ubl fnYyh e jkT; efgyk vk;kxk ¼iokÙkj {k=½ d lkFk 27 ,o 28 uoEcj] 2014 dk jk"V Lrjh; fopkj & foe'k

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों के लंबित मुद्दों की समीक्षा करने के लिए राज्य महिला आयोगों (पूर्वोत्तर क्षेत्र) के साथ दो दिवसीय बैठक और पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण पर विशेषज्ञ समिति की बैठक 27 एवं 28 नवम्बर, 2014 को आयोजित की ।

### (iv) fnYyh esa jkT; efgyk vk;ksxksa ds lkFk 02 ,oa 03 Qjojh] 2015 dks fopkj & foe'kZ cSBd

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग को सुदृढ़ बनाने के लिए और एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाने के लिए दिल्ली में 02 एवं 03 फरवरी, 2015 को दो दिवसीय बैठक आयोजित की ।

*02 एवं 03 फरवरी, 2015 को आयोजित दो दिवसीय बैठक में राज्य महिला आयोगों के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य–गण*

बैठक की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य महिला आयोगों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 31 मार्च, 2015 को अग्रेषित कर दिया गया ।

## IX. fofHkUu cSBdsa @ tkap lfefr;ka @ dk;Z'kkykvksa esa jk"Vªh; efgyk vk;ksx dk çfrfuf/kRo ½&

(i) युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने एन. एस. एस. संगठन में ''कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण पर समिति'' में राष्ट्रीय महिला आयोग से एक प्रतिनिधि नामित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुरोध किया । राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने 09 अप्रैल, 2014 के पत्र द्वारा जांच समिति में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के विधि अधिकारी को नामित किया । समिति ने मामले की जांच करने के लिए अनेक बैठकें आयोजित कीं और जांच का निष्कर्ष निकाला और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

(ii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलैक्ट्रोनिक मीडिया मानीटरी सेंटर (ईएमएमसी) ने ईएमएमसी में महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधि नामित करने के लिए आयोग से अनुरोध किया । आयोग के विधि अधिकारी को राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया । आयोग ने मुद्दे को हल करने के लिए ईएमएमसी में आयोजित सभी बैठकों में सक्रिय रूप से भागीदारी की ।

(iii) उच्चतम न्यायालय ने देश में यौन कर्मियों की समस्या के समाधान के लिए एक मामले में दिनांक 19.07.2011 के अपने एक आदेश के द्वारा एक पैनल गठित किया । उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.08.2011 के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, आयोग द्वारा नामित आयोग की अध्यक्ष अथवा सदस्य / अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय के पैनल की सभी बैठकों सक्रिय एवं नियमित रूप से भागीदारी की ।

## x. efgykvksa ls lacf/kr dkuwuksa dh mfpr fØ;kUo;u ij U;k;ikfydk ,oa iqfyl vf/kdkfj;ksa dk {kerk fuekZ.k

आयोग ने न्यायपालिका एवं पुलिस कार्मिकों के जेंडर संवेदीकरण से संबंधित एक स्कीम का अनुमोदन किया है । न्यायपालिका एवं पुलिस अकादमियों के सहयोग से नियमित आधार पर क्षमता निर्माण अभ्यास को संस्थागत बनाए जाने की आवश्यकता है । आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम प्रायोजित किए :–

(i) **dkLVcy çf'k{k.k Ldwy ¼lhVh,l½] Hkkxyiqj fcgkj %** आयोग ने जेंडर संवेदीकरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर एक दो दिवसीय कार्यशाला प्रायोजित की । अकादमी ने जेंडर से संबंधित कानूनों पर 300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया है ।

(ii) **vkj-ch-oh-oh-vkj-] vkU/kz çn'k iqfyl vdkneh] gSnjkckn %** आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान संवेदीकरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा दो पाठ्यक्रम प्रायोजित किए ।

(iii) **gfj;k.kk iqfyl vdkneh] e/kqcu] djuky %** आयोग ने जेंडर संवेदीकरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर दो पाठ्यक्रम प्रायोजित किए हैं । अकादमी ने वर्ष 2014–15 के दौरान जेंडर से संबंधित मुद्दों पर प्रत्येक पाठ्यक्रम में 500 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया है ।

(iv) **jkt LFkku iqfyl vdkneh] t;iqj %** आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों की क्षमता निर्माण, जेंडर संवेदीकरण पर पुलिस प्रशिक्षण के माध्यम से तीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (प्रत्येक कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी) प्रायोजित किए ।

(v) **dh-Vh-Mh-,l- iqfyl vdkneh f=iqjk %** आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों की क्षमता निर्माण, जेंडर संवेदीकरण पर पुलिस प्रशिक्षण के माध्यम से एक दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी प्रायोजित किया ।

## XI. çfrfuf/k eMy %&

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकरण एवं भूमिका के बारे में अभिविन्यास के लिए वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित प्रतिनिधि मंडलों ने आयोग का दौरा किया :–

### (i) ,y,ut,u jk"Vªh; vijk/k foKku vkj U;kf;d foKku lLFkku] fnYyh

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के एलएनजेएन राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान, दिल्ली ने देश भर के पुलिस, अभियोजन, न्यायपालिका के अधिकारियों, रक्षा कर्मियों, जेल / सुधारक प्रशासकों के लिए 30.0.2014 से 04.07.2014 तक ''महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध'' पर एक पाठ्यक्रम आयोजित किया । लगभग 32 प्रतिभागियों ने, जिन्होंने पाठ्यक्रम में भाग लिया, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकरण एवं भूमिका के बारे में अभिविन्यास के लिए 2 जुलाई, 2014 को आयोग का दौरा किया ।

### (ii) gfj;k.kk ifyl vdkneh] e/kcu] djuky

9 परिवीक्षाधीन / पुलिस उपाधीक्षकों ने जो हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, करनाल में 06.11.2013 से 05.11.2014 तक बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यकरण एवं भूमिका के बारे में अभिविन्याास के लिए 28.10.2014 को आयोग का दौरा किया ।

## XII. vk;ksx }kjk fd, x, egRoiw.kZ gLr{ksi

आयोग का अधिदेश शिकायतों की जांच करना और महिला अधिकारों के हनन, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने और समानता एवं विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियमित किए गए कानूनों का क्रियान्वयन न करने से संबंधित मामलों में स्वतः संज्ञान लेना है । उपरोक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, निम्नलिखित पहलें की गई :–

(i) आयोग ने सुश्री चारू खुराना को मेकअप आर्टिस्ट एवं हेयर ड्रेसर के रूप में उनके पंजीकरण / कार्य करने की अनुमति न देकर ''सिने कस्ट्यूम एंड मेकअप आर्टिस्ट एसोसिएशन (सीसीएमएए)'' और ''फिल्म इम्पमलॉयीज फेडरेशन ऑफ साउथ इण्डिया (एफईएफएसई)'' के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के कारण उनके मूल अधिकारों के कथित हनन के अभ्यावेदन पर पहल की । राष्ट्रीय महिला आयोग को रिट याचिका में प्रतिवादी पक्ष बनने की अनुमति दी गई । उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को फिल्म उद्योग में पंजीकृत मेकअप आर्टिस्ट के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की । चारू खुराना द्वारा वर्ष 2013 में दायर याचिका में सिने कास्ट्यूम एंड मेकअप आर्टिस्ट एसोसिएशन (सीसीएमएए) में व्याप्त जेंडर भेदभाव (जो यह स्पष्ट उल्लेख करता था कि इसके सदस्य के रूप में केवल पुरूष ही पंजीकरण करा सकते हैं) चुनौती दी गई थी, 10.11.2014 को आदेश पारित किया गया ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य वर्ष 2013 की एसएलपी (दांडिक संख्या 9127) के मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 क के बढ़ते हुए दुरुपयोग पर

चिंता व्यक्त की और सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जब धारा 498 क के अंतर्गत कोई मामला दर्ज होता है, अपने आप से गिरफ्तार नहीं करेंगे । धारा 498क एक संज्ञेय एवं गैर–जमानती अपराध है । वर्तमान मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क कठोरता को कम कर सकते हैं जो ऐसी महिलाओं के लिए घातक साबित हो सकते हैं जो उनके ससुराल जनों एवं पति द्वारा क्रूरता एवं उत्पीड़न शिकार होती हैं । आयोग ने उक्त मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की है ।

## xiii. dkuuh tkx:drk dk;Øe ¼,y,ih½ @ ikfjokfjd efgyk ykd vnkyr ¼ih,e,y,½

आयोग ने महिलाओं के मुद्दों / समस्याओं और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध कानूनी प्रतिकारों के बारे में व्यापक जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से कानूनी कार्यक्रमों के माध्यम से

*हस्तक्षेप कल्याण सामाजिक सोसायटी के सहयोग से आयोग द्वारा दिनांक 14–15 अगस्त, 2014 को पन्ना, मध्य प्रदेश में आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम*

*अरिहंत समाज कार्य सोसायटी के सहयोग से आयोग द्वारा दिनांक 24–25 मई, 2014 को भरतपुर, राजस्थान में आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम*

देशव्यापी पहुंच वाली गतिविधियां प्रायोजित कीं । पिछड़े और अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता विकसित करने पर विशेष बल दिया गया ।

ऐसे संगठनों की सूची, जिनके साथ वर्ष 2014–15 के दौरान कानून जागरूकता कार्यक्रम और पारिवारिक महिला लोक अदालतें आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सहयोग किया, **vuqyXud& XI** पर दी गई है।

# v/;k;&6

# vuqla/kku ,oa v/;;u çdk"B

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1) (छ) के अंतर्गत, राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के विरुद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराने और बाधाओं का पता लगाने, जिससे कि उनको दूर करने की कार्ययोजनाओं की सिफारिश की जा सके, का अधिदेश प्राप्त है । इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10 (1) (ज) के अंतर्गत आयोग को संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान कराने का भी अधिदेश प्राप्त है ताकि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके ।

अधिदेश के अनुसार, आयोग गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्वैच्छिक संगठनों, विश्वविद्यालयों / कालेजों, स्वायत्त निकायों, संस्थाओं आदि के सहयोग से विशेष अध्ययन कराता है। संगोष्ठियों / सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं, कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों (एलएपी) और पारिवारिक महिला लोक अदालतों (पीएमएलए) का आयोजन करता है । आयोग प्रायः महिलाओं के मुद्दे पर कार्य कर रहे सिविल समाज समूहों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और जेंडर अधिकारों एवं सशक्तीकरण के लिए कार्य कर रहे अन्य पक्षकारों के साथ बुनियादी स्तर पर जानकारी तथा उनके बौद्धिक निवेश हासिल करने कार्य करता है ।

वर्ष 2014–15 के दौरान, संकेन्द्रित अनुसंधान कराने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनुसंधान / अध्ययन कराने के लिए देवदासियों के रूप में महिलाओं के शोषण एवं इससे जुड़ी कुरीतियों, महिलाएं एवं भूमि अधिकार, कार्य स्थल पर बाधाओं का सामना कर रही महिलाएं आदि जैसे कुछ विशिष्ट मुद्दे / विषय अभिनिर्धारित किए और इन मुद्दों पर कुछ अध्ययनों को प्रायोजित किया । आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान संगोष्ठियां / सम्मेलन / कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए बलात्कार / अवैध व्यापार, चुड़ैल हत्या, मीडिया में महिलाए, साइबर अपराधों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अर्थोपाय, अक्षम महिलाएं आदि जैसे कुछ प्रासंगिक एवं विशिष्ट मुद्दे भी अभिनिर्धारित किए और महिलाओं के हितों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर अनेक परामर्शों एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया ।

आयोग महिला मुद्दों / उनकी समस्याओं और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध कानूनी उपचारों के बारे में व्यापक जागरूकता विकसित करने के उद्देश्य से कानूनी कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी पहुंच क्रियाकलापों का प्रायोजन भी करता है ।

ऐसे संगठनों की सूची जिन्हें वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य / क्षेत्र / राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठियां, अनुसंधान / अध्ययन, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम एवं पारिवारिक महिला लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए सहयोग दिया गया, जो क्रमशः **vuyXud & XII] vuyXud & XIII] vuyXud & XIV] vuyXud & XV** और **vuyXud & XVI** पर दी गई है ।

वर्ष 2014–15 के दौरान प्रायोजित संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों / पारिवारिक महिला लोक अदालतों की संख्या की राज्य–वार सूची नीचे तालिका में दी गई है :–

| Ø-l- | jkT; @ l?k jkT; {k= | lxkf"B;k @ dk;'kkykvk dh dy l[;k | vu|l/kku v/;;u | dkuuh tkx#drk dk;Øek dh l[;k | ikfjokfjd efgyk ykd vnkyrk dh l[;k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 6 | 2 | 25 | – |
| 2. | बिहार | 3 | 1 | 16 | – |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 1 | – | 19 | – |
| 4. | दिल्ली | 12 | 2 | 2 | – |
| 5. | गुजरात | – | – | 4 | – |
| 6. | हरियाणा | – | – | 9 | – |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 | – | – |
| 8. | झारखण्ड | 2 | – | 5 | – |
| 9. | कर्नाटक | 4 | 1 | 5 | – |
| 10. | केरल | – | 2 | – | – |
| 11. | मध्य प्रदेश | – | – | 14 | – |
| 12. | महाराष्ट्र | 2 | 1 | 4 | – |
| 13. | ओडिशा | 2 | 1 | 9 | – |
| 14. | पंजाब | – | – | 6 | – |
| 15. | राजस्थान | 5 | – | 20 | – |
| 16. | तमिलनाडु | 4 | 2 | 9 | – |
| 17. | त्रिपुरा | – | – | 5 | – |
| 18. | उत्तराखण्ड | 3 | – | 5 | – |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 7 | – | 22 | 4 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 3 | – | 7 | – |
| | **dy** | **55** | **13** | **186** | **4** |

## fgalk eqä ?kj & efgykvksa dk vf/kdkj

राष्ट्रीय महिला आयोग ने थाना / पुलिस स्टेशन स्तर पर पुलिस कर्मियों के साथ सहयोग करने के उद्देश्य से मई, 2008 में दिल्ली पुलिस के साथ 'घर बचाओ, परिवार बचाओ' नामक एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की ताकि वे महिलाओं से संबंधित मुद्दों का कारगर ढंग से निपटान कर सकें । महाराष्ट्र मॉडल पर दिल्ली में महिलाओं एवं बच्चों हेतु तीन विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए मार्च, 2009 में परियोजना के चरण II शुरू किया गया । प्रकोष्ठ का प्रमुख कार्य आपराधिक शिकायतों पर पुलिस सहायता प्रदान करने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों से निपटना, पारिवारिक सेवा एजेंसियों को मामले रैफर करना, परामर्श देना, कानूनी सहायता प्रदान करना और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में जागरूकता पैदा करना है । परियोजना का निधियन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया जाता है और इसका क्रियान्वयन टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) और दिल्ली पुलिस के सहयोग से किया जाता है । परियोजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए, इसके कार्यकाल को एक और वर्ष के लिए मार्च, 2016 तक बढ़ा दिया गया है ।

## Hkkjrh; ç'kklfud deZpkjh dkyst ¼,,llhvkbZ½ ds lkFk le>kSrk Kkiu ij gLrk{kj

ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों में महिलाओं एवं लड़कियों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी कालेज (एएससीआई), हैदराबाद के साथ 09 दिसम्बर, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

*ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों में महिलाओं एवं लड़कियों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी कालेज (एएससीआई), हैदराबाद के साथ 09 दिसम्बर, 2014 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी कालेज (एएससीआई) के प्रशासनिक कर्मचारियों और आयोग के प्रतिनिधियों के साथ श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग और डा. नन्दिता चटर्जी, पूर्व सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग*

# v/;k;&7

# iokZÙkj çdk"B

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करने और उनका विकास एवं सशक्तीकरण करने के लिए उपाय करने के लिए पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का गठन किया है । इसके अलावा, यह प्रकोष्ठ पूर्वोत्तर राज्य विशिष्ट अधिनियमों एवं संहिताओं / प्रथाओं की कानूनी समीक्षा से संबंधित मामलों को भी देखता है ।

वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई :–

## I. jk"Vh; efgyk vk;kx dk 05 l 07 tu] 2014 rd v#.kkpy çn'k jkT; dk nkjk

श्रीमती ममता शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के नेतृत्व में श्रीमती लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने रूढ़िजन्य कानूनों – विवाहों / तलाक, उत्तराधिकार और इनका महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव पर अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग, राज्य–सरकार, गैर–सरकारी संगठनों के महिला पक्षकारों के साथ राष्ट्रीय महिला की विचार–विमर्श बैठक के लिए 05–07 जून, 2014 तक अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया । इस कार्यक्रम का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार और अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा किया गया ।

*आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सहयोग से आयोग के दौरे के दौरान 05 से 07 जून, 2014 ''रूढ़िजन्य कानूनों की स्थिति – उत्तराधिकार, विवाह / तलाक और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में न्याय देने के रूढ़िजन्य प्रणाली और महिलाओं की स्थिति पर इनका प्रभाव'' पर एक बैठक आयोजित की*

06 जून, 2014 को (पूर्व) अध्यक्ष और सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने ईटानगर में जेल का दौरा किया। 07 जून, 2014 को राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी और अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा घइरो, डीसी कार्यालय परिसर, ईटानगर में आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया ।

*श्रीमती ममता शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग और सुश्री लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 05–07 जून, 2014 तक आयोग के दौरे के दौरान अरुणाचल प्रदेश के जेल अधिकारियों से मुलाकात की ।*

## nkj dh fl Qkfj'k fuEuku lkj g %&

(i) मामलों की सुनवाई के लिए उचित न्यायालय परिसर सुनिश्चित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग को सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है ।

(ii) अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्यों को घर / आवास प्रदान किया जाना चाहिए।

(iii) अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग को पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

(iv) प्रभावी तरीके से उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य आयोग के सदस्य सचिव और विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णकालिक होनी चाहिए ।

(v) बाजार में मुद्रास्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के कार्यकरण के लिए राशि को बढ़ाया जाना चाहिए

(vi) राज्य आयोग के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन उनके पद के अनुरूप होना चाहिए ।

(vii) आयोग के कार्यालय के विकास एवं प्रभावी कार्यकरण को सुकर बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग को संसाधनों का आबंटन अलग योजना शीर्ष के अंतर्गत किया जाए । चूंकि आयोग केवल सांविधिक निकाय ही नहीं है अपितु कार्य की स्वा्यत्तता वाला एक अर्ध–न्यायिक निकाय भी है, इसका अपना योजना शीर्ष होना चाहिए । इससे आयोग के कार्यालय के दर्जा बढ़ाने में काफी हद तक सहायता मिलेगी ।

(viii) कठिन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राशि अत्यंत अपर्याप्त है और इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है ।

(ix) महिलाओं के अधिकारों से संबंधित रूढ़िजन्य कानूनों को सहिंताकरण से पहले, विषय पर महिलानुकूल तरीके से सार्वजनिक / व्यापक वाद–विवाद होना चाहए । निम्निलिखित क्षेत्रों में सहिंताकरण और संशोधन की जरूरत है :–

a) तलाक के कानूनों में महिलाओं के लिए निर्वाह धन एवं भरण पोषण की जरूरत और तलाक लेने से जुड़ी कानूनी / न्यायायिक प्रक्रिया को शामिल किया जाए ।

b) विवाह के कानून की समीक्षा और बाल विवाह, बहुविवाह प्रथा, बहुपति प्रथा, अपहरण या बलात् विवाह आदि जैसी कुरीतियों पर प्रतिबंध ।

c) महिलाओं को समान अधिकार वाले उत्तराधिकार कानूनों का अधिनयमन ।

d) रूढिजन्य कानूनों को और अधिक जेंडर संवेदी बनाने के लिए उन्हें संशोधित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

## efgykvk dh lqj{kk vkj vf/kdkjk d fy, vU; mik; %&

a) बढ़ते हुए महिलाओं के देह व्यापार और यौन शोषण को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 का कड़ाई से क्रियान्वन ।

b) विवाह और तलाक दोनों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाए ।

c) अरुणाचल विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है ।

d) अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की प्रथाओं एवं परंपराओं का संगठित अनुसंधान एवं प्रलेखीकरण विशेषकर महिला शोधार्थियों द्वारा किए जाने की जरूरत है ।

e) महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, जिनका सामान्यतः जनजातीय ग्राम परिषदों द्वारा विचारण किया जाता है, के संबंध में दांडिक न्याय प्रणाली ।

## II. jk"Vh; efgyk vk;kx d çfrfuf/k eMy dk 09&12 tykb] 2014 rd nkj d nkjku :f<tU; dkuuk ij cBd( fo'oeek xko dh efgyk fdlkuk d lkFk cBd( tsy dk nkj( fo[;kr ukxk efgykvk d lkFk vukipkfjd okrk

राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीमती ममता शर्मा, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने रूढिजन्य कानूनों पर बैठक करने, विश्वेपमा गांव की महिला किसानों के साथ बैठक करने और कोहिमा जिला जेल का दौरा करने के लिए 09–12 जुलाई, 2014 तक नागालैंड का दौरा किया ।

नागालैंड सरकार और राज्य महिला आयोग के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित चर्चाओं में निम्नलिखित मुद्दे उभर कर आए :–

(i) रूढिजन्य कानूनों और प्रथाओं के बारे में पुरुषों में दृढ़ पूर्वाग्रह है ।

(ii) इन रूढ़िजन्य कानूनों की अपरिवर्तनीय प्रकृति ने, जो समय के साथ–साथ विकसित नहीं हुई है, अतीत एवं समकालीन कानूनों के बीच गहरी खाई बना दी है ।

(iii) रूढिजन्य कानूनों में बदलते समय के साथ–साथ बदलाव किए जाने की जरूरत है ।

(iv) यदि समाज पुरानी रूढिजन्य कानूनों में फंसा रहेगा, विरोध अवश्यंभावी है ।

(v) यद्यपि मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा राज्य में त्वरित न्यायालयों को बंद कर दिया गया है, जिन कर्मचारियों की नियुक्त की गई थी, वे अभी भी सेवा में हैं। इसलिए इन न्यायालयों को पुनः शुरू किया जा सकता है ।

(vi) गांव परिषदों में महिलाओं को रखा जाए ।

(vii) ऐसी महिलाओं को जो बलात्कार एवं यौन प्रहार, घरेलू हिंसा और विवाद–संबंधी मुद्दों की पीड़ित हैं, मनोरोग संबंधी तत्काल सहायता की जरूरत होती है । राज्य में मनोरोग संबंधी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(viii) बलात्कार एवं प्रहार से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक अन्य अत्यावश्यक जरूरत न्यायालयिक प्रयोगशाला है, जिसकी अभी भी राज्य में स्थापना की जानी है ।

(ix) हालत अब बदल रहे हैं और लोग अब गांव परिषदों के पारंपरिक न्यायालयों में जाने के बजाय पारिवारिक अदालतों में जा रहे हैं ।

## III. jk"Vh; efgyk vk;kx dk 26&28 vxLr] 2014 rd vle jkT; dk nkjk

### (i) iwokÙkj jkT;k e efgykvk ,o ckfydkvk d vo/k 0;kikj ij {k=h; lEeyu

राष्ट्रीय महिला आयोग ने असम राज्य महिला आयोग और यूनीसेफ – संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से पूर्वोत्तर राज्यों में ''महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार का निवारण'' विषय पर 27–28 अगस्त, 2014 को दो–दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया । उद्घाटन सत्र में श्री अकोन

बोरा, माननीय समाज कल्यांण एवं कारागार मंत्री, असम सरकार श्रीमती मीरा बरुआ, असम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती डा. तुषार राणे, क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख, यूनीसेफ, असम अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय राज्य महिला आयोगों की अध्यक्षों असम राज्य महिला आयोग की सदस्यों, मानव व्यापार रोधी यूनिटों (एएचटीयू) और प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य की उनकी टीम के प्रतिनिधियों और पूर्वोतर राज्यों के लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

*असम राज्य महिला आयोग और यूनीसेफ – संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में ''महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार का निवारण'' विषय पर 27–28 अगस्त, 2014 को दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित करतीं श्रीमती लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग*

क्षेत्रीय सम्मेलन का समग्र उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध मानव व्यापार की रोकथाम के लिए अधिगम, सहयोग करने, अच्छी पद्धतियों का अभिनिर्धारण करने और प्रयासों के प्रतिरूप के लिए प्रक्रिया शुरू करना था और विशेषरूप से, परामर्श अवैध व्यापार एवं संवेदनशील प्रवृत्तियों पर आंकड़े एकत्रित करने, कानून के मौजूदा उपबंधों के संदर्भ में सामान्य ढांचे का सृजन करने, निवारण एवं बचाव के अलावा पुनर्वास की सफलताओं और चुनौतियों / बाधाओं को अभिनिर्धारित करने और अंततोगत्वा, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय के क्षेत्र को तलाशने सहित क्षेत्र में अवैध मानव व्यापार पर एक अद्यतन स्थिति विश्लेषण तैयार करने पर उद्देशित था ।

## (ii) ifyl egkfun'kd] vle ,o vij ifyl egkfun'kd] vle vkj vij egkfun'kd] njn'ku ¼iokÙkj½ d lkFk fopkj&foe'k

a) बोडो आतंकवादियों ने पुलिस का मुखबिर होने की शक पर एक स्कूली बालिका की 28.08.2014 को गोली मारकर हत्या कर दी । राष्ट्रीय महिला आयोग ने निर्दोष छात्रा के मामले में, जो पुलिस

की मुखबिर नहीं थी (जैसा कि आरोप लगाया) लेकिन बोडोलैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट – संगबिजीत धड़ा द्वारा इस पूर्वधारणा पर मार दी गई, श्री खगन शर्मा, पुलिस महानिदेशक, असम और श्री ए. पी. रावत, अपर पुलिस महानिदेशक, असम से विस्तृत चर्चा की । राज्य सरकार ने मामले में न्याायिक जांच शुरू की है ।

b) स्वतः–संज्ञान अथवा शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रश्नों के शीघ्र उत्तर देने के मामले पर भी लिए अपर पुलिस महानिदेशक, असम और उनके अधिकारियों से चर्चा हुई और उन्होंने इन मामलों में और अधिक तेजी से उत्तर देने का आश्वासन दिया ।

c) श्रीमती लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के मुद्दों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के बारे में श्री सी. लालरोसांगा, अपर महानिदेशक, दूरदर्शन पूर्वोत्तर क्षेत्र और उनके दल से विस्तृत चर्चा की । दूरदर्शन के उत्तर क्षेत्र के अधिकारियों से मीडिया साधनों के विभिन्न रूपों के माध्यम से गांव स्तर तक पहुंच बनाने के कारगार तरीकों को अभिनिर्धारित करने का अनुरोध किया गया ।

## IV. jk"Vh; efgyk vk;kx dk 17&20 Qjojh] 2015 rd f=ijk dk nkjk

"पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण" से संबंधित अनुसंधान कार्य की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें सुश्री लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, सुश्री हेमलता खेरिया, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग और श्री वरुण छाबड़ा, परामर्शदाता, राष्ट्रीय महिला आयोग शामिल थे, 17 से 20 फरवरी, 2015 तक त्रिपुरा का दौरा किया ।

### (i) Idfær leg ppk

दिनांक 17.02.2015 को प्रतिनिधि मंडल ने त्रिपुरा में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति पर सर्वेक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में संकेंद्रित समूह चर्चा में भाग लिया । संकेंद्रित समूह चर्चा अमरपुर प्रभाग, गोमती जिला के बीरगंजा गांव में आयोजित की गई । क्षेत्र की महिलाओं की वास्तविक सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संकेंद्रित समूह चर्चा के लिए अलग – अलग आयु वर्ग और सामाजिक श्रेणी की 20 महिलाओं को आमंत्रित किया गया था ।

संकेंद्रित समूह चर्चा के बाद, प्रतिनिधि मंडल ने दो महिला स्व–सहायता दलों नामतः जगबंधु स्व–सहायता दल और कृष्ण स्व–सहायता दल से, जिनकी मुख्य गतिविधियां क्रमशः मत्स्य पालन और चावल प्रसंस्करण हैं, मुलाकात की । चर्चा के दौरान, यह पाया गया कि अधिकांश महिलाओं के जन–धन योजना से पहले ही अपने नाम पर बैंक खाते थे । अधिकांश महिलाएं मनरेगा स्कीम से कार्य कर रही थी। मनरेगा का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है और बैंक में लेन–देन महिलाओं द्वारा स्वयं किया जाता है । कुछ हद तक घरेलू हिंसा होती है, लेकिन पंचायत निकाय के हस्तक्षेप के कारण, घरेलू हिंसा की घटनाओं की संख्या में कमी आ रही है ।

प्रतिनिधि मंडल ने दोनों स्व–सहायता दलों के सदस्यों से उनकी आयोत्पादक गतिविधियों, स्व–सहायता दलों के सामने आ रही समस्याओं और सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में अलग–अलग चर्चा की । दोनों स्व–सहायता दलों ने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण, सुलभ ऋण का प्रावधान और बैंक ऋण के भुगतान में छूट उनकी वर्तमान जरूरतें हैं ।

### (ii) dk'ky fodkl

प्रतिनिधि मंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंद्रानगर और महिला पॉलीटैक्निक, हपानिया का दौरा किया और संकाय सदस्यों से मुलाकात की और छात्राओं के साथ बातचीत की । सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास के साथ–साथ परंपरागत कौशलों में प्रशिक्षण की जरूरत पर जोर दिया ताकि गृह आधारित सूक्ष्म उद्यम और अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित किए जा सकें ।

### (iii) efgykvksa ds fo#) vijk/k

प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की और महिलाओं के विरुद्ध और बलात्कार की अत्यधिक घटनाओं के कारणों पर चर्चा की । प्रतिनिधि मंडल ने यह देखने के लिए कि क्या जेल मैनुअल में महिलाओं को प्रदत्त सुरक्षापाय अपनाए जा रहे हैं, महिला सुधार केंद्र, बिशालगढ़ का भी दौरा किया ।

### (iv) ekuuh; lekt dY;k.k ea=h] f=iqjk ds lkFk cSBd

प्रतिनिधि मंडल ने त्रिपुरा में महिलाओं से संबंधित मुद्दों विशेषकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और उनकी सुरक्षा और राज्य महिला आयोग के सुदृढ़ीकरण, विशेषकर बजटीय सहायता, अवसंरचना एवं जनशक्ति के मामले में, से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 फरवरी, 2015 को माननीय समाज कल्याण मंत्री से भी मुलाकात की ।

## V. jk"Vªh; efgyk vk;ksx dk 25&28 Qjojh] 2015 dks fetksje dk nkSjk

"पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण" पर राष्ट्रीय महिला आयोग की विशेषज्ञ समिति से संबंधित अनुसंधान कार्य की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें सुश्री लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग और श्रीमती रिचा ओझा, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग शामिल थे, 25 से 28 फरवरी, 2015 तक मिजोरम का दौरा किया ।

### (i) fetksje esa efgykvksa dh dkuwuh] jktuhfrd] vkfFkZd ,oa lkekftd fLFkfr ij v/;;u dj jgs vuqla/kku ny ds lkFk cSBd

उपरोक्त अध्ययन पर आंकड़ों के प्रारंभिक संग्रहण पर संक्षिप्त अभिविन्यास एवं अनुवर्तन शुरू किया गया । अनुसंधान दल को आंकड़ा विश्लेषण के सत्यापन योग्य साधनों का उपयोग करने के लिए अभिविन्यास पर जानकारी दी गई । कुछ प्रश्नों में, जहां निष्कर्षों के सहसंबंध के लिए निवेश स्पष्ट

नहीं थे, उत्तर हासिल करने के लिए सीधे प्रश्नों का उपयोग कर निवेश प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया ।

### (ii) dk'ky fodkl

उन महिलाओं से मिलने के लिए, जो बेंत का सामान बनाती हैं, सेसावंग गांव, थिंगसूल ब्लॉक और दुर्तलांग – लांगनुआम ब्लॉक का दौरा किया गया । चर्चा से महिलाओं के परिवारों और सूक्ष्म उद्यमों में बुनियादी स्तर पर महिलाओं के सामने आ रही चुनौतियों की पूरी जानकारी प्रदान हुई । महिलाओं द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दे थे : युवा पीढ़ी में बांस / बेंत का सामान बनाने में रुचि कम होना, बांस उत्पाद निर्माण की राज्य नीति के कारण के कारण लाभ में कमी, उत्पादन की विक्रेता के मुद्दे, दलालों से संबंधित समस्याएं, ऋण के मुद्दे आदि ।

सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण हासिल करने के साधन के रूप में कौशल विकास पर बल दिया ।

सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नए युग के कौशलों / कार्यों के साथ–साथ गृह आधारित एवं सूक्ष्म उद्यम आय उत्पादन के माध्यम से महिलाओं का सतत् सामाजिक – आर्थिक विकास हासिल करने के लिए कुशल कार्य बल की जरूरत पर बल दिया ।

प्रतिनिधि मंडल ने ऐज्वल महिला पॉलीटैक्निक, दुर्तलांग का दौरा किया और सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास के साथ–साथ मिजो लोगों के परंपरागत कौशलों में प्रशिक्षण की जरूरत पर जोर दिया ताकि गृह आधारित सूक्ष्म उद्यम और अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित किए जा सकें ।

27 फरवरी, 2015 को, मिजोरम राज्य महिला आयोग ने महिला सशक्तीकरण के लिए कौशल विकास के निरूपण पर एक परामर्श का आयोजन किया । इस परामर्श में राज्य सरकार मिजोरम विधि कमीशन, मिजोरम अवैध मानव व्यापार रोधी यूनिट के प्रतिनिधियों, विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों, सिविल समाज के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया ।

परामर्श के दौरान कौशलों के माध्यम से मिजोरम में महिलाओं के सशक्तीकरण जो पारिवारिक उद्यमों का विकास कर सकता है और बुनियादी स्तर पर आयोत्पादन सृजित कर सकता है, पर व्यापक चर्चा की गई । सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना भाषण बुनियादी स्तर पर, जहां वे रहती हैं – उन्हें वहां से उखड़ने के बजाय, महिलाओं का सशक्तीकरण करने के लिए स्थानीय / गांव आधारित प्रशिक्षण के सुदृढ़ीकरण पर संकेंद्रित रखा ।

### (iii) ifyl egkfun'kd] fetkje d lkFk eykdkr

प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात की और महिलाओं के विरुद्ध अपराध (बलात्कार) और ऐसी युवा मिजा लड़कियों की सुरक्षा, जो नौकरी के लालच में बढ़े शहरों को जा रही हैं लेकिन अवैध व्यापार के जोखिमों का सामना करती हैं, पर चर्चा की । राज्य से अवैध व्यापार के निवारण के लिए एक प्रणालीबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया ।

### (iv) ihfMr iquokl l|j{k.k xg dk nkjk

प्रतिनिधि मंडल ने अवैध व्यापार के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए संरक्षण गृह का दौरा किया । गृह में सोसायटी की पीड़ितों के पुनर्वास एवं पुनर्समेकन में सहायता के उद्देश्य से प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने के लिए व्यांवसायिक प्रशिक्षण इकाईयां हैं ।

यह भी पाया गया कि भौतिक स्थान, जहां महिलाएं रह रही थीं, साफ, स्वच्छ और पर्याप्त थे । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधियन किया जा रहा एक स्वाधार गृह भी संरक्षण गृह के काफी नजदीक है ।

महिलाओं के पुनर्वास हेतु समग्र रखरखाव, अनुरक्षण और पहलें संतोषजनक पाई गईं ।

### (v) lekt foKku l|dk;] fetkje fo'ofo|ky; d| lkFk cBd

सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मिजोरम विश्वविद्यालय का दौरा किया और कुलपति से मुलाकात की और उन्होंने ने जेंडर मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन करने में सहयोग करने के लिए मिजोरम विश्वविद्यालय और महिला आयोगों (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय) की संभावना पर चर्चा की । सहयोग वाद–विवाद / चर्चा, असंगठित क्षेत्र के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु विस्तार कार्य की तुलना में पाठ्य सामग्री विकास, महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आदि जैसी उनकी संबंधित मुख्यधारा की गतिविधियों में परस्परानुबंधन महिला मुद्दों के रूप में भी हो सकता है । कुलपति, मिजोरम विश्वविद्यालय ने सदस्य को आश्वासन दिया कि वे महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना में तेजी लाएंगे । सदस्यों ने समाज विज्ञान विभाग के संकाय और छात्रों को महिलाओं के मुद्दों पर संबोधित किया ।

### (vi) ekuuh; lekt dY;k.k e=h] fetkje ljdkj d| lkFk cBd

प्रतिनिधि मंडल ने मिजोरम सरकार के माननीय समाज कल्याण मंत्री से मुलाकात की और मिजोरम में जेंडर मुद्दों, विशेषकर आर्थिक सशक्तीकरण एवं सुरक्षा पर चर्चा की । सुश्री लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोग के लिए राशि और बजटीय प्रावधानों में वृद्धि करने के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया । मंत्री जी को राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु नए युग के प्रशिक्षण के साथ परंपरागत कौशल प्रदान करने का भी सुझाव दिया । मंत्री जी ने राज्य में महिलाओं के समग्र विकास के लिए उनकी सरकार द्वारा की गई पहलों एवं कार्रवाई के बारे में प्रतिनिधि मंडल को अभिविन्यस्त किया ।

## VI. jk"Vh; efgyk vk;kx dk 24 l| 29 ekp] 2015 rd flfDde dk nkjk

"पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण" पर राष्ट्रीय महिला आयोग की विशेषज्ञ समिति से संबंधित कार्य का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें सुश्री लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग और श्री वरुण छाबड़ा, परामर्शदाता, राष्ट्रीय महिला आयोग शामिल थे, 24 से 29 मार्च, 2015 तक सिक्किम का दौरा किया ।

*24 से 29 मार्च, 2015 तक अपने दौरे के दौरान महिलाओं के विभिन्न मुद्दों पर प्रतिभागियों को संबोधित करती श्रीमती लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग*

### (i) ;Yyh e dnere efgyk nX/k mRikn Igdkjh IkIk;Vh dk IkFk cBd

प्रतिनिधि मंडल में येल्ली में कदमतम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी का दौरा किया । सोसायटी के एक सदस्य ने बताया कि उन्हों ने वर्ष 2001 में 40 किलोग्राम दूध और एक छोटी सी स्टॉल के साथ कैसे शुरूआत की । अब प्रत्येक घर में 2–3 गायें हैं और प्रत्येक घर 20 किलोग्राम दूध की आपूर्ति करता है । जांच मशीन में जांचे गए दूध की गुणवत्ता के अनुसार 29.40 रुपये प्रति किलोगाम के हिसाब से दुग्ध यूनियन को 300–400 किलोग्राम दूध की प्रत्येक दिन आपूर्ति की जाती है । परिणामस्वरूप प्रत्येक सदस्य 22,000/– से 45,000/– रुपये प्रति माह कमाता है ।

उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, उन्हें जर्सी गायों जैसी गायों की अच्छी प्रजातियों की जरूरत है । उन्हे कीमतो में बढ़ोत्तरी और अन्य दुग्ध उत्पाद बनाने की व्यवस्था की भी जरूरत है ।

### (ii) jkxhud tsy dk nkjk

प्रतिनिधि मंडल ने रोंगीनेक जेल का दौरा किया । जेल में दो दोषसिद्ध महिला कैदी थीं । जेल के आसपास बागवानी, फूलों की खेती, कृषि और अन्य कौशलों में लगे कैदियों को 40/– रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं ।

जेल प्राधिकारी को कैदियों को रिहा करते समय समाज में उनके समेकन की समस्या का सामना करना पड़ता है । ऐसी महिलाओं के लिए, जिनका समुदाय / परिवार द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है, पश्च देखरेख गृह अथवा पश्च देखरेख सुविधाओं की जरूरत है । परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाए । यह भी पाया गया कि जेल में गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी शून्य है ।

*श्रीमती लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24 से 29 मार्च, 2015 तक अपने दौरे के दौरान रोंगीनेक जेल, सिक्किम में बागवानी / फूलों की खेती में लगी महिला कैदियों से मुलाकात की*

**nkSjs dh flQkfj'ksa fuEukuqlkj gSa %&**

(i) राज्य महिला आयोग के प्राधिकारियों द्वारा जेल का नियमित दौरा अनिवार्य बनाया जाए ।

(ii) सिक्किम राज्य महिला आयोग कैदियों को नियमित आधार पर अर्थात् सप्ताह में एक बार विशेषकर विचारण के पहले तीन महीनों में उपलब्ध विभिन्न कानूनी विकल्पों को प्रदान करने और विभिन्न प्रकार की अपीलों के बारे में, जिन्हें वह कर सकती है, उन्हें जानकारी देने के लिए कानूनी सहायक वकील प्रदान करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करे ।

(iii) दोषसिद्ध कैदियों को विचाराधीन कैदियों से अलग रख जाए ।

(iv) सिक्क्मि राज्य महिला आयोग साप्ताहिक परामर्श सुविधा और पश्च देखरेख कार्यक्रमों को सुकर बनाए और जेल प्राधिकारियों से नियमित आधार पर समन्वय करके मामलों की प्रगति रिपोर्ट रखे।

(v) राज्यो में पुनर्वास केंद्र होना चाहिए ।

**(iii) jk"Vªh; efgyk vk;ksx dk gksVy rk'kh Mysd esa efgyk lewgksa ds lkFk fopkj&foe'kZ l=**

राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि मंडल के साथ विभिन्न महिला दलों का एक विचार–विमर्श सत्र होटल ताशी डेलेक में आयोजित किया गया । सत्र में उपस्थिति 80 से अधिक महिलाओं को

संबोधित करते हुए, सुश्री लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण बहुत महत्वपूर्ण है और आयोग हर तरह महिलाओं की सहायता करने के लिए उनके साथ खड़ा है । उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि लड़कियों को, विशेषकर पूर्वोत्तर की लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए जब वे अपने अध्ययन अथवा अपनी नौकरी के लिए राज्य से बाहर जाती हैं क्योंकि अवैध व्यापार एवं छेड़छाड़ ऐसी प्रमुख समस्या है जिसका इस समय देश सामना कर रहा है ।

इस सत्र में ऑर्गनिक मिशन, सिक्किम ने कहा कि उन्हें ओलावृष्टि आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद मुआवजे की जरूरत होती है। इसके अलावा, उन्हें कोल्ड स्टोरेज और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

अवैध मानव व्यापार रोधी यूनिट (एएचटीयू) ने कहा कि उनका गठन वर्ष 2011 में अपराध शाखा के अधीन किया गया और वे गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से मुख्यतः गुमशुदा बच्चों के मामलों का निपटारा करते हैं, वे पुलिस अधिकारियों में संचेतना पैदा करने एवं प्रशिक्षण के लिए आपरेशन स्माइल चला रहे हैं । बचपन बचाओं आंदोलन के बाद से, उन्हो 56 गुमशुदा बच्चों को बचा लिया है और तीन बच्चों के मामले अभिवावकों के सही पते के अभाव में अथवा पुलिस थानों में रिपोर्ट न होने के कारण लंबित हैं । इन्होंने बचाव के प्रयोजन के लिए बजट केवल 3,500/– होने पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह प्रसूति अवकाश अर्थात् अनन्यंरूप से स्तनपान कराने के लिए 6 माह के अवकाश के लिए अनुरोध किया ।

प्रिमिटिव ले ग्रुप ने प्रशिक्षण सुविधाओं विशेषकर लेप्चा जनजाति बुनाई / शिल्प / भाषा / लिपि – टंकण आदि जैसी परंपरागत संरक्षण कौशलों के संवर्धन के लिए बेहतर साधनों / दूरदर्शिता के लिए अनुरोध किया ।

### flfDde jkT; efgyk vk;kx d fy, dh xbl flQkfj'k fuEukulkj g %&

(i) असहाय परिस्थितियों में महिलाओं के प्रत्यावर्तन के लिए पश्च देखरेख गृह स्थापित किया जाए ।

(ii) अपराधों का सामना करने के लिए महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने और विश्वास जगाने के लिए जागरूकता विकसित की जाए ।

(iii) सिक्किम राज्य महिला आयोग को कानूनी मुद्दों और महिलाओं के लिए उपलब्ध अन्य सरकारी स्कीमों के बारे में और अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजत करने का सुझाव दिया गया ।

### (iv) ukckMl }kjk lpkfyr efgyk Lo&lgk;rk ny d lkFk cBd

प्रतिनिधि मंडल ने रायमिन्डूल में नबार्ड द्वारा संचालित की जा रही महिला स्व–सहायता दल परियोजना का दौरा किया । समूह ने हथकरघा, शिल्प, सिलाई आदि का प्रशिक्षण गांव में ही देने का अनुरोध किया ताकि वे पारिवारिक कार्यों को समय दे सकें ।

इसके आगे समूह के सदस्यों ने कहा कि प्रशिक्षण के लिए राजधानी तक की यात्रा खर्चीली होने के साथ–साथ बहुत समय लेने वाली होती है और वे नहीं जानती है कि ऋण के लिए कहां आवेदन किया जाए । कभी–कभार ऐसी अनभिज्ञता के कारण बैंक अधिकारियों से भर–बुला भी सुनना पड़ता इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें प्रक्रिया के बारे में उचित परामर्श दिया जाए । उन्होंने अन्य राज्यों में उनकी प्रगति को देखने के लिए जानकारी दौरों का भी अनुरोध किया ।

इसके अलावा, उन्होंने जानकरी दी कि उन्हें मुख्यमंत्री शिशु जन्म स्कीम के लाभ समय पर नहीं मिल पाते हैं, अपर नमचेयबोंग वार्ड जैसे उनके गांव के हिस्से में सड़कें नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अस्पताल पहुचने के बाद भी उन्हें परेशानियों का समाना करना पड़ता है क्योंकि आशा कर्मियों के बिना उन्हें अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया जाता है और आशा कर्मी हर समय उपलब्ध नहीं होती हैं।

### flfDde jkT; efgyk vk;kx ds fy, flQkfj'k

(i) सुश्री लालडिंगलियानी साइलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिफारिश की कि विभिन्न विभागों के प्राधिकारियों के साथ समन्वय से सरकार की मनरेगा और अन्य स्कीमों एवं सुविधाओं के बारे में पंचायत सदस्यों में जागरूकता विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों / कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में आवधिक सर्वेक्षण कराए जाएं।

(iii) विभिन्न प्रशिक्षण / व्यावसायिक कौशल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम बनाए जाएं और इन्हें सभी के लिए सुलभ बनाया जाए ।

### (v) eerky;] vkJ; xg dk nkjk

दल ने राज्य सरकार द्वारा गंगटोक, सिक्किम में महिलाओं के संचालित ममतालय, आश्रय गृह का दौरा किया । आश्रय गृह में सोलह महिलाएं थीं । सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने बधिर संवासियों को सिखाने के लिए उन्हें संकेत भाषा में सिखाने की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया।

### (vi) Qyk dh [krh l tMh efgykvk d lkFk cBd

प्रतिनिधि मंडल ने बेन पेकू गांव का दौरा किया और फूलों की खेती से जुड़ी महिलाओं के साथ विचार–विमर्श किया । महिलाओं ने सड़क की खराब स्थिति की शिकायत की, जिसके कारण उन्हें अपने उत्पादों को बेचने के लिए मुख्य शहर जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है । उन्होंने यह भी बताया कि विक्रेताओं द्वारा उन्हें प्रति फूल 2/– रुपये दिए जाते हैं जबकि बाजार भाव 10/– रुपये है। उन्हें पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ता हैं क्योंकि वे केवल नजदीकी नदी पर ही निर्भर हैं ।

### (vii) MhtkUx dk nkjk

प्रतिनिधि मंडल ने डीजोन्गू गांव का दौरा किया और इलायची उगाने वाली महिला किसानों से

मुलाकात की । उन्होंने इलायची के पौधों की ऊंची कीमत की शिकायत की और सरकार से मुफ्त पौधे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ।

प्रतिनिधि मंडल ने ही यांगिंगमू में बोंगथंगि धार्मिक अनुष्ठान शो देखा । नदी (टुंग–क्योंग–डुओ) के पास लेप्चाू वंश बोंगथंगि ने बताया कि उसने सिक्किम की सभी देवियों के नामों को पुकारते हुए विश्व शांति की प्रार्थना की । यह भी बताया गया कि महिला भी, यदि वह चाहती है, बोंगथंगि हो सकती है, उसे प्रशिक्षण लेना होगा और अभ्यास करना होगा । नेयजुमो नामक महिला बोंगथंगि है । वह भी वर्ष में एक या दो बार मंत्रोचारण एवं नृत्य कर अभिनय करती है । बोंगथंग ने बताया कि नई पीढ़ी बोंगथंग धार्मिक अनुष्ठान करने में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रही है । ऐसा आधुनिकीकरण के कारण हो सकता है । इस समय थोड़े से बोंगथंग हैं, जो दिन–व–दिन लुप्त होते जा रहे हैं ।

**fl Qkfj'k :**

युवा पुरुष / महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए ।

## VII. jk"Vh; efgyk vk;kx dk 06 Qjojh] 2015 dk e?kky; dk nkjk

पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण पर विशेषज्ञ समिति के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मेघालय राज्य महिला आयोग को प्रायोजित अनुसंधान अध्ययन की समीक्षा करने के लिए श्रीमती शमीना शफीक, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 06 फरवरी, 2015 को मेघालय का दौरा किया ।

अनुसंधान दल, जो राज्य के आंतकवाद प्रभावित दूर–दराज के गांवों का दौरा करेगा, की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई । अध्यक्ष, मेघालय राज्य महिला आयोग ने इन मामलों को राज्य सरकार के साथ उठाने का आश्वासन दिया ।

## VIII. iokÙkj jkT;k e efgykvk dk lkekftd] vkfFkd vkj jktufrd l'kähdj.k ij fo'k"kK lfefr dk xBu

पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के मुद्दों को हल करने के लिए आयोग द्वारा अपने दिनांक 22.07.2014 के आदेश संख्या4–160(19)/2014/एनसीडब्यूकरण (एनईसी) द्वारा "पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण" पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया ।

**fo'k"kK lfefr d fopkjkFk fo"k; fuEufyf[kr g %&**

(i) संबंधित पूर्वोत्तर राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक मुद्दों पर पूर्वोत्तर में महिलाओं के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए नीतिगत सिफारिशें करना और उनके क्रियान्वय की कार्यनीति सुझाना ।

(ii) पूर्वोत्तर में महिलाओं के कल्याण के लिए मौजूदा नीतियों, चयनित कार्यक्रमों एवं स्कीमों (मनरेगा, एनआरएचएम, विधवा/ एकल महिलाएं ) के बेहतर क्रियान्वयत के लिए नीति स्तर पर परिवर्तनों को शुरू करने के लिए सुझाव एवं सिफारिशें करना ।

"पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तीकरण पर विशेषज्ञ समिति" ने 27–28 नवम्बर, 2014 को आयोग के सम्मेलन कक्ष, नई दिल्ली में आयोजित बैठक को संबोधित करती श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 30 जून, 2015 तक है । विशेषज्ञ समिति की दो बैठकें क्रमशः 31.07.2014 एवं 27.11.2014 को आयोजित की गईं । सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसंधान अध्ययनों को अनुमोदित किया गया और अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए चार राज्य महिला आयोगों नामतः त्रिपुरा, मेघालय, असम और नागालैंड को राशियां निर्मुक्त कर दी गई हैं । अन्य राज्यों के साथ मामले पर कार्रवाई की जा रही है ताकि कार्य को निर्धारित समय के भीतर पूरा किया जा सके ।

विशेषज्ञ समिति राज्य महिला आयोगों द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान अध्ययन रिपोर्टों के आधार पर आयोग को एक संक्षिप्त् रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

## x. iokÙkj çdk"B dh vU; igy

(i) रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने धौला कुआं सामूहिक बलात्कार के मामले में (मिजोरम की एक लड़की जो नवम्बर, 2010 में सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई थी) 1.50 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दिलाने में हस्तक्षेप किया ।

(ii) अवधि के दौरान, आयोग ने "महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा", "महिलाओं एवं बालिकाओं का अवैध व्यापार" और "महिलाओं का सम्मान करने के लिए लड़कों को शिक्षित करना / संवेदनशील बनाना" विषयों पर पूर्वोत्तार राज्यों के लिए रेडियो जिंगल्स और ऑडियो स्पॉट्स का निर्माण कराया । इन जिंगलों एवं स्पॉटों को 16 दिसम्बर, 2014 से शुरू होकर एक माह लंबे रेडियो अभियान के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों में आकाशवाणी के सभी स्टेशनों से प्रसारित किया गया ।

(iii) एक गहन प्रचार अभियान के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग ने नव वर्ष 2015 की पूर्व संध्या पर नव वर्ष के विशेष कार्यक्रम में पूरे पूर्वोत्तर में दूरदर्शन के सभी क्षेत्रीय चैनलों पर "महिला सशक्तीकरण"

एवं "घरेलू हिंसा" पर भी वीडियो स्पॉटों का प्रसारण कराया ।

## XI. fjikVk/khu vof/k d nkjku vk;kx u vfHkfu/kkfjr fo"k;k ij fuEujfyf[kr dkuuh tkx:drk dk;Øek] lxkf"B;k @ ijke'kk dk lLoh—r fd;k %&

### a) dkuuh tkx:drk dk;Øe

| Ø-l- | lxBu @ jkT; efgyk vk;kx dk uke | 60]000@&#i;s çfr dk;Øe dh nj ls vuekfnr dkuuh tkx:drk dk;Øek dh l[;k |
|---|---|---|
| 1. | मणिपुर विकास केंद्र | 2 |
| 2. | द रूरल पीपल वेल्फेयर ऑर्गनाइजेशन (आरपीडब्ल्यूओ) | 4 |
| 3. | मानव संसाधन और आर्थिक विकास केंद्र, पश्चिमी इम्फाल, मणिपुर | 4 |
| 4. | रूरल एरिया सर्वोदय प्रोलेटरेट एसोसिएशन, इम्फाल, मणिपुर | 4 |
| 5. | रूरल अपलिफ्टमेंट एण्ड डवलपमेंट रिएक्टिव एजेंसी, मणिपुर | 2 |
| 6. | मेरी गोल्ड, कामरूप, असम | 5 |
| 7. | अभिजन उद्योग ग्रामीण विकास सोसायटी, कामरूप, असम | 4 |
| 8. | तेजपुर सोशल सर्विस सोसायटी (टीएसएसएस), सोनितपुर, असम | 6 |

### b) lxkf"B;k @ ijke'k

| Ø-l- | lxBu dk uke | fo"k; |
|---|---|---|
| 1- | पीपल सोशियो कल्चर ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल, मणिपुर | "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" पर कार्यशाला |
| 2- | द विल एसोसिएशन, इम्फाल, मणिपुर | "कशीदाकारी कार्य में महिला उद्यमिता" पर संगोष्ठी |
| 3- | डवलपमेंट फॉर रूरल एजूकेशन एण्ड् स्पोर्टिंग ऑर्गनाइजेशन, थाउबल, मणिपुर | थाउबल जिले में "कृषि एवं संबंधित गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं की स्थिबति" पर संगोष्ठी |
| 4- | मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास केंद्र, मणिपुर | कार्यस्थल पर यौन उत्पीतड़न" "ग्रामीण महिला मजदूरों हेतु कार्यशाला |

# v/;k;&8

# lpuk dk vf/kdkj

प्रशासनिक एवं अन्य मामलों में स्पष्टता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया । अधिनियम जब तक कि मामले को सार्वजनिक करने की छूट प्राप्त नहीं हो, आवेदक को, जो भारत का नागरिक है, कार्यपालक अभिकरणों के पास उपलब्ध सूचना प्रदान करने की व्यवस्था करता है ।

आयोग ने उप सचिव को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और संयुक्त सचिव को अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किया है । केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी कर्तव्यों के उचित निष्पादन हेतु यथा आवश्यक किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है । कोई अधिकारी, जिसकी सहायता उप धारा 5 (4) के मांगी गई है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता देगा और उसे मानित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा ।

(A) **frekgh&okj çkIr ,oa fuiVku fd, x, lpuk dk vf/kdkj vkosnuksa dk C;kjk fuEukuqlkj gS %&**

| frekgh | vFk 'k"k | /kkjk 6 ¼3½ ds vrxr vU; ykd ikf/kdkfj;ka ls ikIr vkonuk dh la[;k | frekgh ds nkjku ikIr ¼vU; ykd ikf/kdkfj;ka ds ekeyk lfgr½ vxlkfjr | /kkjk 6 ¼3½ ds vrxr vU; ykd ikf/kdkfj;k ekeyk dh la[;k vxlkfjr | fu.k;; ftues vujk/k @ vihy fujLr dh xbZ | fu.k;; ftues vujk/k @ vihy Lohdkj dh xbZ | 2015&16 dh vkxkeh frekgh ds fy, vFk 'k"k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frekgh 1 ¼vizSy&twu] 14½ | 51 | 0 | 176 | 5 | 0 | 128 | 94 |
| frekgh 2 ¼tqy-&flr-14½ | 94 | 1 | 180 | 10 | 0 | 130 | 135 |
| frekgh 3 ¼vDV-&fnl-14½ | 135 | 0 | 155 | 7 | 0 | 109 | 174 |
| frekgh 4 ¼tu-&ekp15½ | 174 | 19 | 123 | 16 | 1 | 167 | 132 |

वर्ष 2015 की पहली तिमाही 132 मामलों के साथ खुली ।

(B) iklr ,o fuiVku dh xbZ iFke vihy dk C;kjk fuEukuqlkj gS %&

| frekgh | vFk 'ks"k | /kkjk 6 ¼3½ ds vrxZr vU; yksd izkf/kdkfj;k ls izklr vkonuk dh la[;k | frekgh ds nkSjku izklr ¼vU; yksd izkf/kdkfj;k ds ekeyk lfgr½ vxzsf"kr | /kkjk 6 ¼3½ ds vrxZr vU; yksd izkf/kdkfj;k ekeyk dh la[;k vxzsf"kr | fu.kZ; ftuesa vuqjks/k @ vihy fujLr dh xbZ | fu.kZ; ftuesa vuqjks/k @ vihy Lohdkj dh xbZ | 2015&16 dh vkxkeh frekgh ds fy, vFk 'ks"k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frekgh 1 ¼vizSy&twu] 14½ | 11 | n/a | 11 | n/a | 0 | 7 | 15 |
| frekgh 2 ¼tqy&flr-14½ | 15 | n/a | 12 | n/a | 0 | 8 | 19 |
| frekgh 3 ¼vDV-&fnl-14½ | 19 | n/a | 21 | n/a | 0 | 12 | 28 |
| frekgh 4 ¼tu-&ekp15½ | 28 | n/a | 20 | n/a | n/a | 47 | 01 |

अंतः शेष / बकाया के रूप में दर्शाया गया अथ शेष / अपीलें तीस दिन की निर्धारित समय–सीमा के भीतर थीं ।

उपरोक्त ब्यौरा केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम वार्षिक रिटर्न सूचना प्रणाली में अपलोड कर दिया गया है ।

संबंधित कर्मचारियों को नियमों एवं विनियमनों के बारे में अद्यतन रखने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया । आयोग वेबसाइट के माध्यम से नियमित अंतराल पर लोगों को स्वतः अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने का सतत् प्रयास करता रहता है ताकि लोग जागरूक रह सकें और उन्हें सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े । हिंदी में प्राप्त सूचना का अधिकार आवेदनों के उत्तर अधिकांश मामलों में हिंदी मे ही दिए गए ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्ति सभी आवेदनों के उत्तर यथासंभव शीघ्र दिए गए । अंतरण हेतु मामलों को अति शीघ्र अंतरित कर दिया गया और जब कभी सूचना देने से इंकार किया गया, ऐसा मुख्य तः निजिता को बनाए रखने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रावधानों के कारण किया गया ।

राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर बैठकों / संगोष्ठियों, आयोग की माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के औपचारिक दौरों के बारे में से संबंधित सूचना और स्व–प्रेरणा से संज्ञान में लिए गए मामलों के साथ–साथ

प्रैस विज्ञप्तियां, विभिन्न प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्टें, जांच रिपोर्टें, रिक्त पदों, निविदा सूचनाएं, आदि के विज्ञापन आदि उपलब्ध हैं । वेबसाइट को नियमित रूप से सूचनाएं अपलोड की जाती हैं / उसे अद्यतन किया जाता है ।

**(C) jk"Vªh; efgyk vk;ksx dh osclkbV ij fuEufyf[kr lwpukvksa ds ckjs esa vyx ls lwpuk dk vf/kdkj [k.M gS %&**

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- सूचना का अधिकार नियमावली एवं दिशानिर्देश
- सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित अधिकारियों का ब्यौरा
- संगठनात्मक चार्ट
- राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के वेतन का विवरण
- राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन
- जारी की गई अधिसूचनाएं और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (1990 का अधिनियम सं. 20) के अंतर्गत बनाए गए नियम
- सूचना का अधिकार के आवेदकों की सूची
- बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का विवरण (एफ ए क्यूज)
- अधिसूचनाएं (हिंदी, अंग्रेजी)
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अंतर्गत सूचना
- वर्ष ..... से ..... तक का वार्षिक परिलेख (विवरण)

# v/;k;&9

# fl Qkfj'ks

भारतीय संविधान जाति, नस्ल , धर्म, रंग एवं लिंग का भेदभाव किए बिना हमारे समाज के सभी वर्गों को न्याय और समानता की गारंटी प्रदान करता है । महिलाओं के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक विधान अधिनियमित किए गए हैं, उसी प्रकार महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों और अपराधों से कारगर ढंग से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किए गए हैं ।

राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निगरानी कार्यों को पूरा करने, महिलाओं की शिकायतों का सुविधाजनक निवारण करने और उनके सामाजिक–आर्थिक विकास को गति देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को किया गया था ।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन, संगोष्ठियां / परामर्श प्रायोजित किए । इन गतिविधियों से उभर कर आई सिफारिशों को उपयुक्त सरकारों एवं प्राधिकारियों के पास आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निम्निलिखित विवरण के अनुसार भेजा गया :–

## I. fo'k"kK lfefr;ksa dk xBu %&

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार आयोग उसके द्वारा उठाए गए कुछ विशेष मुद्दों से निपटने के लिए आवश्यक ऐसी समितियों का गठन कर सकता है । इसके अनुसरण में निम्नलिखित विशेषज्ञ समितियां गठित की गईं :–

### (i) tsMj ,oa Hkwfe vf/kdkj fo"k; ij fo'k"kK lfefr

आयोग ने संबंधित कानूनों में जेंडर असमानताओं की जांच करने के लिए और भूमि संपत्ति पर रूढ़िजन्य उत्तराधिकार सहित जेंडर एवं भूमि अधिकार पर नीतिगत सिफारिशें करने के लिए और उनके क्रियान्वयन हेतु कार्यनीति सुझाने के लिए जेंडर एवं भूमि अधिकार विषय पर 06.08.2013 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। विशेषज्ञ समिति ने मौजूदा कानूनों में संशोधनों का प्रस्ताव करके और महिलाओं के प्रभावी भूमि अधिकारों के लिए नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन करने इन असमानताओं को दूर करने हेतु सिफारिशें कीं । विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की कि मौजूदा कानूनों में संशोधन और नए कानूनों का निरुपण जो गरीबोनुकूल एवं महिलानुकूल हों, किया जाए । सभी राज्यों के कानूनों और नीतियों के ऐसे उपबंधों को जो महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को बढ़ावा देते हों अथवा भूमि, संपत्ति एवं प्राकृतिक संसाधनों पर महिलाओं के अधिकार को बाधित करते हों, हटा दिया जाए ।

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ अधिनियमों / कानूनों में संशोधनों के लिए अनेक सिफारिशें शामिल थीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 04 जुलाई, 2014 को भेजा गया । निम्नलिखित अधिनियमों / कानूनों में संशोधनों का प्रस्ताव किया गया :–

(i) Hkkjrh; mÙkjkf/kdkj vf/kfu;e] 1925

(ii) efLye dkuu

(iii) :f<tU; fof/k;k

(iv) fgnw mÙkjkf/kdkj ¼l'kks/ku½ vf/kfu;e] 2005 dk fØ;kUo;u

## (i) Hkkjrh; mÙkjkf/kdkj vf/kfu;e] 1925

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को गोवा का एवं पुदुच्चेरी में क्रमशः विधवाओं को उत्तराधिकार के मामलों में चौथे स्थान तक पहुंचाने को समाप्त करने और ईसाई महिलाओं को संपत्ति पर पूर्ण स्वामी के रूप में विचार न करके निचली स्थिति तक पहुंचाने को समाप्त करने के लिए विस्तार किया जाए ।

## (ii) efLye dkuu

a) विधवाओं एवं पुत्रों के साथ–साथ पुत्रियों को संपत्ति का समान अधिकार देने के लिए मुस्लिम कानूनों का संहिताकरण किए जाने की जरूरत है (जैसा कि तुर्की में किया जाता है)। मुस्लिम कानूनों का संहिताकरण मुस्लिम महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को मान्यता दी है और उनके महत्व का सम्मान करेगा जो महिलाओं को उनकी संस्कृति को परिभाषित करने में राय देने की गारंटी देगा ।

b) मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम को कृषि भूमि पर भी लागू किया जाए क्योकि यह ग्रामीण भारत में उत्पादक संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण रूप बनी हुई है ।

## (iii) :f<tU; dkuu

a) रूढिजन्य कानूनों जैसे कि झारखंड में छोटा नागपुर अभिधारण अधिनियम और ओडिशा, बिहार एवं पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू अन्य रूढिजन्य कानूनो की गहराई से जांच की जाए और पुत्रियों के उत्तराधिकार से संबंधित भेदभावपूर्ण उपबंधों को हटाने के लिए उनमें संशोधन किया जाए ।

b) महिलाओं को समानता सुनिश्चित करते हुए रूढिजन्य कानूनो का संहिताकरण किए जाने की जरूरत है विशेषकर क्यों कि ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि जनजातीय रूढिजन्य विधियों के संहिताकरण से जनजातीय समाज में पितृसत्तात्मकता का अतिक्रमण होगा और जनजातीय महिलाओं को भूस्वामी बनना दुष्कर बन जाएगा । राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को कृषि संपत्ति पर उत्तराधिकार और अभिधारण अधिकार अपने भाइयों और पुत्रों के समान मिले, अनेक भूमि सुधार अधिनियमों और अभिधारण अधिनियमों में विशेषकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में संशोधन करने की जरूरत है ।

## (iv) u, dkuuksa dk çk#i.k ,oa vf/kfu;eu

निर्धन ग्रामीण महिलाओं के भूमि अधिकारों में वृद्धि करने के लिए नए कानूनों एवं विनियमनों के प्रारुपण और अधिनियमन की जरूरत है । ऐसा ही एक कानून वासभूमि अधिकार विधेयक है । ग्रामीण विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय वासभूमि अधिकार विधेयक अधिनियमित करना चाहिए । विधेयक में पिछले दस वर्षों में राज्यस्तरीय

वासभूमि आबंटन कार्यक्रमों, जिनमें महिलाओं के भूमि अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, के विस्तृत अनुभवों को स्थान दिया जाना चाहिए ।

सरकार को महिला अधिकार विधेयक, 2013 को या तो सकारात्मक कार्यनीति दस्तावेज अथवा कानून के रूप में अंगीकार करना चाहिए और अन्यत उपबंधों के अलावा महिला के भूमि अधिकारों से संबंधित खंडों का क्रियान्वयन करना चाहिए इससे महिलाओं को विशेषकर निर्धन, उपेक्षित एवं वंचित महिलाओं को बहुप्रतिक्षित न्यास प्राप्त होगा ।

सरकार को दोनों पति–पत्नी द्वारा विवाह के दौरान प्राप्त की गई संपत्ति पर सह–स्वामित्व प्रदान करने के लिए वैवाहिक संपत्ति कानून में संशोधन को अंगीकार करने पर विचार करना चाहिए (ब्राउन एंड दास चौधरी, 2009)। वैवाहिक संपत्ति का हक पति एवं पत्नी दोनों के नाम पर होना चाहिए और विवाह के समय पति द्वारा अर्जित सभी संपत्तियों में पत्नी का नाम जोड़ा जाना चाहिए ।

## (v) dkuwu dk fØ;kUo;u

a) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के पूर्ण क्रियान्वयन में औपचारिक संस्थागत क्षेत्र और सामाजिक प्रथाओं एवं मानकों के क्षेत्र में बाधाएं विद्यमान हैं । सिफारिशों में इन दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है ।

- राज्य सरकारों को इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि क्या महिलाओं को इससे लाभ मिल रहा है और क्या वे कुटम्बिक संपत्ति, विशेषकर कृषि भूमि में पुत्रियों को समान अधिकार की गारंटी देने वाले इस कानून का उपयोग करने में सक्षम हैं, समीक्षा करनी चाहिए ।
- राज्य सरकारों को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत हमारी सांविधिक प्रतिबद्धता के अनुसार महिलाओं को समान व्यवहार प्रदान करने के सिद्धांत पर नामांतरण एवं विभाजन की प्रक्रिया की व्यापक समीक्षा एवं संशोधन करने चाहिए ।
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम कृषि भूमि से संबंधित राज्य कानूनों पर अभिभावी हो ।
- पत्नियों एवं पुत्रियों के उत्तराधिकार को समपहरण करने के लिए वसीयत के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाए ।
- महिलाओं द्वारा अपना हिस्सा छोड़ने के लिए उद्देशित बलात् उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा की जाए । इसके लिए प्रक्रियात्सक संशोधन एवं दिशानिर्देशों को लागू करने की जरूरत है ताकि सामाजिक दबाव के चलते पुत्रियां/बहनें/ विधवाएं अपने अधिकार को पिताओं/भाईयों के लिए न छोड़ें । उदाहरण के लिए जब एक पुत्री को भूमि का उत्तराधिकार मिलता है, अपना अधिकार छोड़ने के उसके आवेदन पर एक वर्ष के बाद ही विचार किया जाना चाहिए । यदि एक वर्ष से पहले भाई

भू–स्वामित्व चाहता है, उसे इस भूमि को अपनी बहन से बाजार भाव पर खरीदनी होगी और किसी भी नामांतरण से पहले उसे राशि को अपनी बहन के खाते में जमा करना होगा ।

- इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग के सहयोग से हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के क्रियान्वयन की गहन मानीटरी शुरू करनी चाहिए और इसका शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए ।
- नामांतरण करने, भूमि रिकार्ड को अद्यतन करने एवं विभाजन के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उत्तरदायित्व के अधीन कृषि भूमि पर महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित एवं सुनिश्चित करने के स्पष्ट उद्देश्य के साथ हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम को कैसे क्रियान्वित किया जाए से संबंधित नए दिशानिर्देशों पर प्रतिबद्धित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।
- समय–समय पर भूमि सर्वेक्षण किए जाने चाहिए और उत्तराधिकार के रिकार्डों को अद्यतन किया जाना चाहिए ।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक परामर्श, विधिक साक्षरता अभियान एवं महिलाओं के भूमि उत्तराधिकार के मामलों को लड़ने की अपनी सूची के विषयों में से एक विषय के रूप में हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 को शामिल करना चाहिए।
- निचली अदालतों के न्यायाधीशों को महिलाओं के भूमि अधिकारों के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाए जाने की जरूरत है ।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तहसीलदार जो राजस्व एवं अर्द्ध–न्यायिक कार्यों का निष्पादन करता है, महिलाओं के भूमि के उत्तराधिकार को सुनिश्चित करने में अग्रसक्रिय है । उदाहरण के लिए, वह मृतक के घर पर अथवा किसी ऐसे स्थान पर जहां महिला (उत्तराधिकारी) की सुगम पहुंच हो, सुनवाई कर सकता है ।
- ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक पंचायतों को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम के उपबंधों एवं इस संबंध में उनके उत्तरदायित्वों, विशेषकर उत्तराधिकार के अंतर्गत महिलाओं के भूमि अधिकारों की समानता के बारे में जानकारी दी जाए ।
- जहां कहीं संभव हो, महिलाओं को वंशानुगत भूमि पर अपने अधिकार का दावा करने और मामले में सहायता करने के लिए अर्धकानूनी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ।
- स्व–सहायता दलों के परिसंघों हेतु कार्यक्रम के रूप में महिलाओं के अन्य कानूनी अधिकारों के साथ–साथ हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम एवं संबंधित मुद्दों पर कानूनी साक्षरता का पैकेज बनाया जाए ।
- इस अधिनियम के अंतर्गत महिला अधिकारों पर जागरुकता का प्रसार किया जाए । हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम में महिलाओं के भूमि एवं संपत्ति पर उत्तराधिकार के

संबंध में विशेष जन प्रचार अभियान चलाए जाने की जरूरत है ।

### b) dkuuk] uhfr;k ,o dk;Øek dk l|lxr cukuk

महिलाओं के भूमि अधिकार तभी सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं जब इन अधिकारों से संबंधित कानून एवं नीतियां सुसंगत एवं व्यापक हों । नए कानूनों के साथ और स्कीमों एवं कानूनों के बीच मौजूदा कानूनों का सुसंगतीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी ढांचे में किसी भी अंतर को उपयुक्त रूप से भरा जाता है और कि मौजूदा कानून एवं नीतियां महिलाओं के प्रति भेदभाव नहीं करती हैं ।

- कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों को कारगर ढंग से समेकित एवं सुसंगत बनाया जाए ताकि ऐसे सतत एवं सुसंगत विधिक तथा नीतिगत ढांचे हों जो महिलाओं के भूमि अधिकारों का संरक्षण करते हों ।

- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नए कानूनों के अधिनियमन के मामले में, उनमें मौजूदा कानूनों में शामिल किए गए ऐसे उपबंधों में जो अंगीकृत किए गए कानून के विराधाभासी हों, संशोधन करने और/अथवा उनका विलोप करने का प्रावधान हो ताकि ऐसा सतत कानूनी ढांचा सुनिश्चित किया जा सके जो महिलाओं के भूमि अधिकारों और जेंडर समानता को बढ़ावा देता हो ।

- महिलाओं पर हिंसा को समाप्त करने के कार्यक्रमों में उनके प्रमुख उपायों के रूप में महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार पर विचार किया जाना चाहिए । इसका प्रभाव बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी पड़ता है ।

### c) Hkfe fjdkMk e 'kf)

भारत में भूमि रिकार्ड एक प्रमुख समस्या है । भाईयों के बीच अनौपचारिक समझौतों और किए गए भूमि बंटवारे में, भूमि रिकार्ड वास्तविक न होकर एक अथवा दो पीढ़ी पहले के होते हैं । यह स्थिति सामान्यतः महिला हितों के विरूद्ध कार्य करती है इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग को राजस्व रिकार्ड सही करने का अभियान चलाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों द्वारा महिलाओं को सूचित करते हुए महिलाओं के भू–स्वामित्व अधिकारों को उचित रूप से रिकार्ड किया जाए ।

## jkT; ljdkjk d fy, flQkfj'k

राज्यों को महिलाओं की आजीविका को संरक्षण प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए और अधिष्ठायी समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर लक्षित महिलाओं और उनके समूहों को सभी सार्वजनिक वितरणों/भूमि जलाशयों, बंद उत्पादों को किराए पर देने और प्राकृतिक संसाधनों के विकास में निवेश में सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए ।

## Hkwfe LokfeRo ,oa iathdj.k

- भूमि, आवास एवं संपत्ति का स्वतः संयुक्त स्वामित्व / एकल स्वामित्व सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना परिणामस्वरूप विवाहित एवं अविवाहित दोनों ही महिलाएं समान रूप से लाभान्वित हों ।
- स्वामित्व प्रदान करने के साथ–साथ भूमि तक पहुंच, उसको उपयोग करने एवं उस पर नियंत्रण के महिलाओं के अधिकारों के बारे में महिलाओं एवं पुरुषों को शिक्षित करने के उद्देश्य से जागरुकता विकास पहलें।

## lkewfgd iêsnkjh ,oa oS/kkfud vfHk/kkj.k

- ग्रामीण महिलाओं को कम ब्याज पर ऋण के माध्यम से भूमि एवं अन्य उत्पादक संसाधनों को या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से खरीदने एवं उनका प्रबंधन करने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए । राज्यों को भूमि जोत एवं उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश "सामूहिक दृष्टिकोण" अपनाने पर विचार करना चाहिए।
- राज्यों को सरकार के पास मौजूद सभी गैर जोत कृषि योग्य भूमि का मूल्यांकन करना चाहिए और महिला समूहों को सामूहिक जोत के लिए इस पर दीर्घकालीन उपयोगार्थ अधिकार देना चाहिए । सार्वजनिक भूमि को महिला कृषक समूहों को पुनः वितरित किया जा सकता है ।
- राज्य महिला समूहों को सामूहिक स्वामित्व देने पर भी विचार कर सकते हैं यद्यपि इसके लिए महिला समूहों को भूमि पट्टे पर देने की अनुमति के साथ–साथ ऐसे समूहों को भू–स्वामियों की वैध श्रेणियों के रूप में मान्यता देने के लिए अभिधारता कानूनों में बदलाव करना अपेक्षित होगा । स्वामित्व प्रत्येक समूह की सभी महिला सदस्यों के नाम पर जारी किया जाना चाहिए । सामूहिक पट्टेदारी अधिकार को कृषि विस्तार सेवाओं और जोखिम कम करने के लिए फसल बीमा जैसी स्कीमों के लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को अनुमति देने के लिए कृषि संवर्धन के सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत मान्यता दी जाए ।
- अभिधारता को अधिकारों को भी संरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ पट्टेदार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महिला कृषक समूहों जैसी विशिष्ट श्रेणियों के लिए वैध बनाया जाए एवं विनियमित किया जाए ।
- महिलाओं को कम ब्याज पर 50 प्रतिशत ऋण और शेष 50 प्रतिशत अनुदान के साथ ऋण–सह–अनुदान स्कीम द्वारा समूह जोत के लिए समूह में भूमि खरीदने के लिए सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए । पट्टे एवं स्वामित्व वाली भूमि पर सामूहिक कृषि के लिए प्रोत्साहन सामूहिक कृषि वित्तीय सहायता के रूप में, कम ब्याज पर ऋण, प्रौद्योगिकी आदि तक पहुंच के रूप में हो सकता है ।
- राज्य न केवल भूमिहीन महिलाओं को अपितु ऐसी महिलाओं को जो वंचित एवं छोटी किसान हैं, पट्टे पर भूमि के माध्याम से उनकी संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं ।
- कृषि सहकारिता सोसायटियों के गठन को जिनमें अनुसूचित जाति की भूमिहीन महिलाएं शामिल हों, प्रोत्साहित करना चाहिए ।

## tMj fodæh—r vkdMk dk lxg.k

भूमि तक पहुंच, उसके उपयोग एवं नियंत्रण से संबंधित जेंडर संवेदी आंकड़ों और जेंडर विकेंद्रीकृत आंकड़ों का संकलन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ।

- भूमि तक पहुंच, उसके उपयोग एवं नियंत्रण से संबंधित जेंडर संवेदी आंकड़ों और जेंडर विकेंद्रीकृत आंकड़ों का संग्रहण सुनिश्चित करना । इन आंकड़ों का संग्रहण, यदि संभव हो तो राजस्व विभाग के सभी प्रकार के भूमि रिकार्डों के लिए अनिवार्य बनाया जाए एवं कम्प्यूटरीकृत किया जाए । इसमें भू–स्वामित्व /भू–संपत्तियां, भूमि के उपयोग का पैटर्न, प्रचलित क्षेत्र एवं अभिधारिता की सीमा जैसे संसूचकों को शामिल किया जाए । ऐसे रिकार्ड राजस्व अधिकारियों के प्रबंधन सूचना प्रणाली का भाग होना चाहिए ।

- यह सुनिश्चित किया जाए कि पटवारी गांव में पंजीकृत मृत्यों के जेंडर विकेंद्रीकृत आंकड़े संग्रहित करे और भेजे तथा पति की मृत्यु के मामले में पत्नियों को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करे ।

## tMj çfr lonh Hkfe ctV vk;ktuk

- महिलाओं के भूमि अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने और भूमि से संबंधी कानूनों, स्कीमों एवं कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेंदार संस्थान तभी सफल होंगे जब उनकी मानव एवं वित्तीय दोनों संसाधनों से पर्याप्त रूप से सहायता की जाएगी ।

- राज्य यह सुनिश्चित करें कि जब भूमि कार्यक्रमों के लिए बजट बनाए जाते हैं, उनमें समेकित जेंडर परिप्रेक्ष्य प्रतिबिंबित हों और यह पता लगाए कि बजट जेंडर समानता प्रतिबद्धताओं एवं लक्ष्यों् के प्रति कैसे कार्य करेगा ।

## fdlku ,o xkeh.k fu/kuk d fy, —f"k foLrkj lokvk vkj vU; lokvk rd igp

कृषि विस्तार सेवाएं विशेषरूप से किसान शिक्षा, सूचना, ऋण, प्रौद्योगिकी, विस्तार एवं विपणन तक पहुंच प्रदान करती हैं । इसलिए राज्यो को चाहिए कि –

- महिलाओं को किसान के रूप में मान्यता प्रदान करना और उन्हें कृषि भूमि के प्रबंधन, स्वामित्व एवं उपयोग और वित्त एवं ऋण तक पहुंच सहित किसानों को उपलब्ध अधिकार देना ।

- राज्य को महिला किसानों को मान्यता प्रदान करनी चाहिए और प्रौद्योगिकी, ऋण, बीमा एवं नीरस श्रम में कमी पर ध्यान देने के बारे में प्रशिक्षण के साथ–साथ सहायता करनी चाहिए ।

- सुनिश्चित करना कि कृषि विस्तार सेवाएं महिलाओं की जरूरतों और भूमि पर उनकी पहुंच, उपयोग एवं नियंत्रण के बारे में प्रतिक्रिया दिखाएं ।

- महिलाओं को बीज, औजार, खाद एवं कृषि उपकरण जैसे कृषिकीय निवेश प्रदान करना ।

- कृषि विस्तार सेवा प्रदाताओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं की गतिविधियों के साथ महिलाओं के संपत्ति एवं भूमि अधिकारों को समेकित करना । इंदिरा आवास योजना जैसी अनेक स्कीमें हैं, जो ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं और इन्हें भूमि अधिकारों तथा राजस्व विभागों के कार्यों के साथ समेकित करने की जरूरत है।

- बेनामी एवं अतिरिक्त भूमि के अभिनिर्धारण, अर्जन एवं वितरण में बुनियादी स्तर पर राजस्व प्रशासन की सहायता के लिए ग्राम पंचायतों को सक्रिय करना । पंचायतों को महिला लाभार्थियों का अभिनिर्धारण करने और उसके साथ महिला लाभार्थियों के अधिकारों एवं अवैध निस्तारण के विरूद्ध महिला हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भी शामिल किया जाए ।

- ग्राम पंचायतों की बैठकों में जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण, नामांतरण, हस्तांतरण आदि के रिकार्डों को पढ़ा जाए और ग्राम सभा की बैठकों में भी इसकी जानकारी दी जाए ।

## ljdkjh vf/kdkfj;ka dk çf'k{k.k] tsMj lonhdj.k ,o mudh Hkrh

- सभी राजस्व अधिकारियों को भूमि कानूनों, नए विधानों, आदेशों आदि के बारे में समय–समय पर प्रशिक्षण देने एवं उन्हें संवेदी बनाने और इससे अधिक महत्वपूर्ण रूप से उन्हें महिला अधिकारों के बारे में संवेदी बनाने की जरूरत होती है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कि वंचित समुदायों की महिलाओं को उनके भूमि अधिकारों एवं संबंधित हकदारियों से मनाही नहीं की जाती है, ध्यान देने की जरूरत है ।

- तहसील कार्यालय और बुनियादी स्तरों पर भी महिला राजस्व कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए समेकित प्रयास किए जाने की जरूरत है । यह उन्हें महिलाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा और उनके भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने में उनकी सहायता करेगा । तहसील कार्यालय में महिलाओं की पहुंच को सुगम बनाने के लिए अधिक महिला पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों की जरूरत है ।

## tkx#drk e| of)] dkuuh lk{kjrk ,o dkuuh lgk;rk dh ek/;e ls U;k; ,o çorlu rd igp

यद्यपि महिलाओं के भूमि अधिकार को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानूनी एवं विनियामक ढांचे मौजूद हैं । उनकी व्यवहार में कारगरता के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना और समझना होगा । महिलाओं को यह भी जानना चाहिए कि वे अपने अधिकारों का किस प्रकार उपयोग एवं प्रवर्तित कर सकती हैं।

- भूमि और अन्य उत्पादक संसाधनों तक पहुंच, उपयोग एवं नियंत्रण के महिला अधिकारों (शहरी एवं ग्रामीण दोनों परिवेशों में) के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए महिलाओं के भूमि अधिकारों पर स्थानीय भाषाओं में (टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया, सामुदायिक थियेटर और इंटरनेट के माध्यम से) जागरूकता अभियान आयोजित किए जाने की आवश्यकता है ।

- सुनिश्चित करना कि ऐसे जागरूकता अभियानों में वंचित एवं निरक्षर महिलाओं को प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जाए और उन तक पहुंच बनाई जाए ।

- महिला समूहों सहित सिविल सोसायटी और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सामुदायिक जागरूकता बढ़ोत्तरी में सहयोग करना ।

- सुनिश्चित करना कि महिलाओं को उनके भूमि एवं हकदारियों के अधिकार और वे कहां उनके लिए दावा

कर सकती हैं, को समझाने में सहायता करने के लिए लक्षित और सुगम कानूनी साक्षरता अभियानों से महिलाएं लाभान्वित हों ।

- सुनिश्चित करना कि राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यक्रमों में सामान्य रूप से महिलाओं के भूमि अधिकार घटक को शामिल किया जाए ।
- सुनिश्चित करना कि महिलाएं न्याय की सभी औपचारिक संस्थाओं तक जो उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं, पहुंचने में सक्षम हों ।
- महिलाओं को उत्तराधिकार अथवा किया अन्य माध्यम से प्राप्त भूमि संबंधी विवाद और उसके रजिस्ट्री के अधिकार के मामलों को हल करने में सहायता राजस्व अथवा भूमि विभाग के साथ कार्य करने के अलावा कानूनी साक्षरता शुरू करने के लिए प्रत्येक राज्य में समुदाय आधारित अर्ध कानूनी कार्यक्रम आरंभ करके महिलाओं को कानूनी सहयता प्रदान करना। इन संबंधों से गरीबों, बुनियादी स्तर के संगठनों और राजस्व विभाग के कर्मियों के साझा हितों को बढ़ावा मिलेगा ।
- गरीबों विशेषकर महिलाओं, जनजातीयों, दलितों को भूमि कानूनी साक्षरता प्रदान करना ।
- गरीबों की सहायता करने के लिए भूमि कानूनों एवं भूमि सर्वेक्षण के तरीकों के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित करना ।
- विधि स्नातकों और सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों द्वारा युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना और न्यायालयों में गरीबों के मामले हाथ में लेने के लिए वकीलों का एक पैनल गठित करना ।
- कानूनी सहायता कार्यक्रमों की सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए निर्धनों और महिलाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर अर्ध कानूनी केंद्रों की स्थापना करना ।
- अर्ध कानूनी एवं अन्य पक्षकारों को प्रशिक्षित करने और अनुसंधान करने के लिए विधि स्कूलों में भूमि अधिकार केंद्रों की स्थापना करना ।
- भूमि प्रशासन अधिकारियों और न्यायाधीशों को नियमित एवं आवधिक प्रशिक्षण देना ।
- भूमि रिकार्डों तक पहुंच प्रदान करना ।
- स्थानीय भाषाओं में सरल रूप में भूमि कानूनों संबंधी मुद्रित एवं इलैक्ट्रोनिक सामग्री उपलब्ध कराना ।

## Hkfe dh [kjhnnkjh vFkok gLrkarj.k d fy, ithdj.k 'kYd @ LVkEi 'kYd e NV

भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए, राज्य् सरकारें स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान कर सकती हैं यदि जमीन महिला के नाम पर खरीदी जाती है । इसके परिणामस्वरूप बिक्री विलेख को पंजीकृत कराने की लागत में कमी आएगी । विकल्प के रूप में जैसा कि हरियाणा एवं पंजाब में किया गया है, राज्य सरकारें खूनी रिश्ते और पति/पत्नी के बीच अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क माफ कर सकती हैं ।

- अनन्य रूप से महिला के नाम से अथवा महिला समूहों द्वारा भूमि की खरीद अथवा संपत्ति के हस्तांतरण के लिए स्टाम्प शुल्क माफ करना।
- महिलाओं के स्वामित्व वाली भूमि और आवास के लिए गृह कर, बिक्री कर एवं स्टाम्प शुल्क पर छूट जैसे प्रोत्साहन देना ।

## U;k;ikfydk d fy, flQkfj'k

- उत्तराधिकार के मामलों के निस्तारण के लिए तहसीलदार के अधीन फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए प्रावधान किया जाए ।
- इस विषय पर न्यायाधीशों एवं अन्य अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि न्यायालय सभी महिलाओं के लिए पूर्ण रूप से सुगम्य और वहनीय हों और वे कम लागत वाली अथवा निःशुल्क कानूनी सहायता और अन्य विधिक सेवाओं तक अपनी भाषा में पहुंच बनाने में सक्षम हों ।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि कानूनी पेशेवरो, न्यायाधीशों सहित, अभियोजकों एवं वकीलों को भूमि पर महिलाओं के समान अधिकारों के बारे में नियमित प्रशिक्षण दिया जाए ।
- कानूनों में प्रक्रियात्मक बदलाव लाए जाएं ताकि पुत्रियां सामाजिक दवाब के कारण अपने भाईयों के लिए अपना अधिकार न छोड़ें ।
- भूमि एवं संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाले कानूनी उपबंधों की अक्षरशः व्याख्या की जाए ।
- न्यायालयों में मुकद्दमों की गहन निगरानी होनी चाहिए क्योंकि अनेक मामलों में कानूनी उलझनों को आसानी हल किया जा सकता है और न्याय दिया जा सकता है ।

## tutkrh; efgykvk d fy, flQkfj'k

- रूढिजन्य कानूनों की समीक्षा और उनमें संशोधन : झारखण्ड में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 जैसी रूढिजन्य कानूनों और ओडिशा, बिहार एवं पूर्वोत्तर राज्यों में लागू अन्य रूढिजन्यों कानूनों की सामान्यतः महिलाओं के विरुद्ध और विशेषकर पुत्रियों के उत्तराधिकार से संबंधित भेदभावपरक उपबंधों को हटाने के लिए गहन जांच की जाए और उनमें संशोधन किया जाए ।
- जनजातीय समुदायों के उत्तराधिकार कानूनों का प्रलेखीकरण ऐसे सुनिश्चित करना कि सभी संहिताकरण और प्रलेखीकरण जेंडर न्याय के सिद्धांत पर आधारित हों । ऐसी प्रक्रिया प्रत्येक दो दशक में अपनाई जाए।
- एकल महिलाओं का उनकी भूमि के लिए उत्पीड़न के निवारण के लिए, उनके भोगाधिकार को इस खंड के साथ कि संतानहीन विधवा की अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में संपत्ति पंचायत / समुदाय के अधिकार

में हो जाएगी, जो बाद में इसे गांव के भूमिहीनों में वितरित करेगा, खतियान में रिकार्ड किया जाएगा । चूंकि ऐसी मृत्यों के सीधे लाभार्थियों को पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है, एकल महिलाओं के शारीरिक उन्मूलन को कम किया जा सकता है ।

- सुनिश्चित करना कि वन भूमि का नियंत्रण अथवा प्रबंधन कर रही सामुदायिक संस्थाओं के निर्णय निर्माण निकायों में जनजातीय महिलाओं की कम से कम 50 प्रतिशत भागीदारी हो ।
- सामाजिक एवं अकादमिक स्तर पर, मातृवंशीय समाजों में भी जेंडर समानता के मुद्दे को हल करने के पहलू पर विचार करना महत्वपूर्ण है ।
- विस्थापन के मामले में, महिलाओं को मुआवजा पैकेज (राशि) का कम से कम आधा हिस्सा मिलने का हक होना चाहिए । भूखण्ड अथवा मकान जैसा कोई भी पैकेज संयुक्त नामों पर रिकार्ड होना चाहिए ।

## nfyr efgykvk d fy, flQkfj'k

भूमि के पुनर्वितरण, वासभूमि एवं कृषि भूमि के आबंटन में उपेक्षित महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए। इसमें दलित महिलाएं, जनजातीय महिलाएं, महिला–मुखिया वाले परिवार, एकल महिलाएं, चरवाहे, अक्षम महिलाएं, ट्रांसजेंडर, देवदासी और विमुक्त जनजातियां शामिल हैं लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है । प्रत्येक राज्य को सिविल सोसायटी और स्थानीय निकायों के परामर्श से उपेक्षित महिलाओं की सूची तैयार करनी चाहिए।

- दलित महिलाओं के भूमि अधिकारों की परिभाषा में भूमि के उपयोग, अच्छी गुणवत्ता वाली भूमि, भूमि सुधार के लिए प्रावधान, आम संसाधनों, सिचाई सुविधाओं आदि तक पहुंच आदि के साथ–साथ प्रभावी समूहो एवं राज्य संस्थानों द्वारा डराकर / बलात् खाली कराने / विरूपण से संरक्षण के अधिकार को शामिल किया जाना चाहिए ।
- सरकार द्वारा दलितों के लिए अभिनिर्धारित भूमि को दलित महिला के नाम पर अथवा दलित पुरुष एवं महिला दोनों के संयुक्त नामों पर वापस की जाए और उसकी रजिस्ट्री की जाए ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में दलित महिलाओं के लिए वासभूमि का 15 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5 प्रतिशत आवंटन की गारंटी देने के लिए इंदिरा आवास योजना और राज्य सरकारों की आवासीय भूमि आवंटन नीतियों की समीक्षा की जाए ।
- दलित महिलाओं के भूमि अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कृषि नीतियों, भूमि संबंधी कानूनों – भूमि सीलिंग अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम की समीक्षा की जाए ।
- दलित महिलाओं के भूमि विवादों का वरीयता पर निपटान किया जाए – प्रशासनिक सुधार ।
- संस्थागत भूमि संपत्ति – धार्मिक / सार्वजनिक धमार्थ न्यासों आदि तक दलित महिला समूहों की पहुंच।
- दलित महिलाओं के लिए कृषि निवेशों और भूमि सुधार सहायता उपायों को शुरू किया जाए ।
- नियत भूमि का सर्वेक्षण कराना और वास्तविक कब्जा हासिल करने के लिए दलित महिलाओं को सक्षम बनाना ।

- दलित महिलाओं को भूमि सुपुर्दगी दीर्घकालीन, सुरक्षित अधिकार होना चाहिए ।
- दलित महिलाओं को भूमि और सामान्य संपत्तिक संसाधनों पर अधिकारों की मनाही करने वाली रूढिजन्य प्रथाओं को अभिनिर्धारित किया जाए और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ।
- राज्य सरकार द्वारा समेकित भू संपत्तियों में से भूमि नियत कर दलित महिलाओं द्वारा सामूहिक कृषि को बढ़ावा दिया जाए और प्रत्येक गांव में आवश्यक निवेश / सहायता प्रणाली सृजित की जाए ।
- सरकार दलित महिलाओं और पुरुषों के अधिकार में और उपयोग की जा रही भूमि पर कानूनी स्वामित्व – दलित महिला के नाम पर अथवा दलित पुरुष एवं महिला के संयुक्त नामों पर जारी करे ।
- सरकार को दलित महिलाओं को वितरित करने के लिए भूमि की खरीद हेतु पर्याप्त बजट आबंटित करना चाहिए ।

## ,dy efgykvk d fy, flQkfj'k

- एकल महिलाओं को परिवार की इकाई के रूप में परिभाषित करें – अविवाहित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं, अलग रह रही और परित्यक्ता महिलाओं को शामिल किया जाए ।
- महिला सहायता केंद्रों की सहायता से एकल महिलाओं की गणना करना – इन केंद्रों को राजस्व प्रशासन के भीतर अधिमानतः तहसील कार्यालय में खोला जाए । ये केंद्र एकल महिलाओं विशेषकर विधवाओं की गणना करने और भूमि आवंटित करने के अलावा उत्तराधिकार के मामलों में परामर्श केंद्र के रूप कार्य करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।
- गरीब एकल महिलाओं को भूमि के नए आवंटन के लिए नियम निरूपित किए जाएं ।
- ऐसे मामलों को अभिनिर्धारित करने जहां विधवाओं एवं एकल महिलाओं का भूमि पर अनौपचारिक स्वामित्व है और इसे रिकार्ड करने की आवश्यकता है ।
- गरीब एकल महिलाओं को भूमि के नए आवंटन के लिए नियम निरूपित किए जाएं ।
- पूरे भारत में विधवाओं की जनगणना की जाए ।

## 'kgjh fu/ku efgykvk d fy, flQkfj'k

- सरकार को आवास तक पहुंच के लिए महिलाओं के लिए, एकल महिलाओं एवं महिला–मुखिया वाले परिवारों सहित, विशेष प्रोत्साहनों के साथ कम लागत वाले आवास और सार्वजनिक आवास स्कीमों की शुरूआत करनी चाहिए ।
- भमि / संपत्ति के नए आबंटन के सभी स्वामित्व केवल परिवारों की वयस्क महिलाओं / महिलाओं के नाम पर होने चाहिए ।
- शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिनिर्धारित की जाए और निर्धन एवं एकल महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए और उन्हें एकल अथवा संयुक्त नाम पर उपलब्ध कराई जाए ।

- पुनर्वास, मलिन बस्तियों और आवासहीनता से संबंधित कानूनों में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशिष्ट उपबंध होने चाहिए । इनमें ऐसी महिलाओं – घरेलू हिंसा की पीड़ितों, विधवाओं, और महिला मुखिया वाले परिवारों, बलात् निष्कासन की पीड़ित महिलाओं, अल्पसंख्यकों और देशज महिलाओं के लिए जो आवासहीनता और अन्य आवासीय अधिकारों के हननों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, विशिष्ट प्रावधान बनाए जांए । सरकारी आदेशों और नीतियों को भी, जिनमें आवास एवं संपति पर महिलाओं के स्वामित्व के प्रावधान हैं, राष्ट्रीय कानूनों में समाहित किया जाए ।

- विकास आधारित निष्कासन एवं विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र बुनियादी सिद्धांत एवं दिशानिर्देश, जिनमें महिला अधिकारों के संरक्षण हेतु कठोर प्रावधान समाविष्ट हैं, अंतरदेशीय दिशा निर्देशों के अनुरूप मानवाधिकार आधारित पुनर्वास कानूनों एवं नीतियों को बनाने की जरूरत है । सभी भूमि / आवास जिन्हें पुनर्वास के रूप में दिया गया है, महिलाओं के नाम पर दिए जाएं । उसी प्रकार, महिलाओं को आजीविका मुआवजा और वैकल्पिक आजीविका भी उपलब्ध कराई जाए ।

- सभी शहरों और कस्बों में बेघर महिलाओं के लिए स्थायी, 24 घंटे, वर्ष भर आश्रय तत्काल स्थापित करने की जरूरत है क्योंकि आवासहीनता शीत काल तक ही सीमित न रहकर, सदाबहार वर्ष भर चलने वाली समस्या है । एकल महिलाओं, बच्चों वाली महिलाओं, मानसिक रूप से विक्षप्त एवं विकलांग महिलाओं और महिलाओं एवं उनके परिवार के लिए अलग–अलग आश्रय बनाए जानें चाहिए । ये उपचार एवं पुनर्वास सुविधाओं के साथ दीर्घकालीन आवास गृह होने चाहिए । आश्रय पर्याप्त आवास के मानवाधिकार मानकों के आधार पर होने चाहिए और महिला आजीविका एवं कार्य के स्रोत के नजदीक स्थापित किए जानें चाहिए।

- राज्यों द्वारा आवास, भूमि एवं संपत्ति् स्वामित्व पर जेंडर विकेंद्रीकृत आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित किए जाने चाहिए । आवासहीनता और गरीबी के अन्य पैमानों संबंधी आंकड़ों को भी जेंडर आधारित ि वकेंद्रीकृत होने की जरूरत है ।

- यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि निर्णय निर्माण और शहरी योजना के प्रत्येक स्तर पर महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो ।

- महिलाओं की आवासहीनता के समाधान के लिए कम किराए के आवासों तक पहुंच सबसे महत्वहपूर्ण है।

- महिलाओं की पर्याप्त आवास के उनके अधिकार के हनन के लिए कानूनी निस्तारण के रास्तों तक समान पहुंच होनी चाहिए । इसमें वकीलों, सार्वजनिक संस्थाओं, शिकायत निवारण तंत्रों, और अन्य अर्ध कानूनी सेवाओं तक पहुंच शामिल है ।

- महिला फेरीवालों का कार्य स्थल अर्थात् गलियों और बिक्री क्षेत्रों में उत्पीड़न से संरक्षण सुरक्षित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ।

## Hkfeghu efgykvk d fy, fIQkfj'k

- एक ऐसी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए जो प्रत्येक भूमिहीन परिवार की महिलाओं के नाम पर कम से कम 10–15 प्रतिशत भूमि प्रदान करती हो । इससे परिवार को घर का निर्माण करने और अतिरिक्त् स्थान का

आर्थिक गतिविधियों जैसे कि सब्जी उगाने, फलों के वृक्ष लगाने, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि के लिए उपयोग करने में सहायता मिलेगी । ऐसा प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा जमीन की खरीद करके और भूमिहीन निर्धनों को या तो पुरुष एवं महिला के नाम पर संयुक्त रूप से या फिर महिला के नाम पर व्यक्तिगत रूप से भूमि आंवटित करके किया जा सकता है ।

- विकल्प के रूप में, भूमिहीन परिवारों को सभी नए वासभूमि वितरण / विनियमन पतियों के साथ संयुक्त नाम से होने के बजाय केवल महिलाओं के नाम पर किए जाने चाहिए । जहां परिवारों में एक से अधिक वयस्क महिलाएं (विधवाएं, वृद्ध आदि) हैं, सभी वयस्क महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री की जानी चाहिए ।
- अधिशेष भूमि, सीलिंग भूमि, कस्टो डियल भूमि, भूदान भूमि आदि सहित सभी भूमि वितरण कार्यक्रमों के अंतर्गत भूमि का वितरण अनन्य रूप से ग्रामीण भूमिहीन महिलाओं को किया जाना चाहिए । अधिशेष भूमि का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों की महिलाओं को वितरण अनिवार्य बनाया जाए ।
- सरकार को जमीन के ऐसे छोटे टुकड़ों को, जिन्हें गांव में पुनः बेचा जा रहा है, खरीदने के उद्देश्य से भूमिहीन महिलाओं को अनुदान और / अथवा कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध, कराने चाहिए ।
- भूमिहीन ग्रामीण महिलाओं को वितरित करने के लिए राज्यों द्वारा बाजार से भी भूमि खरीदी जाए ।
- राज्य सरकार को उपलब्ध खाली भूमि का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कराना चाहिए और भूमि के डाटा बैंक के लिए पारदर्शी रिकार्ड रखने चाहिए ।
- भूमि की अनुपलब्धता के मिथक को तोड़कर निर्धन महिलाओं के लिए भूमि बैंक बनाया जाए ।
- हस्तांतरती महिला को भूमि का कब्जा दिलाने के लिए, यदि उस भूमि पर किसी तीसरे पक्ष ने अतिक्रमण कर रखा है, सुरक्षा प्रदान की जाए ।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी रिकार्ड में स्वामित्व का तत्काल नामांतरण किया जाए और हस्तांतरती को उसके भूमि हस्तांतरण से संबंधित आवश्यक रिकार्ड और अवतरण उपलब्ध कराया जाए।
- हस्तांतरित भूमि का भौतिक कब्जा् हस्तातरिती महिला के पास सुनिश्चित किया जाए ।
- अधिशेष भूमि आवंटित करने के अलावा, राज्य को भूमि आधारित समानता को बढ़ावा देने के लिए भूमि खरीद कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थकृत किया जाए ।
- भूमि आवंटन स्कीमों के लाभार्थियों के लिए संपर्क बनाना : भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना पर्याप्त नहीं है जब तक कि उन्हें भूमि के पुनः स्थलीकरण करने, इसका विकास करने और इसका अधिक उपयोगी रूप से उपयोग करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान नहीं की जाती है । इसलिए, बुनियादी स्तर पर कार्य रहे संबंधित अन्य सरकारी विभागों से संपर्क स्थापित किए जाने की जरूरत है । उदाहरण के लिए, निम्नलिखित विभागों के साथ संपर्क बनाए जा सकते हैं :–

  * कृषि (उन्नत बीजों, उपकरणों, तकनीकों, जैविक कृषि) ;
  * बागवानी (फलदार प्रजातियां);

* जल–संभर विकास (समतलीकरण, समोच्च पुश्ता , खेत तालाब)
* रेशम उत्पादन (रेशम कीट पालन, शहतूत की खेती आदि)
* पशु पालन (नर्सरी, वृक्षारोपण आदि)
* आवास
* ग्रामीण विकास (स्वच्छता, आवास आदि)

## (II) Hkkjr e vYi l[;d lenk;k dh efgykvk d fo#) fglk ij fo'k"kK lfefr %&

भारत में अल्प संख्यक समुदायों की महिलाओं के मुद्दों से निपटने के लिए 14 अक्तूबर, 2014 को आयोग द्वारा भारत में अल्प् संख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया । वर्ष 2014–15 के दौरान, विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । अन्य बातों के साथ–साथ विशेषज्ञ समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

### a) lkekU; flQkfj'k %&

(i) भारत को 2015–25 के दशक को महिला दशक घोषित करना चाहिए ।

(ii) अल्प संख्यक समुदाय की महिलाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों का अभाव है जो उनके लिए कारगार नीतियां / कार्यक्रम / स्कीमें बनाने के लिए नीति निर्माताओं के रास्ते में बड़ी बाधा खड़ी करता है । इस प्रकार, सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या के लिए विशेष जनगणना कराए ।

(iii) ऐसा तंत्र स्थापित किया जाए जो उनका समर्थन और संरक्षण करता है जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।

(iv) लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सहित उनकी लैंगिकता पर नियंत्रण रखने के महिलाओं के अधिकार सहित, उत्पीड़न, भेदभाव एवं हिंसा से मुक्त, सभी महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है ।

(v) सभी अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए बने अलग नीतिगत संरचनाओं को शुरू करने की जरूरत है ।

(vi) प्रत्येक गैर–मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं अर्थात् सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और विभिन्न प्रकार की सामाजिक हिंसा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिए सच्चर समिति की तर्ज पर समिति या आयोग गठित किया जाए ।

(vii) विभिन्न क्षेत्रों में अल्पसंख्ययक महिलाओं के लिए कार्य कर रहे अल्प संख्यक संगठनों / गैर–सरकारी संगठनों / संस्थाओं को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने की जरूरत है ।

(viii) धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र और शांति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नेताओं, संस्थाओं और मीडिया के साथ कार्य करने की आवश्यकता है ।

(ix) किशोरियों के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है ।

(x) निरक्षरता से छुटकारा पाने के लिए सभी स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए ।

(xi) सरकार को अल्प संख्यक जनसंख्या बाहुल्य वाले क्षेत्रों में अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है । सरकार को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों के लिए माध्यमिक स्कूलों के स्थान के लिए दूरी में छूट देने पर विचार करना चाहिए ।

(xii) शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से, पितृसत्तात्मक, वर्गीकृत एवं सत्तावादी रवैये को, जो महिला वर्ग का दमन एवं शोषण करता है, बदल दिया जाना चाहिए ।

(xiii) सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड़ में 2500 मॉडल स्कूलों की स्कीम के अंतर्गत कम से कम 10 प्रतिशत अर्थात् 250 स्कूल प्रत्येक राज्य में संस्वीकृत संख्या के अनुपात में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए संस्वीकृत किए जाने चाहिए ।

(xiv) उच्च शिक्षा संस्थांनों में अल्पसंख्यक लड़कियों और महिलाओं की पहुंच में विविधता संसूचक के आधार पर वृद्धि की जानी चाहिए ।

(xv) इंजीनियरी, चिकित्सा, सिविल सेवा आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग अकादमियां स्थापित की जाएं । मानव संसाधन विकास मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदाय की महिला छात्रों को आवासीय कोचिंग प्रदान करने के लिए स्कीम की घोषणा कर सकता है ।

(xvi) आत्मरक्षा / संरक्षण के लिए महिलाओं के लिए विशिष्ट कौशल विकास गतिविधियां / प्रशिक्षण होने चाहिए ।

(xvii) महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, संसद / राज्यों में महिलाओं के लिए 33ः आरक्षण समय की जरूरत है ।

(xviii) महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और उनके अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर और अधिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि अल्प संख्यक समुदाय की महिलाएं कानून के अंतर्गत प्रावधानों के बारे में जागरूक हो सकें ।

(xix) शिक्षित महिलाओं में अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों, समस्यांओं एवं निदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग किया जाए ।

(xx) अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के निवारण के लिए सामुदायिक स्तर पर पहलें की जानी चाहिए ।

(xxi) सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि : सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जरूरतों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने की जरूरत है ।

(xxii) शांति एवं सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए, अल्पसंख्यक समूहों विशेषकर महिलाओं के मुद्दों एवं सरोकारों के बारे में समुदाय और सरकार, सिविल सोसायटी, ग्राम पंचायतों, स्कूलों आदि जैसे विभिन्न पक्षकारों में संचेतना पैदा करने के लिए व्यवहारात्मक परिवर्तन अभियान चलाये जाने चाहिए।

(xxiii) अल्पसंख्यक समूहों के लिए छोटे सुविधा केंद्र / ड्रॉन–इन केंद्र विकसित किए जाएं ताकि ये केंद्र सामुदायिक समूहों और सबंधित विभागों के बीच समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे ।

(xxiv) अल्पसंख्यक समूहों विशेषकर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता अधिनियमित की जानी चाहिए ।

(xxv) सभी स्तरों पर शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की प्रदायगी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(xxvi) अल्पसंख्यक समूहों की गृह–आधारित महिला कामगारों के लिए वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को आरम्भ किया जाना चाहिए।

(xxvii) अल्पसंख्यमक समुदाय की स्व –नियोजित महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, विपणन, ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाए ।

(xxviii) महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने और जेंडर संवेदी तरीके से ऐसी हिंसा का प्रयुत्तर देने के लिए इससे संबंधित कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन न करने के लिए सरकारी अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराना ।

(xxix) सत्ता के दुरुपयोग, जिसके परिणामस्विरूप महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती है, और पीड़ितों एवं उत्तरजीवितों को पुनः पीड़ित होने से रोकने के लिए दंड से मुक्ति का अंत करना ।

(xxx) महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा के कार्यों, जोकि प्राधिकार की स्थिति में लोगों जैसे कि शिक्षकों, धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, का इन अपराधों के लिए दंड माफी समाप्त करने के उद्देश्य से निवारण, उनकी जांच करना और सजा देना।

(xxxi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक आयु की महिलाओं को प्रभवित करने वाले मुद्दों पर दृश्यता एवं ध्यान दिया जाए, महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव एवं हिंसा का अंत करने के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण पनाया जाना चाहिए ।

(xxxii) एक ऐसा संगठन जो राज्य, जिला एवं गांव / शहर स्तर पर शाखाओं के साथ राष्ट् स्तरीय सामाजिक एवं शैक्षणिक संगठनों एवं संस्थाओं सहित सभी अल्पसंख्यकों का महासंघ ।

(xxxiii) केंद्र एवं राज्य सरकारों को अल्नसंख्यक समुदायों, महिलाओं पर विशेष जोर देते हुए, के लिए शैक्षणिक संस्थाओं एवं औद्योगिक इकाईयों को अनुदान संस्वीकृत करने की उदार नीति अपनानी चाहिए ।

(xxxiv) अलग–अलग धर्मों के धार्मिक और सामुदायिक नेताओं के साथ विचार–विमर्श बैठकें आयोजित

की जानी चाहिए ताकि धर्म एवं जाति के आधार पर होने वाले दंगों से बचने और दीन एवं दलित अल्पसंख्यक महिला समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर मांग आधारित चार्टर तैयार करने के रास्ते तलाशे जा सकें ।

(xxxv) परामर्शदाताओं का चयन प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों के निवेशों के साथ सावधानीपूर्वक किए जाने की जरूरत है । नियुक्ति किए जाने वालों में महिलाएं एवं पुरुष दोनों होने चाहिए ।

(xxxvi) जेंडर आधारित भेदभाव एवं हिंसा के मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा संचालित एक समर्पित परामर्श हैल्प लाइन हो ।

(xxxvii) आपातकालीन 24x7 हैल्पलाइन और त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) को सक्रिय एवं संचालित करना । 24x7 आपातकालीन हैल्पलाइन से जुड़ा एक त्वरित प्रतिक्रिया दल होना चाहिए जो अत्यधिक हिंसा की पीड़ितों के किसी भी आपातकालीन मामले में त्वरित प्रतिक्रिया कर सके ।

(xxxviii) महिला पुलिस और अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की जाए । उन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित हालातों से निपटने के लिए बेहतर प्रशिक्षण और साज–सामान दिया जाए । पुलिस बल में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोत्तरी की जाए ।

(xxxix) पुलिस कर्मियों को जेंडर संवेदीकरण के नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ।

(xl) सरकार को प्रस्तावित सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005 में "लैंगिक और जेंडर आधारित अपराध, सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पीड़ित महिलाओं के विरुद्ध सामूहिक अपराधों सहित ऐसे अपराधों की पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यापक प्रणालीय जेंडर संवेदी पीड़ित संकेंद्रित प्रक्रियात्मक एवं साक्षीय नियमों और यह सुनिश्चित करना कि राज्य अधिकारियों द्वारा निष्क्रियता एवं सहभागिता पर इस कानून में तत्काल कार्रवाई : को समाविष्ट करते हुए" इस पर तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है ।

(xli) सरकार को न्यायाधीश वर्मा समिति की रिपोर्ट में प्रारूपित व्यापक सुधारों के प्रति अगला कदम उठाने और क्षमादान को समाप्त करने एवं सभी संस्थानों में जवाबदेही पैदा करने करने के लिए सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने की जरूरत है ।

(xlii) यह पता लगाने के लिए कि क्या भौतिक एवं वित्तीय दोनों रूपों में अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत लक्ष्य अभिनिर्धारित एवं हासिल किए जा रहे हैं, सरकार की स्कीमों का प्रबोधन एवं मूल्यांकन करने के लिए गैर–राजनैतिक, स्वतंत्र, स्थायी एवं केंद्रीयकृत संस्थागत तंत्र होना चाहिए । विशेषकर एक ऐसा तंत्र स्थापित किया जाना चहिए जो यह बता सके कि विभिन्न स्कीमों / नीतियों / कार्यक्रमों आदि से अल्पसंख्यक समुदायों की कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं और उनकी प्रगति हुई है ।

(xliii) अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के समान दिया जाना चाहिए ।

(xliv) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समिति की तर्ज पर अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाए ।

(xlv) प्रतिकूल लिंग अनुपात, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, धार्मिक प्रथाओं एवं संहिता की आड़ में हिंसा आदि जैसे विषयों पर अध्ययमयन कराए जाने चाहिए ।

## b) cks) efgykvksa ds fy, flQkfj'ksa

(i) बौद्धों के विभिन्न आयोग / निगमों / समितियों / बोर्डों में शामिल / नामित / सहयोजित किया जाना चाहिए ।

(ii) बौद्ध महिलाओं को समाज को अभिसाशित करने में उचित स्थान दिया जाना चाहिए ।

(iii) सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी बौद्ध महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए ।

(iv) मौलाना आजाद एजूकेशन फाउण्डेशन की तर्ज पर, बौद्ध छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए एक समानान्तर फाउण्डेशन का गठन किया जाना चाहिए ।

(v) बौद्ध समुदाय के नेताओं को स्वास्थ्य स्कीमों के बारे में शिक्षित किया जानाचाहिए ताकि बदले में वे केंद्रीय / राज्य / जिला संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं / चलाई जा रही स्कीमों तक पहुंच बनाने में लड़कियों / महिलाओं की सहयता कर सकें ।

(vi) सरकार, राज्य, जिला विकास स्कीमों के सहयोग से बौद्ध समुदाय के निर्धन से निर्धन लोगों तक एकल, उपेक्षित, तलाकशुदा, विधवा, परित्यक्त महिलाओं तक पहुंचने के प्रयास किए जाएं ।

(vii) 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर लड़की की शादी करने के लाभों के बारे में समुदाय के प्रमुख सदस्यों को, विशेषकर नेताओं को शिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

(viii) माता–पिता / अभिभावकों को अपने बच्चों विशेषकर लड़कियों को स्कूल एवं कालेजों से न निकालने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

(ix) जनजातीय बौद्धों में विशेषकर लड़कियों एवं महिलाओं में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असाधारण प्रयास किए जाने चाहिए ।

(x) बौद्ध महिलाओं के शैक्षणिक उत्थान के लिए विशेष केंद्रीय अनुदान नियत किया जाए ।

## c) bZlkbZ efgykvksa ds fy, flQkfj'ksa

(i) अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए महिलाओं में आत्म विश्वास जगाने के लिए उपाय किए जाने की जरूरत है ।

(ii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग की मौजूदा तर्ज से हटकर सामान्य रूप से "कम सशक्त " ईसाई जनसंख्या और विशेष रूप से ईसाई महिला जनसंख्या की अलग सूची बनाई जाए ।

(iii) सामान्य रूप से ईसाई समुदाय और विशेष रूप से ईसाई महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए, उनका सभी आयोगों, समितियों, निगमों, बोर्डों आदि में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसे निकायों में महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रावधान होना चाहिए ।

(iv) शिक्षा एवं नौकरी में सुलभ ऋण एवं आरक्षण के अलावा ईसाई महिलाओं एवं लड़कियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएं ।

(v) ईसाइयों का समाजिक – आर्थिक, विशेषकर महिलाओं की स्थिति का सर्वेक्षण नियमित आधार पर कराया जाए ।

(vi) ईसाई गैर–सरकारी संगठनों को ईसाई महिलाओं के विकासात्मक मुद्दों पर समितियों से जोड़ा जाए।

(vii) अनुसूचित जाति को दी जा रही सभी सुविधाएं उन अनुसूचित जातियों को भी दी जाए जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है ।

(viii) ईसाई अनुसूचित जनजातीय महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाए ।

(ix) पिछड़ा वर्ग ईसाई महिलाओं, विधवाओं, एकल, परित्यक्तो महिलाओं का समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए उन्नयन किया जाए ।

**d) tSu efgykvksa ds fy, flQkfj'k**

(i) अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित सभी स्कूलों एवं कालेजों को समुदाय की महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए अपने मानकों में वृद्धि करने के लिए सभी संभावित उपायों द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिए ।

(ii) महिला आरक्षण विधेयक सहित विधानों के अंगीकरण के माध्यम से चुने गए संसदीय निकायों में जैन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना ।

(iii) उपेक्षित समूहों की महिलाओं के प्रणालीबद्ध भेदभाव, जेंडर आधारित हिंसा सहित, के निवारण एवं समाधान के लिए उपाय करना और वरीयता के आधार पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना और उसमें शामिल सभी अपराधियों पर अभियोग चलाना ।

(iv) सरकार को ऐसे सभी स्वीय कानूनों में संशोधन करना चाहिए जो महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति भेदभाव करती हैं और पहचान की राजनीति के बंधनों को तोड़ने के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए ।

(v) अल्पसंख्यक महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा के साथ–साथ रोजगार एवं राजनैतिक दलों में भागीदारी के पर्याप्त अवसर होने चाहिए और जैन महिलाओं की भर्ती के लिए सीट आवंटन पर

समान आधारों पर विचार करना चाहिए । अल्पसंख्यक महिलाओं के विकास के लिए अधिक राशि आवंटित की जानी चाहिए ।

(vi) सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जैन महिलाओं के पास किसी भी राजनैतिक अवसर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पहुंच होनी चाहिए और उनकी क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए ।

(vii) नीतियों को महिलाओं की ऐतिहासिक अथवा धार्मिक स्थिति को देख कर नहीं बल्कि उनकी समकालीन स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया जाए । सरकार और सिविल सोसायटी को ऐसी पहलों को सुकर बनाना चाहिए ।

(viii) जैन महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाए और समग्र समाजशास्त्रीय प्रोफाइल के साथ विभिन्न दमनकारी प्रथाओं से संबंधित अध्ययन वरीयता आधार पर किया जाए । आई.सी.एस.एस. आर., आई.सी.एच.आर., यू.जी.सी. से सभी अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं पर परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर देने को कहा जाए ।

## e) efLye efgykvk d fy, fl Qkfj'k

(i) मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक एवं शैक्षणिक उन्नयन के लिए विशेष बजटीय आवंटनों की मात्रा में वृद्धि की जाए और उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक उपयोग भी किया जाए ।

(ii) संघ एवं राज्य सरकारों के सभी कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों को जेंडर समावेशी, और मुस्लिम महिलाओं के समावेशन के पैमाने से मापा जाए ।

(iii) सरकार को मुस्लिम महिलाओं के सशक्तीकरण की अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और क्रियान्वयन कार्यनीतियों का निरूपण मुस्लिम महिला संगठनों को अग्र सक्रिय रूप से जोड़कर करना चाहिए। सिविल सोसायटी संगठनों (मुस्लिम और गैर–मुस्लिम दोनों) को ऐसा करना चाहिए । इसके लिए मुस्लिम महिला गैर–सरकारी संगठनों को परिवर्तन के कारगर अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उन्हे सक्षम बनाने हेतु उनमें नेतृत्व विकास एवं क्षमता वृद्धि के लिए संकेंद्रित तथा सतत् सहायता करना अपेक्षित है ।

(iv) सरकार एवं सिविल सोसायटी दोनों को अधिक मुस्लिम महिला गैर–सरकारी संगठनों के विरचन को प्रोत्साहित करने और उनके प्रचालन क्षेत्र, विशेषकर शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका उत्पत्ति (गृह आधारित एवं बाहरी दोनों) और भारत के सार्वजनिक जीवन एवं सामान्य सांसकृतिक जीवन में मुस्लिम महिलाओं हेतु क्षेत्र विस्तार का व्यापक विस्तार के लिए सहायता करने के हर संभव उपाय करने चाहिए ।

(v) कॉरपोरेट्स को सी.एस.आर कोष का एक भाग मुस्लिम महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए नियत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । उन्हें ऐसा, जो भी व्यवहार्य हो, मुस्लिम महिलाओं के लिए कार्य कर रहे गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से करना चाहिए ।

(vi) मुख्यधारा की मीडिया को अपना कुछ समय अथवा स्थान मुस्लिम महिलाओं से संबंधित मुद्दों के लिए देना चाहिए । इसके अलावा, मॉस मीडिया भी मुस्लिम महिलाओं के प्रति मुस्लिमों और गैर–मुस्लिमों दोनों की पूर्वधारणाओं के मिटाने में सहायता कर सकती है । मीडिया में अधिक मुस्लिम महिलाओं को दिखना चाहिए ।

(vii) गृह–आधारित स्व –रोजगार, जिसमें कामकाजी मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा वर्ग लगा हुआ है, को विशेष सहायता दी जानी चाहिए।

(viii) महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों के लिए मुस्लिम महिलाओं को वक्फ संपतियों को पट्टे पर देने के लिए विचार किया जाना चाहिए ।

(ix) मुस्लिम महिलाओं की ओर से क्रियान्वित की जा रही नीतियों को मुस्लिम महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले विशिष्ट सामाजिक – सांस्कृतिक – धार्मिक कारकों पर विचार करने के बाद निरूपित किया जाना चाहिए ।

(x) मुस्लिम महिलाओं को उनके स्वयं के उन्नयन में निश्चित रूप से जोड़ने के लिए, सफल महिलाओं की कहानियों को सामाजिक तरक्की के प्रति महिलाओं को प्रेरित करने के लिए बताया जाए ।

(xi) महिलाओं की जरूरतों के बारे में पुलिस कर्मियों और महिलाओं का जेंडर संवेदीकरण आवश्यक है । ऐसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आवादी 30 प्रतिशत से अधिक है, मुस्लिम महिलाओं की निगरानी और सहायता करने के लिए पुलिस थानों में मुस्लिम महिला प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएं ।

(xii) सरकार और मुस्लिम समुदाय दोनों को मुस्लिम महिलाओं को पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ।

(xiii) मुस्लिम महिलाओं में से नेताओं और अच्छी उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को, जो मुस्लिम एवं गैर–मुस्लिम महिलाओं (और पुरुषों के लिए भी) दोनों के लिए आदर्श मॉडल के रूप में कार्य कर सकती हैं, सरकार और समुदाय द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए ।

(xiv) मुस्लिम महिलाओं का सुपरिभाषित आंकड़ा आधार को, जिसका सरकार की विविध विकासात्मक एवं कल्याणकारी गतिविधियों के निरूपण में उपयोग किया जा सकता है, सांख्यिकी एवं योजना मंत्रालय द्वारा तैयार कराए जाने की आवश्यकता है ।

(xv) एक राष्ट्रीय आंकड़ा आधार, जहां पर किसी भी अनुसंधान अध्ययन एवं अनुवर्ती कार्रवाई को सुकर बनाने के लिए अलग–अलग सामाजिक – धार्मिक समुदायों के प्रासंगिक आंकड़े रखे जा सकते हैं, की अनुशंसा की जाती है ।

(xvi) स्कीमों को आधारभूत सर्वेक्षणों एवं उनके क्रियान्वयन के बाद ही बनाया जाए । ऐसी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होनी चाहिए ।

(xvii) केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न लाभार्थी उन्मुख सरकारी स्कीमों को मुस्लिम महिलाओं से संबंधित विकेंद्रीकृत आंकड़ों को एकत्रित करने की जरूरत है ।

(xviii) मुस्लिम महिलाओं के शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए स्वतंत्र / स्वायत्त सरकारी एजेंसी आवश्यक है । वंचित मुस्लिम महिलाओं के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण पहलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्थानों की स्थापना करना विशेष जरूरी है । प्रशिक्षण को उत्पादन में और बाद में उत्पादों के विपणन में परिणत होना चाहिए । प्रशिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार सृजन को सक्रिय रूप से सुलभ बनाया जाए ।

(xix) सरकार को हस्त शिल्प, केटरिंग, नर्सिंग एवं स्वास्थ्य देखरेख, देखभाल, बीपीओ क्षेत्रों आदि जैसे क्षेत्रों को जो मुस्लिम महिलाओं को रोजगार देते हैं और रोजगार दे सकते हैं, प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए विचार करने की जरूरत है । नीतियों को मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों जैसी सरकारी स्कीमों में मुस्लिम महिलाओं का समावेशन सुनिश्चित करना चाहिए ।

(xx) सुरक्षित भौतिक स्थान बनाए जाने की जरूरत है जिसे मुस्लिम महिलाएं अन्य समुदायों की महिलाओं के साथ साझा कर सकें । इससे सांप्रदायिक सद्भाव और सामूहिक सशक्तीकरण हेतु आपसी सहयोग दोनों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी ।

(xxi) स्वास्थ्य एवं कानूनी जागरूकता में प्रशिक्षण कुछ ऐसे बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें गंभीरता से हल किए जाने की आवश्यकता है । इसे हासिल करने के लिए, सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों को मिलकर कार्य करना चाहिए । कानूनी अधिकारों के क्षेत्र में, मुस्लिम महिलाओं को उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में स्पष्टता लाने के लिए, संवैधानिक कानूनों और स्वीय कानूनों में गायब कड़ी को अभिनिर्धारित करने में पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए ।

(xxii) मुस्लिम महिलाओं सहित सभी निर्धन महिलाओं के लिए राष्ट्र व्यापी शैक्षणिक प्रोत्साहन स्कीम होनी चाहिए जिसमें सरकार लड़की के जन्म के समय एक लाख रुपये जमा करे । उसे प्रगति के आधार पर जैसे वह प्राथमिक, माध्यमिक एवं कालेज शिक्षा में प्रगति करती है, ब्याज राशि मिलती रहे । यदि वह 15 साल में कालेज की शिक्षा पूरी कर लेती है, उसे एक मुश्त बड़ी राशि दी जाए।

(xxiii) मदरसों का मानचित्रीकरण, पंजीकरण किया जाए और उन्हें बेसिक स्कूलों का दर्जा दिया जाए जिनमें मुख्याधारा की शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए । शिक्षा के अधिकार को क्षेत्र एवं समुदाय की जरूरतों के अनुसार आशोधित किया जाए ।

(xxiv) बेहतर वित्तीय समावेशन के लिए मुस्लिम सघनता वाले क्षेत्रों में बैंकों की अधिक शाखाएं खोली जाएं। वित्तीय संस्थानों, बैंकों और विभिन्न निगमों से महिलाओं द्वारा संचालित व रोजगार, सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान करना महत्वपूर्ण है ।

(xxv) नाबार्ड की सूक्ष्म ऋण स्कीमों में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की नीति निर्धारित की जाए। इस नीति में सूक्ष्म ऋण स्कीमों में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से गांव में मुस्लिमों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर लक्ष्य एवं युक्तिमान स्कीमों के मिश्रण के माध्यम से नाबार्ड द्वारा अपेक्षित उपायों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।

(xxvi) मुस्लिमों के पड़ोस में लड़कियों के लिए अधिक प्राथमिक एवं हाई स्कूल खोले जाएं ।

(xxvii) मुस्लिम लड़कियों एवं महिला छात्राओं को सुविधाएं जैसे कि छात्रवृत्ति की राशि, शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति / शुल्क माफी और छात्रावास की सुविधा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के समान दी जाएं ।

(xxviii) बहु विवाह प्रथा को समाप्त करने और तलाक से संबंधित प्रावधानों को अधिक महिलानुकूल बनाने के लिए मुस्लिम स्वीय विधि में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है । यह साधारणतः समुदाय के विचारों के साथ–साथ धार्मिक नेताओं के विचारों में बदलाव लाए बिना संभव नहीं है। मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध वर्ग को इस बारे में सार्वजनिक राय बनाने के लिए प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया में अभियान शुरू करने के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए ।

(xxix) वक्फ संपत्तियों का राजस्व पैदा करने के लिए वैज्ञानिक एवं कारगर तरीके से प्रबंधन किया जाए जिसे बाद में शैक्षणिक संस्थाएं, व्यावसायिक कालेजों, अस्पतालों आदि के खोलने के लिए व्यय किया जा सकता है जो मुस्लिम महिलाओं को भी लाभान्वित कर सकता है ।

(xxx) न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर समिति ने ''भारत में मुस्लिम समुदाय का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर'' पर अपनी रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय में अभिनिर्धारित कमियों में सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं । इन सिफारिशों को पूर्णतः क्रियान्वयन किया जाना चाहिए ।

(xxxi) मदरसा के न्यासियों के लिए, जो अभी तक पुराना पाठ्यक्रम अपना रहे हैं, एक कार्यशाला आयोजित की जाए ताकि उन पर मुस्लिम समुदाय के सर्वोत्तम हित में बदलाव के लिए दवाब डाला जा सके। उन्हें यह समझना चाहिए कि मदरसों के आधुनिकीकरण का अर्थ निश्चित रूप से मजहब से भटकाव नहीं है । आधुनिक एवं औचित्यपूर्ण शिक्षण से अपने समुदाय में महिलाओं के सामने आ रही समस्याओं एवं चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी, और वे मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने में सही दिशा में सहायता कर सकते हैं।

(xxxii) मुस्लिम महिलाओं के सशक्ती्करण के संदर्भ में मुस्लिम स्वीय विधि की जांच की जाए और उसमें संशोधन किए जाएं ।

## f) ikjlh efgykvksa ds fy, flQkfj'ksa

(i) सभी पारसी परिवारों को उनकी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उनके सामाजिक – जनसांख्यिंकी के मामले में पिछडों के रूप में अभिनिर्धारित किया जाए ।

(ii) विसंगतियों में सुधार करने के लिए और जेंडर न्याय सुनिश्चित करने के लिए पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 का गहराई से अध्ययन किया जाए । इसके निर्णयों की मौजूदा प्रवृत्ति की तर्ज पर, जो देश में अन्य समुदायों की महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करते हैं, की पुनः जांच की जाए ।

(iii) अपने समुदाय के बाहर विवाह करने वाली पारसी महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के मामलों की,

जो रिपोर्ट नही किए गए, घटनाएं प्रचलित हैं । इन घटनाओं की जांच की जाए और पारसी महिलाओं को उनके लिए उपलब्ध सभी कानूनी विकल्पों के बारे में जागरूक बनाया जाए ।

(iv) पारसी एकल, विधवा महिलाओं के लिए आयोत्पादक गतिविधियां सृजित की जानी चाहिए ताकि परिवार में अकेले व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जिनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है, को सामाजिक एकाकीपन, मनोवककृति का भय एवं एकाकीपन का अवसाद से दूर रहने के लिए उचित कार्य मिल सके ।

(v) निर्धन पारसी महिलाओं के लिए बेहतर शिक्षा की स्कीमों के क्रियान्वयन के अलावा, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए उपयुक्त रोजगार एवं उद्यम के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

(vi) सरकार को पारसी महिलाओं की प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता हेतु छूट प्रदान करने वाले / निःशुल्क क्लीनिकों के माध्यम से सहायता करनी चाहिए ।

(vii) मानव संसाधन विकसित करने के लिए, पारसी लड़कियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्था नों में सीटें उपलब्ध कराई जाएं ।

(viii) लघु उद्योगों की स्थापना के लिए ऋणों एवं निधियन से सहायता करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने की स्कीमें उपलब्ध कराई जाएं जो पारसी महिलाओं की परिवार के रूप में विशिष्ट जरूरतों के लिए उपयुक्त होंगी ।

(ix) सरकार की योजनाओं को, विशेषकर वे योजनाएं जो उपेक्षित महिलाओं के लिए बनाई गई हें, पारसी महिलाओं के लिए विस्तारण सुनिश्चित किया जाए ।

(x) संसद एवं राज्य विधान मंडलों में, और जिला परिषदों, समितियों एवं पंचायतों जैसी स्थानीय स्व–शासन के निकायों में पारसी समुदाय के प्रतिनिधित्व, की अनुशंसा की जाती है ।

(xi) जनगणना आयोग को पारसियों, विशेषकर महिलाओं के बारे में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, जनसंख्या आदि के बारे में विशेष, अद्यतन आंकड़े प्रकाशित करने चाहिए ।

## g) fl[k efgykvk d fy, flQkfj'k

(i) कृषि में महिलाओं की भूमिका का बढ़ाने और महिला किसान के रूप में उनकी पहचान स्थापित किए जाने की जरुरत है ।

(ii) बड़े एवं छोटे मंचों पर अधिक आपसी चर्चाओं को प्रोत्साहित किया जाए । स्कूली बच्चों को भारत में विद्यमान धार्मिक विविधता एवं बहुवादी लोकाचार के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए । विभिन्न धर्मों की सर्वोत्तम पद्धतियों को रिकार्ड और साझा किया जाए । इसके अलावा, ऐसे धार्मिक समूहों में प्रचलित पद्धतियों के बारे में गहन अनुसंधान शुरू किया जाए । ऐसे कदाचारों के मिटाने के लिए जो पितृसत्ता की संस्कृति को स्थायी बनाते हैं, युवा पुरुषों के साथ अधिक कार्य किए जाने की जरूरत है ।

(iii) अल्पतसंख्यक शिक्षित महिलाओं के लिए वजीफा, वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवाओं के लिए पर्याप्त पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए जाएं । अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं, विशेषकर वृद्ध सिख महिलायें, जो एकल हैं, की जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए ।

(iv) सिख महिलाओं, जो संवेदनशील हैं, की श्रेणियां केंसर की उत्तरजीवी, अनिवासी भारतीय पीड़िता, बड़ी संख्या में एकल महिलाएं आदि हैं जिनके बारे में नीतिगत पहलों के लिए अध्ययन किए जाने की जरूरत है । चूंकि विषय पर साहित्य मृत हो चुका है, सिख महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर अध्ययन कराए जाने की जरूरत है ।

(v) राज्य नीति एवं सक्रियतावाद को प्रभावित करने के लिए सिख समुदाय के बीच अधिक गहन परिवार अनुसंधान शुरू कराए जाने की जरूरत है । जेंडर भेदभाव के मूल कारणों को समझने के लिए युवाओं पर और उनके परिवार आधारित सामाजिक – आर्थिक कारकों, बालिकाओं की स्थिति, गुमशुदा लड़कियां, सामुदायिक रूढ़िवादिता और महिलाओं की गतिशीलता, आदि पर समाज शास्त्रीय अध्ययन विस्तार से किया जा सकता है ।

(vi) सिख महिलाओं में बेरोजगार की वास्तविक स्थिति, निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी पर संकेंद्रित कार्रवाई परियोजनाएं होनी चाहिए ।

(vii) संसाधनहीन एवं गरीब महिलाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने के लिए आत्म–हत्या करने वाले किसानों के परिजनों के लिए उचित मुआवजे की मांग की जाए ।

(viii) रोजगार के अवसर, निःशुल्क स्कूली शिक्षा, आत्म–हत्या करने वाले किसान के परिवार को ऋण माफी, व्यावसायिक कृषि प्रशिक्षण, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि को सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है । इस संदर्भ में, किसानों द्वारा आत्महत्या की समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए पंजाब में महिलाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए समग्र रूप से अध्ययन किए जाने की जरूरत है ।

(ix) सिख समुदाय को सम्मान के लिए हत्या के बारे में शिक्षित किए जाने की जरूरत है क्योंकि यह मानवाधिकार और जीने के अधिकार के विरुद्ध है ।

### (III) Þnfyr efgykvks }kjk >sy tk jg HknHkko vkj l>kb xb dk;l ;ktukß ij fo'k"kK lfefr %&

दलित महिलाओं के मुद्दों को हल करने के लिए आयोग द्वारा "दलित महिलाओं द्वारा सामना किये जा रहे भेदभाव और सुझाई गई कार्य योजना" पर विशेषज्ञ समिति गठित की गई । विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें निम्नानुसार हैं :–

(i) राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण के अधीन गठित राष्ट्रीय दलित महिला संसाधन केंद्र और राज्य दलित महिला संसाधन केंद्र विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की दलित महिलाओं से संबंधित विभिन्न नीतियों और स्कीमों को साथ–साथ लाने के लिए अभिसरण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे ।

(ii) हाथ से मैला ढोने के उन्मूलन से संबंधित 2013 का अधिनियम राज्यों में लागू नहीं किया गया है । कुछ राज्यों ने हाथ से मैला ढोने में लगे लोगों को अभी तक अभिनिर्धारित नहीं किया है जिसे वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिए ।

(iii) यह अच्छा होगा कि प्रत्येक जिले में एक नवोदय स्कूल और बालिकाओं हेतु छात्रावास हो जिनमें दलित लड़कियों को भी अवसर दिया जाना चाहिए । उनकी शिक्षा में बढ़ोत्तरी करने के लिए नवोदय विद्यालयों की तरह बालिकाओं हेतु छात्रावास सुविधा के साथ अनन्य रूप से अम्बेडकर स्कूल खोले जाएं ।

(iv) सभी धर्मों एवं संप्रदायों की दरिद्र दलित महिलाओं, दलित विधवाओं और दलित एकल महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए ग्राह्यता एवं प्रदायगी पर ध्यान संकेंद्रित करते हुए ऋण सेवाओं, मनरेगा आदि सहित मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों एवं स्कीमों की जांच की जाए ।

(v) भूमि का पुनर्वितरण किया जाए और दलित महिलाओं को किसानों के रूप मान्यता दी जाए । भूमि का स्वामित्व न केवल मातृ घर में अपितु वैवाहिक घर में भी दलित महिला के नाम पर रजिस्ट्री करने की अनुमति होनी चाहिए ।

(vi) भूमि सुधार कार्यक्रमों को सरकारी स्वामित्व वाले भूमि संसाधनों को कृषि आधारित आयोत्पादक गतिविधियों के उपयोग के लिए भूमिहीनों, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही दलित महिलाओं को लक्षित करते हुए पुनर्वितरण के उद्देश्य से लागू किया जाना चाहिए ।

(vii) उपेक्षित समुदायों की महिलाओं को कृषि ऋणों, भूमि स्वाामित्व कर आदि पर विशेष छूट दी जानी चाहिए ।

(viii) दलित महिला किसानों को सामूहिक खेती के लिए स्व–सहायता दलों के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । ऋण, प्रौद्योगिकी एवं एम.एन.आर.ई.जी.एस को इन प्रोत्साहनों के साथ समेकित किया जाए । और, पशुओं एवं अन्य प्रकार के ऋणों से संबंधित जोखिमों को कम किया जाए । सामान्यतः महिलाओं की और विशेषकर दलित महिलाओं एवं अन्य उपेक्षित महिलाओं की शिक्षा एवं कौशलों में वृद्धि को सरकार द्वारा उच्च वरीयता दी जानी चाहिए ।

(ix) ग्रामीण दलित महिलाओं को खाद्य उत्पाादन, प्रसंस्करण एवं विपणन में शिक्षा एवं प्रशिक्षण के समान जेंडर अवसर उपलब्ध् कराए जाएं ।

(x) महिलाओं को जलवायु परिवर्तन के पीड़ितों / उत्तरजीवितों को रूप में उचित मान्यता प्रदान की जाए और उन्हें अभिनिर्धारित करने के लिए कार्रवाई की जाए

(xi) 'चुड़ैल/डायन' हत्या और अन्य परंपरागत एवं धार्मिक प्रथाओं जैसे कि देवदासी/जोगिन, 'टोहनी', 'थलाईकोठाल' एवं नकली विवाह आदि के रूप में महिलाओं और विशेषकर दलित महिलाओं पर बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए एक केंद्रीय विधान बनाया जाए ।

(xii) इन अपराधों से संरक्षण में वृद्धि करने और माफी एवं न्याय तक पहुंच में भेदभाव की समस्या से

निपटने के लिए उपाय किए जाने चाहिए । ऐसे उपायों में पुलिय एवं न्याययिक प्रशिक्षण तिझा प्रबोधन, अपराधों के अभियोजन के लिए कानूनी सहायता, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा एवं अन्या प्रकार की हिंसा के विरुद्ध कानूनों का सुदृढ़ीकरण, शोषण के निवारण में सहायता के लिए जागरूकता अभियान, और जाति आधारित भेदभाव की पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों की शिक्षा में संसाधनों का निवेश शामिल किए जा सकते हैं ।

(xiii) दलित महिलाओं के लिए लक्षित कार्यक्रमों को खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित पेय जल तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं सफाई, शिक्षा एवं कौशल विकास, सभ्य रोजगार और नेतृत्व कौशलों जैसे प्रमुख विकास संसूचकों पर ध्यान संकेंद्रित करते हुए क्रियान्वित किया जाए ।

(xiv) जाति–प्रभावित समुदायों की महिलाओं की राजनैतिक अभिशासन के सभी स्तरों के साथ–साथ अन्य निर्णय निर्माण अवसंरचनाओं में भगीदारी बढ़ाने के लिए सहायता की जानी चाहिए ।

(xv) दलित महिलाओं को क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर दाता एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उनके क्षमता निर्माण प्रशिक्षण में उच्च स्तररीय कौशलों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिसकी परिणति जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए वर्धित विकास एवं वित्तीय सहायता होगी ।

(xvi) संसद, विधान मंडलों एवं स्थानीय अभिशासन प्रणाली में चुनी गई महिलाओं में जाति–प्रभावित महिलाओं की आनुपातिक भागीदारी को अनिवार्य बनाया जाए ।

(xvii) जाति प्रभावित समुदायों में जेंडर भेदभाव को संवाद कार्यक्रमों एवं पुरुष के संवेदीकरण के माध्यम से चुनौती दी जाए ।

## (IV) lxBuk dk lki x, vulla/kku v/;;uk l mHkj dj vkb flQkfj'k

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2014–15 के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान एवं अध्ययनों के साथ–साथ संगोष्ठियों /सम्मेलनों /परामर्शों को प्रायोजित किया और पूरे हुए अनुसंधान अध्ययनों से अन्य बातों के साथ–साथ उभर कर आई सिफारिशें केंद्र, राज्य सरकारों एवं संबंद्ध एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन हेतु नीचे दी गई हैं । वर्ष 2014–15 के दौरान पूरे हुए और आयोग द्वारा अनुमोदित किए अध्ययनों की सूची अनुलग्नक xvi पर दी गई है ।

## 1- l'tu] y[kuÅ }kjk y[kuÅ vkj mld vkl&ikl d ckjkcdh] lhrkiqj ,o mUuko ftyk e çf'kf{kr ,o vçf'kf{kr gLrf'kYi efgyk dkjhxjk dh lkekftd&vkfFkd fLFkfr ij rqyukRed v/;;u ,o eY;kdu

यह अध्ययन आयोग द्वारा इसकी अनुवीक्षण समिति की दिनांक 22.03.2013 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया था । अध्ययन की रिपोर्ट का अनुमोदन वर्ष 2014–15 में आयोग की बैठक में किया गया। अध्ययन के उद्देश्य हस्तशिल्प महिला कारीगरों के कल्याण के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के परियोजना हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करना, क्रियान्वयन में अंतर का पता लगाना और सकारात्मक परिवर्तनों को शुरू करने एवं हस्तशिल्प महिला कारीगरों के सशक्तीकरण के

अपेक्षित नीति अवसंरचना का सुझाव देना था । अध्ययन से उभर कर आई प्रमुख सिफारिशें आगे दी गई हैं :–

(i) निधियनकर्ता संगठनों – राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इन कारीगरों के कल्याण के लिए कार्य कर रही अन्य निजी एजेंसियों को कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े नए बाजार के साथ मौजूदा करीगरों के सशक्तीकरण पर ध्यान संकेंद्रित करना चाहिए । कारीगरों द्वारा नई प्रौद्योगिकी का तेजी से अंगीकरण और उदीयमान मांग एवं अर्थव्यंवस्था के वैश्वीकरण का सामना करने के लिए कारीगरों को सक्षम बनाने के लिए समेकित दृष्टिकोण का उपयोग किया जाए ।

(il) प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण बीच में छोड़ देने की घटनाओं में कमी लाने और विभिन्न पहलों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए उनकी स्वेच्छा में वृद्धि के लिए कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वजीफा, कच्चे माल एवं उपकरणों आदि का प्रावधान करना अनिवार्य है ।

(iii) केंद्र / राज्य सरकार और अन्य निजी एजेंसियों को अल्प काल एवं दीर्घ काल पर ध्यान दिए बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रमाणन अनिवार्य रूप से कराना चाहिए । प्रतिभागियों को जब वे उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम के कतिपय मानकों को पूरा कर दें, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र दिया जाए ।

(iv) हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण के लिए कार्य कर रही प्रायोजक एजेंसियों को –

a) कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम को जिसमें परियोजना के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुसार परियोजना गतिविधियों प्रमुख एवं मापनीय प्रभावों को हासिल करने के लिए गरीब कारीगरों के जीवन को सुधारने के लिए व्यापक दृष्टिकोण शामिल है, बढावा एवं वरीयता दी जाए ।

b) बाजार के चालू रुझानों के बारे में इनकी जानकारी में वृद्धि करने और इस क्षेत्र में दलालों की सहभागिता को समाप्त करने के लिए कारीगर बहुलता वाले क्षेत्रों में संचेतना शिविरों का आयोजन करके, उन्हें प्रदर्शनियों में मुफ्त स्टॉल प्रदान करके, आवास एवं भोजन सहित यात्रा एवं परिवहन प्रभार देकर कारीगरों को प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों / विभिन्न महोत्सवों में कारीगरों की भागीदारी को बढावा देना ।

c) हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण के लिए कार्य कर रही प्रायोजक एजेंसियों को व्यापक एवं विशिष्ट् कार्यक्रम (जैसे कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े नए बाजार, नेतृत्व विकास, अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित स्कीमों पर संवेदीकरण, जीवन कौशल शिक्षा, जेंडर आधारित / स्थानीय मुद्दों का समाधान आदि को शामिल करते हुए कार्यक्रम) को बढ़ावा देना चाहिए और अभिकल्पित करना चाहिए जो उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर ले जा सकते हैं । इसे स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं, धार्मिक नेताओं और स्थानीय स्तर के संगठनों को सहभागी बना कर इन मुस्लिम महिला कारीगरों के विभिन्न अन्य मुद्दों और सामाजिक समस्याओं का भी निदान करना चाहिए ।

(v) विकास आयुक्त, हस्तशिल्प , राज्य / केंद्र सरकार और अन्य् द्विपक्षीय / निजी एजेंसियों को कारीगर के लिए कारीगर कार्ड की जरूरत एवं महत्ता पर संचेतना शिविरों को आयोजन करना चाहिए और कार्ड के पंजीकरण / निर्गमन को बढ़ावा देना चाहिए ।

(vi) विभिन्न केंद्र / राज्य सरकार और हस्तशिल्प कारीगरों के कल्याण के लिए कार्य कर रही अन्य निजी / द्विपक्षीय एजेंसियों, विशेषकर विकास आयुक्त , हस्तशिल्प को कारीगर बाहुल्य क्षेत्रों में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.जी.एस.एस.बी.वाई) पर संचेतना शिविरों का आयोजन करना चाहिए और आर.जी.एस.एस.बी.वाई के साथ उनके जुड़ने को बढ़ावा देना चाहिए।

(vii) बैंक खाता खोलने के लिए बैंकिंग क्षेत्र / अग्रणी बैंक कारीगरों के कल्याण के लिए उनके खातों को प्रधानमंत्री – जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.यू) से जोड़ने को बढ़ावा दे सकते हैं ।

(viii) कारीगरों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्थानीय स्तर के संगठनों – गैर–सरकारी संगठनों और अन्य द्विपक्षीय एजेंसियों को क्षेत्र विशेष में आय के अन्य स्रोत (जरूरत आधारित और मांग संचालित) तलाशने चाहिए जो कारीगरों की कार्य क्षमता को उपयोग कर सकते हैं और उनकी आय में वृद्धि कर सकते हैं और उन्हें नियमित कार्य की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं ।

(ix) प्रायोजक एजेंसियां दलालों की भगीदारी को समाप्त करने के साधन के रूप में और ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए अलग से वेबसाइट बनाकर, या तो स्वयं या सरकारी–निजी भागीदारी के साथ अथवा समरूप संस्थानों के साथ संपर्क बना कर महिला कारीगरों के सामान की बिक्री को बढ़ावा दे सकते हैं ।

(x) कारीगरों को अपने स्वयं के आर्थिक मामलों का निपटान करने के लिए संघटित किया जा सकता है और अपनी स्वयं की सहकारी सोसायटी बनाने के प्रशिक्षित किया जा सकता है । इसके माध्यम से, वे अपने उत्पादों को व्यापारियों / उपभोक्ताओं को ऑफलाइन / ऑनलाइन मोड में सीधे बेच सकते हैं । यह उन्हें दलालों / व्यापारियों से निपटने के लिए संचयी मोलभाव की शक्ति भी देगा ।

### 2- lkgl cnjgM vifyf¶Vx ¼lhokbMCY;vk½] f'keyk] fgekpy çns'k }kjk dU;k Hkw.k gR;k ds çj.kkFkd dkjdk dh tehuh gdhdr ij okLrfodrk ij ldkfær fgekpy çns'k dk vuqla/kku v/;;u

अध्ययन वर्ष 2012–13 में स्वीकृत किया गया था और सिफारिशों के साथ इसकी रिपोर्ट का अनुमोदन वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया । अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मादा भ्रूण हत्या में जेंडर पूर्वाग्रह के लिए उत्तदरदायी जमीनी कारणों का पता लगाना था । अध्ययन से उभर कर आईं प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :–

(i) केंद्रीयकृत गर्भावस्था खोज प्रणाली को स्थापित किया जाए जिसमें राज्य के प्रत्येक जिले में गर्भधारणों को रिकार्ड किया जाएगा ।

(ii) यह देखने के लिए कि गुजरात और तमिलनाडु द्वारा अपनाए गए मॉडल अखिल भारतीय आधार पर कार्य कर सकता है, बड़ी संख्याा में नमूनों के साथ एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जाए।

(iii) यह समझना महत्वपूर्ण है कि गर्भावस्थाओं को जांचने के लिए एक ऐसा नया तंत्र विकसित किए जाने की जरूरत है जिसमें सभी सफल मॉडलों / कार्यनीतियों के अच्छे तत्व शामिल हों जो भारत

और ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे अन्य देशों में कारगर हुए हैं ।

(iv) भारत के सभी अस्पतालों एवं क्लीनिकों में ऐसी अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के उपयोग को अनिवार्य बनाया जाए जो भ्रूण के लिंग को धुंधला कर देती हों और भ्रूण के विकास का अध्ययन करने के लिए डाक्टरों को अपेक्षित सूचना प्रकट करती हों ।

(v) राज्य सरकार को ऐसे डाक्टरों / क्लीनिकों को आर्थिक प्रोत्साहन देने चाहिए जो उन मामलों की रिपोर्ट करते हैं जो उनके पास लिंग चयनित गर्भपात के लिए आते हैं । चिकित्सा पेशेवर इस अपराध को मिटाने के लिए सबसे अधिक कार्य कर सकते हैं । डाक्टर जिनके पास ऐसे मामले आते हैं, परिवार के सदस्यों / व्यक्ति का ब्यौरा रिकार्ड कर सकते हैं और संबंधित प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।

(vi) जनता में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में नियमित संवेदीकरण अपेक्षित है लेकिन सांस्कृतिक बदलाव लाना आसान नहीं है ।

## 3- iokÙkj v/;;u ,o uhfr vuqla/kku dsUæ] tkfe;k fefy;k bLykfe;k ¼,d dsUæh; fo'ofo|ky;½] ubZ fnYyh }kjk iwokZÙkj Hkkjr dh efgykvksa ds lkeus HksnHkko vkSj pqukSfr;ka % fnYyh] eqEcbZ] dksydkrk vkSj csaxyq# esa ekeys dk v/;;u

अध्ययन को आयोग के अनुमोदन से वर्ष 2011–12 के दौरान स्वीकृत किया गया था । सिफारिशों के साथ अध्ययन की रिपोर्ट वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा अनुमादित की गई । अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :–

(i) चुनिंदा शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर पूर्वोत्तर की महिलाओं द्वारा सही गई हिंसा / उत्पीड़न के रूपों का निर्धारण करना, कारक जो अधिक सुरक्षा और महिलाओं के समेशन के वातावरण में भूमिका निभाते हैं अथवा भागीदारी करते हों और पूर्वोत्तर की महिलाएं चुनिंदा शहरों में उत्पीड़न एवं भेदभाव पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं ;

(ii) यह देखना कि क्या पुलिस पूर्वाग्रह के मुद्दे को जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर की महिलाओं अधिकारों का हनन और उनके विरुद्ध हिंसा होती है, हल करने में सक्षम थी, भेदभाव एवं पूर्वाग्रह के मामलों से निपटने के लिए सरकार को नीतिगत दिशानिर्देशों का सुझाव देना, इस मुद्दे पर पुलिस को संवेदी बनाने के लिए उपाय सुझाना और प्रणाली में व्याप्त कमियों को उजागर करना ।

अध्ययन से उभर कर आई मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :–

(i) दिखावट, वेशभूषा, परम्परा, भाषा, आहार वरीयताओं अथवा किसा अन्य के आधार पर भेदभाव को परिभाषित करने और उसे शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 के क्षेत्र को व्यापक करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना ।

(ii) लोगों को उनका बचाव करने और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने वाले कानूनों के बारे में जानकारी देने की जरूरत है । यह कार्य स्थानीय पुलिस के नियमित सहयोग से सिविल समाज

समूहों, छात्र एसोसिएशनों, विश्वविद्यालय/कालेज के डीन, छात्र कल्याण संगठनों को सौंपा जा सकता है ।

(iii) पूर्वोत्तर के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक बनाने और उन्हें अपेक्षित कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए पहुंच कार्यक्रम शुरू करना ।

(iv) राज्य और मुख्यतः सुरक्षा बलों एवं पुलिस को जेंडर मुद्दों पर संवेदनशील बनाने की जरूरत है । इसे पुलिस प्रशिक्षण के सभी स्तरों पर समेकित किया जाए । प्रशिक्षण पाठ्यक्रम महिलाओं के मुद्दों पर कार्य कर रहे वकीलों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित किया जाए और यह क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विशिष्ट होना चाहिए ।

(v) महानगरों में पुलिस बल में और अधिक महिलाओं को शामिल किया जाए । महानगरों में और अधिक महिला संरक्षण एकक स्थापित किए जा सकते हैं । भर्ती की पद्धति में पूर्वोत्तर और अन्य क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया जाए ।

(vi) संवेदनशील क्षेत्रों को अभिनिर्धारित करना और ऐसे क्षेत्रों में बेहतर रोशनी की व्यवस्था और गश्त के साथ पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्कों की स्थापना करना ।

(vii) अल्पसंख्यक विभाग (केंद्रीय स्तर पर) और महिला एवं बाल विकास विभाग (राज्य स्तर) के अधीन 24x7 कार्यशील महिला हैल्पलाईन स्थाापित की जाए ।

(viii) अनुसंधान केंद्रों और पुलिस अकादमियों को अलग–अलग महानगरों के पुलिस अधिकारियों को लाना चाहिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों और सोसायटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए प्रशिक्षण हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में अल्पकालीन दौरों पर ले जाना चाहिए ।

(ix) पूर्वोत्तर क्षेत्र की महिलाओं को अपने हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए महानगरों में समुदाय आधारित सहायता समूहों के साथ पंजीकृत कराना चाहिए ।

(x) महिला केंद्रित संगठनों, महिला आयोगों और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मीडिया के लिए क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर, भेदभाव एवं सांस्कृतिक मुद्दों संबंधी प्रशिक्षण कैप्सूल तैयार किए जाने चाहिए ।

(xi) पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में अधिक पाठकों तक पहुंच बनाने और सांस्कृतिक समझ में वृद्धि करने के लिए स्थानीय साहित्य का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद कराया जाए ।

(xii) छात्रों और समुदाय आधारित संगठनों द्वारा खेलों, पारस्पारिक संवादों, आहार एवं सांस्कृतिक समारोहों, कार्यक्रमों और सम्मेलनों अथवा लघु फिल्मों, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सांस्कृतिक अंतरालों को पाटना ।

(xiii) कानून के बारे में लोगों को शिक्षित करने, जेंडर मुद्दों पर पुलिस का संवेदाकरण करने, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों, महिला हैल्पालाइन और पूर्वोतर की संस्कृति को समझने के लिए प्रशिक्षण पर अपेक्षित नियमित फीडबैक प्रणाली स्थापित की जाए ।

## 4- fof/k ldk;] fnYyh fo'ofo|ky; }kjk rstkc geyk % efgykvk d fo#) rstkc gey d fufgr dkj.kk vkj jkT; çfrfØ;k dh ç—fr ij v/;;u

अध्ययन को आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान अनुमोदित किया गया था और सिफारिशों के साथ अध्ययन की रिपोर्ट वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा अनुमादित की गई । अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :–

(i) यह समझने के लिए कि कानून कहां और कैसे महिलाओं के विरुद्ध तेजाब हमले की घटनाओं को रोकने में असफल रहे, मौजूदा कानूनों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना ।

(ii) इस समस्या के निहित सामाजिक–आर्थिक कारणों का अध्ययन करना और इसकी उत्पत्ति पर प्रहार करने के लिए व्यावहारिक उपाय सुझाना ।

(iii) कानूनों में क्रमिक संशोधनों की और उनके क्रियान्वयन में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(iv) उत्तरजीवियों की चिकित्सा देखरेख, उनके पुनर्वास और बाद में समाज की मुख्यंधारा में पुनर्समेकन के लिए पक्का और आसान तंत्र विकसित करना ।

अध्ययन से उभर कर आई मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :–

### a) fo/kkf;dk d fy, flQkfj'k %&

(i) पीड़ितों को लोगों द्वारा तिरस्कार से बचाने के लिए तेजाब हमलों की पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर प्रतिबंध होना चाहिए ।

(ii) ऐसे मामलों में अपराधियों के सफल अभियोजन के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में तेजाब हमलों के बारे में परिकल्पना से संबंधित एक उपबंध पुरःस्थापित किया जाए ।

(iii) तेजाब हमलों के मामलों में अपराध की जघन्यता के कारण न कि अपराधी की आयु के कारण किशोर की दलील को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) राज्यों को तेजाब हमलों के उत्तरजीवितों को नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देना चाहिए।

### b) dk;ikfydk d fy, flQkfj'k %&

(i) राज्यों को महिलाओं पर तेजाब हमलों के निवारण के लिए विष अधिनियम, 1919 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और तेजाब की बिक्री के लिए कठोर विनियामक तंत्र तैयार करें और उसे अधिसूचित करें ।

(ii) धन की कमी को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती एवं उपचार के रूप में बेहतर चिकित्सा देखरेख और पुनर्रचना सर्जरी में निरंतरता सुनिश्चित की जाए । अस्पतालों को स्वयं ही दवाइयां और विशेष कपड़े आदि पीड़िता को उपलब्ध कराने चाहिए । उनके इलाज का पूरा खर्चा राज्य को वहन करना चाहिए ।

(iii) पुलिस को अधिक सक्रियता और तेजी से जांच करनी चाहिए और फॉस्ट ट्रैक विचारण के लिए आरोप पत्र दाखिल करना चाहिए । हमला करने वाले के खिलाफ आरोप का सही निर्धारण सुनिश्चित किया जाए ।

(iv) राज्य को उपचार एवं अन्य लागतों को वहन करने के लिए उत्तरजीविता के संघर्ष में सहायता करने के लिए उन्हें पेंशन जैसी आजीवन सुविधाएं देनी चाहिए ।

(v) पूर्णरूप से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्तरजीविता के पुनर्वास की आश्यकता के लिए उपचार एवं परामर्श अपेक्षित है । इसके अलावा, उनके समाज में पुनर्समेकन के लिए उन्हें आत्म–निर्भर बनाने के लिए रोजगार दिया जाए ।

(vi) सरकार को तेजाब के उपयोग से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत है और घरेलू प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए ।

(vii) राज्यों को सार्वजनिक स्थलों के साथ–साथ निजी स्थलों पर भी महिलाओं के लिए प्रतिबद्धित हैल्प लाइनों, एंबुलेंस सेवाओं, आत्मरक्षा की तकनीकों में प्रशिक्षण, प्रथम उपचार करने आदि आदि जैसे संरक्षणात्मक उपायों में वृद्धि करनी चाहिए ।

(viii) सार्वजनिक परिवहन वाहनों में जीपीएस लगाकर, देश में सभी जगह सीसीटीवी लगाकर, स्मार्ट फोनों के माध्यम से यात्री सूचना प्रणाली, परिवहन विभाग में महिला प्रवर्तन विंग की स्थापना आदि करके अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्भया फंड का उपयोग करना ।

c) U;k;ikfydk d fy, fl Qkfj'k %&

(i) तेजाब हमलों के मामलों में जमानत नहीं दी जाए ताकि पीड़िता धमकियों, दवाब, अवसाद, असुरक्षा आदि से मुक्त रहेगी ।

(ii) शिकायत को वापस लेने की अनुमति न दी जाए और राज्यों को महिलाओं को न्याय की तलाश में आ रही बाधाओं को मिटाने के लिए अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

(iii) मामलों को फॉस्ट ट्रैक किया जाए और दोषियों के समयबद्ध तरीके से कठोर सजा दी जाए ।

(iv) अभियोजकों को उनके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए और राज्य को मामलों में सख्त हस्तक्षेप करना चाहिए । पीड़ितों को अभियोजन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति दी जाए ।

(v) पीडिता को खुलकर पक्ष रखने और दूसरी महिला के सामने बिना संकोच के अभिसाक्ष्य देने में सहायता करने के लिए महिला अभियोजकों एवम महिला न्यायाधीशों को तेजाब हमलों के मामलों की सुनवाई करनी चाहिए ।

(vi) लोगों की सामाजिक संचेतना को बनाए रखने के लिए निवारक उदाहरण प्रस्तुति करने हेतु भारी सजा और कठोर कार्रवाई का प्रावधान किया जाए ।

(vii) न्यायपालिका को आरोपी पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए और इस राशि का पीड़िता को उसके शेष जीवन भर के लिए भरण–पोषण एवं सहायता के लिए मासिक किस्तों में भुगतान किया जाए ।

(viii) न्यायाधीशों को पीड़ितों को मुआवजा तय करते समय वर्तमान एवं भावी चिकित्सा व्ययों के लिए, उपार्जनों के नुकसान, विरूपता एवं शारीरिक विकलांगता आदि को ध्यान में रखते हुए, अक्षमता की अवधारणा की समग्र समझ होनी चाहिए ।

## 5- lnu bf.M;k ,tdsa'ku VªLV] pUubZ }kjk Hkkjr esa efgykvksa ds fo#) fgalk ds [krjs dks fu;af=r djus ds rjhdksa ij v/;;u fjiksVZ

अध्ययन को आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के दौरान अनुमोदित किया गया था और सिफारिशों के साथ अध्ययन की रिपोर्ट वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा अनुमादित की गई । अन्य बातों के साथ–साथ अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :–

a) अध्ययन हेतु चयनित क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक – आर्थिक स्थिति का समझना

b) महिलाओं द्वारा झेली जा रही हिंसा के विभिन्न रूपों का अभिनिर्धारण और उनका वर्गीकरण करना, महिलाओं द्वारा झेली जा रही हिंसा के कारणों का विश्लेषण करना ।

विभिन्न स्तरों पर हस्तक्षेपों के लिए अध्ययन से उभर कर आई मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :–

### a) dsaæ ljdkj %&

(i) जेंडर समानता और मानवाधिकार की हिमायत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति राष्ट्रीय प्रगति की मॉनेटेरी को सुदृढ़ बनाए जाने की जरूरत है ।

(ii) महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और राष्ट्रीय कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों में आवश्यक बदलाव लाने के लिए विधानों को प्रतिबद्धताओं का पूरक बनाने के लिए प्रयास किए जाएं।

(iii) स्थिति को बेहतर समझने और उसके लिए उपयुक्त हस्तक्षेपों का समर्थन करने के लिए बहु–केंद्रित परियोजना के रूप में सभी महिलाओं के लिए आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन किए जाने चाहिए।

(iv) हानिकारक परंपरागत प्रथाओं को मिटाने / दूर करने के प्रयासों में समर्थन व सहायता करने के लिए उपयुक्त संगठनों से सहायता, जानकारी एवं सलाह मांगी जाए ।

### b) LFkkuh; ljdkj %&

(i) जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि दैनंदिन की स्थिति की तुलना में घरेलू हिंसा के मामलों की कम रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट करने के बारे में जानकारी देने और पुलिस को रिपोर्ट करने के कलंक को मिटाने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए ।

(ii) न्यायिक एवं प्रवर्तन अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को उचित परिस्थितियों में संवेदी

प्रतिक्रिया के लिए लैस करने हेतु उन्हें जेंडर संवेदी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

(iii) घरेलू हिंसा के मामलों में उत्तरदायी एवं उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने में पुलिस की सहभागिता का समाधान अभी भी किया जाना है ।

(iv) सरकार को हिंसा की पीड़ित महिलाओं को अभिनिर्धारित करने में सहायता करने के लिए और उन्हें उचित परामर्श एवं रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों में विशेष विभागों की स्थापना करनी चाहिए ।

(v) हिंसक कार्रवाई से मुक्त रहने के लिए महिलाओं की जरूरतों के लिए समर्थन, सहायता लक्षित व्यक्तिशः संकेंद्रण बनाए जाएं ।

**c) uhfr fuekZrk %&**

(i) मौजूदा कार्य योजनाओं में अंतरालों को अभिनिर्धारित करना ।

(ii) नई नीतियों का निरूपण और भेदभाव को मिटाने के लिए कार्यनीतियों एवं उपायों कारगर ढंग से लागू करना ।

(iii) जिला एवं म्यूनिसिपल स्तर पर नीतियों के कारगर क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना जो विकसित की गई कार्य योजना को सुदृढ़ बनाएगा और निरंतरता के लिए कार्य करेगा ।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि समानता की बाधाओं, ऐसी बाधाओं सहित जो निरक्षरता, भाषा एवं निर्धनता के परिणाम स्वरूप आती हैं, से निपटा जाए ।

**d) vuqla/kku ,tsfl;ka %&**

(i) समस्याओं के बारे में सभी अनुसंधान मंचों के माध्यम से निकल कर आए अनुसंधान निष्कर्षों के आधार पर उपयुक्त शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संगोष्ठियों की शुरूआत करना ।

(ii) महिलाओं के अलाभकारी घरेलू क्रियाकलापों को मापने एवं उनका मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान एवं प्रायोगिक अध्ययनों को बढ़ावा देना और सहायता करना ।

(iii) मनोभावों, रिवाजों और प्रथाओं जिनके परिणामस्वरूप महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती है, की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण अपेक्षित हैं ।

**e) Nk= %&**

(i) छात्रों विशेषकर लड़कियों के लिए दुर्व्यवहार, लैंगिकता, और अच्छे संबंधों पर पाठों को समेकित किया जाए ।

(ii) पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी लड़कियों को दूरस्थ शिक्षा जारी रखने की अनुमति के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता को हटा दिया जाए ।

## 6- lkekftd vuql/kku dæ] ub fnYyh }kjk Þçlfr ykHk vf/kfu;e] 1961 d fØ;kUo;u dh dkjxjrk dk fo'y"k.kß ij v/;;u

अध्ययन को आयोग द्वारा वर्ष 2011 – 12 के दौरान अनुमोदित किया गया था और सिफारिशों के साथ अध्ययन की रिपोर्ट वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा अनुमादित की गई । अन्य बातों के साथ – साथ अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :–

a) भारत में प्रसूति विधानों की समीक्षा करना और प्रसूति लाभ कार्यक्रमों के सामान्य लाभों एवं हानियों का पता लगाना;

b) प्रसूति अवकाश पर जा रही या अवकाश से लौट रही महिलाओं के सामने आ रही कठिनाइयों (यदि कोई हों) को जाहिर करना और मौजूदा कानून के बारे में महिला कर्मचारियों में जागरूकता के स्तर का विश्लेषण करना ।

केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई के लिए अध्ययन की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :–

प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत तय दिनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कानून में संशोधन किया जाए ।

(i) भारत सरकार को के. कलईसेल्वी बनाम चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट जिसका प्रतिनिधित्व चेयरमेन, 1, राजाजी सलाइ, चेन्नई–600001 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 04.03.2013 को दिए गए हालिया आदेश पर गौर करना चाहिए ।

(ii) सेवा क्षेत्र स्थापनाओं में कार्य कर रही सभी महिलाओं को प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 के दायरे में लाया जाना चाहिए ।

(iii) भारत सरकार को राशि के अंतरण के लिए अधिनियम के दायरे में यूआईडी का प्रावधान शामिल करना चाहिए ।

(iv) भारत सरकार को इस अधिनियम के दायरे में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कार्य रही महिलाओं के प्रावधान को शामिल करना चाहिए ।

(v) जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत गणना की गई है, लाभों की हकदारियों पर महिला एवं बाल विकास, स्वांस्थ्य, ग्रामीण विकास, श्रम मंत्रालयों के अभिसरण की जरूरत है ।

(vi) कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए ।

(vii) चिकित्सा बोनस और पालन–पोषण अवकाश के बारे में अधिनियम के क्रियान्वयन में सुधार करने की अत्यावश्यकता है ।

(viii) पोषण, प्रसूति लाभों और स्वास्थ्य देखरेख तक पहुंच की हकदारियों के लिए लिंग विकेंद्रीकृत आंकड़ा आधार बनाए जाने की जरूरत है ।

**7- vf[ky Hkkjrh; 'kkfr ,oa vkink çca/ku Qkm.Ms'ku] ubZ fnYyh }kjk ÞfnYyh esa fuEu vk; oxZ ds efgyk lewgksa ds lkFk lkeqnkf;d Lrj ij vkink dh laosnu'khyrk dk eY;kaduß ij v/;;u**

अध्ययन को आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान अनुमोदित किया गया था और सिफारिशों के साथ अध्ययन की रिपोर्ट वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा अनुमादित की गई । अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :–

a) दिल्ली में उपेक्षित समुदाय, विशेषकर निम्न आय वर्ग के महिला समूहों का अध्ययन करना ।

b) इनमें आपदा प्रबंधन की जानकारी के स्तर का पता लगाना ।

रिपोर्ट से उभर कर आई मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :–

(i) दिल्ली में महिलाओं में, विशेषकर निम्न आय वर्ग के महिला समूहों में आपदा प्रबंधन की जागरूकता के प्रसार की अत्यावश्यकता है ।

(ii) दिल्ली सरकार को स्थानीय भाषाओं में आपदा प्रबंधन पर एक पत्रिका निकालनी चाहिए और उन्हें नियमित रूप से वितरित करनी चाहिए ।

(iii) आपदा प्रबंधन में महिला नेतृत्व को शामिल करने की अत्यावश्यकता है और इस प्रयोजन के लिए सरकार को मीडिया को आपदा के बारे में जागरूकता प्रसार में जोड़ना चाहिए ।

(iv) आपदा प्रबंधन के स्तर को समझने के लिए, सरकार को स्थनीय समुदाय के लिए कार्य करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को जोड़ना चाहिए ।

(v) महिलाओं में आपदा की तैयारी करने के लिए बैनर, पोस्टर, पर्चियां आदि भी एक साधन हो सकते हैं सरकार को ऐसे बैनरों के जो महिलाओं में आपदा प्रबंधन के बारे में अच्छी समझ पैदा कर सकते हैं, वितरण के लिए उचित स्थल निर्दिष्ट करने चाहिए ।

(vi) स्कूली लड़कियों (निजी एवं सरकारी स्कूलों की) को दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए ।

(vii) सरकार को आपदा की तैयारी के लिए लड़कियों में जागरूकता विकसित करने के लिए मॉक ड्रिल जैसे अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए ।

(viii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली् की सरकार को आपदा प्रबंधन किट बनानी चाहिए और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना चाहिए ।

(ix) प्रत्येक घर में एक हेलमेट होना चाहिए ।

**8- vkj-oh- bathfu;fjax dkyst] eSlwj jksM] csxy#] dukVd }kjk Þvkbz/Vh @ vkbzVhbZ,l {ks= dukVd esa fØ;kfUor efgyk Ldheksa dh çHkko'khyrkß fo"k; ij fd;k x;k v/;;u**

अध्ययन वर्ष 2012–13 में अनुमोदित किया गया और आयोग द्वारा रिपोर्ट वर्ष 2014–15 में अनुमोदित की गई । अन्य–बातों के साथ–साथ अध्ययन के मुख्य् उद्देश्य थे :–

a) आईटी / आईटीईएस क्षेत्र में कल्याणकारी उपायों के क्रियान्वयन को समझना और आईटी / आईटीईएस क्षेत्र में महिला कल्याण की स्कीमों से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का विश्लेषण करना।

b) महिला कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण तंत्र ।

अध्ययन से उभर कर आई कुछ सिफारिशें निम्निलिखित हैं :–

(i) आईटी / आईटीईएस उद्योग को किसी अन्य उद्योग की तरह न्यूनतम मजदूरी मानकों और कानूनों का अनुपालन करना चाहिए और अस्पष्टता को हटाने के उद्देश्य से रोजगार की निबंधन और शर्तें निर्विवाद रूप से प्रलेखीकृत की जाएं और उनका प्रचार–प्रचार किया जाए ।

(ii) नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी सांविधिक प्रावधान अर्थात् उपदान, भविष्य निधि, बीमा आदि सभी स्तरों पर, महिलाओं सहित सभी कर्मचारियों को उपलब्ध होने चाहिए ।

(iii) सभी आईटी / आईटीईएस उद्योगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि समय–समय पर किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 के अनुरूप महिला कर्मचारियों को प्रसूति लाभ दिए जाएं । इसके अलावा, कामकाजी माताओं को शिशुओं एवं बच्चों के लिए बाल देखरेख सुविधाओं का उपयोग करने के लिए नर्सिंग एवं अन्य देखरेख अवसरों को सुलभ बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएं ।

(iv) आईटी / आईटीईएस उद्योगों को शाम एवं रात्रि की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के जोखिम / दुर्घटना से बचाव करने के लिए घर से लाने और घर छोड़ने के साथ सुरक्षा सुविधा के साथ परिवहन उपलब्ध कराना चाहिए ।

(v) नियोक्ता को अपनी श्रमिक कल्याण नीतियों / उपायों में पुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार करने और यह देखने के लिए कि पदोन्नति, वेतन और अन्य लाभों के मामलों में कोई भेदभाव न हो, जेंडर तटस्थ दृष्टिकोण का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ।

(vi) नियोक्ता वैध अवकाश के बाद स्थापना में पुनः जुड़ने वाली महिला कर्मचारियों के लिए प्रावधान बनाएगा।

(vii) मानव संसाधन विभाग को व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन के बीच अच्छे संतुलन को जोड़ने के महत्व को बताने के लिए पहलें करनी चाहिए और संप्रेषण करना चाहिए ।

(viii) दृश्य उत्पादकता संबंधी व्यापक अनुभूति को कार्य के घंटों की लंबाई के बजाय कारगरता पर संकेंद्रण करते हुए बदलाव किया जाए और परिणामों को बढ़ावा देने के लिए संचार प्रौद्योगिकी और कुशल समय प्रबंधन की कार्यनीति पर बल दिया जाए ।

## 9- vfHk0;fä Qkm.M'ku] vkIQ vyh jkM] deyk uxj] ub fnYyh }kjk fd;k x;k Þ vYi I[;dk ij fo'k"k /;ku Idfær djr g, mUur foKku ,o çk|kfxdh e efgykvk dk egRoi.k fo'y"k.kß

अध्ययन वर्ष 2012–13 में अनुमोदित किया गया और आयेाग द्वारा रिपोर्ट वर्ष 2014–15 में अनुमोदित की गई । अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :–

a) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं (सामान्य और अल्पसंख्यक श्रेणी) की भागीदारी का मूल्यांकन करना और उनकी भूमिका का पता लगाना ।

b) उन बाधाओं को समझना जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका एवं भागीदारी प्रभावित करती हैं

अध्ययन से उभर कर आईं मुख्य सिफारिशें हैं :–

### a) IkekU; %&

(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी) की जरूरत और महत्व, विज्ञान विषय के बारे में मिथकों एवं मिथ्या, धारणाओं जैसे कि विज्ञान कठिन है आदि पर संकेंद्रित जेंडर संवेदीकरण शुरू किया जाए।

(ii) भारतीय महिला वैज्ञानिकों के स्तर एवं स्थिति पर, उनके संबंधित कार्य क्षेत्र में, उपलब्ध सूचना पर्याप्त नहीं है । जेंडर विकेंद्रीकृत आंकड़ों के साथ अनुभवजन्य प्रकृति के अनुसंधान की आवश्यक है । इसलिए, महिला वैज्ञानिकों से संबंधित मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्ययन की जरूरत है ।

### b) fof'k"V %&

#### *(a) ckfydk vkj foKku %&*

(i) ऐसा पर्यावरण विकसित करने की जरूरत है जो बालिकाओं को विज्ञान को समझने तथा विज्ञान के बारे में सुरूचि विकसित करने में सहायता करे । इस संबंध में, शिक्षा की शाखा के चयन में बालिका की पसंद को वरीयता दी जानी चाहिए ।

(ii) गणित और विज्ञान में सफल महिला आदर्श मॉडलों के बारे में बालिकाओं को जानकरी देने को नकारात्मक रूढ़िवादी धारणाओं को कम करने का दूसरा तरीका बनाया जाए ।

(iii) अनुसूचित जनजाति के महिला शिक्षकों की संख्यां, जो विज्ञान विषय में बालिकाओं की रुचि बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं, बढ़ाए जाने की जरूरत है ।

(iv) प्रयोगशाला सुविधाओं के साथ दूरस्थ शिक्षा महिलाओं को विवाह के बाद और प्रसवावस्था के दौरान विज्ञान से संबंधित विषयों को पढ़ाई करने में सहायता कर सकती है । इसे उपलब्ध कराया जाए ।

(v) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों की पढ़ाई करने के लिए लड़कियों और महिलाओं को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाए ।

### (b) ifjokj vkSj lekt dh Hkkxhnkjh %&

(i) सरकार, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों को परिवार और समाज के संवेदीकरण में और बालिकाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का हिस्साा बनने के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाने की जरूरत है ।

(ii) महिला वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नवाचारों और परीक्षणों को बनाए रखने के लिए अद्यतन आंकड़ों की जरूरत है ।

### (c) efgyk uhfr;k vkSj dk;ZØe %&

(i) सरकार को शिशु देखभाल (CCL) अवकाश, नियोजित महिला वैज्ञानिकों के बच्चों की देखरेख और महिला वैज्ञानिकों के कार्य के घंटों की समीक्षा करने की जरूरत है ।

(ii) लाभों को  वंचना, अलगाव अथवा आरक्षण के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जाए ।

(iii) सरकार को महिलानुकूल भर्ती नीतियां रखनी चाहिए । इस संबंध में, सभी निर्णय निर्माताओं को नीति का अनुसरण और अनुपालन की करने मानसिकता रखनी चाहिए । किसी भी क्षेत्र में चयन का मानदंड योग्यता होनी चाहिए ।

(iv) सरकार को उचित नीति वातावरण उपलब्ध करने की जरूरत है जो महिलाओं को पारिवारिक और पेशेवर उत्तरदायित्वों के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है ।

(v) सभी विज्ञान संस्थानों का अधिदेश महिलाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना होना चाहिए ।

## 10- ekuork dk fodkl dk fy, LofPNd dk;Z dk dk;Zdrkvksa }kjk vk;kftr ÞmÙkj çns'k esa eqfLye efgykvksa dh fLFkfr ij y[kuÅ] cjkcadh] lhrkiqj vkSj mUuko ftyksa esa fd;k x;k ,d v/;;uÞ

इस अनुसंधान अध्ययन को वर्ष 2013–14 के दौरान आयोग द्वारा संस्वीकृत किया गया तथा अध्ययन की रिपोर्ट वर्ष 2014–15 के दौरान अनुमोदित की गई।

विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई के लिए इस अध्ययन की अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं :–

### (a) dsanz ljdkj ds fy, %&

(i) बहु–विवाह प्रथा को दूर करने के लिए मुस्लिमों के निजी कानून में बदलावों की तथा तलाक से संबंधित उपबंधों में महिलाओं को और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।

(ii) एक समान सिविल कोड बनाने के प्रस्ताव का सशक्त ढंग से अनुसरण किया जाना चाहिए। आम समाज तथा उनके धार्मिक नेताओं के विचारों के बदले बिना यह संभव नहीं होगा।

(iii) जनता की राय बनाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के अभियानों के तहत मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग को तैयार करके आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

(iv) राष्ट्रीय नीति के रूप में घरेलू क्षेत्र में शिल्पकारों, कृषि मजदूरों सहित असंगठित सेक्टर के सभी कामगारों को केंद्र सरकार द्वारा जीवन बीमा कवर दिया जाए। इससे उनके परिवारों को कम से कम कुछ सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

(v) समावेशी विकास की योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि मुस्लिम महिलाएं अपने सशक्तिकरण से वंचित न रहें।

**(b) jkT; ljdkj ds fy, %&**

(i) राज्य सरकार को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र की आबादी के सभी बच्चों के पंजीयन हेतु अपने प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता है।

(ii) सरकार को लड़कियों के वरिष्ठ बेसिक और माध्यामिक स्कूलों के स्थल की दूरी घटाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसे क्षेत्रों में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूलों में जाना सुकर हो सके ।

(iii) गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहारों, अतिरिक्त पोषाहार तथा बच्चों के विकास के लिए अच्छी शिक्षा की महत्ता पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

(iv) मुस्लिम परिवारों में परिवार नियोजन तथा इसके उपायों पर जागरूकता कार्यक्रमों में जोर दिया जाना चाहिए।

**(c) xzkeh.k @ 'kgjh LFkkuh; fudk;ksa ds fy, %&**

(i) राज्य सरकार द्वारा इन निकायों को अपने क्षेत्रों में महिलाओं के साथ अत्याचारों /उत्पीड़न से संबधित सूचना देने के लिए राज्य महिला आयोग की तरह सशक्त बनाया जाना चाहिए।

(ii) उन्हें अलग–अलग विशिष्ट मामलों के आधार पर इस प्रथा के खिलाफ मीडिया में अभियान चलाने चाहिए। चुने हुए सदस्यों को इस संबंध में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

**(d) laxBu vFkok xSj&ljdkjh laxBu %&**

(i) बाल विवाहों, महिलाओं और लड़कियों के अवैध देह व्यापार जैसे मुस्लिम लड़कियों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को संघटित करने हेतु मुस्लिम महिला कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

**11- lok ;Ru thok dY;k.k laLFkku] t;iqj] jktLFkku }kjk ÞvYi;ksj fty ds xzkeh.k {ks= esa L=h xHkZfujks/kdksa dh miyC/krk] igqap vkSj ç;ksxß ij v/;;u**

इस अध्ययन का 2012–13 के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदन किया गया तथा अध्ययन की रिपोर्ट वर्ष 2014–15 के दौरान अनुमोदित की गई। अन्य बातों के साथ–साथ इस अध्ययन के उद्देश्य थे :–

a) गर्भनिरोधक उपयोग करने वाली महिलाओं के आयु वर्ग का अध्ययन करना;

b) राजस्थान के अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं हेतु गर्भनिरोधकों की पहुंच तथा उपलब्धता।

राज्य और केंद्र सरकार तथा स्थानीय सरकार और एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जाने वाली मुख्य अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :–

(i) गर्भनिरोधकों के बारे में ग्रामीण स्त्रियों को उचित शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि बहुत ही कम स्त्रियां जन्म नियंत्रण के सभी प्रकार के तरीकों को जानती हैं।

(ii) जन्म नियंत्रण के तरीकों और गर्भनिरोधकों पर जागरूकता पैदा करने के लिए महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं के लिए संबंधित क्षेत्रों में यौन शिक्षा पर समुचित कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए।

(iii) गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में जानकारी देने के लिए चौपालों, नौटंकी, टी वी विज्ञापनों आदि जैसी और अधिक सोशल विज्ञापन मीडिया का उपयोग किया जाए।

(iv) जन्म नियंत्रक उपायों के बारे में पुरुष पार्टनरों को भी समान रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें शिक्षित और नियंत्रण में उनकी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए।

(v) जन्म नियंत्रण उपायों के उपयोग के प्रभावों को सभी के समक्ष स्पष्ट किया जाना चाहिए। पृथक–पृथक उपायों के लाभों की व्याख्या करने के लिए एनजीओ/मेडिकल प्रैक्टिशनरों द्वारा विशेष सत्र आयोजित किए जाने चाहिए।

(vi) परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को भी इन उपायों के बारे में शिक्षा दी जानी चाहिए।

(vii) इतना आरामदायक माहौल बनाया जाना चाहिए कि लोग अपने परिवार के सदस्यों के अलावा मेडिकल प्रैक्टिशनरों के साथ खुले रूप से ऐसे मुद्दों पर चर्चा कर सके।

(viii) जन्म नियंत्रक उपायों का वितरण इस तरीके से किया जाना चाहिए कि उत्पाद की खरीदारी शक्ति महिलाओं के नियंत्रण में हो।

(ix) आबादी नियंत्रण संबंधी उप केंद्रों तथा महिलाओं के बीच वार्तालाप की कारगरता में वृद्धि हेतु बढ़ाया जाना चाहिए।

(x) उप केंद्रों के कर्मचारियों को गोपनीय और सुविधाजनक तरीके से सूचनाप्रद और प्रचारक सूचना देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(xi) सभी आयु वर्ग की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करने हेतु कि वे इन उपायों का उपयोग करें तथा अपने पतियों को भी इन उपायों का अनुसरण करने हेतु प्रेरित करें। महिलाओं को परिवार नियोजन के उपायों के प्रभावों तथा उनके सकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

## 12- mÙkjh Hkkjr e v,uj fdfyx d lkekftd fof/kd igy % [kki ipk;rk vkj leku xk= e fookgk d fo'k"k lanHk e M,- m"kk VMu] ,lkfl,'ku çkQlj] fof/k ldk;] fnYyh fo'ofo|ky; }kjk vk;kftr vuHkotU; v/;;u

इस अध्ययन को वर्ष 2010–11 के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया तथा वर्ष 2014–15 के दौरान इसे अंतिम रूप दिया गया। यह अध्ययन अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया था :–

a) सामाजिक, सांस्कृतिक और परिवार तर्काधार को समझना जो पारम्परिक उत्तरी भारत के समाज विशेषकर हरियाणा में समान गोत्र विवाहों को रोकता है, तथा यह तर्काधार किस प्रकार समान और संबंधित मूल्यों की अवधारणा से संबंधित है।

b) किस सीमा तक परिवार, कुल तथा समाज के सम्मान की अवधारणा की छानबीन महिलाओं, उनकी लैंगिकता तथा पुरुषों द्वारा उन पर नियंत्रण से संबंधित है।

अध्ययन रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं :–

### a) dæ ljdkj d fy, %&

(i) निम्नलिखित ढंग से समान गोत्र विवाह निषिद्ध करने वाली प्रथा को बचाने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाना चाहिए ।

a) एक नई धारा 5(ए) में इस व्यवस्था की आवश्यकता है कि सपिंड संबंधता से बाहर सगोत्र से संबंधित पक्ष विवाह कर सकते हैं चाहे उन दोनों द्वारा माने जाने वाली प्रथा अथवा उन पर शासी लोकाचार दोनों को ऐसे विवाह करने से रोकते हों।

b) धारा 5(ए) का उल्लंघन हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत इस विवाह को अमान्य करार दे जिसके लिए धारा 11 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

c) सगोत्र शब्द परिभाषित किया जाए ।

(ii) एक समान गोत्र विवाह को निषिद्ध करने की प्रथा को बचाने के लिए निम्निलिखित तरीके से विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन किया जाना चाहिए :–

a) नई धारा 4(ए) में इस बात को शामिल किए जाने की आवश्यकता है कि सगौत्र से संबंधित पक्ष विवाह कर सकते है चाहे उन दोनों की प्रथा अथवा उनके लोकाचार दोनों को ऐसे विवाह के लिए निषिद्ध करते हों।

b) धारा 4(ए) का उल्लंघन विशेष विवाह अधिनियम की धारा 24(1) के अंतर्गत इस विवाह को अमान्य करार दे सके । इसके लिए धारा 24 की उप–धारा (1) में नया खंड जोड़ा जा सकता है।

c) सगोत्र शब्द को परिभाषित किया जाए।

(iii) पृथक कानून न केवल ऑनर किलिंग से संबंधित है बल्कि ऑनर अपराध भी शीघ्रतिशीघ्र इसमें शामिल हो। भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को साधारण रूप से संशोधित करना पर्याप्त नहीं होगा। इस संबंध में एनसीडब्ल्यू द्वारा तैयार प्रारूप विधेयक सराहनीय है, तथापि इसे निम्नलिखित टिप्पणियों के आलोक में संशोधित किया जाए :–

a) ऑनर तथा परम्परा के नाम पर अपराधों की रोकथाम विधेयक 2010, विधेयक से "परम्परा" शब्द को हटाए जाने की जरूरत है।

b) विवाह अथवा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के धर्मनिरपेक्ष कानून में पार्टनर को चुनने के अधिकार को व्यक्त, करने वाले विधेयक की धारा 3 को शामिल करने का प्रावधान किया जाए।

c) धारा (3) में, आठवीं पंक्ति में रखे गए शब्द धारा (1) को बदल कर "धारा 3" किया जाए।

d) धारा (5) में "वे समान प्राकृतिक माता–पिता से बच्चे हैं तथा" शब्दों की व्याख्या 1(प) को हटाया जाना चाहिए।

e) विधेयक की धारा (9) का पुनः प्रारूप बनाया जाना चाहिए क्यों कि "सरकारी पदाधिकारियों" शब्दों का प्रयोग अत्यधिक अस्पष्ट है धारा का अंतिम भाग अर्थात "उक्त दम्पंत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं" स्पष्ट नहीं है।

f) अधिनियम की धारा (15) को हटाया जाना चाहिए क्योंकि 30 दिन से कम न होने की अवधि का इंतजार करने की एसएमए, 1954 की जरूरत महिलाओं के दृष्टिकोण से लाभकारी है।

g) विधेयक को "ऑनर के नाम पर अपराध" परिभाषित किया जाए।

h) पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के मुद्दों को भी विधिक बनाए जाने की जरूरत है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस को कुछ विशेष शक्तियां दी जाएं।

## b) jkT; ljdkj dk fy, %&

(i) राज्य के शैक्षिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए राज्य सरकार को और अधिक निवेश करना चाहिए।

(ii) राज्य कानून को सशक्त रूप से लागू करें, ऑनर किलिंग के रूप में अपराधों को समुचित ढंग से न पता लगाने के लिए पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन को चेतावनी दी जाए, चूंकि ऑनर किलिंग के न के बराबर मामले ही अदालत पहुंच पाते हैं।

## c) LFkkuh; vkj vU; fudk; %&

(i) समाज की सोच और अवधारणा में बदलाव की जरूरत है। विशेषकर ऑनर के मुद्दे पर पंचायतों की सोच बदलने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षित करने हेतु गैर–सरकारी संगठनों को संलग्न किया जा सकता है।

(ii) इस प्रयोजनार्थ कतिपय मॉडयूल समाज में विभिन्न कार्यशालाओं में लागू किए जा सकते हैं।

(iii) ऑनर के नाम पर हत्याओं को रोकने की प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी।

(iv) इस प्रकार के प्रयोजनार्थ, जेंडर समानता तथा जेंडर न्याय पर गैर–सरकारी संगठनों, सामुदायिक नेताओं, युवाओं में संचेतना पैदा करने तथा उन्हें प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है ।

## 13- lVj vkQ fn LVMh v,Q oY;gt] mn;iqj] jktLFkku }kjk vk;kftr ÞjktLFkku dh nf{k.k Hkkx dh eokM {k= esa gLrf'kYi lDVj esa efgyk dkexkjksa dh fLFkfrÞ ij v/;;u

इस अध्ययन को वर्ष 2011–12 के दौरान सेंटर ऑफ दि स्टडी आफ वेल्यूज, उदयपुर को स्वीकृत किया गया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे :–

a) उनके लिए सामाजिक लाभों तथा सरकारी स्कीमों की कारगता पर महिला जागरूकता का मूल्यांकन करना।

b) इस अध्ययन ने इन महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उपाय सुझाकर इस क्षेत्र में महिला हस्तशिल्प कामगारों के सशक्तिकरण पर भी प्रकाश डाला, महत्वपूर्ण अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :–

### a) dsUæ ljdkj ds fy, %&

लघु स्तरीय हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना, जिससे नरेगा जैसी स्कीमें बनाई जा सके, जिनमें नौकरियों तथा वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। साथ ही, सरकार द्वारा शिल्पकारों को नियमित नौकरियां उपलब्ध कराने हेतु उचित बाजार सपंर्क मुहैया कराने चाहिए।

(i) प्रत्येक राज्य् में उचित अवंसरचना वाले हस्तशिल्प उत्पादों हेतु तकनीकी रूप से उन्नत अनुसंधान के तहत विनिर्माणकारी उद्योग की तलाश की जानी चाहिए। यह उत्पादन क्षमता में सुधार करने तथा लागतों को सुधारने में सहायता करेगा।

(ii) बाजार संबंधित कार्यक्रमों जैसे कि शिल्प बाजारों, ऐम्सपो तथा वस्त्र मंत्रालय को अन्य प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु शिल्पंकारों/गैर–सरकारी संगठनों को टी.ए./डी.ए.। जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा उड़ीसा के कुछ जिलों के शिल्पकारों को पुराने पैटर्न के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए।

(iii) पर्याप्त अवसंरचना के साथ अकोला (हैंडबुक प्रिंट), बस्सी (वूड क्राफ्ट) जैसे कुछ शिल्प गांवों में सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए क्योंकि इन शिल्पों की प्रक्रिया में मशीनों, धुलाई के लिए स्थल आदि जैसी सामान्य सुविधाओं की जरूरत होती है।

### b) jkT; ljdkj ds fy, %&

(i) महिला शिल्पकारों के लिए एक पृथक इकाई/प्रकोष्ठन का सृजन किया जाए, जहां ये महिला शिल्पकार प्रत्यक्ष रूप से परस्पर चर्चा कर सकें तथा उचित सूचना और लाभ प्राप्त कर सकें।

(ii) लघु वित्त को बढ़ावा देने हेतु शिल्प कल्सटरों में स्व–सहायता समूह की अवधारणा को प्रोत्साहित करना।

(iii) प्रत्येक शहर में एक महिला हस्तशिल्प आउटलेट बनाने के लिए नीतियों का विकास करना।

(iv) खिरनी पेड़ पर रोक लगाने की नीति, जिसने उदयपुर में काष्ठ के खिलौनों के शिल्प समुदाय को बुरी तरह प्रभावित किया है, पर फिर से विचार करना।

(v) ग्रामीण महिला शिल्पकारों के नियमित मार्गदर्शन और प्रबोधन हेतु अध्ययन क्षेत्र में सुव्यवस्थित हस्तशिल्प संघ का विकास करना।

(vi) हस्तशिल्प के बारे में युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए उच्च, माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में क्षीयमान शिल्प पर अध्याय शुरू करना।

(vii) शिल्पकारों द्वारा स्थानीय हस्तशिल्प संबंधी प्रशिक्षण शामिल करने के लिए स्कूल शिक्षा का पाठ्यक्रम।

### c) xke ipk;rk@uxj fuxek d fy, ¼&

(i) व्यापक प्रतिपादन और प्रेरणा मुहैया कराने के विषय में, विशेषकर महिला शिल्पकारों को, पर्यटन की दृष्टि से हस्त शिल्प उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए।

(ii) शिल्प समिति में कार्य के माहौल की उचित देखभाल की जानी चाहिए।

(iii) स्थानीय स्तरीय सरकार को कार्यालय हेतु सामग्री के लिए हाथ से बने कागज अथवा स्थानीय शिल्प का उपयोग करना चाहिए।

(iv) गांव में शिल्प समुदाय की कम से कम एक अथवा दो महिलाएं ग्राम पंचायत अथवा सलाहकार समिति में हो सकती हैं।

(v) राज्य सरकार की सहायता से स्थानीय सरकार द्वारा क्षेत्र में शिल्पकारों को सही दामों पर उचित मात्रा और गुणवत्ता में मानक कच्ची सामग्री की अनवरूद्ध आपूर्ति सुलभ करानी चाहिए।

### d) vU; ,tfl;k ¼cdk] VkbQM] if'pe lL—fr vpy½ d fy, %

(i) महिला शिल्पकारों को उनके कौशलों में सुधार करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों जैसी एजेंसियां विभिन्न् प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान कर सकती हैं। एजेंसियां इन शिल्पकारों को अपने स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन करने के लिए जुटा सकती हैं और उन्हें प्रेरित कर सकती है।

(ii) स्व–सहायता समूहों का सृजन किया जा सकता है और उन्हें एक टीम की तरह काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है जिससे वे आसानी से ऋण प्राप्त कर सकती हैं।

(iii) बैंकों को शिल्पकारों के कागजात पूरे करने तथा उन्हें ऋण वितरण हेतु विनिर्दिष्ट स्थानों पर कैम्प लगाने चाहिए।

(iv) महिला शिल्पकारों को डाकघर के माध्यम से भी वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(v) वेबसाइट पर "मेवाड़" जनजातीय क्षेत्र की हस्त शिल्प रूपरेखा तथा विवरणिका आदि का प्रकाशन रखने की सुविधाएं "मेवाड़" हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु उपलब्ध करानी चाहिए। सोशल मीडिया तथा ऑनलाइन पोर्टल का इन उत्पादों के बाजारवाद को बढ़ाने तथा महिला शिल्पकारों को सीधे फायदा देने के लिए काफी उपयोग किया जाना चाहिए।

(vi) क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्यों पर प्रदर्शन केंद्रों/बिक्री दुकानों को खोलने, क्षेत्रवार आवधिक संवर्धनात्मक क्रियाकलापों का आयोजन करके बाजार संपर्क तथा जनजातीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु एनएसटीएफडीसी/ट्राईफेड को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

## 14- tkfe;k fefy;k bLykfe;k fo'ofo|ky;] ubZ fnYyh }kjk Hkkjr esa [kki iapk;rksa] dxk: vnkyr rFkk 'kkfy'kh vnkyrksa }kjk efgykvksa ds lkFk HksnHkkoewyd rFkk vuknjiw.kZ çFkkvksa ij v/;;uA

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने "भारत में खाप पंचायतों, कंगारू अदालतों और शालिशी अदालतों द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावपरक और अपमानपूर्ण प्रथाओं पर एक अध्ययन आयोजित करने तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय को आवश्यक जानकारियां तथा अनुशंसाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुरोध किया था। तदनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग को जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से इस विषय पर अनुसंधान अध्ययन का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसे वर्ष 2014–15 के दौरान आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

### bl v/;;u dh vuq'kalk,a bl çdkj gSa%&

(i) जेंडर भेदभाव की बुराइयों को रोकने के लिए अपेक्षित अभियान के माध्यम से राज्य द्वारा जेंडर मुद्दों, जेंडर संचेतना पर शिक्षा के माध्यम से जनता में जागरूकता पैदा किए जाने की जरूरत है।

(ii) चूंकि जन–शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से बदलाव रातों–रात नहीं लाया जा सकता, इसलिए हमें कम से कम ऑनर के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक कानून की जरूरत है। ऑनर किलिंग्स/ऑनर अपराधों से निपटाने के लिए एक सख्त और निवारक कानून होना चाहिए। कारगर कार्यान्वयन हेतु ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सामाजिक संघटन के तहत कानून को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

(iii) ऑनर किलिंग को उचित कार्रवाई हेतु विशेष रूप से तथा पृथक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। इस समय, ऑनर किलिंग मामलों पर कोई पृथक आंकड़े नहीं हैं। यदि ऑनर किलिंग एक पृथक अपराध बनाया जाता है तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए यह स्पष्टता लाएगा।

(iv) प्रस्तावित है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि ऑनर किलिंग मामलों में दोषी पर सबूत का भार शिफ्ट किया जा सके। नए कानून के तहत दम्पत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष पुलिस प्रकोष्ठ का अधिदेश प्रदान करना चाहिए तथा सभी हितधारकों के सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र भी अपेक्षित है।

(v) ऑनर किलिंग्स के मामलों से निपटने के लिए विशेष तीव्र सुनवाई अदालत का भी गठन करना चाहिए। एक संयुक्त उत्तरदायित्व सिद्धांत होना चाहिए अर्थात खाप पंचायत अथवा ऑनर किलिंग करने वाले किसी समूह तथा ऑनर किलिंग करने वाला व्यंक्ति सजा का संयुक्त रूप से उत्तराधिकारी होगा।

## (V) lxks"B;ka @ dk;Z'kkykvksa @ lEesyuksa esa dh xbZ vuq'kalk,a %&

### 1½ enj Vjs+lk xzkeh.k vkSj tutkrh; fodkl lfefr] vk/kz çns'k dks lg;ksx ls vk;ksftr ÞfyaxÞ p;u dk jkdus rFkk ?kVrs cky ;kSu vuqikr dks jksdus gsrq leqnk; lEc?kVu rFkk ykxksa }kjk pyk, x, vfHk;ku dk leFkZuß ij jkT; Lrjh; laxks"Bh A

लिंग चयन की मौजूदा स्थिति और पैटर्न, बाल यौन अनुपात में कमी पर विचार–विमर्श करने तथा निवारक उपाय सुझाने के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठीं के दौरान की गई कतिपय अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं :–

(i) ग्राम संगठनों तथा मंडल समाख्या (वीओ/वीएस) बैठकों के सभी कार्यालय पदाधिकारियों/सदस्यों को महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, लिंग चयन गर्भपातों की रोकथाम पर जागरूकता पैदा करने के लिए त्रैमासिक आयोजित होने वाली मंडल समाख्या बैठकों में प्रत्येक 3 माह में एक बार कानून के जानकार व्यक्ति को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(ii) जोखिम के समय महिलाओं के बुलाने के प्रत्युत्तर में पारिवारिक विवादों को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाया जाना चाहिए। पारिवारिक विवादों को सुलझाने हेतु परिवार परामर्श सेवा के समाधान के प्रत्युत्तर में, विधिक समर्थन, विधिक संरक्षण तथा अन्य जरूरतें उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iii) पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

(iv) बाल लिंग अनुपात सुधारने हेतु बालिका के माता–पिता से संवर्धित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(v) पीसी एवं पीएनडीटी पर जागरूकता पैदा करने के लिए समुदाय के स्थानीय नेताओं को अभिनिर्धारित तथा संघटित किया जाए।

(vi) ऐसे माता–पिता जिन्होंने पारिवारिक विरोध के बावजूद बालिका को जन्म दिया, उनका सकारात्मक संबलन (सामुदायिक स्वीकृति पुरस्कार, प्रचार के माध्यम से) किया जाना चाहिए।

### 2½ vf[ky Hkkjr f'k{kk ,oa fodkl l?k }kjk] ubZ fnYyh dks lg;ksx ls vk;ksftr Þ?kVrs ;kSu vuqikrÞ ij jkT; Lrjh; laxks"BhA

यह संगोष्ठी  घटते यौन अनुपात की मौजूदा परिस्थिति तथा पैटर्न पर विचार–विमर्श करने तथा निवारक उपाय सुझाने हेतु आयोजित की गई। संगोष्ठी के दौरान की गई कुछ अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं :–

#### a) çck/ku %&

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, निजी अस्पतालों/औषधियों तथा सरकारी अस्पतालों के रजिस्टरों से एकत्र किए गए गर्भावस्थाओं के आंकड़ों का प्रबोधन किया जाना चाहिए।

(ii) पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के कड़ाई से कार्यान्वयन हेतु उचित प्राधिकारी में मुनासिब संचेतना पैदा की जानी चाहिए।

(iii) राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की नियमित बैठकें सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(iv) राज्य और जिला प्राधिकारियों हेतु मुनासिब अवसंरचना तथा प्रशासनिक सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(v) नियमित क्लिनिक दौरों में जिला विनियोग प्राधिकारियों (अथवा कहीं भी विनियोग प्राधिकारियों) की सहायता के लिए सलाहकार समितियों से टीमों का गठन किया जाना चाहिए।

(vi) जहां कहीं आवश्यक हो जिला विनियोग प्राधिकारियों के लिए अर्हक विधिक सलाह सुनिश्चित की जाए।

(vii) यौन अनुपात रूझानों को मॉनीटर करने के लिए अस्पतालों तथा क्लिनिकों पर जन्म रजिस्टरों की छमाही लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।

(viii) मॉनीटरिंग में राज्य महिला आयोग तथा अन्य महिला संगठन की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

(ix) जिला अस्पतालों में वार्डों की नियमित मॉनीटरिंग।

(x) महिलाओं और किशोर लड़कियों में जागरूकता और उनकी आय को बढ़ाने हेतु सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा सकते हैं।

(xi) क्षेत्र में घटती यौन अनुपात, पीएनडीटी अधिनियम तथा बालिका अधिकारों पर जागरूकता पैदा करने वाले अभियान शुरू किया जा सकते हैं।

(xii) जिला विनियोग प्राधिकारियों के लिए स्थानीय भाषा और हिंदी में दिशा निर्देश तैयार किए जा सकते हैं।

(xiii) सरकारी वकीलों, पुलिस तथा डाक्टरों में कानून को बेहतर अधिनियम में संचेतना पैदा की जा सकती है।

(xiv) पंचायत तथा नगरपालिका स्तर पर स्वास्थ्य समिति के कार्यकरण के क्रियाकलापों के मॉनीटरिंग हेतु प्राप्त किया जा सकता है।

(xv) संबंधित मॉनीटरिंग पार्टनर अपने प्रेक्षण तथा अनुभवों के आधार पर प्रमुख वकीलों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

(xvi) राज्य के भीतर जिला स्तर तक एडवोकेसी सुनिश्चित की जाए।

**3½ jke'oje] e/kqcuh] fcgkj ds lg;ksx ls vk;ksftr Þfcgkj esa eqfLye efgykvksa dk lkekftd&vkfFkZd Lrj % mUu;u gsrq dk;Zuhfrd ;kstuk ij ,d O;kid fopkj&foe'kZÞ lac/kh jkT; Lrjh; laxks"BhA**

बिहार में मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक स्तर की मौजूदा स्थिति और पैटर्न पर विचार–विमर्श करने तथा उनके उन्नयन हेतु उपाय सुझाने पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के दौरान की गई कुछ अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं :–

(i) बिहार में मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर एक पृथक अध्ययन आयोजित किया जाना चाहिए।

(ii) अल्पसंख्यक आयोग को राज्य स्तर पर अधिक वित्तीय तथा न्यायिक शक्ति दी जानी चाहिए।

(iii) मुस्लिम महिलाओं को आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाना चाहिए।

(iv) मुस्लिम लड़कियों को उच्चतर शिक्षा में आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए।

(v) मुस्लिम महिलाओं को खुद स्व–सहायता समूहों का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(vi) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथ वित्त निगम (एनएमडीएफसी) और इसकी राज्य इकाइयों को मुस्लिम महिलाओं को लाभ देने की दिशा में इसकी निबंधन एवं शर्तों को उदार बनाया जाना चाहिए।

(vii) पारम्परिक कला, शिल्प तथा कौशल कार्यक्रमों में स्वयं नामांकन हेतु मुस्लिम महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(viii) उन्हें भी जिन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की है तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ix) मुस्लिम महिलाओं के लिए लघु ऋण पद्धति को उदार बनाया जाना चाहिए।

**4½ bykJh lsok laLFkku] e/kqcuh] fcgkj ds lg;ksx ls vk;ksftr Þfcgkj ds xzkeh.k {ks=ksa esa efgykvksa vkSj fd'kksj yM+fd;ksa] ?kjsyw dkexkjksa esa dk;ZLFky ij ;kSu mRihM+u dh leL;kÞ ij jk"Vªh; Lrj dh laxks"Bh**

महिलाओं और लड़कियों द्वारा अनुभव किए गए उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की मौजूदा स्थिति तथा पैटर्न पर विचार–विमर्श करने हेतु यह संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी की कुछ अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं :–

(i) रोजगार संस्थापनाओं के आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न महिलाओं को आवश्यक रूप से यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत न्याय और राहत मिलने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार से सामुदायिक लोगों, पुरूष कामगारों, हितधारकों (नियोजकों/प्रशासकों) आदि में जागरूकता तथा संचेतना को भी उन्हें जागरूक बनाने के लिए

पर्याप्त अभिविन्यास तथा ऐसे घटनाओं को रोकने, निषिद्ध तथा निराकरण करने के लिए संचेतना पैदा करने की जरूरत है।

(ii) नियोजक को यौन उत्पीड़न से संबंधित महिला कामगारों की शिकायतों की रोकथाम तथा निराकरण हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने के लिए कड़ी समय–सीमा दी जानी चाहिए।

(iii) इस अधिनियम का कार्यान्वयन करने हेतु स्थितियों को अनुकूल बनाने का सृजन किया जाए।

(iv) नियोजक सुनिश्चित करें कि आंतरिक शिकायत समिति की एक अर्हक और सक्षम महिला कार्यकर्ता/कर्मचारी द्वारा अध्यक्षता की जानी चाहिए तथा सदस्य पूर्वाग्रह से ग्रस्त न हों और उनमें जेंडर ओरियन्टेशन हो।

(v) आंतरिक समिति की अनुशंसाएं संबंधित क्षेत्र की सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी के समक्ष रखी जानी चाहिएं।

(vi) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं/शिकायतों में समयबद्ध निर्णय पास किए जाने चाहिए।

(vii) ऐसे अपराध की रोकथाम तथा निराकरण से संबंधित संदेशों के प्रचार के लिए आईईसी सामग्रियों का विकास किया जा सकता है तथा कैम्पस अथवा अधिकारियों में संचेतना पैदा करने के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए।

(viii) विधि तथा न्यायलय मंत्रालय उक्त अधिनियम के विशेष संदर्भ में महिलाओं विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार रवैये तथा व्यवहार के बारे में जागरूकता विकास के अभियान आयोजित करने के उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ अंतर–मंत्रालयीय/अंतर–विभागीय संकेन्द्रण स्थापित कर सकता है।

(ix) विभिन्न स्थानों पर इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की सतत रूप से मॉनीटरिंग करने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग समितियों की स्थापना किए जाने की भी जरूरत है।

(x) महिलाओं को समान समझने तथा उनका सम्मान करने संबंधी जागरूकता पैदा करने हेतु धार्मिक / राय देने वाले नेताओं को संलग्न किया जाए।

(xi) इस अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में बाधा डालने वाले कारकों की जांच करने तथा महिला कार्यकर्ताओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर काबू पाने के लिए किया जाना चाहिए। इसे और अधिक कारगर बनाने के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने हेतु अनुसंधान अध्ययन किया जाना चाहिए।

(xii) स्कूलों, कालेजों, लोक शिक्षा केंद्रों (एलएसके) / एईसी, औद्योगिक स्थापना तथा इस अधिनियम के उपबंधों पर जनता से मत मांगने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए ऐसे अन्य स्थानों पर संगोष्ठियां / विचार–गोष्ठी / परिचर्चाएं आयोजित की जा सकती हैं।

**5½ vkj-ch- eekfj;y lsok laLFkku] mÙkj çns'k ds lg;ksx ls vk;ksftr ÞHkkjr esa ;kSu vo/k ng 0;kikj] ;kSu 'kks"k.k rFkk cykRdkjß ij jkT; Lrjh; laxks"BhA**

महिलाओं के साथ यौन अपराधों का निराकरण करने के तंत्रों पर विचार–विमर्श करने हेतु संगोष्ठी आयोजित की गई थी। अन्य बातों के साथ–साथ कतिपय अनुशंसाएं हैं :–

(i) नुक्कड़ नाटकों, आईईसी सामग्रियों, जन प्रचार आदि के माध्यम से स्रोत क्षेत्रों में निराकरण करने हेतु अवैध देह व्यापार के निवारक उपायों पर जागरूकता में वृद्धि की जानी चाहिए।

(ii) वन स्टाप क्राइसिस सेंटर कार्यात्मक बनाए जाने चाहिए।

(iii) महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

(iv) महिलाओं के साथ विशेष यौन अपराधों के मामले में अपराधकर्ताओं के खिलाफ काफी कढ़ाई से तथा शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।

**6½ ef.kiqj i'kq fpfdRlk ifj"kn] bEQky ds lg;ksx ls vk;ksftr ÞgFkdj?kk cqukbZ lsDVj esa efgykvksa dh fLFkfrß ij jkT; Lrj dh laxks"Bh A**

"हथकरघा बुनाई सेक्टर में महिलाओं की स्थिति पर विचार करने तथा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव देने के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी की कुछ अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं :

**jkT; ç'kklu ls lcfa/kr%&**

(i) महिला शिल्पकारों के कार्यकलापों में सुधार करने में सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य और केंद्र सरकार / एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों की जानकारी को शामिल करने के लिए हथकरघा सेक्टर की जरूरत है ताकि समस्त प्रासंगिक सूचना के लिए एक केंद्र का सृजन किया जा सके।

(ii) हथकरघा बुनाई की विशाल संभावनाओं के कारण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए मौजूदा घरेलू बाजार के विस्तार की जरूरत है तथा इसके लिए संबंधित प्राधिकरण को ई–पोर्टलों, सामाजिक मीडिया, इंटरनेट स्थल नेट एवेन्यू के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

(iii) हथकरघा बुनाई की कार्य की नीति तथा स्वामित्व की पुष्टि करते हुए टीम/समूह कार्य की प्रकृति, समूह आयामों, कठोरता और लचीले रूख की प्रेरणा के उद्देश्य से समय–समय पर हथकरघा बुनकरों को प्रेरणात्मक तथा विस्तारपरक कार्यक्रमों को आयोजित करने की अत्याधिक जरूरत है।

(iv) गुणवत्तापूरक वस्त्र का उत्पादन धागों को रंग करने में प्रयुक्त डिजाइन, गुणवता व डाई तथा साथ ही डाई करने की तकनीकों पर निर्भर करता है। बुनकरों द्वारा दी गई छूटों में डाई के स्टफ की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकारी महिला बुनकरों के हित में दुकानों का प्रबंध कर सकते हैं।

(v) मास्टर बुनकर वित्तीय संसाधन / पूंजी के अभाव के कारण कौशलयुक्त बुनकरों के श्रम का

आमतौर पर शोषण करते हैं। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए तथा साथ ही बुनकरों की गरिमा का संरक्षण करने के लिए अथॉरिटी द्वारा विशेषकर बैंकिंग संस्थांओं के साथ संपर्क तथा ब्याज की आकर्षक रियायती दरों पर महिला बुनकरों को उपलब्ध विशेष ऋण सुविधाओं का सृजन किया जाना चाहिए।

(vi) प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण सदैव बदलते परिवेशों की पूर्ति के लिए कौशल उन्ययन तथा महिला बुनकरों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया जाना चाहिए।

(vii) महिला बुनकरों के लिए महिला बुनकर सामान्य सुविधा केंद्र हेतु संघ बनाया जाना चाहिए।

(viii) इस प्रकार सभी जिलों / बिजनेस सेंटरों में बिक्री डिपो आदि का संचालन करना जरूरी है जो बिचौलिए के हितों को सख्त करके गरीब महिला बुनकरों के हित में सेवा करता है।

**dæ ç'kklu l lcf/kr %&**

(i) हथकरघा बुनकरों के जीवन निर्वाह के स्तर में बढ़ोतरी करने के लिए श्रम कानूनों संबंधी ज्ञान का प्रचार अवश्य ही किया जाना चाहिए। बड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रखने वाले सभी स्वदेशी डिजाइन के वस्त्रों का बौद्धिक संपत्ति अधिकार आईपीआर / भौगोलिक संकेतन (जीआई) के माध्यम से संरक्षण किया जाना चाहिए ताकि महिला बुनकरों द्वारा आईपीआर / जीआई की सुगम पहुंच के लिए शक्ति सामर्थ का विशेष प्रावधान किया जा सके।

## 7½ blcyk Fkkcu dkyt] y[kuÅ] mÙkj çn'k d lg;kx l vk;kftr befgykvk d Hkfe vf/kdkjk rFkk tMj lekurk dh lj{kk % eí rFkk pukfr;k ij jkT; Lrj dh lxk"BhA

महिलाओं के भूमि संबंधी अधिकारों तथा जेंडर समानता की मौजूदा स्थिति तथा पैटर्नों पर विचार–विमर्श करने हेतु संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के दौरान की गई कुछ अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं :

(i) औसत भूमि जोत (जो एक एकड़ से कम है) को बांटा जाना चाहिए तथा इसे सभी पुत्रों और पुत्रियों (पुरूष और महिलाओं) को समान रूप से दिया जाना चाहिए।

(ii) इसे नहीं बांटा जाना चाहिए तथा प्रबल स्थिति के अनुसार केवल पुरूषों को नहीं दिया जाना चाहिए। तदनुसार राज्य विधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

(iii) एक महिला के भूमि अधिकार तथा उसे भूमि मुख्य रूप से तीन तरीकों से सुलभ कराई जा सकती है :–

a) पैतृक भूमि संपत्ति का उत्तराधिकार

b) महिलाओं को हदबंदी सरप्लस भूमि, भूदान भूमि अथवा सरकारी परती भूमि

c) काश्तकारी तथा साथ ही सामान्य सम्पत्ति संसाधनों, माइनर वन उत्पाद आदि के माध्यम से भूमि तक संविदात्मक पहुंच और लाइसेंस प्राप्त करना।

(iv) हिंदू महिलाओं के लिए मौजूदा उत्तरवर्ती विधानों में जेंडर असमानताओं का पता लगाने के लिए अत्याधिक अध्ययन तथा अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा अन्य धार्मिक समुदायों की महिलाओं को सम्पत्ति का उत्तराधिकार प्रदान करने के प्रचलित कानून, और उत्तराधिकार कानूनों में जेंडर समानता के लिए कुछ विशिष्ट नीति निर्णयों की जरूरत है।

(v) महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानने की जरूरत है। परिवारों, समुदायों और प्राधिकारियों को उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक बनाने तथा सहायता करने की जरूरत है तथा महिलाओं को उनके पारिवारिक सदस्यों से विमुख किए बिना अपने अधिकार लेने के योग्य बनाए जाने की जरूरत है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके अधिकारों को उन्हें सुलभ कराने के अभियान चलाए जाने चाहिए।

(vi) वर्ष 2005 में, भारत सरकार ने अपने उत्तराधिकार संबंधी कानूनों में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया है कि बालिका अपने माता–पिता की भूमि तथा संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने के समान अधिकारों का लाभ उठा सके।

(vii) महिला–पुरूष समानता तथा मानव अधिकार की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वृहत आर्थिक नीति सुधार।

(viii) शिष्ट कार्य तथा महिलाओं की पहुंच तथा सामाजिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना, तथा अदत्त देखभाल कार्य के निराकरण की जरूरत है।

(ix) भू–स्वामित्व के माध्यम से जेंडर आधारित हिंसा और भेदभावपूरक सशक्तीकरण के उन्मूलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(x) प्राकृतिक संसाधनों के सुरक्षित उपयोग तथा जेंडर साम्य वितरण सुनिश्चित करने के क्रम में, महिलाओं को अपने भूमि अधिकार सुरक्षित करने के लिए अवश्य ही प्रोत्साहित किया जाए।

(xi) घर पर लड़कों तथा लड़कियों के प्रति समान व्यवहार तथा घर पर संसाधनों के समान वितरण के लिए माता–पिता में जागरूकता पैदा करना अति महत्वपूर्ण है।

(xii) सरकार को अवश्य ही सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों की सुलभता समान हो तथा इसका उपयोग समान रूप से किया जाए।

**8½ vkn'k efgyk fodkl lkslk;Vh fpÙkkj] vk/k çns'k dk lg;kx ls vk;kftr ,dy efgyk vf/kdkj vkj l'kfädj.k rFkk ifjR;ä fo/kok vkj vfookfgr fo"k; ij jkT; Lrjh; laxks"Bh**

एकल और विधवा महिलाओं के सम्मुख आने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों पर विचार–विमर्श करने के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। अन्य बातों के साथ–साथ संगोष्ठी के दौरान संगठन द्वारा की गई कुछ अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :–

(i) एकल महिला को न्याय दिलाने के लिए तीव्र सुनवाई अदालतों को तुरंत कार्य करना चाहिए।

(ii) एकल महिलाओं पर अतिरिक्त ध्यान देने हेतु राज्य सरकारों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सलाह दी जानी चाहिए तथा संबंधित सूचना संबंधित पुलिस स्टेशन, मंडल परिषद विकास अधिकारी को दी जानी चाहिए।

(iii) स्थानीय ग्राम संघ की शक्तियों को बढ़ाया जाना चाहिए संबंधित क्षेत्रों में उत्पीड़ित एकल महिलाओं पर मुनासिब ध्यान दिया जा सके।

(iv) क्षेत्र में महिला अवैध देह व्यापार को रोकने के लिए एक सतर्कता समिति बनाने की तुरंत आवश्यकता है।

(v) सर्व संबंधितों द्वारा एकल महिला सुरक्षा, रोजगार तथा कल्याण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

## 9½ xk;=h xkeh.k fodkl laLFkk;Vh] pkejktuxj] dukZVd ds lg;ksx ls vk;kftr Þ,dy efgyk vf/kdkj rFkk fo/kok] ifjR;ä vkSj vfookfgr efgyk l'kfädj.kß fo"k; ij {ks=h; laxks"BhA

विधवा एकल महिला की वर्तमान स्थितियों पर विचार–विमर्श करने तथा किस तरह से सरकार एकल महिलाओं के लिए विशिष्ट योजनाएं और कार्यक्रमों को प्रारंभ कर सकती है, पर प्रकाश डालने तथा उन्हें रोजगार प्राप्त करने के तरीके प्रदान करने के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी के दौरान की गई कुछ अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :–

(i) राजनीतिक सशक्तिकरण : राजनीतिक शक्ति में समान हिस्सा , संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण।

(ii) विधिक सशक्तिकरण : स्कूल पाठ्यक्रम में विधिक संसाधनों तथा मानवाधिकार शिक्षा को शामिल करके बच्चों को विधिक शिक्षा देना।

(iii) सामाजिक सशक्तिकरण : महिलाओं के समस्त विकास में बाधाएं डालने वाली जाति और धार्मिक अड़चनों का उन्मूलन करने के उद्देश्यों से सामाजिक क्रियाकलापों में समान सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक सुधार एडवोकेसी में भाग लेना।

(iv) सांस्कृतिक सशक्तिकरण : अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और समूहों तथा सांस्कृतिक मानव गरिमा और अधिकारों के साथ आंतरिक क्षेत्र तथा सांस्कृतिक सहयोग में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

## 10½ lkFkh] ubZ fnYyh ds lg;ksx ls vk;kftr ÞfnYyh esa Hkkjr ds vf/klwfpr u fd, x, rFkk ?kqeUrq leqnk;ksa dh efgykvksa dh leL;kß ij jk"Vªh; Lrj dh laxks"BhA

यह संगोष्ठी भारत की घुमन्तू समुदायों से संबंधित महिलाओं की अपकर्ष होती सामाजिक–आर्थिक स्थिति के मुद्दे का निराकरण करने के लिए आयोजित की गई थी। संगठन द्वारा की गई कुछ अनुशंसाओं को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया गया है :–

(i) घुमन्तू समुदायों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव–पूर्व और प्रसवोपरांत देखभाल उपलब्ध कराने के लिए चल स्वास्थ्य इकाइयां होनी चाहिए।

(ii) इन समुदायों की लड़कियों को निःशुल्क तथा गुणवत्तापूरक शिक्षा देने के लिए विशेष आवासीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए।

(iii) चूंकि इन समुदायों की महिलाएं हस्त शिल्प और शिल्पकारी में बहुत कुशल होती हैं, उन्हें उत्पादों की डिजाइनिंग, पैकेजिंग तथा मार्केटिंग में उनके कौशलों में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(iv) केवीआईसी जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न एजेंसियों को घुमन्तू जनजातियों की महिलाओं से छूट–प्राप्त दरों पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(v) इन समुदायों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि वे परम्परा के नाम पर यौन शोषण और अवैध देह व्यापार से अपनी महिलाओं और लड़कियों की रक्षा कर सकें।

(vi) सरकार तथा निजी क्षेत्र को विभिन्न रोजगारपूरक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाओं के माध्यम से विर्निदिष्ट तथा घुमन्तू समुदायों की महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने चाहिएं।

(vii) इन समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रलेखीकरण, संरक्षण और परिरक्षण करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

(viii) सरकार को उनके घरों को बनाने के लिए इन लोगों को छूट के साथ बहुत कम ब्याज पर दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष स्कीम शुरू करनी चाहिए क्योंकि बहुत से लोग शताब्दियों से बेघर हैं। यह इन समुदायों की प्रमुख समस्याओं में से एक है।

**11½ thou fdj.k] f='kwV] dsjy ds lg;ksx ls vk;ksftr Þdsjy esa efgykvksa rFkk yMfd;ksa dk vo/k nsg 0;kikj** fo"k; ij jkT; Lrj dh laxks"BhA**

अवैध देह व्यापार तथा सुरक्षित प्रवासन के मुद्दे का मूल्यांकन करने के लिए, केरल की महिलाओं के अवैध देह व्यापार पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में की गई कुछ अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :–

(i) सरकार को एल्होकल के उपभोग के संबंध में एक सख्त नीति बनानी चाहिए।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में एल्कोहल दुकानें महिलाओं/लड़कियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली सड़कों अथवा रास्तों के नजदीक नहीं होनी चाहिएं।

(iii) नशीली दवाओं के उपभोग पर बिल्कुल रोक लगाई जाए तथा जो व्यक्ति नशीली दवाएं बेचें या खरीदें, उन्हें सजा दी जानी चाहिए।

(iv) लड़कों और पुरूषों को रोजगार देने वाली संस्थाओं तथा संगठनों को महिलाओं के साथ अपराध के परिणामों से अवगत कराना चाहिए।

(v) निजी बस चालकों, परिचालकों तथा क्लीनरों के लिए समय–समय पर संचेतना पहलें शुरू की जाएं। ऑटो रिक्शा चालकों को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाए।

(vi) लड़कियों को रोजगार देने वाले दुकान के मालिकों को यदि वे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करते पाए जाएं तो उसी स्थान पर दंड दिया जाना चाहिए।

(vii) असामाजिक तत्वों की जांच करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के सामने पुलिस बीट की स्थापना की जाए।

(viii) विशेषकर सांय 7.00 बजे के उपरांत तथा सुबह बहुत पहले इस अवधि के दौरान काफी संख्या में महिलाये तथा लड़कियां यात्रा करती हैं तो बस स्टेशनों के अंदर तथा आस–पास और अधिक पुलिस बीट लगाई जानी चाहिए। सुरक्षित यात्रा तथा अवैध देह व्यापार के मुद्दे पर जागरूकता के बारे में विचार–विमर्श किया जाना चाहिए।

(ix) पुलिस को जनता में विश्वास पैदा करना है ताकि लोग विशेषकर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आएं।

(x) पुलिस अधिकारियों को महिला पीड़ितों के प्रति मित्रवत और संवेदी होना चाहिए।

(xi) अपराध होने पर पीड़ितों के मस्तिष्क की मनोवैज्ञानिक दशा का मूल्यांकन करने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(xii) हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि जैसे राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न मॉडल्स के आधार पर पुलिस थाने के भीतर प्रशिक्षित परामर्शदाता / नैमितिक कार्यकर्ताओं का प्रावधान किया जाना चाहिए।

(xiii) टोल फ्री नम्बर की संस्थापना ताकि महिलाएं जब कभी आवश्यक हो सहायता मांग सकें।

(xiv) महिलाओं और लड़कियों के अवैध देह व्यापार के मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त समन्वित प्रतिक्रिया की जाए।

(xv) इन समुदायों की लड़कियों को निःशुल्क तथा गुणवत्तापूरक शिक्षा देने के लिए विशेष आवासीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए।

## 12½ flue] oykj?ke] f=:oUukeykbZ] rfeyukMq ds lg;ksx ls vk;ksftr Þvuqlwfpr tkfr @ vuqlwfpr tutkfr dh efgykvksa ds lkFk fgalk rFkk efgykvksa dk f'k{kk dk vf/kdkjß fo"k; ij jkT; Lrj dh laxks"BhA

महिलाओं के साथ हिंसा पर तथा स्वास्थ्य, जीविका, सुरक्षा और सूचना से संबंधित विभिन्न अधिकारों पर जागरूकता पैदा करने के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी के दौरान की गई कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाओं की सूची नीचे दी गई है :–

(i) सर्व–शिक्षा अभियान के बावजूद जो माता–पिता अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज रहे हों, उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

(ii) अल्पसंख्यक आयोगों तथा राज्य महिला आयोग को राज्यों में और अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए ताकि शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके।

(iii) महिलाओं को स्वतंत्र बनने और हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाने तथा अन्य पीड़ितों के समर्थन में सामूहिक दल बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

(iv) महिलाओं के मामलों की सूचना देने हेतु पुलिस थाने पहुंचने, अदालत, निःशुल्क कानूनी सहायता केंद्र आदि जाने, जहां कहीं उनके लिए उचित हो सूचना तथा भरोसा प्रदान किया जाना चाहिए।

(v) बाल विवाह पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

(vi) असंगठित क्षेत्र में भी महिलाओं को भारत सरकार के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

## 13½ jk"Vªh; cf/kj l?k] ubZ fnYyh ds lg;ksx ls vk;ksftr cf/kj efgyk l'kfädj.k fo"k; ij jk"Vªh; Lrj dh laxks"Bh A

अक्षम महिला कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने के लिए दिल्ली की बधिर महिलाओं को पहुंच में लाने के उद्देश्य् से यह संगोष्ठी आयोजित की गई। संगठन द्वारा रखी गई कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाओं की सूची निम्नानुसार है।

(i) राष्ट्रीय / राज्य महिला आयोग में इंगित भाषा और दुभाषिए के पद का सृजन करना। दोहरे कार्य अर्थात लिपिकीय प्लस इंगित भाषा दुभाषिए के कार्य की जॉब प्रोफाइल आवश्यक होगी।

(ii) बधिर महिलाओं को उनके परिवार की भूमि के हिस्से सहित संपत्ति में समान हिस्सा मिलना चाहिए।

(iii) सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न हैल्प लाइनों में एसएमएस सुविधाएं दी जानी चाहिए। पुलिस थानों, अस्पतालों में सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। दुभाषियों आदि की सामान्य सूची जरूरतमंद बधिर महिलाओं को मुहैया कराई जानी चाहिए।

(iv) महिला और बाल विकास द्वारा तैयार सूचनाप्रद तथा शिक्षाप्रद सामग्री वीडियो के माध्यम से भाषा फार्मेट में निःशुल्क लागत पर अवश्य मुहैया कराई जानी चाहिए। इसका उप–शीर्षक अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी होना चाहिए।

(v) राष्ट्रीय महिला आयोग की अगुवाई में महिलाओं आदि की सहायता करने वाले कानून, कानूनी अधिकारों पर कार्यशालाएं/संगोष्ठी/प्रशिक्षण में बधिर महिलाओं की सहभागिता रखी जानी चाहिए।

(vi) स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियों में इंगित भाषा दुभाषिए के माध्यम से बधिर एकल महिलाओं को सूचना मुहैया करायी जानी चाहिए तथा उन्हें विशेष पेंशन तथा अन्य लाभों का भी हक दिया जाना चाहिए।

(vii) समयपूर्वक न्याय हेतु ब्लॉक तथा जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की जानी चाहिए। बधिर महिला अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अदालत में इंगित भाषा दुभाषिया उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(viii) पुलिस थानों, अस्पतालों, अदालतों में बधिर महिलाओं और बच्चों के साथ सम्प्रेषण करने हेतु इंगित भाषा दुभाषिए के लिए पृथक बजट होना चाहिए।

(ix) इसके अतिरिक्त, बधिर महिलाओं को ऐसी किसी परिस्थिति जहां उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता हो (अर्थात संभावित शोषण, हिंसा आदि की स्थितियों में) रूपांतरण सेवाएं दी जानी चाहिए। सरकार द्वारा बधिर महिलाओं को निःशुल्क दुभाषियों का एक पैनल उपलब्ध कराना चाहिए।

(x) शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को बधिर स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने का कार्य करना चाहिए अथवा पब्लिक/सरकारी स्कूलों में बधिर छात्रों के साथ काम करने के लिए दुभाषियों हेतु बजट रखे जाने का प्रावधान करना चाहिए ताकि वे समाज की मुख्यध ारा का हिस्सा बन सकें।

(xi) ऋण और क्रेडिट की महिलाओं तक की पहुंच पर राज्य द्वारा प्रचारित सूचना भी इंगित भाषा में निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

## 14½ lunh çc/ku lLFkku l?k] ubZ fnYyh dk lg;ksx ls jk"Vªh; efgyk vk;ksx }kjk vk;ksftr fd, x, fo"k; ^ljksxslh % eqís vkSj pqukSfr;k¡* fo"k; ij laxks"BhA

दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब तथा गुजरात जैसे राज्यों पर विशेष ध्या्न देते हुए भारत में सरोगेसी पर राष्ट्रीय परिदृश्य बनाने हेतु संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इस संगोष्ठी के दौरान की गई कुछ अनुशंसाएं नीचे दी गई हैं :–

(i) सरोगेटों को पर्याप्त मात्रा में पूर्व तथा पश्च् परामर्श दिया जाना चाहिए।

(ii) महिलाओं पर उनके आर्थिक पिछड़ेपन के कारण सरोगेसी के लिए दबाव बिल्कुल नहीं डाला जाना चाहिए।

(iii) सरोगेसी की पूरी प्रक्रिया की अवश्य गहराई से निगरानी की जानी चाहिए तथा सरोगेट मदर की अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए।

(iv) यदि सरोगेट मदर जुड़वां शिशुओं को जन्म देती है तो उसके दूसरे शिशु के लिए दुगुनी राशि अथवा दी जाने वाली धनराशि का कम से कम 75 प्रतिशत और राशि दी जानी चाहिए।

(v) एक स्वस्थ  जीवन और जिन्दगी सुनिश्चित करने के लिए सरोगेट मदर तथा बच्चों दोनों का स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य है।

(vi) सरकार द्वारा सरोगेसी क्लीनिकों, जहां सरोगेसी व्यवस्थाओं के लिए मनमानी कीमतें वसूली जाती हैं, को मॉनीटर किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) समस्त सरोगेसी प्रबंधों पर नियंत्रण और विनियमन करने के लिए स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्रालय के एआरटी प्रभाग के अंतर्गत उचित मॉनीटरिंग समिति की स्थापना की गई है।

(viii) नीतिपरक मुद्दों से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एआर प्रभाग द्वारा एक नीतिपूरक समिति की स्थापना की जानी चाहिए।

(ix) कमीशन देने वाले माता–पिता तथा सरोगेट मदर के बीच असमान मोलभाव होता है क्योंकि सरोगेट

को प्रायः निर्धन आर्थिक स्थिति के कारण सरोगेसी में जाने के लिए बाध्य किया जाता है। इसलिए, सरोगेसी संविदा की विधिक वैधता लागू की जानी चाहिए।

(x) सरोगेसी संविदा से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए विशेष अधिकरण अथवा अर्ध न्यायिक मंच बनाया जाना चाहिए।

## 15½ bfM;k gfcVV lsVj] ubZ fnYyh esa jk"Vªh; efgyk vk;ksx }kjk vk;ksftr ÞHkkjr esa lkbcj vijk/kksa ls efgykvksa dh lqj{kk ds mik;ksß fo"k; ij ijke'kZA

### *fof/kd pqukSfr;ksa dh iwfrZ gsrq vuq'kalk,a %&*

(i) युवाओं में हैकिंग क्रियाकलापों के हतोत्साहन और इंटरनेट, मोबाइल एप्स आदि से आपराधिक प्रकृति की विषय–वस्तु को हटाने के लिए हैकरों के पास जाने के लिए पीड़ितों को हतोत्साहित करने हेतु नीतियां और कड़े कानून बनाए जाने चाहिए।

(ii) महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों की प्रकारों को परिभाषित करने के लिए एक महिला केंद्रित सूचना प्रौद्योगिकी कानून का प्रारूप अवश्य तैयार किया जाना चाहिए।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आईपीसी के मौजूदा उपबन्ध फिर से तैयार किए जाने चाहिए तथा एक रचनात्मक कानून बनाया जाना चाहिए। भारतीय तार अधिनियम, 1885 के प्रावधान को नए कानून में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

(iv) आईटी अधिनियम, 2000 (2008 में यथासंशोधित) एक महिला संवेदी अधिनियम नहीं है। कानून में और अधिक नए दृष्टिकोणों को शामिल करने के लिए समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

(v) महिलाओं के साथ ऑनलाइन अपराधों को लक्षित करने वाले अपराधों को अवश्य गैर–जमानती तथा संज्ञेय बनाया जाना चाहिए। सजा को 6 माह/एक वर्ष की साधारण कैद से बढ़ाकर कम से कम 3 वर्ष तथा अधिक से अधिक 5 वर्ष अथवा 7 वर्ष अथवा और अधिक तक (गंभीर अपराधों के मामले में) अवश्य किया जाना चाहिए।

(vi) सामाजिक मीडिया में एकाउंट सृजित करने हेतु उपयोग के लिए युनिफार्म आइडेन्टिफिकेशन नम्बर बनाए जाने चाहिए।

(vii) "नेट तक पहुंच का अधिकार, "भूल जाने का अधिकार" नीतियों को अवश्य शामिल करना चाहिए तथा ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया जाना चाहिए।

(viii) राष्ट्रीय महिला आयोग को द्विपक्षीय संधियों में साइबर अपराधों के मुद्दे (विशेषकर महिलाओं को लक्षित करने वाले अपराधों) को शामिल करने की नीतियों का प्रस्ताव करना चाहिए। यह महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों की क्रास आधिकारिक मामलों का समाधान करने में मदद करेगा।

(ix) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं को किन्हीं अपराधिक विषय–वस्तु हटाने के लिए बिचौलियों का और अधिक मार्गदर्शन करने के लिए सरकार को सुझाव देना चाहिए।

(x) सर्वाधिक साइबर अपराधों में न्याय–क्षेत्राधिकार से परे के मुद्दों को शामिल किया जाता है, हस्तारक्षरकर्ता द्विपक्षीय संधियों के तहत न्याय–क्षेत्राधिकार से परे तंत्र के विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

(xi) सीआरपीसी की धारा 357ए के अंतर्गत, अपराधों के शिकारों, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट पहुंची है तथा जिन्हें पुनर्वास की जरूरत है, को मुआवजा दिया जाता है। इसी तरह से साइबर अपराधों के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा देने पर भी विचार किया जा सकता है क्योंकि साइबर अपराधों की पीड़िताओं के परिणाम समान रूप से विनाशकारी हैं।

## lkekftd&eukoKkfud pukfr;ka dks iqjk djus dh vuq'klk,a %&

(i) स्कूलों तथा कालेजों में बच्चों तथा युवाओं को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के दुरूपयोग के भयंकर परिणामों के बारे में शिक्षा देने महिला केंद्रित मौजूदा व नव विकसित विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों तथा इस समस्या की वृद्धि के सामान्य कारणों, सार्वजनिक स्थलों पर फोटोग्राफी (विशेषकर महिलाओं की फोटोग्राफी) से संबंधित सामाजिक–विधिक नीति शास्त्रो, साइबर स्थल पर सुरक्षित आदतें समझाने और निजता के अधिकारों के सम्मान के प्रति अपने कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों, जीने के अधिकार, स्वतंत्रता तथा शोषण के खिलाफ बाल अधिकारों से अवगत कराने के प्रयोजनार्थ और अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

(ii) इंटरनेट में बच्चों के व्यवहार और छोटे बच्चों द्वारा डिजिटल उपकरणों के उपयोग को मॉनीटर करने की ड्यूटी के लिए अध्यापकों, माता–पिता सहित व्यस्क व्यक्तियों के लिए तथा साइबर स्पेस में सुरक्षा मानकों के बारे में बच्चों तथा परिपक्व छोटे बच्चों को सिखाने और अपने माता–पिता, अध्यापकों तथा कानून और न्याय तंत्र को महिलाओं के साथ साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता शिविर भी अवश्य लगाए जाने चाहिए।

(iii) महिलाओं को विशेषकर "शर्म महसूस करने" से बाहर निकालने के लिए सरकार/संगठनों को कार्यस्थलों पर महिलाओं की सहायता करने तथा उचित प्राधिकारियों को अपराधों की रिपोर्ट करने में सकारात्मक नीतियों का विकास करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहित करना चाहिए।

## rduhdh @ dk;kZUo;u lca/kh pukfr;ksa ds lek/kku dh flQkfj'ksa%&

(i) शिकायतें प्राप्त करने के लिए 1098, 1091, 100 जैसे हॉटलाइन नंबरों को कार्यशील बनाया जाना चाहिए और इन नंबरों को सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, कॉरपोरेट संगठनों इत्यादि में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मामलों पर कार्रवाई करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों के अनिवार्य प्रशिक्षण और सभी पुलिस थानों में महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध प्रकोष्ठों के गठन की नीतियां कार्यान्वित की जानी चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों के मामलों में कार्रवाई करने के लिए और अधिक महिला पुलिस अधिकारियों तथा महिला न्यायाधीशों प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए।

(iii) प्रत्येक जिला पुलिस मुख्यालय में साइबर फॉरेन्सिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी चाहिए। कुल मिलाकर, महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों के मामलों में सक्रिय पुलिस कार्रवाई की पुरजोर सिफारिश की जाती है।

(iv) स्थानीय दुकानों पर डिजिटल डिवाइसों और अश्लील सामग्री की गैर–कानूनी व अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने वाले कानूनों (जैसे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 292 और 294) और नीतियों को कठोरतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए।

(v) दहेज उत्पीड़न या बच्चों की अभिरक्षा के महिलाओं संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाले महिला न्यायालयों को महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों के मामलों की सुनवाई करने के अधिकार दिए जाएं।

(vi) महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से पीड़ितों की सहायता करने वाली वेबसाइटों/संगठनों को इस बुराई की रोकथाम के साझे लक्ष्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से सहयोग करना चाहिए।

(vii) महिलाओं के अनुकूल मोबाइल ऐप विकसित किए जाएं, जिनमें ऐसे विशेष चिप या प्रावधान हों, जो कि विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद करने के नाम पर ऐसे ऐपों के दुरुपयोग को पहचान सकें।

(viii) प्रत्येक स्तर पर साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए और अधिक साइबर प्रकोष्ठ खोलकर, समर्पित हेल्पलाइन नंबर शुरू करके तथा पुलिस और न्यायपालिका जैसी विधि प्रवर्तन एजेन्सियों को समुचित कानूनी व तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करके इन एजेन्सियों का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए।

(ix) साइबर अपराधों का मुद्दा कार्यस्थलों पर भी उठाया जाना चाहिए। कंपनियों की सूचना प्रौद्योगिकी नीतियां पारदर्शी होनी चाहिएं और कर्मचारियों की उत्पादकता की निगरानी के लिए उनके व्यक्तिगत कार्यस्थल पर गुप्त कैमरे नहीं लगाए जाने चाहिएं।

(x) पुलिस और पुलिस कार्रवाई ही अपने आप में पूर्ण समाधान नहीं हैं। सोशल मीडिया और आत्मसंयम की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है।

(xi) साइबर अपराधों से निपटने के लिए पीड़ितों, पुलिस, न्यायपालिका, सोशल मीडिया, सेवा प्रदाताओं और विभिन्न हित धारकों के बीच समुचित सहयोग की आवश्यकता है।

## 16½ fgekpy çn'k jkT; efgyk vk;kx] f'keyk] fgekpy çn'k d lg;kx l ¼fgeky;h½ iokrh; {k= e efgyk,] vkj fodkl % e o ljkdkjß fo"k; ij lxk"Bh dk vk;ktu fd;k x;kA

### *lxk"Bh dh flQkfj'k&*

संगोष्ठी में हुए विचार–विमर्श के आधार पर आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार से की गई सिफारिशें इस प्रकार हैं :–

## 1- iorh; {k= e efgykvk d vf/kdkj vkj fodkl lac/kh t:jr

सिफारिशें :–

(i) महिला के विवाह के तत्काल बाद उसके पति के परिवार की भूमि और उत्पादक परिसंपत्तियों पर महिला के अधिकार की मान्यता। संपत्ति पर संयुक्त स्वामित्व की आवश्यकता है।

(ii) महिला किसानों को मान्यता दिया जाना।

(iii) परियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन के चरणों में महिलोन्मुख परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाना।

(iv) सभी सरकारी कार्यक्रमों/समितियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण।

(v) पर्वतीय भूभाग में आने–जाने की कठिनाइयों को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में राशन एक बार में दिया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं/लोगों को बार–बार दुकान पर न आना पड़े।

(vi) जनजातीय क्षेत्रों में उत्तराधिकार का अधिकार बड़ी समस्या है। उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और महिलाओं को सहदायिक बनाया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं को अपने पैतृक परिवार और पति के परिवार की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त हो सके।

## 2- fgeky;h iorh; {k= e xkeh.k fodkl leL;k,a vkj lHkkouk,a

सिफारिशें :–

(i) मवेशियों के लिए चारा लाते समय सैकड़ों महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और उनके सिर व रीढ़ की हड्डी में चोट आती है। महिलाओं को चोट लगने और उनकी मृत्यु होने पर मुआवजा दिए जाने की जरूरत है। सरकार को ग्रामीण महिलाओं, मध्याह्न भोजन कर्मचारियों, आँगनवाड़ी सहायिकाओं और पानी लाने वालों के बीमा को अनिवार्य कर देना चाहिए।

(ii) कृषि विभाग और विश्वविद्यालयों को किसानों के लिए ऐसे बेहतर चारे और घास का विकास करना चाहिए, जिसे उनके खेतों में उगाया जा सकता हो और महिलाएं वर्ष में कम से कम पाँच बार चारे की कटाई कर सकती हों।

(iii) हिमाचल प्रदेश में बंदरों की समस्या बहुत व्यापक पैमाने पर व्याप्त है और इससे फसलों को भारी नुकसान होता है। महिलाओं को अपनी फसलों के बचाव के लिए लाठियों से लैस होकर खेतों की निगरानी करनी पड़ती है।

### *fl Qkfj'k %&*

(i) भारत सरकार को बंदरों को जैव–चिकित्सीय अनुसंधान के लिए निर्यात करना चाहिए क्योंकि

वन्ध्यीकरण के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

(ii) बंदरों और अन्य वन्य जीवों पर निगरानी के लिए चौकीदार मनरेगा के तहत भर्ती किए जाएं। भारत सरकार योजना के तहत आवश्यक दिशा निर्देश तैयार करे।

## 3- iorh; {k=k e efgykvk dk rduhdh l'kähdj.k %&

विचार–विमर्श के दौरान इस बात पर आम सहमति बनी कि पारंपरिक स्थानीय संस्कृति में पुरुष ही निर्णय लेते हैं और नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं, इसलिए तकनीकी प्रशिक्षण और सेवाओं के सुअवसर महिलाओं को कम ही प्राप्त होते हैं। कृषि तकनीकी विस्तार व्यवसायियों और तकनीकी कार्मिकों में भी पुरुषों की संख्या महिलाओँ से तीन या चार गुणा अधिक है। प्रतिभागियों ने जो सुझाव दिए, वे इस प्रकार हैं :–

(i) प्रयोगशाला से खेतों और लोगों के घरों तक नई प्रौद्योगिकी की जानकारियों के प्रचार–प्रसार की व्यवस्था विश्वविद्यालय/वैज्ञानिक तैयार करें।

(ii) महिला किसानों को कृषि, बागवानी एवं पशुपालन के क्षेत्रों और नई प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण प्रदान किए जाएं।

(iii) बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन के विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया कि तकनीकी सशक्तीकरण के लिए महिलाओं को क्षेत्र में उपलब्ध फलों एवं सब्जियों के अनुसार विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाने चाहिएं। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण/परिरक्षण का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

(iv) महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कम लागत वाले सोलर ड्रायर, ग्रीन हाउसों, सोलर स्टीम कुकिंग, सोलर कुकर, ग्रामीण एवं छत वाले भवनों के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा अनुप्रयोगों, महिलाओं के श्रम में कमी तथा चूल्हे से निकलने वाले धुँए के दुष्प्रभावों को कम करने वाले बेहतर गोबर गैस स्टोव का उपयोग किया जा सकता है।

### flQkfj'k %&

यह सिफारिश की गई कि गैर–सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के बीच तालमेल स्थापित करने वाली कोई एजेन्सी होनी चाहिए। महिलाओं संबंधी मुद्दों पर समर्थन, नीति एवं अनुसंधान से जुड़े कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग में महिला संपर्क–सह–अनुसंधान अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारियां सुस्पष्ट रूप से परिभाषित हों।

## 4- iorh; {k= e efgyk f'k{kk %&

हिमाचल प्रदेश ने बालिका शिक्षा और महिला साक्षरता के क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1.5 कि.मी. से 3 कि.मी. की परिधि में स्कूल खोले हैं, ताकि बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(i) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और महिला संबंधी मुद्दों से जुड़े अध्याय शामिल किए जाएं।

(ii) शैक्षणिक संस्थाओं में सभी स्तरों पर अध्यापकों व छात्र–छात्राओं, दोनों को महिला संबंधी मुद्दों की जानकारी दी जाए।

(iii) पंचायत मुख्यालयों में पुस्तकालय खोले जाएं, ताकि मुद्रित सामग्री के माध्यम से जानकारियों का प्रचार प्रसार किया जा सके।

(iv) महिला संबंधी मुद्दों के लिए इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया जाए।

(v) अध्यापकों के प्रशिक्षण में नैतिक मूल्यों की शिक्षा शामिल की जाए।

### 5- efgykvksa dk LokLF; lac/kh eqn~ns %&

शिमला में आईजीएमसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश ने महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला।

स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। रजोनिवृत्ति से पहले और बाद में महिलाओं के सामने आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र के रूप में स्वास्थ्य नीति में शामिल किया जाना चाहिए।

(i) विटामिन डी की कमी के उन्मूलन की योजना।

(ii) कम आयु में हिस्टरेक्टॉमी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

(iii) पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम का अक्षरशः कार्यान्वयन होना चाहिए।

(iv) गर्भपात कराने वाली गोली एच अनुसूची में आती है; इसे एच 1 अनुसूची में लाया जाना चाहिए।

(v) नशीली दवाओं के सेवन की लत के उन्मूलन के विषय में स्टिंग ऑपरेशन।

### 6- fgekpy;h ioZrh; {ks= esa lkekftd&vkfFkZd cjkcjh %&

(i) किफायती और स्वीकार्य न्याय उपलब्ध कराना।

(ii) पंचायत स्तर पर न्यायिक पंचायतों की स्थापना की जाए, ताकि न्याय पाने के लिए महिलाओं को न्यायालयों में न जाना पड़े।

(iii) सरकार के पास भूदान के अंतर्गत भूमि उपलब्ध है। भूमि के वितरण में पहली प्राथमिकता उन एकल नारियों और विपदाग्रस्त महिलाओं को दी जाए, जिनके पास भूमि नहीं है।

**Lo lgk;rk legk dh lnL; efgykvk d lkeu m|eh cuu d ekx e vku okyh leL;k,¡&**

(i) स्वसहायता समूहों के लिए व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव तैयार करने का प्रशिक्षण।

(ii) उत्पादों के विपणन की प्रक्रिया से संबंधित जटिलताओं और रुकावटों को दूर करना।

(iii) उनके नाम पर कोई परिसंपत्ति न होना।

(iv) कारोबारी पद्धतियों का अनुभव न होना।

(v) अनुभवहीन महिलाओं के लिए विकास संबंधी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे अपने कौशलों को बढ़ावा दे सकें।

(vi) जटिल कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं को लचीला और आसान बनाए जाने की जरूरत है।

(vii) खाद्य उत्पाद लाइसेन्स प्राप्त करने के नियमों में छूट दी जाए, ताकि महिलाएं लघु–उद्योग शुरू कर सकें।

(viii) हिमाचल प्रदेश में परिवहन एक बड़ी समस्या है। दूरदराज के क्षेत्रों में बसें या तो सुबह–सवेरे चलती हैं या देर शाम को। इसीलिए महिलाओं को बाजार आने–जाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन के वैकल्पिक साधन की आवश्यकता है।

(ix) महिलाओं की पारंपरिक समझ का दस्तावेजी ब्यौरा तैयार करना।

**7- iorh; {k= e efgykvk dk jktufrd l'kfdj.k %**

(i) हालाँकि सरकार ने जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय स्व–शासन निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है लेकिन विधान सभाओं और संसद में महिलाओं को यह आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। जब तक महिलाओं को विधान सभाओं और संसद में आरक्षण नहीं मिलता है तब तक महिला सशक्तीकरण व्यवहार्य रूप नहीं ले पाएगा।

(ii) सभी सरकारी / अर्ध–सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र में महिलोन्मुख बजट प्रकोष्ठों की स्थापना की जानी है।

(iii) सभी सरकारी / अर्ध–सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र में यौन उत्पीड़न समितियों को शुरू किया जाए व उनकी नियमित निगरानी की जाए।

**17½ lkeFk;e foeu fon fMlfcfyVh Qkje Q,j ,D'ku d lg;kx l jk"Vh; efgyk vk;kx u Þfodykx efgykvk l lcf/kr vge eqík ij xkyet ijke'k dk vk;ktu fd;kA**

(i) माता–पिता को उनकी विकलांग बेटियों को शिक्षित करने के लाभों की जानकारी दी जाए, जिससे उनके आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

(ii) शीघ्र निदान सुविधाओं की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

(iii) गंभीर विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों के लिए और अधिक आवासीय गृह बनाए जाएं।

(iv) किसी एक या एक से अधिक विकलांगताओं से ग्रस्त बच्चों के लिए स्कूली भवनों को अनुकूल बनाने के लिए मानक दिशा निर्देश तैयार किए जाएं।

(v) विकलांग बच्चों, विशेषकर विकलांग बालिकाओं के लिए स्कूलों को अधिक अनुकूल बनाने हेतु आवश्यक सुविधाएं, सहायक सामग्री व उपकरण उपलब्ध कराकर स्कूली अवसंरचना में सुधार किया जाए।

(vi) अधिक संख्या में विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएं क्योंकि फिलहाल स्कूलों में ऐसे शिक्षकों की भारी कमी है।

(vii) राज्य कानूनों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल बच्चों की विकलांगता के स्वरूप और विकलांग बच्चों की जरूरतों पर ध्यान दें। दृष्टिहीन बच्चों को पाठ्यक्रम ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है जबकि बधिर बच्चों के लिए संकेत भाषा के व्याख्याता की जरूरत होती है।

(viii) परिवार, अध्यापकों व अन्य संगत कार्यकर्ताओं सहित देखभालकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के लिए कानून / नीतियां तैयार की जाएं।

(ix) यौन एवं शारीरिक दुराचार के निवारण के लिए बच्चों को व्यापक यौन शिक्षा प्रदान की जाए।

(x) बच्चों को विकलांगता प्रमाणपत्र देने के लिए स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे स्कूल छोड़ने के बाद बच्चों को मदद मिलेगी।

(xi) विकलांग बच्चों की मदद करने के लिए विकलांगता पेन्शन योजना, परिवहन भत्ता योजना इत्यादि जैसी योजनाएं चलाई जाएं।

(xii) शिक्षा का अधिकार के अनुसार अध्यापकों का मूल्यांकन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाए कि बच्चे वास्तव में कुछ सीख रहे हैं और सिर्फ उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं।

(xiii) बालिका संबंधी उन मौजूदा योजनाओं में सुधार किया जाए, जो विविध या बौद्धिक विकलांगताओं से ग्रस्त बालिकाओं के लिए भेदभावपरक हों।

(xiv) बौद्धिक और विविध विकलांगताओं से ग्रस्त विकलांग व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों संबंधी जनगणना आँकड़ों का संग्रहण सुनिश्चित किया जाए, ताकि इन आँकड़ों का प्रयोग आगे संगत नीतियां तैयार करने के लिए किया जा सके।

## 18½ ubZ fnYyh fLFkr Hkkjrh; lkoZtfud ç'kklu laLFkku ds lg;ksx ls jk"Vªh; efgyk vk;ksx us ÞlwPkuk lapkj çkS|ksfxdh vkSj efgyk l'kähdj.kß fo"k; ij ijke'kZ dk vk;kstu fd;kA

### okn&fookn ls çkIr uhfrxr flQkfj'ksa

महिलाओं को सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लाने के विषय में विभिन्न चरणों में वाद–विवाद से प्राप्त कुछ नीतिगत सिफारिशों की श्रेणियां इस प्रकार हैं :–

### I. vkSo';drk fu/kkZj.k

विचार–विमर्श के दौरान उन कमियों के निर्धारण की आवश्यकता जताई गई, जिनके कारण समाज में महिलाओं के मार्ग में रुकावटें आती हैं। भारत की सामाजिक संरचना पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिलाओं को सूचना संचार एवम प्रौद्योगिकी के माध्यम से आगे लाने के उद्देश्य से उनकी चिंताओं का तत्काल निराकरण किए जाने की जरूरत है। साथ ही यह भी समझा जा सकता है कि महिलोन्मुख परिप्रेक्ष्य कैसे पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी की उपलब्धता एवं प्रयोग को नया रूप दे सकता है और सूचना संचार प्रौद्योगिकी नीति में महिलाओं संबंधी मुद्दों को क्यों शामिल किया जाना चाहिए। नीति निरूपण, कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और उनके कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन में महिलोन्मुख मुद्दों को शामिल किया जाना जरूरी है।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं द्वारा सूचना संचार प्रौद्योगिकी का कम प्रयोग किए जाने का कारण भी ऐसा एक और पहलू है, जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसीलिए इस कमी को दूर करने में सहायक नीतियां बनाई और कार्यान्वित की जा सकती हैं।

यह तथ्य भी उजागर किया गया कि सभी हित धारकों के लिए संचेतना व जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना संचार प्रौद्योगिकी की उपलब्धता व अवसरों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है।

साथ ही योजनाएं व निर्णय–निर्धारण प्रक्रियाएं तैयार करते समय समाज के सभी निर्धारित वर्गों की महिलाओं को शामिल करने के लक्ष्य पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

### II. çf'k{k.k o {kerk fodkl

सूचना संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के माध्यम से महिला लाभार्थियों के कौशलों एवं क्षमताओं का विकास ही वह दूसरा सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू था, जिस पर बार–बार विचार किया गया और पूरे आयोजन के दौरान इसी पर बार–बार जोर देते हुए इस पहलू पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया। मूल आवश्यकता नई और मौजूदा प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रयोग के लाइफसाइकल पर पुनर्विचार करने की है। इनमें नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोक्ताओं, विकासकर्ताओं और संचालकों के रूप में महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि महिलाएं कुछ ऐसा तैयार कर सकें, जिसका वे उपयोग कर सकती हों।

एक विकास व्यवसायी का यह मानना था कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणालियां तैयार किए जाने से महिलाओं का इतना सशक्तीकरण हो सकता है कि वे सामुदायिक स्तर पर भागीदारी कर सकें। साथ ही विचार–विमर्श के दौरान यह सुझाव भी दिया गया कि सूचना संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को महिला लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक और अनुकूल बनाने के लिए महिलाओं के अनुकूल प्रणालियों, सॉफ्टवेयर और अवसंरचना की आवश्यकता है। कम्प्यूटरों और मोबाइल फोनों पर महिलाओं की आवाजों में स्थानीय समुदाय की ग्रामीण सूचनाओँ का प्रलेखन ऐसा दूसरा पहलू है, जो महिलाओं की क्षमताओं में वृद्धि की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह प्रलेखन प्रयोक्ताओं के कौशलों में सुधार और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। सामाजिक व्यवसायी द्वारा उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण पहलू जमीनी स्तर के समुदायों के लिए नॉलेज पोर्टलों के विकास के माध्यम से स्व–सहायता समूहों के डिजिटाइजेशन से संबंधित था।

## III. **u,y!t fcfYMx**

सामाजिक संरचनाओं, संस्कृति और भारतीय समाज के मानकों की समझ के आधार पर समाज के सभी वर्गों की महिला लाभार्थियों में महिला शिक्षा के माहौल और आईसीटी के प्रयोग के विषय में **çf'k{k.k** को प्रोत्साहित कर सकने वाले विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं।

साथ ही देश में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और सशक्तीकरण का पथ प्रशस्त करने वाली **lokÙke lHkkfor i)fr;k r!;kj dju** में मदद कर सकने वाली ऐसी पहलें भी शुरू किए जाने की आवश्यकता है, जिनमें **MkVk duD'ku** (उदाहरणार्थ वीकिपीडिया जीरो) का प्रयोग किए **fcuk lpuk,!** प्राप्त करने वाले **v,uykbu ikVy** एवं वेबसाइटें तैयार की जाती हैं। और अन्य ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से ज्ञान का आदान–प्रदान बहुत आवश्यक है।

महिलाओं को उनकी स्थानीय बोलियों के **vfrfjä Hkk"kk çf'k{k.k** के माध्यम से सशक्त कर सकने वाला एक और कार्यकलाप ग्रामीण क्षेत्रों में जिला/ब्लॉक स्तरों पर और शहरी क्षेत्रों में शहरों में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना भी है। आसानी से सिखाने वाले और प्रयोक्ता के अनुभव के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आईसीटी कार्यक्रमों की मदद से दूरदर्शन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

## IV. **dk'ky fodkl**

महिलाओं में आईसीटी के प्रयोग के लिए **dk'ky fodkl** और व्यावसायिक **çf'k{k.k** लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं के सशक्तीकरण और जीवन में सुधार का बेहद आवश्यक घटक है। साथ ही महिलाओं में **vkbZlhVh çf'k{k.kk** और कौशल विकास को बढ़ावा दिए जाने से महिलाओं के व्यक्तिगत सशक्तीकरण और उनके समुदाय के विकास के लिए अवसर एवं प्रयोक्ता अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, गैर–सरकारी संगठनों और जमीनी स्तर के कल्याणकारी संगठनों में महिलाओं के लिए आईसीटी प्रशिक्षणों को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, ताकि सरकारी नीतियों व योजनाओं के लाभ आसानी से जमीनी स्तर तक पहुँच सकें। इसके अलावा, भारत के उन ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में **fMftVy fyVjlh** को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की

गई है, जिन क्षेत्रों में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की पहुँच बहुत कम है और इन प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है।

## V. tkx:drk fodkl

आईसीटी का इस्तेमाल विशेषकर महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में नैतिक, कानूनी और आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार के प्रभावी साधन के रूप में भी किया जा सकता है। इसका प्रयोग हमारे देश के विभिन्न कानूनों की परिकल्पनाओं के अनुसार महिलाओं को उपलब्ध कानूनी संरक्षण की जानकारी के प्रचार–प्रसार के लिए भी किया जा सकता है। यही कार्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जा सकता है। आईसीटी के प्रयोग से जुड़ी आशंकाओं को कम करने के उद्देश्य से **ekl ehfM;k** के माध्यम से प्रसारित आईसीटी के **ç;kx lc/kh lfo/kk** दर्शाने वाले विशिष्ट जागरूकता कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। आईसीटी से महिलाओं को प्राप्त हो सकने वाले विशिष्ट लाभ विशेष रूप से तैयार किए गए इन जागरूकता कार्यक्रमों में दर्शाए जाने चाहिएं।

## VI. vU; igy

नीतिगत वाद–विवाद के दौरान हुए विचार–विमर्श के परिणाम के रूप में जिन कुछ अन्य पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, उनमें शामिल मुद्दों पर आगे चर्चा की गई है :–

ऐसी व्यवस्था तैयार किए जाने की जरूरत है, जिससे सर्वोत्तम कार्यों को मान्यता प्रदान करने और जीवन–निर्वाह कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में **vuqdj.kh; efgyk m|fe;k** को दर्शाने के साथ–साथ **çk|kfxdh; {k=** में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के जीवन में **i;kIr cnyko** लाने और महिलाओं द्वारा आईसीटी का प्रयोग किए जाने के लिए आईसीटी क्षेत्र में **efgykvk dh dk;l n'kkvk** में सुधार करना बेहद जरूरी है। अपने **0;kolkf;d vkj 0;fäxr fodkl** के लिए आईसीटी का प्रयोग करने वाली महिलाओं के सकारात्मक उदाहरणों को मान्यता प्रदान करने के साथ–साथ बाजार या कार्यक्रम के माध्यम से **çk|kfxd;k dk fodkl ,o foy;** भी एक और ऐसा पहलू है, जिस पर विचार किया जा सकता है।

**vkbllhVh** उपलब्ध होने पर भी महिलाएं आलस्य, प्रयोग करने पर प्रतिबंधों (कहीं वे सिस्टम को खराब न कर दें), और प्रौद्योगिकी संबंधी जागरूकता के अभाव (एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या प्रौद्योगिकी सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं होती है) के कारण इस प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक उपयोग नहीं करती हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि आईसीटी की अवधारणा को गलती से औद्योगिक युग की अवधारणा मान लिया गया है जबकि प्रौद्योगिकी के प्रयोग और इसके अनुप्रयोगों का शायद ही कारखानों से कभी कोई संबंध रहा है और महिलाओं को अतीत में इस प्रौद्योगिकी से दूर रखने वाली इसी भ्रांति ने उनके मन में गहरी जड़ें जमा ली है।

## VII. vkbllhVh d ç;kx dk eY;&o/kku

सरकार और संबद्ध योजनाओं की वित्तीय सहायता से **m|e'khyrk çf'k{k.k dæ** की स्थापना

करने वाले औद्योगिक व्यवसायी पंचायत स्तर पर मोबाइल व औद्योगिक एक्सचेन्जों की सहायता से स्थानीय बाजार में घरेलू कम्प्यूटर बनाने का प्रशिक्षण गृहणियों और किशोरियों को प्रदान करने में सहायता कर सकते हैं। उत्पादों की बिक्री/एक्सचेन्ज के लिए परामर्शदाता स्तर, मोबाइलों की मरम्मत इत्यादि के लिए सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिलाएं दूध और दुग्ध उत्पादों, मवेशी/मुर्गी फार्म और इसी प्रकार के कई कार्यकलाप चलाने वाले छोटे कारोबार शुरू करने के लिए सहकारी समितियों का गठन कर सकती हैं। साथ ही **jkT; efgyk vk;kxk** को **vkfFkd l'kähdj.k** के लिए आईसीटी के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

सामाजिक सुविधा संगम नामक **tUMj fjlkl lUVj e,My** अपनाने से भी महिला प्रयोक्ताओं के क्षमता विकास में मदद मिल सकती है।

## VIII. vo l jpuk l fo/kk,

विचार–विमर्श में समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाओं द्वारा आईसीटी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ावा देने पर बार–बार जोर दिया गया। **'kgjh** महिलाओं के लिए **bUVjuV lokvk d çki.k** की लागत को **lfClMkbt** करने एवं शहरी क्षेत्रों में **fuEu&vk; oxZ** की महिलाओं के लिए निम्न गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए **fu'k'kYd** करने पर कई बार विचार–विमर्श किया गया।

अपनी सुविधानुसार इन्टरनेट पाने के लिए महिलाओं को **MkVk dkM** व्यापक पैमाने पर उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही महिलाओं की ऑनलाइन एक्सेस की निगरानी की ऑनलाइन व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों की महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉरपोरेट की **lh,lvkj igyk e d,jikjV lkekftd nkf;Ro** के रूप में आईसीटी संवर्धन के जेन्डर कम्पोनेन्ट को शामिल किया जाना चाहिए। सीएसआर पहलों के अंतर्गत कॉरपोरेटों को विकलांग महिलाओं के लाभार्थ आईसीटी संवर्धन पहलें तैयार करनी चाहिए।

कॉरपोरेट फर्मों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी देश के ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों की महिलाओं के लिए रियायती प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करनी चाहिए। सेवा प्रदाताओं को पूरे देश में **çk|kfxdh dh vklku miyC/krk vkj ,dh—r vxhdj.k** को संभव बनाने के प्रयास करने चाहिए।

इस विषय में भी विचार–विमर्श किया गया कि नए ऐपों या वेबसाइटों को शुरू करने से पहले प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूपों पर **vuç;kxk dh :ij[kk ç;kävk dk /;ku** में रखकर तैयार की जानी चाहिए क्योंकि काफी संख्या में महिलाएं भी इनका प्रयोग करेंगी। इसके अतिरिक्त, महिला प्रयोक्ताओं को इस प्रक्रिया में शामिल करने व अनुप्रयोगों की रूपरेखा एवं विकास के विषय में उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने से लाभार्थियों के परिप्रेक्ष्य से अनुप्रयोगों के उपयोग के विषय में नई जानकारी प्राप्त होगी।

हालाँकि व्यक्तिगत प्रयोजनों के साथ–साथ व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए आईसीटी के प्रयोग की काफी जरूरत महसूस की गई लेकिन इन प्रयोजनों की पूर्ति के पर्याप्त साधन नहीं थे उदाहरण

के लिए अनेक कार्यालयों में आधारभूत आईसीटी सुविधाएं नहीं हैं, जिससे कम्प्यूटरों की अनुपलब्धता या समुचित, निरंतर इन्टरनेट कनैक्शन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे मामलों में मोबाइल फोन के जरिए इन्टरनेट प्राप्त करने के लिए प्रयोक्ताओं को उपयुक्त बैन्ड विड्थ की आवश्यकता थी, जिसके अभाव में वे अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।

## IX. fuxjkuh ,oa eY;kdu 0;oLFkk

अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों (विशिष्ट लक्षित समूह) हेतु शुरू की जाने वाली किसी नई पहल के सबसे जरूरी पहलू निगरानी एवं मूल्यांकन होते हैं। निगरानी एवं मूल्यांकन से ही स्टेक होल्डरों को उस पहल/कार्यक्रम के गुणों व कमियों का पता चलता है। इस संदर्भ में यह सुझाव दिया गया कि प्रमुख आईसीटी पहलों एवं कार्यक्रमों की आईसीटी लेखा परीक्षाओं पर विचार किया जाना चाहिए, जिनके घटक इस प्रकार हों:

उद्यमों द्वारा अपनाई जाने वाली आईसीटी के प्रयोग की पद्धतियां जेन्डर निरपेक्ष हैं या नहीं, उदाहरण के लिए क्या संगठन के प्रत्येक कर्मचारी को किसी मानक संसूचक के माप के अनुसार समान प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई गई हैं।

उद्यमों ने इस विषय में विश्लेषण और विचार–विमर्श किया है या नहीं कि आईसीटी की मदद से महिलाएं कैसे अपने कार्य में बेहतर योगदान कर सकती हैं और उन्हें आईसीटी के प्रयोग के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण कैसे प्रदान किया जा सकता है।

आईसीटी के प्रयोग में पिछड़ रहे स्वास्थ्य देखरेख जैसे क्षेत्रों को उन आईसीटी कार्यक्रमों एवं नीतियों के माध्यम से आईसीटी के प्रयोग के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिनसे इन क्षेत्रों के व्यवसायियों को आईसीटी के प्रयोग में मदद मिल सके। आईसीटी के विभिन्न अनुप्रयोगों का प्रशिक्षण स्वास्थ्य देखरेख कार्यकर्ताओं को प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार की जानी चाहिएं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक स्वास्थ्य देखरेख कार्यकर्ता को आईसीटी के प्रयोग से लाभ पाने के लिए प्रोत्साहित करने वाले विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

## X. uhfrxr dk;Øe vkj ljdkjh dk;Øe

21वीं सदी में आईसीटी ने महिलाओं के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रही है। पूरे विश्व में महिलाओं द्वारा आईसीटी के प्रयोग में अनेक स्वाभाविक बदलाव आए हैं। लेकिन आज भी कुछ कमियों को ऐसी नीतियों से दूर किए जाने की आवश्यकता है, जिनसे महिलाओं द्वारा आईसीटी के प्रयोग की कुछ विसंगतियों को समाप्त करने में मदद मिल सके।

नीति व निर्णय निर्धारण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है, जिससे न केवल निर्णय एवं नीति निर्धारण प्रक्रियाओं में सुधार होगा बल्कि प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थियों को महसूस होने वाली जरूरतों में भी संतुलन स्थापित होगा। शासन निकायों को ऐसा कार्यक्रम चलाना होगा, जिससे भारत में आईसीटी की उपलब्धता एवं उपयोग के परिदृश्य में ही बदलाव आ जाए। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अब तक महिलाओं के लिए कोई आईसीटी

नीति नहीं बनाई गई है। इसीलिए महिलाओं के व्यक्तिगत विकास एवं सामाजिक समानता व समता के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से महिलाओं को आईसीटी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने व इसके लिए उनकी मदद करने हेतु समर्पित पहल की आवश्यकता है।

नीतियां व कार्यक्रम उपयुक्त ढंग से तैयार किए जाने चाहिए, ताकि प्रौद्योगिकी के प्रयोग की कमी की पूर्ति छोटे व्यवसायों के लिए इन्टरनेट की सस्ती किंतु गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता के माध्यम से की जा सके। स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्र आईसीटी के प्रयोग में पिछड़ रहे हैं। इस विषय में ध्यान देने योग्य एक और महत्त्वपूर्ण पहलू महिलाओं का डिजिटल समावेशन है, जिसका प्रभाव इन महिलाओं के प्राथमिक शिक्षण स्थल अर्थात कार्यस्थल पर पड़ सकता है। कारोबारियों से आईसीटी लेखा परीक्षाओं की अपेक्षा करने वाली नीतियां बनाई जानी चाहिएं। इसके अतिरिक्त, भारत में महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तीकरण से संबंधित मौजूदा और पहले से चल रही महिलाओं के अनुकूल पहलों एवं परियोजनाओं का अनुकरण किया जाना चाहिए। इस प्रकार इन कार्यक्रमों की सर्वोत्तम पद्धतियां सफल कार्यान्वयन एवं लक्षित विकास कार्यक्रम हेतु परिणामोन्मुख सकारात्मक परिवर्तन के लिए अनुकरणीय मॉडल बन सकती हैं।

महिला संबंधी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का विभाजन और निधियों का आबंटन करते समय बजट आयोजना इतने विवेकपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए कि लाभार्थी पहलों के लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें तथा लक्षित समूह की जरूरतों की पूर्ति सर्वाधिक लाभदायक तरीके से की जा सके।

**19½ vej mtkyk QkmaMs'ku vkSj çk.k lHkjoky QkmaMs'ku ds lg;ksx ls jk"Vªh; efgyk vk;ksx us Þrstkc ls gey dh ihfM+rkß fo"k; ij ijke'kZ rhu efrZ Hkou] ubZ fnYyh esa 21 Qjojh] 2015 dks vk;ksftr fd;kA**

***flQkfj'ksa %&***

(i) तेजाब से हमले की पीड़ितों के प्राथमिक उपचार और बाद में उपचार का स्पष्ट नवाचार तैयार किया जाए। इस नवाचार को व्यापक पैमाने पर परिचालित किया जाए और अस्पतालों, निदानालयों व औषधालयों में दर्शाया जाए। इन पीडितों को चिकित्सीय देखरेख सेवाएं प्रदान करते समय चिकित्सीय एवं अर्ध–चिकित्सीय कर्मचारियों को इस नवाचार का पालन करना चाहिए।

(ii) तेजाब से हमले की पीड़ितों का उपचार करने वाले डॉक्टरों एवं चिकित्सा व्यवसायियों के डाटाबेस का व्यापक प्रचार–प्रसार अस्पतालों, सामाजिक संगठनों और तेजाब से हिंसा के मामलों पर कार्रवाई करने वाली एजेन्सियों में किया जाना चाहिए।

(iii) तेजाब से हमले की पीड़ितों के उपचार का वित्तपोषण करने वाले संगठनों और फाउंडेशनों की जानकारी अस्पतालों, सामाजिक संगठनों एवं इस मुद्दे पर कार्रवाई करने वाली एजेन्सियों में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस उपाय से पीड़ितों को समय पर चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

(iv) बच्चों में तेजाब से जलने की समस्या मूलतः कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में तेजाब की अनैतिक एवं गैर–विनियमित बिक्री से जुड़ी है, जिसकी रोकथाम की जानी चाहिए।

(v) तेजाब से हमले की पीड़ितों व उनके परिवारों को इस मनोवैज्ञानिक तनाव और सदमे से उबरने के लिए परामर्श एवं मनो–सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु परामर्शदाताओं, मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाए।

(vi) चिकित्सीय एवं अर्ध–चिकित्सीय कर्मचारियों में संचेतना विकास क्योंकि अस्पताल में सबसे पहले पीड़ितों का संपर्क इन्हीं से होता है। यह जरूरी है कि वे पीड़ितों व उनके परिवारों को प्राथमिक परामर्श प्रदान करें और उपचार की प्रक्रिया समझाएं।

**20½ vk/k çns'k jkT; efgyk vk;kx dk lg;kx ls jk"Vªh; efgyk vk;kx us Hkkjr esa nsonkfl;ksa dh fLFkfr ß fo"k; ij ijke'kZ gSnjkckn] vkU/k çns'k esa 23 Qjojh] 2015 dks vk;kftr fd;kA**

***flQkfj'ksa %&***

(i) देवदासी / जोगिनी प्रथा में शामिल परिवारों की संख्या का डाटा बैंक तैयार करने के लिए तत्काल सर्वेक्षण कराया जाए।

(ii) देवदासी प्रथा के निषेध से संबंधित राज्य सरकारों के अधिनियमों का अक्षरशः कार्यान्वयन किया जाए।

(iii) देवदासी / जोगिनी प्रथा में शामिल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा आईडी कार्ड उपलब्ध कराए जाएं।

(iv) देवदासी / जोगिनी प्रथा में शामिल महिलाओं को 3 एकड़ सरकारी भूमि स्वीकृत की जाए।

(v) सरकार देवदासी / जोगिनी प्रथा में शामिल महिलाओं के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा/कौशल विकास पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के उपाय शुरू करे।

(vi) देवदासी / जोगिनी प्रथा में शामिल महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यसाधक साक्षरता योजना अपनाई जाए।

(vii) राष्ट्रीय / राज्य महिला आयोगों को जिलों में देवदासियों / जोगिनियों के साथ विचार–विमर्श सत्रों का आयोजन करना चाहिए।

(viii) देवदासियों और जोगिनियों को विशेष उपाय के रूप में चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं।

(ix) उनके बच्चों को शिक्षा व रोजगार इत्यादि में आरक्षण दिया जाना चाहिए।

(x) बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रत्येक स्कूल में लागू किया जाना चाहिए। स्कूल में बच्चे के दाखिले के लिए अभिभावक का नाम पर्याप्त है। पिता का नाम न

होने के कारण ऐसे बच्चों को स्कूलों में दाखिले से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को बच्चों और विशेषकर बालिकाओं की विशेष देखरेख करनी चाहिए, जिनका शोषण होने की आशंका अधिक है। ऐसी बालिकाओं को स्कूलों में दाखिल किया जाना चाहिए और छात्रावास में रखा जाना चाहिए।

(xi) प्रमाणपत्र (अर्थात राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, आरोग्य श्री कार्ड, आय प्रमाणपत्र, स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र, समुदाय प्रमाणपत्र इत्यादि) जारी करने के लिए सक्षम संबंधित अधिकारियों को इस तथ्य का सत्यापन करने के अनुदेश या निर्देश दिए जाएं कि आवेदन करने वाली महिला या उसका बच्चा जोगिनी है या नहीं। एक बार पुष्टि हो जाने पर प्रमाणपत्र बिना किसी भेदभाव के जारी किया जाए।

(xii) सार्वजनिक अधिकारियों के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए और उन्हें देवदासी/जोगिनी प्रथा का निषेध करने वाले संबंधित अधिनियमों की जानकारी दी जाए।

(xiii) पासपोर्ट के आवेदन प्रपत्र में परिवर्तन किया जाए या पति के नाम का उल्लेख करने से छूट दी जाए या आवेदन प्रपत्र में पिता के नाम का उल्लेख किया जाए। यह कुरीति अनेक दक्षिणी राज्यों में मौजूद है इसलिए केंद्र सरकार आवेदन प्रपत्र में संशोधन या परिवर्तन करे।

(xiv) जोगिनियों के विवाहों को प्रोत्साहित किया जाए। जोगिनियों के बच्चों के विवाहों के लिए वित्तीय सहायता दी जाए। सरकार अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्तियों को 50,000/– रुपए का आर्थिक प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए जोगिनियों और उनके बच्चों के नवविवाहित वर एवं वधू को भी यह प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसी जोगिनी या जोगिनियों की पुत्री या पुत्र से विवाह करने वाले व्यक्ति को ऐसी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यह प्रोत्साहन राशि उन्हें आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीनों की अवधि में प्राप्त हो जानी चाहिए। सरकार को किसी जोगिनी या उसकी पुत्री से विवाह करने वाले व्यक्ति को रोजगार सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए।

(xv) रोजगार और शिक्षा के आवेदन प्रपत्र में बदलाव किए जाएं, ताकि दाखिला और रोजगार पाने के लिए माता या अभिभावक का नाम पर्याप्त हो।

(xvi) अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे पति या पिता का नाम बताने का आग्रह न करें।

(xvii) किसी जोगिनी को शवयात्रा में नृत्य करने के लिए मजबूर करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

(xviii) सभी जोगिनियों/देवदासियों के लिए वृद्धावस्था/विधवा पेन्शन का प्रावधान किया जाए।

(xix) स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएं नियमित अंतरालों पर उनकी निःशुल्क चिकित्सीय जाँच व सहायता की जानी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन भी किया जाए।

(xx) वयोवृद्ध जोगिनियों के लिए जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम भी उपलब्ध कराए जाएं।

(xxi) जोगिनियों और उनके बच्चों को सभी सरकारी नौकरियों में 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

(xxii) समाज कल्याण विभाग के सभी विंगों में नौकरियां विशेष रूप से जोगिनियों और इसी प्रकार की महिलाओँ एवं उनके बच्चों के लिए आरक्षित की जानी चाहिएं। उन्हें उचित दर दुकानों, मी सेवा केंद्रों और ई–सेवा केंद्रों इत्यादि का आवंटन किया जाना चाहिए, ताकि वे समाज में सम्मान के साथ जी सकें।

(xxiii) उनकी वित्तीय स्थिरता के लिए स्व सहायता समूह गठित किए जाएं।

(xxiv) उन्हें गाँवों में जल एवं बिजली आपूर्ति सुविधाओँ के साथ 2–3 एकड़ उर्वर भूमि दी जाए, जहाँ वे रह सकें।

(xxv) सरकार को उन्हें खेतीबाड़ी के लिए उपयुक्त कृषि भूमि उपलब्ध करानी चाहिए।

(xxvi) सरकार को उन्हें गाँव के बाहर नहीं, बल्कि गाँव के बीच में मकान उपलब्ध कराने चाहिएं।

(xxvii) सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में जटारा, तिरुनाल्लू जैसे ग्राम महोत्सवों के समय संभावित ऐसे शोषण के निवारण के उपाय करने चाहिएं।

(xxviii) सरकार को गाँव में बालिकाओं को इस प्रयोजनार्थ समर्पित किए जाने की घटनाओं के निवारण के लिए जोगिनियों को जासूसों के रूप में नियुक्त करना चाहिए।

(xxix) सरकार को ऐसी महिलाओं की सहायता कर रहे गैर–सरकारी संगठनों की सेवाएं परामर्श एवं जागरूकता कार्यक्रमों में लेनी चाहिए।

(xxx) सरकार को इस कुरीति के उन्मूलन के उद्देश्य से जागरूकता एवं परामर्श के लिए प्रचार का हर तरीका अपनाना चाहिए।

(xxxi) जब कभी किसी बालिका को समर्पित किया जाए तब सरकार को इस घटना के लिए जिले में कार्यकारी दंडाधिकारी या समाज कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए। बालिका को तत्काल छुड़ाकर ऐसे माहौल से दूर किसी बालिका बचाव गृह में रखा जाए और उसे चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा स्कूल में उसका दाखिला भी कराया जाए। उसके लिए तत्काल परामर्श की आवश्यकता होती है। यदि वह बालिका पढ़ने–लिखने को इच्छुक न हो तो उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

(xxxii) कार्यकारी दंडाधिकारी, स्थानीय उप–निरीक्षक, सरपंच, वीएओ, वीआरओ के क्षेत्रों में कोई बालिका समर्पित किए जाने पर ऐसी घटना के लिए उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए।

(xxxiii) सरकार सलाहकार और पर्यवेक्षक समिति गठित कर सकती है, जिसमें प्रधान सचिव, समाज कल्याण, आयुक्त, महिला एवं बाल कल्याण का प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश और गैर–सरकारी संगठनों के दो योग्य प्रतिनिधि शामिल होंगे। वे पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे, वित्तीय पैकेजों का समुचित प्रवर्तन सुनिश्चित करेंगे।

**21½ ekSykuk vktkn jk"Vªh; mnwZ fo'ofo|ky; vkSj vka/kz çns'k jkT; efgyk vk;ksx ds lg;ksx ls jk"Vªh; efgyk vk;ksx us ÞHkkjrh; eqfLye efgykvksa dks eq[;/kkjk esa 'kkfey djuk&Hkkoh dk;Z ;kstukß fo"k; ij ijke'kZ gSnjkckn] vka/kz çns'k esa 24 Qjojh] 2015 dks vk;ksftr fd;kA**

***flQkfj'ksa %&***

(i) सरकार को मुस्लिमों को शिक्षा व रोजगार उपलब्ध कराकर उनमें गरीबी के उपशमन के गंभीर उपाय करने चाहिए, मुस्लिम समुदाय में कानूनी जागरूकता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिएं और उनके समेकित विकास के उपाय शुरू किए जाने चाहिए।

(ii) सरकार को शरिया में विवाहों संबंधी विनियमों के विषय में इस समुदाय में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। कुछ हद तक समस्या का कारण तो इस समुदाय को विवाहों के विषय में इस्लाम के नियमों की जानकारी न होना है।

(iii) भारतीय समाज को महिला के स्वाभाविक कौशलों को नजरंदाज करना बंद कर देना चाहिए। अब महिलाओं के कौशलों को पहचानने और उन्हें सही माध्यम उपलब्ध कराकर आर्थिक लाभ पाने का समय आ गया है। एनसीडब्ल्यू, डीडब्ल्यूसीएफ, अल्पसंख्यक आयोग को कौशल प्रशिक्षण के विषय में कार्य करना चाहिए।

(iv) विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के विषय में समुदाय में जागरूकता विकसित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय मीडिया इस विषय में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

(v) युवकों एवं युवतियों को परंपरागत रूप से वर्जित माने जाने वाले समसामयिक (करेंट) की और अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। विशेषकर मुस्लिम बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए स्कूलों व कॉलेजों के स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिएं।

(vi) पुलिस, विशेषकर महिला पुलिस को मुस्लिम महिलाओं से व्यवहार संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए। "यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे शिकायतें व प्राथमिकी दर्ज करने के चरण से ही मुस्लिम महिलाओँ के साथ संवेदनशील ढंग से व्यवहार करें।"

(vii) आईसीटी जैसी प्रौद्योगिकी के द्वारा महिलाओँ के सशक्तीकरण का महत्त्व और महिलाओं में नेतृत्व के विकास की जरूरत। समुदाय का सहयोग बेहद आवश्यक है। सरकार और समुदाय, दोनों को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(viii) बालिकाओं के बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए समुचित अभिमुखीकरण, परामर्श और प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें आशावाद और उत्साह का संचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को इसके लिए पुरजोर प्रयास करने चाहिएं।

(ix) मुस्लिम महिलाओं के लिए मंडल स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिएं। उन्हें उनके अधिकारों व जिम्मेदारियों की जानकारी दी जानी चाहिए।

(x) सरकारों को मदरसों को संदेह की दृष्टि से और कट्टरवाद के केंद्रों के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए। "मदरसों की शिक्षा पूरी होने पर मदरसों के छात्रों के एमएएनयूयू जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में आसानी से दाखिले की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।"

(xi) मुस्लिम छात्राओं को सॉफ्ट स्किलों के प्रशिक्षण दिए जाने चाहिएं। इससे उनके रोजगार पाने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

(xii) सरकार को मुस्लिम महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे समाज में अपना सही स्थान पा सकें। इस समुदाय में जागरूकता बढ़ाने का एक और साधन मास मीडिया है।

**22½ efgyk ,oa cky fodkl ea=ky; vkj Hkkjrh; m|kx l?k ds lg;kx ls jk"Vªh; efgyk vk;kx us ^efgykvka ds l'kähdj.k ds ifjo'k dk fuek.kß fo"k; ij ijke'k foKku Hkou] ubZ fnYyh ea 8 ekp] 2015 dk vk;kftr fd;kA**

***fl Qkfj'k %&***

(i) वित्तीय संस्थाओं की उपलब्धता – व्यवस्थित सार्वजनिक/निजी बैंकों में ऐसी लचीली व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए, जिससे महिला उद्यमी ऋण ले पाएं।

(ii) स्व सहायता समूहों को संस्थानीकरण की अनुमति दी जाए।

(iii) निजी क्षेत्र में प्रसूति लाभ अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

(iv) प्रत्येक स्कूल में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(v) उद्योग को महिलाओं और उनके प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कर रियायात दिए जाने की जरूरत है। आईटीआई के पाठ्यक्रमों में संशोधन करके उन्हें महिलाओं के अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।

(vi) कौशल विकास के लिए स्कूलों की अवसंरचना का प्रयोग दो शिफ्टों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

(vii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में गठित आयोग या उच्च स्तरीय समिति को देश भर में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा करके रूढ़ियों व पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देने वाली सामग्री को उजागर करते हुए महिला संवेदी मॉड्यूलों के लिए समानता की सिफारिश करनी चाहिए। इसलिए सोच में बदलाव पर जोर देते हुए दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

(viii) उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे महिला विशेष पुलिस अधिकारी (शक्ति दूत) – मॉडल को अन्य राज्यों में भी दोहराया जाए।

(ix) महिला उद्यमियों को बाजार तक पहुँच या बाजार प्रशिक्षण पाने के लिए एकजुट किया जाए या ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। पूर्वोत्तर में पहले से कार्यान्वित किए जा रहे मेघालय बेसिन विकास कार्यक्रम के मॉडल को देश के अन्य भागों में भी दोहराकर इसका विस्तार किया जाए।

(x) संघर्षों से प्रभावित महिलाओं, विचाराधीन एवं दोषी पाई गई महिला कैदियों को कौशल सिखाकर उनका आर्थिक सशक्तीकरण किया जाए, ताकि वे उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित हों।

(xi) महिलाओं का अनुभव – स्थायी एवं बाजारोन्मुख संभावनाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश की आवश्यकताओं के अनुसार महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किए जाने चाहिएं।

(xii) महिला स्व सहायता समूहों को परस्पर जोड़ा जाना चाहिए और उनके उत्पादों के व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा ई–वाणिज्य के लिए भी उन्हें प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।

(xiii) देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। वित्तीय संस्थाओं को महिलाओं के लघु उद्यमों के गुणों, कमियों, अवसरों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए अनुकूल नीतियां व कार्यक्रम बनाने चाहिएं।

(xiv) ऋण लेने के लिए वित्तीय संस्थाओं जैसे कि बैंकों से संपर्क करने वाली महिलाओं से उनके पिता, पति इत्यादि की गारंटी प्रस्तुत करने को कहा जाता है। इसकी जाँच की जानी चाहिए और महिला कर्जदारों से सामान्य व्यक्तियों के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए।

(xv) सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण तैयार करने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए।

(xvi) व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार दिलाने के लिए सोच में बदलाव किया जाना आवश्यक है। यह व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शुरू किया जाना चाहिए।

(xvii) लैंगिक पूर्वाग्रह के बिना आधारभूत एवं अभिनव प्रौद्योगिकी से सभी छात्र–छात्राओं को अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान करके स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण पुनः शुरू किए जाने चाहिएं।

(xviii) स्कूल में ही शिक्षा के दौरान छात्रों को अकुशल से अर्ध–कुशल कामगार बनाने के लिए स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में हर वर्ष उनके कौशल प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

(xix) कामकाजी महिलाओं के कामकाजी जीवन में संतुलन स्थापित करने वाले अनुकूल कारकों पर विचार करके उन्हें व्यवस्थाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

(xx) महिलाओं के सशक्तीकरण के अंतर्गत पुरुषों को भी महिलाओं की जरूरतों के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

(xxi) चूँकि पुरुष महिला के समकक्ष होता है, इसलिए समतापूर्ण समाज के निर्माण के सभी विचार–विमर्शों में पुरुषों को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। बालकों व बालिकाओं, दोनों में एक–दूसरे के प्रति सम्मान की भावना विकसित होनी चाहिए।

(xxii) पाठ्यपुस्तकें संदेश पहुँचाने का सशक्त साधन होती हैं, इसलिए हमारी पुस्तकों में पुरुषों को सभी

कार्यकलाप करते हुए और महिलाओँ को केवल रसोइघर तक सीमित दिखाने वाली छवियों के स्थान पर महिला–पुरुष निरपेक्ष संदेश दर्शाए जाने चाहिएं।

(xxiii) ग्रामीण महिलाओं को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षणों या कौशलों को सोच से भी जोड़ा जाए और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से पहले ग्रामीण महिलाओं को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।

(xxiv) भूमि उपलब्ध कराकर सरकारी सहायता से सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर ग्राम/ब्लॉक स्तर पर महिला संसाधन प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाएं तथा निजी क्षेत्रों के सहयोग से गैर–सरकारी संगठन महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदान करें।

(xxv) महिलाओं द्वारा ग्राम पर्यटन के विकास जैसे उद्यमशीलता प्रशिक्षणों के नए विचारों को प्रोत्साहित किया जाए।

(xxvi) जर्मनी में दिए जा रहे छह महीने के अनिवार्य औषधि या सैन्य प्रशिक्षण के संदर्भ में भारत भी युवकों एवं युवतियों के अंतर–सांस्कृतिक संबंधों के शिक्षण सहित छात्र–छात्राओं के लिए इसी प्रकार के अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू करे।

(xxvii) यह कहा गया कि देश में स्वास्थ्य उद्योग का तेजी से विकास हो रहा है और आज इस उद्योग में बड़ी संख्या में देश की महिलाओं को रोजगार देने व उन्हें सशक्त बनाने की क्षमता है। यह उद्योग बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है।

(xxviii) महिलाओं, विशेषकर कामकाज के लिए घर से बाहर आने जाने वाली कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

(xxix) स्वास्थ्य उद्योग के प्रशिक्षण से महिलाओं को या तो लाभदायक रोजगार पाने या स्वयं अपने केंद्र खोलकर उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा। अतः इस उद्योग को बढ़ावा दिया जाए।

(xxx) गैर–सरकारी संगठनों/संगठनों के सहयोग से सरकार ग्राम, समुदाय स्तरों पर जेन्डर, स्वास्थ्य, यौन शिक्षा इत्यादि के विषय में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करे। इस विषय में सेवाएं पहुँचाने हेतु सहयोगी का कार्य करने के लिए समुदाय के युवा नेताओं का निर्धारण किया जाए।

(xxxi) सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं और परिसरों को छात्राओं के लिए सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।

(xxxii) महिला सुरक्षा के उपायों में पुरुषों के साथ संवाद को शामिल किया जाना चाहिए और सभी स्तरों पर पुरुषों की सोच में बदलाव लाए बिना ऐसा कोई भी कार्यक्रम पूर्ण नहीं होगा।

(xxxiii) भारत में कोई भी मॉड्यूल या कार्यक्रम तैयार करते समय इस देश की भौगोलिक भिन्नताओं के संदर्भों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

(xxxiv) घर से पहल शुरू करते हुए कार्य स्थल सहित महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

(xxxv) सीआईआई ने इस मुद्दे पर सरकार से सहयोग के लिए श्वेत पत्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया है तथा इस विषय में प्रयास शुरू किया जाए।

(xxxvi) कार्यालयों को कामकाजी माताओं को अपने शिशुओं को स्तनपान कराने की सुविधाएं, प्रसूति अवकाश, लचीले कार्य दिवस और घर से कामकाज निपटाने के प्रावधान उपलब्ध कराने चाहिएं, ताकि महिलाओँ व उनके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य सहित उनका स्वास्थ्य एवं पोषण सुनिश्चित किया जा सके।

(xxxvii) कुछ स्कैन्डिनेवियाई देशों के 18 महीने के प्रसूति अवकाश के कानूनों के अनुरूप हमारे देश में भी छह महीने के प्रसूति अवकाश में वृद्धि की जानी चाहिए और इस उपबंध को प्रसूति लाभ अधिनियम में संशोधन करके सरकारी व निजी, दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। संशोधित अधिनियम में माताओं के लिए लचीले कार्य दिवस और घर से कामकाज निपटाने के उपबंधों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

**23½ ubZ fnYyh fLFkr lk'ky MoyiesUV QkmaMs'ku ds lg;ksx ls jk"Vªh; efgyk vk;ksx us Þeyk <kus ds dk;ksZ esa yxh lokZf/kd ofpr efgykvksa ds fopkjksa dh lquokbZß fo"k; ij dUosU'ku dk vk;kstu fd;kA**

***fLQkfj'ksa %&***

(i) राष्ट्रीय महिला आयोग को विभिन्न राज्यों में मैला ढोने वाली महिलाओं के निर्धारण की निगरानी करने और इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए सरकार को पत्र लिखने के लिए विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों की समिति गठित करनी चाहिए।

(ii) इस व्यवसाय को छोड़ चुकी सभी महिलाओं को कृषि भूमि का वितरण किए जाने की सिफारिश की जाती है। वे विकल्प के अभाव में कुछ नहीं कर पाती हैं। सरकार को उन्हें सामान्य बस्तियों में मकान भी बनाकर देने चाहिए, ताकि वे अन्य समुदायों से घुल–मिल सकें।

(iii) मैला ढोने के कार्यों में बच्चों का लगा होना दोहरी शर्म की बात है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए और यह तभी संभव हो पाएगा जब इस समुदाय के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाए। ये समुदाय जिन गाँवों एवं पुरवों में रहते व कार्य करते हैं, उन गाँवों एवं पुरवों को गोद लेकर उनका समग्र विकास किए जाने की आवश्यकता है।

(iv) यदि सरकारी अधिकारी समयबद्ध कार्यक्रम के द्वारा इस कुरीति की रोकथाम न कर पाएं तो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यदि निर्धारण की सूचना गलत है तो अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।

(v) उत्तर प्रदेश सरकार को समान कार्य के लिए समान मजदूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। ग्राम पंचायतों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन नगरपालिकाओं में कार्यरत स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन से बहुत अधिक है। दूसरे, ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किए

गए अधिकांश सफाई कर्मचारी इन समुदायों के नहीं हैं। यह जरूरी है कि वैकल्पिक रोजगार के रूप में किसी भी रोजगार के लिए इन समुदायों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए।

(vi) परामर्श में यह सिफारिश भी की गई कि गैर–स्वच्छता क्षेत्रों की सरकारी सेवाओं में इन समुदायों के शिक्षित युवाओँ को 5 प्रतिशत कोटा दिया जाए, ताकि वे धीरे–धीरे गैर–स्वच्छता कार्यों में भी अपनी जगह बना सकें।

(vii) नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर इन समुदायों के बच्चों के लिए पूर्ण छात्रावास सुविधाओं वाले अम्बेडकर विद्यालय प्रत्येक जिले में खोले जा सकते हैं, ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर भविष्य के लिए तैयार हो सकें।

(viii) जाति, अस्पृश्यता और महिला संचेतना विमर्श को हमारे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विमर्श में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि लोग अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो सकें। अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसी घटनाओं को नजरंदाज करते पाए जाने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए।

(ix) सरकार को इन समुदायों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उत्पादों को बाजार में खरीदा जाए या विभिन्न सरकारी विभाग उन उत्पादों को खरीदें। वे इस प्रयोजनार्थ कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू कर सकते हैं।

(x) मतदाता पहचान कार्ड या आधार कार्ड प्रत्येक व्यक्ति का नागरिकता अधिकार है और यह अधिकार इन्हें भी दिया जाना चाहिए। किसी भी समुदाय को उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अधिकारियों से कहा जाना चाहिए कि वे इन समुदायों की बस्तियों, शिविरों में जाएं और आवश्यक कार्रवाई करें।

(xi) मैला ढोनेवाले सभी समुदाय पूरी तरह भूमिहीन होते हैं और इसीलिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की श्रेणी (बीपीएल) में आते हैं। दुर्भाग्यवश, उन्हें उस श्रेणी में भी शामिल नहीं किया जाता है। अब समय आ गया है कि सरकार उन्हें आजीविका के आवश्यक साधन उपलब्ध कराए और उन्हें अपनी स्कीमों की जानकारी दे। उदाहरण के लिए किसी भी बाल्मीकि, डोम, बांसफोर इत्यादि को इंदिरा आवास योजना की सुविधाएँ नहीं मिल सकती हैं क्योंकि इस योजना का लाभ पाने की पहली शर्त यह है कि आपके नाम पर कोई भूखंड होना चाहिए जबकि ये समुदाय तो पूरी तरह भूमिहीन हैं। इसीलिए इन्हें ऐसी योजनाओं के लाभ नहीं मिल पाते हैं। अब समय आ गया है कि सरकार विशेष रूप से इन समुदायों पर ध्यान दे और इनके कल्याण के लिए व्यापक कार्यक्रम लाए।

## 24½ ef.kij ds foy ,lkfl,'ku ds lg;kx ls jk"Vh; efgyk vk;kx us Þd'khnkdkjh dk;k e efgyk m|ferkß fo"k; ij lxk"Bh dk vk;ktu fd;kA bl lxk"Bh e dh xbZ dN mYys[kuh; flQkfj'k bl çdkj g%&

(i) संबंधित राज्य सरकार को कशीदाकारी और इसके उत्पादों के निपटान के लिए प्रत्येक जिले में नियमित बाजार/केंद्र स्थापित करने की सलाह दी जाए।

(ii) राज्य सरकार को कशीदाकारी मदों के लिए बिक्री एवं खरीद संपर्क उपलब्ध कराने के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए ।

(iii) थोक खरीदारों को आमंत्रित करके उन्हें कशीदाकारी के तैयार उत्पादों का विकल्प दर्शाया जाना चाहिए। निर्यात क्षेत्र में प्रवेश पाने के उद्देश्य से आधुनिक डिजाइनों के लिए राज्य के एवं बाहरी डिजाइनर भी आमंत्रित किए जा सकते हैं ।

(iv) महिलाओं की शिकायतों के निपटान के लिए राज्य सरकार से महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों के शीघ्र निपटान हेतु मणिपुर के प्रत्येक जिले में शाखा कार्यालय स्थापित करने को कहा जाए ।

**25½ ef.kiqj d s ekuo l lk/ku ,o vkfFkZd fodkl dæ d s lg;kx l s vk;kx u s Þxkeh.k efgyk dkexkjk s d s fy, dk;LFky ij ;kSu mRihMuß fo"k; ij laxks"Bh dk vk;kstu fd;k A bl laxks"Bh e s dh xbZ flQkfj'k s bl çdkj g S %&**

(i) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी आंतरिक समिति का गठन किया जाए, ताकि शीघ्र सुनवाई हो और यदि किसी ने अपराध किया हो तो उसे दंड दिया जा सके ।

(ii) कार्यस्थल पर संचेतना विकास किया जाए ।

(iii) कार्यस्थल पर महिलाओं का क्षमता विकास करके उन्हें मानवाधिकारों की जानकारी दी जाए ।

(iv) यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013 के विषय में नोटिस बोर्ड सभी को दिखाई देने वाले स्थानों पर लगाए जाएं ।

(v) पीड़ितों को सामान्य जीवन जीने के लिए परामर्श एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ।

(vi) पीड़ितों को कानूनी, नैतिक एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए ।

(vii) महिलाओं के साथ अपराधों की रोकथाम करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों में साथ मिलकर और एक–दूसरे की सहायता करते हुए कार्य करने की भावना विकसित की जाए ।

(viii) यौन उत्पीड़न से पीड़ितों के लिए समुचित 'लिंकेज व रैफरल सेवाओं' का विकास किया जाए ।

# vuqyXud

vulyXud-I

# lxBukRed pkV

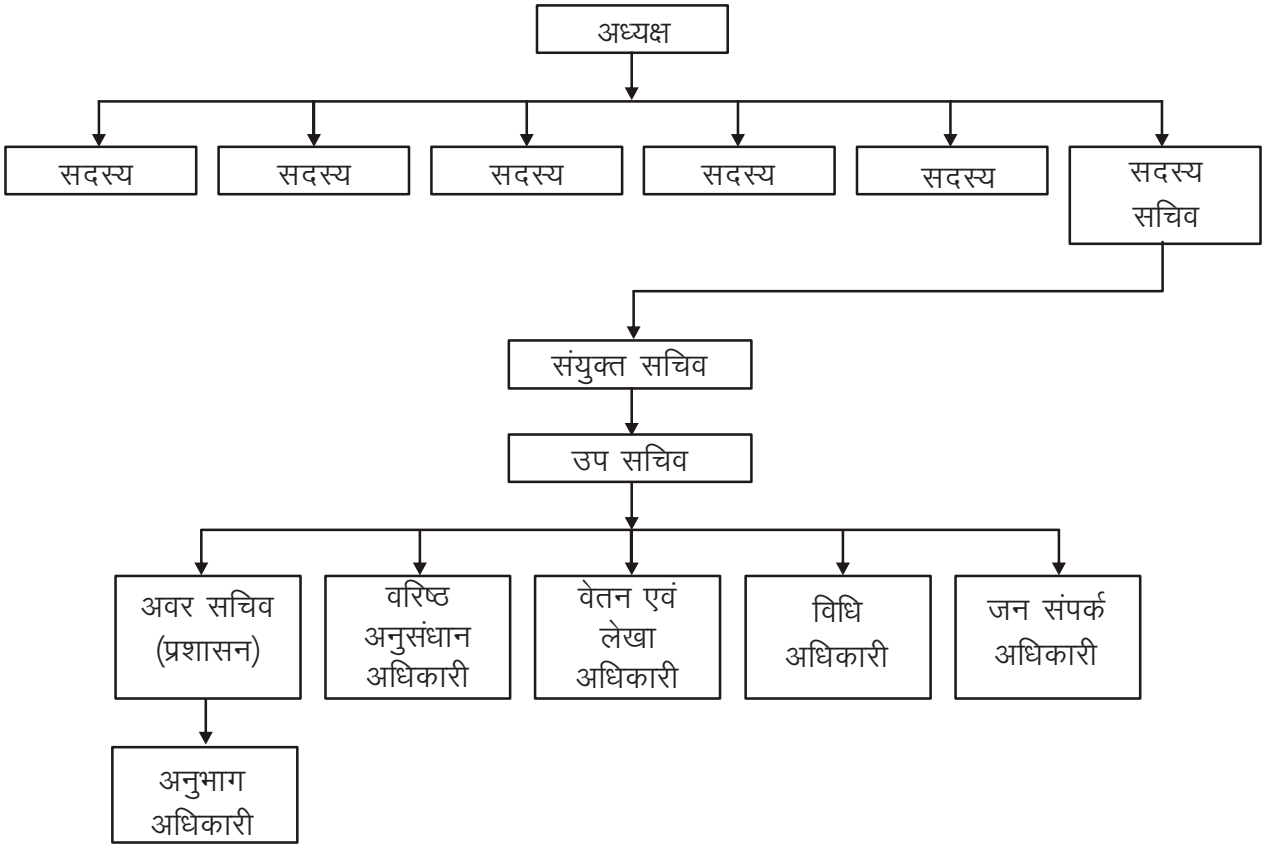

vuqyXud-II

# foÙkh; o"kZ 2014&15 esa vk;ksx }kjk çkIr f'kdk;rksa dh çÑfr&okj fjiksVZ

| Ø-la- | iÑfr&okj | dqy f'kdk;rsa ikIr gqbZ |
|---|---|---|
| 1 | तेजाब हमला | 21 |
| 2 | हत्या का प्रयास | 291 |
| 3 | बलात्कार का प्रयास | 709 |
| 4 | द्विविवाह / बहुविवाह | 250 |
| 5 | जाति, समुदाय आधारित हिंसा | 236 |
| 6 | ससुराली जनों द्वारा शिकायत | 863 |
| 7 | उपद्रव / सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित शिकायतें | 11 |
| 8 | महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध | 178 |
| 9 | संपत्ति अधिकारों का हनन | 190 |
| 10 | महिला अधिकारों का हनन | 294 |
| 11 | तलाक | 36 |
| 12 | दहेज हत्या | 403 |
| 13 | दहेज उत्पीड़न / विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता | 1338 |
| 14 | दहेज उत्पीड़न / दहेज हत्या | 975 |
| 15 | महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता | 34 |
| 16 | शिक्षा और कार्य का समान अधिकार सहित जेंडर भेदभाव | 57 |
| 17 | कार्य स्थल पर उत्पीड़न | 535 |
| 18 | स्त्री अशिष्ट रूपण | 102 |
| 19 | अपहरण / व्यपहरण | 626 |
| 20 | भरण – पोषण दावे | 89 |
| 21 | बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित मामले | 16 |

| Ø-l- | iÑfr&okj | d\|y f'kdk;r ikIr gb\| |
|---|---|---|
| 22 | विविध | 4536 |
| 23 | हत्या | 156 |
| 24 | महिलाओं का शील भंग करना | 2659 |
| 25 | महिलाओं के प्रति पुलिस उदासीनता | 7367 |
| 26 | विवाह पूर्व विश्वास भंग | 123 |
| 27 | महिलाओं की निजता और उससे संबंधित अधिकार | 93 |
| 28 | बलात्कार | 1041 |
| 29 | महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकार | 48 |
| 30 | विवाह में विकल्प चुनने का अधिकार | 353 |
| 31 | सम्मान के साथ जीने का अधिकार | 6946 |
| 32 | सैक्स स्कैण्डल | 9 |
| 33 | लिंग चयनित गर्भपात / मादा भ्रूण हत्या / शिशु हत्या / गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच | 39 |
| 34 | कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न सहित यौन उत्पीड़न | 414 |
| 35 | आश्रय और पीड़ितों का पुनर्वास | 5 |
| 36 | पीछा करना / रति दर्शन | 32 |
| 37 | आत्म हत्या | 22 |
| 38 | महिला अधिकारों के लिए अपमानजनक परंपरागत पद्धतियां अर्थात् सती प्रथा, देवदासी प्रथा, डायन हत्या | 28 |
| 39 | महिलाओं का अवैध व्यापार / वेश्यावृत्ति | 79 |
| 40 | महिलाओं के विरुद्ध हिंसा | 911 |
| 41 | तलाक के मामले में बच्चों की अभिरक्षा का महिलाओं का अधिकार | 3 |
| | **d\|y** | **32118** |

vuqyXud-III

# foÙkh; o"kZ 2014&15 esa vk;kx }kjk çkIr f'kdk;rksa dh jkT;&okj fjiksVZ

| Ø-l- | jkT;&okj | dqy |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 2 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 154 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 4 |
| 4 | असम | 63 |
| 5 | बिहार | 775 |
| 6 | चंडीगढ़ | 60 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 145 |
| 8 | दादर व नगर हवेली | 4 |
| 9 | दमन व दीव | 5 |
| 10 | दिल्ली | 3618 |
| 11 | गोवा | 9 |
| 12 | गुजरात | 158 |
| 13 | हरियाणा | 1720 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 80 |
| 15 | जम्मू व कश्मीर | 35 |
| 16 | झारखंड | 357 |
| 17 | कर्नाटक | 226 |
| 18 | केरल | 58 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 1086 |
| 20 | महाराष्ट्र | 758 |
| 21 | मणिपुर | 4 |
| 22 | मेघालय | 4 |

| Ø- l- | jkT; &okj | d|y |
|---|---|---|
| 23 | नागालैंड | 2 |
| 24 | ओडिशा | 154 |
| 25 | पुदुच्चेरी | 21 |
| 26 | पंजाब | 403 |
| 27 | राजस्थान | 1473 |
| 28 | सिक्किम | 5 |
| 29 | तमिलनाडु | 327 |
| 30 | तेलांगना | 141 |
| 31 | त्रिपुरा | 10 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 19385 |
| 33 | उत्तराखंड | 530 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 342 |
| | **d|y** | **32118** |

vuqyXud-IV

# o"kZ 2014&15 ds nkSjku jk"Vªh; efgyk vk;ksx ds vfuoklh Hkkjrh; çdks"B esa iathd—r f'kdk;rksa dh jkT;&okj la[;k

| Ø- l- | jkT;&okj | f'kdk;rksa dh la[;k |
|---|---|---|
| 1 | दिल्ली | 58 |
| 2 | उत्तर प्रदेश | 37 |
| 3 | हरियाणा | 24 |
| 4 | पंजाब | 26 |
| 5 | महाराष्ट्र | 39 |
| 6 | गुजरात | 22 |
| 7 | आंध्र प्रदेश | 24 |
| 8 | तमिलनाडु | 23 |
| 9 | राजस्थान | 12 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 05 |
| 11 | उत्तराखंड | 03 |
| 12 | केरल | 06 |
| 13 | बिहार | 07 |
| 14 | ओडिशा | 04 |
| 15 | कर्नाटक | 22 |
| 16 | पश्चिम बंगाल | 11 |
| 17 | जम्मू व कश्मीर | 03 |
| 18 | हिमाचल प्रदेश | 06 |
| 19 | छत्तीसगढ़ | 02 |
| 20 | चंडीगढ़ | 06 |
| 21 | असम | 01 |
| 22 | गोवा | 01 |
| 23 | तेलंगाना | 13 |
| | **dqy** | **355** |

vuqyXud-v

# o"kZ 2014&15 ds nkSjku jk"Vªh; efgyk vk;ksx ds vfuoklh Hkkjrh; çdks"B esa iathÑr f'kdk;rksa dh ns'k&okj la[;k

| Ø-la- | ns'k&okj | f'kdk;rksa dh la[;k |
|---|---|---|
| 1 | भारत | 355 |
| 2 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 17 |
| 3 | घाना | 01 |
| 4 | जर्मनी | 01 |
| 5 | सउदी अरब | 06 |
| 6 | न्यूजीलैंड | 01 |
| 7 | बेल्जियम | 03 |
| 8 | कतर | 03 |
| 9 | आयरलैण्ड | 02 |
| 10 | कनाडा | 15 |
| 11 | संयुक्त अरब अमीरात | 11 |
| 12 | इटली | 01 |
| 13 | ऑस्ट्रेलिया | 06 |
| 14 | वेस्टइंडीज | 01 |
| 15 | यूनाइटेड किंगडम | 08 |
| 16 | स्वीडन | 01 |
| 17 | फ्रांस | 01 |
| 18 | कुवैत | 03 |
| 19 | स्विटजरलैण्ड | 01 |
| 20 | सिंगापुर | 04 |
| | **dqy** | **441** |

vuqyXud-vi

# jk"Vªh; efgyk vk;ksx vf/kfu;e

## v/;k;&III

## vk;ksx ds —R; vkj 'kfä;k

**12- vk;ksx ds —R; &**

(1) आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात :–

(a) महिलाओं के लिए संविधान और अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षा करना।

(b) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट देना।

(c) संघ या किसी राज्य द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी कियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्टों में सिफारिशें करना।

(d) संविधान और अन्य विधियों के महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधिक उपायों का सुझाव दिया जा सके।

(e) संविधान और अन्य विधियों के उपबंधों के महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(f) निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जांच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना –

(i) महिलाओं के अधिकारों का वंचन।

(ii) महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भी अधिनियमित विधियों का अक्रियान्वयन।

(iii) महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अनुदेशों का अनुपालन, और ऐसे विषयों से उद्भूत प्रश्नों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(g) महिलाओं के विरूद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्भूत विनिर्दिष्ट समस्याओं या स्थितियों का

विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने की कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके।

(h) संवर्धन और शिक्षा संबंधी अनुसंधान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना जैसे कि आवास और बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाउपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को कम करने के लिए और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रौद्योगिकी की अपर्याप्तता

(i) महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना।

(j) संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास प्रगति का मूल्यांकन करना।

(k) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान को, जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और उपचारी कार्रवाई के लिए, यदि आवश्यख्क हो, संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना।

(l) महिलाओं के वृहत् समूह को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना।

(m) महिलाओं से संबंधित किसी मामले में, और विशिष्टतया उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती हैं, सरकार को समय–समय पर रिपोर्ट देना।

(n) **efgykvk d vf/kdkjk dk c<kok nu d fy, ,l dk;l djuk] tk vk;kx dk vko';d çrhr gk(**

(o) कोई अन्य विषय जिसे केंद्रीय सरकार उसे निर्दिष्ट करे ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी और उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा ।

(3) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है वहां आयोग ऐसी रिपोर्ट या उसके भाग की एक प्रति उस राज्य सरकार को भेजेगा जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिशें अस्वीकृत की गई हैं तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा ।

## 13- vk;kx dh 'kfä;k¡ %

**I.** आयोग को धारा 12, उप–धारा (1) के खंड (क) या खंड (च) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय और विशिष्ट या निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की हैं, अर्थातः

(a) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उपस्थिति होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा लेना।

(b) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

(c) शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना।

(d) किसी न्यांयालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उनकी प्रतिलिपि की अपेक्षा करना।

(e) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

(f) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) या (च) के अधीन जारी आयोग के किसी आदेश की जानबूझकर अवज्ञा किए जाने के मामलों में खर्च के भुगतान का आदेश देना।

(g) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

****II. pwd ds fy, 'kkfLr %**

***vk;kx ,sls fdlh Hkh O;fä dks mifLFkr gksus ds fy, ck/; dj ldrk g] ftls /kkjk 13 ds v/khu lEeu tkjh fd;k x;k gS vkSj bl ç;kstukFk vk;kx vkxs n'kkZ, x, dk;Z dj ldrk gS &***

*(i)* ***mldh fxj¶rkjh dk okjaV tkjh djuk A***

*(ii)* ***gj ckj pwd ds fy, mlij tqekZuk ¼5]000 #i, ls vf/kd½ yxkuk A***

****III.** ***vk;kx dks fdlh Hkh O;fä ls ,sls fdlh Hkh fo'ks"kkf/kdkj ds v/khu jgrs gq,] ftldk nkok mls O;fä us rRle; çoÙk fdlh dkuu ds v/khu fd;k gks] ,sls ç'uksa ;k ekeyksa ds lca/k esa ,slh tkudkjh çnku djus dh vis{kk djus dk vf/kdkj gksxk] tks vk;kx dh jk; esa tkap ds fo"k; esa mi;ksxh ;k lxr gks vkSj bl çdkj vis{kr fdlh Hkh O;fä dks Hkkjrh; nMa lafgrk dh /kkjk 176 vkSj 177 ds vk'k; ls ,slh tkudkjh çnku djus ds fy, dkuwuh :i ls ck/; ekuk tk,xk A***

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1908, धारा 32 के अनुसार

** नए सुझाव

**IV. vk;kx dk flfoy U;k;ky; ekuk tk,xk vkSj tc vk;kx dh –f"V esa ;k vk;kx ds le{k Hkkjrh; n.M lafgrk dh /kkjk 175] /kkjk 178] /kkjk 179] /kkjk 180 ;k /kkjk 228 esa of.kZr dksbZ vijk/k fd;k x;k gks rks vk;kx n.M çfØ;k lafgrk 1973 ds mica/kksa ds vuqlkj mlls vijk/k ds rF; vkSj vfHk;qä ds c;ku ntZ djds mlls ekeys dks lquokbZ ds fy, {ks=kf/kdkj&çkIr nkf.Mdkf/kdkjh dks Hkst ldrk gS vkSj ftl nkf.Mdkf/kdkjh dks ,slk ekeyk Hkstk tk,] og nkf.Mdkf/kdkjh vfHk;qä ds fo#) f'kdk;r dh lquokbZ mlh çdkj djsxk] tSls fd og ekeyk mls n.M çfØ;k lafgrk dh /kkjk 346 ds v/khu Hkstk x;k gksA

**V. vk;kx ds le{k çR;sd dk;Zokgh dks Hkkjrh; n.M lafgrk dh /kkjk 193 vkSj 228 ds vk'k; ls rFkk /kkjk 196 ds ç;kstukFkZ U;kf;d dk;Zokgh ekuk tk,xk vkSj vk;kx dks n.M çfØ;k lafgrk 1973 dh /kkjk 195 vkSj v/;k; xxvi ds leLr ç;kstuksa ds fy, flfoy U;k;ky; ekuk tk,xkA

**VI. vk;kx bl vf/kfu;e ds v/khu fdlh tkap @vUos"k.k @lquokbZ ds nkSjku ;k mlds lEiUu gksus ij] vk;kx vkxs n'kkZ;k x;k dksbZ Hkh mik; dj ldrk gS] tgka çFke –"V;k tkap ls ;g irk pys fd Hkkjr ds lafo/kku vkSj vU; dkuwuksa esa micaf/kr efgykvksa vf/kdkjksa dk guu fdlh yksd lsod ;k xSj&ljdkjh O;fä ;k O;fä;ksa u fd;k gS] ogka vk;kx lacaf/kr ljdkj ;k çkf/kdkjh ls flQkfj'k dj ldrk gS fd os &

(a) lacaf/kr O;fä ;k O;fä;ksa ds fo#) vfHk;kstu dh dk;Zokgh ;k ,slh vU; dkjZokbZ 'kq: djsa] ftls vk;kx mi;qä le>sA

(b) mPpre U;k;ky; ;k lacaf/kr mPp U;k;ky; ds le{k ,sls funsZ'k] vkns'k ;k fjV tkjh djus dh ;kfpdk nk;j djuk] ftUgsa U;k;ky; vko';d le>sA

(c) tkap ds fdlh Hkh pj.k esa f'kdk;rdrkZ ;k mlds ifjtuksa dks ,slh rkRdkfyd varfje jkgr çnku djus dh flQkfj'k lacaf/kr ljdkj ;k çkf/kdkjh ls djuk] ftls vk;kx vko';d le>s A

**vuqyXud-VII**

# ngst çfr"k/k vf/kfu;e] 1961 ls lcaf/kr ef=e.My ukV ij jk"Vªh; efgyk vk;ksx dh fVIif.k;k

दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज देने अथवा लेने का निषेध करने के लिए 1961 में पारित किया गया और इसलिए इस कुप्रथा का अंत करता है । यद्यपि विधान समुचित रूप से दहेज लेने अथवा देने का प्रतिषेध करता है, यह महसूस किया गया कि मौजूदा कानून इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने में निष्फल रहा है । राष्ट्रीय महिला आयोग ने महसूस किया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में अपेक्षित संशोधन किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि इसे प्रभावशाली बनाया जा सके । राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधिनियम में उपयुक्त संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें वर्ष 2007, 2009 और आखिरी बार वर्ष 2011 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजीं ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए दिनांक 14 फरवरी, 2014 को एक प्रारूप मंत्रिमण्डल नोट तैयार किया और विभिन्न मंत्रालयों से टिप्पणियां मांगी । राष्ट्रीय महिला आयोग को भी दिनांक 07 जुलाई, 2014 को इस मुद्दे पर उसकी टिप्पणियों के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग की बैठक में प्रारूप मंत्रीमण्डल नोट की प्रति दी गई ।

मंत्रिमंडल हेतु नोट के प्रारूप पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं :

| ef=eMy gsrq ukV dk iSjk la[;k | lxr /kkjk@ekax | jk"Vªh; efgyk vk;ksx dh fVIif.k;k |
|---|---|---|
| 4.1.1 | धारा 2/भेंट शब्द को दान शब्द से प्रतिस्थापित किया जाए | राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रशासनिक दृष्टि से इस मुद्दे पर पुनः विचार किया है और यह पाया है कि कानूनी रूप से "दान" और "भेंट" शब्दों के बीच अंतर है। अतः सुझाव है कि "भेंट" शब्द को "दान" शब्द से प्रतिस्थापित न किया जाए लेकिन "भेंट" शब्द की कानूनी परिभाषा भी शामिल की जाए। |
| 4.2 | धारा 2क/ दान की वस्तुओं की सूची रखना | इस उपबंध को अधिक प्रभावी, व्यवहार्य एवं कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से यह सुझाव दिया जाता है कि दान की वस्तुओं की सूची रखी जाए और उस सूची पर विवाह में शामिल वर एवं वधु पक्ष, दोनों के प्रति–हस्ताक्षर कराए जाएं तथा इस सूची को संबंधित डाकघर/विवाह पंजीयक कार्यालय की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए। |

| ef=eMy gr| ukV dk i|jk l|[;k | lxr /kkjk@e|ík | jk"Vh; efgyk vk;kx dh fVlif.k;k |
|---|---|---|
| 4.4.2 | धारा6(3)/संपत्ति अंतरण | इस उपबंध में इतना ही संशोधन करने का सुझाव है कि दहेज/वैवाहिक उत्पीड़न के कारण महिला की मृत्यु हो जाने के मामलों में ही ऐसी संपत्ति उस महिला के पति को उत्तराधिकार में नहीं दी जानी चाहिए, चाहे विवाह की अवधि कुछ भी हो। तथापि अन्य परिस्थितियों में उत्तराधिकार अधिनियमों और अन्य संगत कानूनों के अनुसार ही उत्तराधिकार होना चाहिए। |
| 4.5.1 और 4.5.2 | नई धारा 7क को अंतःस्थापित करना | राष्ट्रीय महिला आयोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को राहत आदेश पाने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुरूप बनाए जाने की अपनी पिछली सिफारिश दोहराता है क्योंकि मौजूदा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 दहेज देने या लेने के विषय में दी जाने वाली सजा या जुर्माने से ही संबंधित है और इसमें दंडाधिकारी को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के उपबंधों की भांति पीड़ित के पक्ष में कोई संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत आदेश या निवास आदेश जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। |

## ngt çfr"ks/k vf/kfu;e] 1961 d fo"k; e ef=eMy gr ukV d çk:i ij jk"Vh; efgyk vk;kx dh fVlif.k;k ij Li"Vhdj.k

| efgyk ,o cky fodkl e=ky; }kjk ekxk x;k Li"Vhdj.k | jk"Vh; efgyk vk;kx dk fopkj |
|---|---|
| भेंटों की कानूनी परिभाषा | भेंटों की कानूनी परिभाषा यह है कि "किसी को औपचारिक रूप से या किसी समारोह में कुछ देना"। इसे अधिनियम के प्रारूप में शामिल किए जाने पर विचार किया जा सकता है। |
| दान की वस्तुओं की सूची दहेज प्रतिषेध अधिकारी की बजाए डाकघर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के पीछे तर्क | दान की वस्तुओं की सूची डाकघर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने का सुझाव सभी स्थानों पर और समाज के सभी वर्गों को डाकघरों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर दिया गया है। इससे यह उपबंध अधिक प्रभावी, व्यवहार्य एवं कार्यान्वयन के लिए व्यावहारिक बनेगा। |
| घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 36 में पहले से यह उपबंध होते हुए भी कि इसे अन्य कानूनों के साथ भी लागू किया जा सकता है, नई धारा 7क अंतःस्थापित किए जाने का स्पष्टीकरण। | अब तक, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के उपबंध दहेज देने या लेने के विषय में दी जाने वाली सजा या जुर्माने से ही संबंधित है। इसमें दंडाधिकारी को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के उपबंधों की भांति पीड़िता के पक्ष में कोई संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत आदेश या निवास आदेश जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसीलिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुरूप बनाने के लिए यह सुस्पष्ट उपबंध अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया, ताकि विधि प्रवर्तन एजेंसियाँ दोनों अधिनियमों का समुचित कार्यान्वयन कर सकें। |

**vuqyXud-VIII**

# fd'kksj U;k; ¼ckydksa dh ns[kjs[k vkSj laj{k.k½ fo/ks;d] 2014 ij

# jk"Vªh; efgyk vk;ksx dh fVIif.k;k¡@lq>ko

दिल्ली में 16 दिसम्बर, 2012 को 23 वर्षीय महिला के साथ भयावह सामूहिक बलात्कार की घटना से कई मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई है। इनमें से एक मुद्दा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के कार्यक्षेत्र से संबंधित है क्योंकि कथित रूप से यह क्रूरतापूर्ण कृत्य करने वाले छह व्यक्तियों में से एक प्रत्यक्ष रूप से किशोर है।

राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करना व उन्हें बढ़ावा देना है तथा आयोग महिलाओं एवं छोटी बच्चियों के साथ हिंसा के ऐसे घृणित कृत्यों की भर्त्सना करता है। इसी के साथ, आयोग का यह भी मानना है कि सभी मानवों, विशेषकर बढ़ते बच्चों को यह सिखाए जाने की जरूरत है कि उनके कार्यों के परिणाम होते हैं और उन्हें अपने व्यवहार की जिम्मेदारी समझनी होगी। इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि जिम्मेदारी की ऐसी भावना बच्चों व किशोरों के मन में उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त, असामाजिक या आपराधिक व्यवहार में परिणत होने वाले ऐसे व्यवहार/कार्यों का कारण बनने वाली परिस्थितियों को गहराई से समझना होगा। ये कार्य इन्हें ऐसे जिम्मेदार मानव बनाने के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें न केवल अपने अधिकारों बल्कि नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों की भी जानकारी हो।

इसी को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित विधेयक पर भेजी गई टिप्पणियाँ/सुझाव इस प्रकार हैं :

| Ø-la- | fo/ks;d ds çk:i esa /kkjk | jk"Vªh; efgyk vk;ksx dh fVIif.k;k¡@lq>ko |
|---|---|---|
| 1. | (x) उद्देश्य में सिद्धांत | "समानता और भेदभाव न किए जाने" के सिद्धांत में "किए गए अपराध" संबंधी खंड हटाया जाना चाहिए। |
| 2. | धारा 2(u) बाल न्यायालयों की परिभाषा | यह सुझाव दिया जाता है कि जिन मामलों में बच्चों (16–18 वर्ष की आयु वर्ग) ने जघन्य अपराध किया हो, उन मामलों में बाल न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/की जाने वाली कार्रवाई का तरीका भी इस विधेयक में विशेषरूप से निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 और यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन न्यायालयों की स्थापना बच्चों के साथ किए गए अपराधों या बालकों के अधिकारों के हनन के मामलों की |

| Ø-l- | fo/k;d d çkoèkku /kkjk | jk"Vªh; efgyk vk;ksx dh fVIi.kh;k@lq>ko |
|---|---|---|
| | | शीघ्र सुनवाई के लिए की गई है न कि बच्चों द्वारा किए गए अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए। |
| 3. | धारा 2(zk) किशोर की परिभाषा | किशोर की परिभाषा इस प्रकार संशोधित की जाए, जिसमें किशोर से "ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम है"। |
| 4. | धारा 4 | इस उपबंध में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए :<br>'जहाँ इस अधिनियम के अनुसार किसी बालक के संबंध में जाँच शुरू की गई है और ऐसी जाँच के दौरान व**g 0;fä vBkjg o"k dh vk;q iwjh dj yrk g-**......................"। |
| 5. | धारा 9 (2) का परंतुक | इस आशय के परंतुक का समर्थन नहीं किया जाता है कि आयु संबंधी ऐसा दावा मामले के किसी भी चरण में यहाँ तक कि मामले का अंतिम निपटान होने के बाद भी किया जा सकता है।<br>इस परंतुक में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि अपराध किए जाने के समय व्यक्ति की आयु मामले की सुनवाई शुरू होने से पहले सुनिश्चित करना जाँच एजेंसी की जिम्मेदारी है। |
| 6. | धारा 14(4) | इस उपबंध में "गंभीर अपराध" शब्दों को हटाए जाने की आवश्यकता है। |
| 7. | धारा 14(5)(f)(ii) | 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों के मामलों पर कार्रवाई करने का तरीका धारा 15 में निर्धारित किया गया है न कि धारा 14 में। अतः इस उपबंध में धारा 14 के स्थान पर धारा 15 का उल्लेख किया जाना चाहिए। |
| 8. | धारा 19(3) | कानून का उल्लंघन करता पाया जाने वाला बालक 21 वर्ष नहीं बल्कि 18 वर्ष की आयु होने तक के लिए सुरक्षित अभिरक्षा में भेजा जाना होता है क्योंकि बालक की आयु अठारह वर्ष हो जाने पर वह बालक नहीं रह जाता है और इसीलिए जघन्य अपराधों के मामलों में 21 वर्ष की आयु होने तक उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने की सिफारिश |

| Ø- l- | fo/k;d d: çk: i e: /kkjk | jk"Vªh; efgyk vk;ksx dh fVIif.k;k@l>ko |
|---|---|---|
| | | नहीं की जाती है। इस उपबंध को तदनुसार संशोधित किए जाने की जरूरत है। |
| 9. | धारा 21 | यह सिफारिश की जाती है कि बालक (16–18 वर्ष की आयु) द्वारा जघन्य अपराध किए जाने के मामलों में उसे दुर्लभतम मामलों में आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। ऐसी सजा अन्य बाल अपराधियों को ऐसे कृत्य करने से रोकेगी। अतः, आजीवन कारावास को हटाकर इस उपबंध को संशोधित किए जाने की जरूरत है। |
| 10. | धारा 22 | बालक (16–18 वर्ष की आयु) द्वारा छोटे–मोटे व गंभीर अपराध किए जाने के मामले में शांति बनाए रखने व अच्छा आचरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता है। अतः, इस उपबंध को तदनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता है। |
| 11. | धारा 86 | इस उपबंध में "विकलांग बच्चे" वाक्यांश के स्थान पर "विशेष जरूरतों वाले बच्चे" वाक्यांश रखे जाने की जरूरत है। |
| 12. | धारा 109 | बच्चों द्वारा अपराध किए जाने की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को स्कूलों, कॉलेजों, संस्थाओं, बाल गृहों इत्यादि में जागरूकता एवं संचेतना कार्यक्रम चलाने के लिए नियम भी बनाने चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और सामाजिक, नैतिक एवं कानूनी दायित्वों की जानकारी भी दी जाएगी।<br><br>अतः इस सुझाव को इस धारा में शामिल करने के लिए विशिष्ट उपबंध की सिफारिश की जाती है। |
| 13. | विविध सुझाव | इस विधेयक में बाल गवाहों के संरक्षण के विशिष्ट उपबंध को भी शामिल किया जाना चाहिए। |

# vfuoklh Hkkjrh;ks ls fookg lc/kh dkuu vkj muds efgykvks ij çHkko

भारत में विवाह का सामाजिक स्थिति से गहरा नाता होता है। इसी कारण से भारत से बाहर रहने वाले पुरुष से किसी महिला का विवाह भारतीय परिवारों के लिए बहुत आकर्षक प्रस्ताव होता है। इसी के साथ–साथ ऐसे पुरुष और उसके परिवार के विदेश में रहने के कारण उनके पूर्ववृत्त की जानकारी प्राप्त करना भी कठिन होने से प्रायः ऐसे अनिवासी भारतीय पति और उसके परिवार द्वारा महिला के साथ दुर्व्यवहार किए जाने और उसे कष्ट दिए जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अपने घर से दूर अनजाने परिवेश में रहने के कारण महिला अपने जीवन निर्वाह एवं कल्याण पूरी तरह उस पुरुष पर निर्भर होती है। अतः विवाह में दुर्व्यवहार या समस्याएं होने पर महिलाओं को कोई कानूनी उपाय उपलब्ध नहीं होता है।

महिलाओं का सशक्तीकरण करके इसी विवशता पर काबू पाना कानून का उद्देश्य होना चाहिए। तथापि, मौजूदा कानूनी व्यवस्था में महिला को या तो कोई उपचार उपलब्ध नहीं है या दुर्व्यवहार को सहते रहना होता है। उस महिला को उपचार उपलब्ध कराने के अधिकार जिन न्यायालयों को प्राप्त हैं, उन न्यायालयों तक उसकी पहुँच नहीं है और जिन न्यायालयों तक उसकी पहुँच होती है, उन न्यायालयों के पास उसके लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। कानूनों के टकराव से न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की व्यापक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि ऐसे मामले उसी स्थान के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिस स्थान पर दंपत्ति या प्रतिवादी (प्रायः पति) सामान्यतः रहता है जो कि विदेश में होता है। दूसरी दशा मामले के पक्षों का अधिवास हो सकता है और वह भी विदेशी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है। विदेशी भूमि पर पति का अधिवास उसके उस देश का निवासी होने के कारण आसानी से सिद्ध हो जाता है तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 व सामान्य कानून के अनुसार भी पत्नी का अपना कोई अलग अधिवास न होकर पति का अधिवास ही उसका अधिवास होता है। अतः भारत में अपने परिवार के पास और परिचित परिवेश में लौटने पर उन महिलाओं से दुर्व्यवहार की घटनाओं के साथ–साथ उनके कानूनी अधिकार एवं पात्रताएं भी विदेश में ही छूट जाती हैं।

उपचारहीनता की इस स्थिति को समाप्त करने के लिए अनिवासी भारतीयों से विवाह का विनियमन करने वाली कानूनी संरचना में व्यापक बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए विदेशी विवाह अधिनियम, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता और दांडिक प्रक्रिया संहिता इत्यादि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

### (i) fon'kh fookg vf/kfu;e] 1969 e l'kk/ku

विदेशी विवाह अधिनियम फिलहाल उन्हीं विवाहों पर लागू होता है, जिनमें ऐसे दंपत्ति विदेश में विवाह करते हैं, जिनमें से कम से कम एक भारतीय होता/होती है। इस अधिनियम का स्वरूप प्रक्रिया संबंधी है, जिसमें विवाह कराए जाने का तरीका ही निर्धारित किया गया है। उपचारों के लिए इसमें विशेष विवाह अधिनियम का उल्लेख किया गया है और वह अधिनियम भी विदेशी क्षेत्राधिकार के कानून के अनुसार उपलब्ध कराए जाने वाले उपचारों पर निर्भर है। वे उपचार भी निवास एवं अधिवास की अपेक्षाओं पर आश्रित हैं, जिनकी पूर्ति करना महिलाओं के लिए बड़ी समस्या है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है।

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 में विवाहों की अधिक व्यापक श्रेणियों को शामिल किया जाना चाहिए और अधिक वैवाहिक एवं पारिवारिक उपचार उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विवाहों पर लागू होने वाले अन्य कानून मुख्य रूप से स्थानीय विवाहों पर लागू होने के कारण सीमित हैं और विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के मामलों में क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रियाओं संबंधी कोई उपबंध भी उनमें नहीं हैं। विदेश में जाकर बसने का इरादा रखनेवाले दंपत्तियों के भारत में कराए जाने वाले विवाहों में महिलाओं के लिए रक्षोपायों के उपबंध न तो इन कानूनों में और ना ही विदेशी विवाह अधिनियम में हैं।

विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 विवाहों की आगे दर्शाई गई श्रेणियों पर लागू होना चाहिए:

a) ऐसे दो व्यक्तियों का विवाह, जिनमें से कोई एक विदेश का नागरिक या निवासी हो;

b) दो अनिवासी भारतीयों का विवाह;

c) ऐसे दो व्यक्तियों का विवाह, जिनमें से दोनों भारतीय नागरिक न हों लेकिन उनमें से कोई एक या दोनों फिलहाल भारत में रह रहे हों, चाहे उनका विवाह विदेश में हुआ हो।

इस अधिनियम में व्यापक उपचार उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिनमें विवाह–विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण, भरण–पोषण, निर्वाह व्यय और अभिरक्षा इत्यादि शामिल हों। इसमें पत्नी को विवाह की अवधि के दौरान अर्जित पति की अचल संपत्ति में आधे हिस्से और चल संपत्ति में भी आधे हिस्से तथा उत्पीड़न, दुर्व्यवहार एवं परित्याग के लिए क्षतिपूर्ति व हर्जाने के अधिकार भी दिए जाने चाहिए। पत्नी को ये राहतें दिए जाने के उपबंध उसके स्थायी या सामान्य निवास या अधिवास पर आश्रित नहीं होने चाहिए। फिलहाल महिलाएं इस अधिनियम के अंतर्गत ये उपचार तभी प्राप्त कर सकती हैं जब वे राहत की याचिका दायर करने से पहले तीन वर्ष से भारत में रह रही हों। इसे महिलाओं के लाभार्थ अन्य कानूनों, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 इत्यादि के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए, जिनमें महिला के मौजूदा निवासस्थान के आधार पर न्यायालय को क्षेत्राधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विदेश जाने वाली महिलाओं एवं बच्चों को न्यायालयों एवं वैवाहिक उपचारों की आसान उपलब्धता के लिए हितों के रक्षोपाय भी पंजीकरण और राहत की याचिकाओं के दौरान प्रक्रिया में शामिल किए जाने चाहिए। अनिवासी भारतीय से भारत में उस विवाह का विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के अधीन पंजीकरण किया जाना चाहिए, जिसमें पति विदेशी नागरिक विदेश में निवासी हो और इसके साथ पति को अपना आगे दर्शाया गया पूर्ण विवरण देने वाली घोषणा शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहिए:

1. उसकी नागरिकता या स्थायी निवास संख्या
2. उसके निवासस्थान और रोजगार के स्वरूप तथा उसकी आय का ब्यौरा
3. भारत और विदेश में उसकी संपत्तियों की सूची

इस अधिनियम में वित्तीय सहायता हेतु महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए निर्णय से पूर्व संपत्ति की कुर्की और अन्य रक्षोपायों के उपबंध भी शामिल किए जाने चाहिए।

### (ii) lj{kd vkj çfrikY; vf/kfu;e] 1890 e l'kks/ku

अनिवासी भारतीयों से विवाह करने वाली महिलाएं प्रायः अपने बच्चों को अपनी अभिरक्षा में नहीं रख पाती है क्योंकि विदेश से चले आने के कारण वे विदेश में अभिरक्षा संबंधी महंगी कार्यवाही में शामिल होने में अक्षम हो जाती हैं। यदि कोई महिला बच्चों को अपने साथ भारत लाकर अपनी अभिरक्षा में रखती है तो उसे 'अपराधी' व अपहर्ता मान लिया जाता है। इसी कारण से पिता व माता, दोनों को बच्चे का स्वाभाविक संरक्षक

बनाने के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में संशोधन किया जाना चाहिए। उपचारों व कानूनी कार्यवाही की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए धारा 9 में संशोधन करके क्षेत्राधिकार उस स्थान के न्यायालयों को दिया जाना चाहिए, जिस स्थान पर अवयस्क 'फिलहाल रह रहा हो'। अभिरक्षा संबंधी कार्यवाही में अपनी इच्छा से भरण–पोषण और बाल सहायता का भुगतान करने से इनकार करने वाले पिता को बच्चे से मिलने/बच्चे की अभिरक्षा का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।

भारत को अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण के सिविल पहलुओं संबंधी हेग कन्वेंशन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए और इस पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। चूँकि यह कन्वेंशन महिला–पुरुष निरपेक्ष है, इसलिए इसमें महिलाओं के विशिष्ट अनुभवों को शामिल नहीं किया गया है और इसका प्रयोग प्रायः महिलाओं के विरुद्ध होता है।

### (iii) çfØ;k lc/kh dkuuk vkj vU; fookg dkuuk e l'kk/ku%

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 में या तो व्यापक रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के अपवाद को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए या फिर अतिरिक्त अपवाद का उल्लेख किया जाना चाहिए, जिसमें महिलाएं विदेश में मुकदमा लड़ने में असमर्थ हों। इससे उन्हें अन्यायपूर्ण ढंग से पारित विवाह–विच्छेद डिक्रियों या अभिरक्षा या अन्य आदेशों की तकलीफ से मुक्ति मिलेगी। महिलाओं को अपना पक्ष सही प्रकार से रखने का पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित इन डिक्रियों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल आदेश पारित कर दिए जाते हैं और आगे भारत में भी उन्हें उपचार पाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 126 की ही भांति विवाह संबंधी राहतों और अपराधों का क्षेत्राधिकार उस स्थान के न्यायालयों को दिया जाना चाहिए, जहाँ महिला फिलहाल रह रही हो।

दूसरे, अनिवासी भारतीय की जमानत शर्तों में यह उपबंध होना चाहिए कि वह अपना पासपोर्ट न्यायालय में जमा कराए। इसी के साथ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10(3)(e) के उपबंध भी सक्रियतापूर्वक लागू किए जाने चाहिए। इसमें कहा गया है किः

*(3) पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज को जब्त कर या जब्त करा सकता है या प्रतिसंहृत कर सकता है,–*

*...(e) यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के संबंध में कोई कार्यवाही भारत में दांडिक न्यायालय के समक्ष लंबित हो;*

कानून में यह भी कहा जाना चाहिए कि अनिवासी भारतीय उतनी राशि के बराबर प्रतिभूति न्यायालय में प्रस्तुत करे जितनी राशि के दहेज/स्त्रीधन का दावा किया गया हो। भरणपोषण, निर्वाह–व्यय या संपत्ति के किसी मामले की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान पति को संपत्ति को बेचने या अन्यसंक्रांत करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का विशिष्ट उपबंध करने के लिए सभी विवाह कानूनों में भी संशोधन किए जाने चाहिए।

चूँकि वैवाहिक राहत पाने की सबसे बड़ी बाधा विदेश में रहने वाले पति और ससुराल वालों को आदेशिकाओं की तामील कराने में आने वाली कठिनाई होती है इसलिए जिन पतियों के विरूद्ध अपराध दर्ज किए गए हों, उन के लिए लुकआउट नोटिस जारी किए जाने चाहिए। इस दिशा में भारत को सम्मनों की तामील, भरण–पोषण आदेशों के प्रवर्तन और प्रत्यर्पण के लिए पारस्परिक संधियों पर उन सभी देशों के साथ हस्ताक्षर करने चाहिए, जिन देशों में भारतीय मूल की पर्याप्त आबादी है। पीड़ित महिलाओं को राहत, अपने अधिकार व न्याय पाने में इन उपायों से काफी मदद मिलेगी।

**vuqyXud-x**

# vR;kpkj ¼lkoZtfud :i ls vekuoh; ,oa dyaddkjh½ fuokj.k ,oa efgyk laj{k.k fo/ks;d] 2014 dk çLrkfor çk:i

## mís';ksa vkSj dkj.kksa dk fooj.k

देश में महिलाओं के साथ हिंसा के ऐसे विभिन्न रूप एवं आयाम हैं, जिनके संबंध में शीघ्रातिशीघ्र कानूनी और कानूनेत्तर उपाय करने की आवश्यकता है। अब तक विधानमंडल ने दहेज, दहेज मृत्यु, बाल विवाह, अनैतिक व्यापार, घरेलू हिंसा इत्यादि के रूप में लंबे समय से गंभीर रूप से मौजूद महिलाओं के साथ हिंसा के विभिन्न पहलुओं पर कानून बनाए हैं। किसी विशिष्ट कानून में शामिल न होने वाले हिंसा के अन्य रूपों की ओर विधायिका का ध्यान तत्काल आकृष्ट करना आवश्यक है। अनादि काल से मौजूद हिंसा का ऐसा ही एक रूप महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से अमानवीय एवं उन्हें कलंककारी कृत्य करके उनके साथ अत्याचार करना है। उन्हें सार्वजनिक रूप से पीटा, जलाया जाता है, नग्न करके घुमाया जाता है, मानव मल जबरन खिलाया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके दाँत निकाल लिए जाते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है तथा उनके गुप्तांगों में लकड़ी या अन्य नुकीली वस्तुएं घुसेड़कर उन्हें तकलीफ दी जाती है, उन्हें गालियाँ दी जाती हैं, उनके बाल (नाक या शरीर के अन्य अंग भी) काटकर उन्हें लज्जित किया जाता है, उनके बच्चों का सामाजिक बहिष्कार करके उन्हें अवसादग्रस्त बनाया जाता है, महिलाओं की भूमि और संपत्ति पर कब्जा करके उन्हें उनसे छीन लिया जाता है, कई बार गैर–कानूनी ढंग से उनकी हत्या भी कर दी जाती है तथा उनके अंग भी काट दिए जाते हैं। ऐसे अमानवीय एवं कलंककारी अत्याचारों के पीछे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण होते हैं, जिन्हें व्यापक कानून और उस कानून के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाए बिना नहीं रोका जा सकता है। हैरानी की बात है कि इन घृणित अमानवीय एवं कलंककारी कृत्यों के विषय में हमारी विधिक प्रक्रिया द्वारा कोई उपाय अब तक नहीं किया गया है और इसीलिए इन्हें तुरंत कानून बनाकर रोका जाना चाहिए। मौजूदा विधेयक तो इसकी शुरुआत है।

## bl fo/ks;d ds mís'; bl çdkj gSa

(i) देश में विभिन्न स्थानों पर और समाज के विभिन्न वर्गों में ऐसे अत्याचारों का निर्धारण करना, जो महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से अमानवीय एवं कलंककारी अत्याचारों की श्रेणी में आते हैं।

(ii) महिलाओं के साथ अमानवीय एवं कलंककारी अत्याचारों के कारणों का संज्ञान लेना, जिनमें समाज के चरित्रहीन व्यक्तियों से यौन संबंध स्थापित करने से इनकार करना, विधवाओं का अपने मृत पति की संपत्ति पर अपना दावा छोड़ने से इनकार करना, पुरुष प्रधान सोच, जारकर्म का संदेह, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करके और उन्हें गालियाँ देकर कलंकित करने की प्राचीन पद्धतियाँ तथा कामवासना के जरिए प्रतिशोध लेना शामिल हो सकते हैं।

(iii) भारत में अमानवीय एवं कलंककारी अत्याचारों से पीड़ित उन महिलाओं की देखरेख करना, जो प्रायः

शर्मसार होने, अकेली पड़ जाने, गरीबी, निराशा, सामाजिक वंचना, जाति, पर्याप्त कानूनी सहायता के अभाव में और अधिक अमानवीय अत्याचारों के भय के कारण कानूनी या पुलिस की सहायता नहीं मांगती हैं।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि मामले की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद समुचित कार्रवाई की जाए तथा हिंसा करने वालों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।

(v) यह सुनिश्चित करना कि पुलिस की कार्रवाई के बाद महिला को परिणाम भुगतने के लिए असुरक्षित न छोड़ा जाए तथा समुदाय में कोई भी उसके साथ आगे कोई अमानवीय एवं कलंककारी अत्याचार न करे।

(vi) जीवन–निर्वाह के साधनों से वंचित महिलाओं के गाँवों और समुदायों में उनके निरंतर बहिष्कार का निवारण करना।

(vii) यदि ऐसी किसी महिला की हत्या कर दी जाती है या ऐसे अमानवीय एवं कलंककारी अत्याचार के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस महिला के नजदीकी रिश्तेदार को मुआवजा दिलाना।

(viii) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी महिला को पीटा या बेहोश हो जाने तक पीटा न जाए या उसके साथ अन्य किसी प्रकार का अमानवीय या कलंककारी अत्याचार न किया जाए।

(ix) किसी महिला के अपने अधिकारों के विषय में जागरूक, सक्रिय या विद्रोही होने के लिए उसके साथ सजा के रूप में प्रतिशोधी कार्रवाई का निवारण करना।

(x) किसी महिला को गालियाँ देकर या उसके साथ कोई अन्य अमानवीय एवं कलंककारी कृत्य करके उसके साथ क्रूरतापूर्ण कार्य करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 के अधीन थोड़ी बहुत सजा का उपबंध करने, जिसमें ऐसे अत्याचार कराने वाले के लिए एक वर्ष का कारावास तथा 10,000/– रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है, के अतिरिक्त ऐसे अपराधों का निवारण करने के लिए बेहतर कानूनी व्यवस्था उपलब्ध कराना।

**vR;kpkj ¼lkoZtfud :i ls vekuoh; ,oa dyaddkjh½ fuokj.k ,oa efgyk laj{k.k fo/ks;d] 2014**

महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से अमानवीय और कलंककारी अत्याचारों का निवारण एवं उनसे महिलाओं का संरक्षण तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाकर व उन्हें सजा देकर किसी व्यक्ति या समूह द्वारा उन्हें ऐसी पीड़ा पहुँचाए जाने की घटनाओं का उन्मूलन करने और ऐसे अपराधों से व उनसे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों से पीडघ्तिों को राहत और पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए भी अधिक प्रभावी उपाय करने के लिए अधिनियम।

इसे संसद द्वारा भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए –

**v/;k;&I**
**çkjfHkd**

**1- laf{kIr uke] foLrkj vkSj çkjaHk&**

(1) इस अधिनियम का नाम अत्याचार (सार्वजनिक रूप से अमानवीय एवं कलंककारी) निवारण एवं महिला संरक्षण अधिनियम, 2014 होगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में होगा।

(3) यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा राजकीय राजपत्र में जारी अधिसूचना में नियत तारीख को लागू होगा और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के संबंध में विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

## 2- ifjHkk"kk,&

(1) इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक

(a) "अत्याचारों" से किसी महिला के साथ ऐसा कोई भी सार्वजनिक रूप से अमानवीय एवं कलंककारी  कृत्य अभिप्रेत है और इनमें शामिल है, जो धारा 4 के अधीन दंडनीय है।

(b) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) अभिप्रेत है।

(c) "न्यायालय" से उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश के रेंक के विशेष न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है, जिस क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुसार कथित अपराध हुआ है।

(d) "आश्रितों" से अत्याचारों से पीड़िता महिला के आश्रित अभिप्रेत हैं और इनमें पुत्र (वैध या अवैध), माता–पिता, पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके पुत्र के पुत्र एवं पुत्रियां तथा पहले से मृत्यु को प्राप्त हो चुकी पुत्री के पुत्र एवं पुत्रियाँ शामिल हैं।

(e) "सरकार" से यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(f) "पुलिस थाने" से आउटपोस्टों सहित सरकार द्वारा स्थापित पुलिस थाने अभिप्रेत और शामिल हैं।

(g) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए जाने वाले नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है

(h) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए जाने वाले नियम अभिप्रेत हैं।

(i) "महिला" से किसी भी आयु की नारी अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए गए जिन शब्दों व अभिव्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2) या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) में परिभाषित किया गया है, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अर्थ यथास्थिति उन परिभाषाओं में उन्हें दिए गए हैं।

## 3- ;g vf/kfu;e fdlh vU; dkuu dk vYihdj.k ugh djrk g&

इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अतिरिक्त होंगे और ऐसे कानून का अल्पीकरण नहीं करेंगे।

## v/;k;&II
## vijk/k vkj lt,j

**4- efgykvk d lkFk lkotfud :i vekuoh; ,o dyddkjh vR;kpkjk d vijk/kk dh ltk,&**

(1) जो कोई भी किसी महिला को या तो शब्दों, कार्यों या किसी अन्य ढंग से आरोपित, निर्धारित या कलंकित करता है या गालियाँ देता है या किसी महिला पर अलौकिक साधनों से किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से कोई मंत्र, तंत्र इत्यादि के प्रयोग की कोई पूजा करने का आरोप लगाता है, उसे कम से कम एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर कम से कम 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

(2) जो कोई भी किसी महिला पर प्रहार करता है या शक्ति का आपराधिक प्रयोग करता है या महिला पर प्रहार या शक्ति का आपराधिक प्रयोग कराता है। जिसके परिणामस्वरूप उस महिला की मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

(3) जो कोई भी किसी महिला को गालियाँ देकर या अपमानजनक भाषा बोलकर या जादू–टोना या अन्य कोई हानिकारक कार्य करने का आरोप लगाकर इतना धमकाता है कि वह महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है, उस व्यक्ति को कम से कम पाँच वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी और उस पर कम से कम 25,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

परंतु यह कि न्यायालय दर्ज किए जाने वाले पर्याप्त एवं विशेष कारणों से पाँच वर्ष से कम अवधि के कारावास की सजा दे सकता है।

(4) जो कोई भी किसी महिला को हानि पहुँचाने तथा उसके कानूनी कब्जे या स्वामित्व वाले मकान, स्थान या संपत्ति से उसे हटाने या उसे किसी भूमि या परिसर पर अपना अधिकार स्थापित करने से रोकने या ऐसी महिला एवं उसके आश्रितों को उस क्षेत्र को छोड़कर जाने के लिए मजबूर करने के इरादे से, जिस क्षेत्र में निवास करने या आने–जाने का उन्हें अधिकार है, गालियाँ देकर ऐसी महिला पर शक्ति का आपराधिक प्रयोग करता है तथा ऐसा करने के लिए अन्य लोगों को प्रेरित करता या उकसाता है, उसे कम से कम पाँच वर्ष से लेकर दस वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर कम से कम 20,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

(5) जो कोई भी किसी महिला को नग्न करने के लिए उस पर प्रहार करता है या उस पर शक्ति का आपराधिक प्रयोग करता है या उसे नग्न कराकर घुमवाता है, उसे 10 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर कम से कम 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

(6) जो कोई भी–

a) किसी महिला को पत्थर मारकर, लटकाकर, चाकू मारकर, जमीन पर घसीटकर, सार्वजनिक रूप से पीटकर, जलाकर, लकड़ी की कोई वस्तु या नुकीली वस्तु उसके गुप्तांगों में घुसेड़कर, उसके बाल जलाकर, जबरन उसका मुंडन कराकर, उसके दाँत निकालकर, उसकी नाक या उसके शरीर के अन्य अंग काटकर, उसका मुँह काला करके, बेंत से उसकी पिटाई करके या उसके शरीर पर कुछ गोदकर उसे यातना देता है, अपमानित करता है, उस पर प्रहार करता है, उसे क्षति या चोटें पहुँचाता है।

b) उस महिला को सार्वजनिक रूप से कोई अपमानजनक कार्य करने या मानव मल खाने या मूत्र पीने या खाने–पीने के लिए अयोग्य या आपत्तिजनक वस्तुएं पीने या खाने के लिए मजबूर करता है या जीवन भर के लिए उसका सामाजिक बहिष्कार कराता है या उसे कलंकित घोषित कराता है या पावन समारोहों में भागीदारी करने, आने–जाने एवं रोजगार करने से उसे रोकता है।

उसे कम से कम तीन वर्ष से 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी तथा उस पर कम से कम 5,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

(7) जो कोई भी किसी महिला की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को क्षति पहुँचाने या उसका यौन शोषण करने या उससे जबरन धन वसूलने या संपत्ति छीनने के इरादे से उसका उत्पीड़न करता है या अन्य किसी गुप्त प्रयोजन से उसे गालियाँ देकर कलंकित करता है और भीड़ को उसके विरुद्ध भड़काता है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 383 के उपबंधों के अतिरिक्त कम से कम तीन वर्ष से सात वर्ष तक की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

(8) जो कोई भी अपने गाँव में सूखा, बाढ़, फसल तबाह होने, बीमारी या गाँव में किसी मृत्यु जैसी प्राकृतिक आपदा सहित किसी अनहोनी घटना का दोष किसी महिला को देता है, उसे तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर कम से कम 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

(9) अपने पास अलौकिक तथा जादुई शक्तियाँ होने का दावा करने वाला जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला को बुरी आत्मा से मुक्त कराने के लिए झाड़फूँक या टोटका जैसा कार्य करता है या उस महिला को गालियाँ देता है या महिला को संतान का आशीर्वाद देने का वचन देकर महिला या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को बहलाता–फुसलाता है या महिला को क्षति पहुँचाने के इरादे से किसी व्यक्ति की ओर से कोई अनुष्ठान करता है तथा जो कोई भी ऐसे अनुष्ठानों को बढ़ावा देता है, इनके आयोजन में मदद करता है, ऐसे आयोजन में स्वयं शामिल होता है, उसे कम से कम तीन वर्ष से लेकर सात वर्ष तक की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

(10) जो कोई भी यह जानते हुए भी या यह विश्वास करने का कारण होते हुए भी कि इस अध्याय के अनुसार कोई अपराध हुआ है, अपराधी को कानूनी सजा से छिपाने के इरादे से उस अपराध के साक्ष्य गायब कराता है या उसी इरादे से अन्वेषकों को गुमराह करने के लिए उस अपराध के विषय में ऐसी जानकारी देता है, जिसके असत्य होने की जानकारी या विश्वास उसे है, उस व्यक्ति को इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के उपबंधों के अतिरिक्त आगे विहित की गई सजा भी दी जाएगी।

(11) जो कोई भी काले जादू, बुरी नजर या अन्य किसी साधन से किसी व्यक्ति या पशु या किसी जीवित पदार्थ को क्षति पहुँचाने की शक्ति अपने पास होने का दावा करता है और ऐसी शक्ति का प्रचार करता है या सार्वजनिक शांति को भंग करने का प्रयास करता है या किसी को नाराज करता है या क्षति पहुँचाता है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

## 5- fdlh lenk; ;k leg }kjk fd, x, vijk/k &

(i) जहाँ इस अधिनियम के अनुसार किसी अपराधी कृत्य में कोई समुदाय, समूह या सांस्कृतिक निकाय या खाप संलिप्त हो वहाँ ऐसे निकाय के प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध के लिए एक अपराधी के रूप में इस अधिनियम में विहित सजा दी जाएगी।

परंतु यह कि उस निकाय के प्रत्येक सदस्य को दर्ज किए जाने वाले कारणों से कम से कम 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा भी दी जा सकती है।

परंतु यह भी कि जो कोई भी उक्त जुर्माने का भुगतान नहीं कर पाता है, उसे जुर्माने के स्थान पर तीन माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

## v/;k;&III

## vijk/kksa dh lquokbZ

## 6- fo'ks"k U;k;k/kh'kksa }kjk lquokbZ&

1) केंद्र सरकार या राज्य सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके उस अधिसूचना में यथा विहित किसी भी क्षेत्र या क्षेत्रों या किसी भी मामले या मामलों के समूह के लिए आगे दर्शाए गए अपराधों की सुनवाई करने हेतु यथावश्यक संख्या में विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है:–

a) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध और

b) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध को करने का कोई षड़यंत्र या ऐसा अपराध करने का प्रयास करना या ऐसा अपराध करने के लिए प्रेरित करना।

2) ऐसा कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है।

## 7- o ekey] ftue fo'k"k U;k;k/kh'k gh lquokbZ djxk&

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी धारा 4 और धारा 5 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई उस क्षेत्र में क्षेत्राधिकार प्राप्त विशेष न्यायाधीश ही करेगा।

2. विशेष न्यायाधीश धारा 4 और धारा 5 में विनिर्दिष्ट न किए गए किसी ऐसे अन्य अपराध की सुनवाई भी कर सकता है, जिसका आरोप उसी मुकदमे में उसी अभियुक्त पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन लगाया गया हो और यदि उपयुक्त पाया जाए तो किसी अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है, जिसके लिए सुनवाई हेतु अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश को कमिट किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा विहित है, उसके सिवाए विशेष न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन की कार्यवाही का संचालन करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक माना जाएगा।

## 8- viukbZ tkus okyh çfØ;k&

विशेष न्यायाधीश द्वारा वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो प्रक्रिया दंडाधिकारियों द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विहित की गई है।

परंतु यह कि सुनवाई शुरू होने की तारीख से छह महीनों की अवधि में सुनवाई की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी यदि न्यायालय इस अवधि में विस्तार के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस अवधि का विस्तार न कर दे।

## 9- lrdZrk vf/kdkjh&

(1) सरकार राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके यथाविहित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन किसी एक या एक से अधिक पुलिस थानों के लिए कम से कम पुलिस निरीक्षक, समूह ख के रैंक के एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को सतर्कता अधिकारी नियुक्त कर सकती है।

(क) अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन या अतिक्रमण का पता लगाना एवं उनका निवारण करना तथा ऐसे मामलों की रिपोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र के नजदीकी थाने को देनाय तथा पीड़ित अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह सुनिश्चित करना कि उस शिकायत पर विधिवत एवं शीघ्र कार्रवाई हो तथा संबंधित पुलिस थाने को आवश्यक सलाह, मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना।

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना तथा उन साक्ष्यों की जानकारी उस क्षेत्र के पुलिस थाने को देना, जिस क्षेत्र में ऐसा अतिक्रमण किया गया हो या किया जा रहा हो और साक्ष्य एकत्र करने में वह

समाज वैज्ञानिकों या ऐसे अन्य व्यक्तियों की सहायता ले सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(ग) इस विषय में सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा समय–समय पर उसे सौंपे गए अन्य कृत्यों का निर्वहन करना।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए सतर्कता अधिकारी के राजकीय दायित्वों के निर्वहन या कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी व्यक्ति को दोष सिद्ध होने पर तीन महीने की अवधि के कारावास या अधिकतम पाँच हजार रुपए के जुर्माने या दोनों की सजा दी जाएगी।

(3) सतर्कता अधिकारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के आशय से लोक सेवक माना जाएगा।

## 10- ços'k djus] ryk'kh ysus vkSj tCr djus dh 'kfä&

(1) इस विषय में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन सतर्कता अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी की सहायता से आगे दर्शाए गए कार्य कर सकता है –

(क) किसी भी यथोचित समय किसी भी ऐसे स्थान में ऐसी सहायता से, जिसे वह आवश्यक समझे, प्रवेश करना व तलाशी लेना, जिस स्थान पर इस अधिनियम के अनुसार अपराध किए जाने का विश्वास उस अधिकारी को हो।

(ख) कोई भी ऐसी सामग्री, उपकरण या विज्ञापन जब्त करना, जिसका उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी कृत्य के लिए किए जाने का उसे विश्वास हो।

(ग) खंड (i) में उल्लिखित किसी स्थान पर पाए गए किसी भी अभिलेख, दस्तावेज या सामग्री की जाँच करना एवं उन्हें जब्त करना, यदि अधिकारी के पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण हो कि उस सामग्री से इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है।

(2) संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए वारंट के प्राधिकार के अंतर्गत ली गई तलाशी या जब्ती पर लागू होने वाले संहिता के उपबंध जहाँ तक हो सके इस अधिनियम के अधीन ली गई ऐसी तलाशी या जब्ती पर भी लागू होंगे।

(3) जहां सतर्कता अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उप–धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अधीन कोई वस्तु जब्त करता है, वहाँ वह यथाशीघ्र दंडाधिकारी को सूचित करेगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के विषय में दंडाधिकारी से आदेश प्राप्त करेगा।

## 11- vijk/kksa dk vuq'keu&

जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध करने या अपराध के लिए प्रेरित करने के लिए किसी व्यक्ति का

अभियोजन किया जाए और जहाँ पीड़ित वह अपराध किए जाने का साक्ष्य दे वहाँ विशेष न्यायालय यह अनुमान करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है या उस अपराध को प्रेरित किया है जब तक कि अभियुक्त इससे विपरीत तथ्य को सिद्ध न कर दे।

### 12- vijk/kk dk vuqeku&

जब कभी पीड़ित अपराध किए जाने के विषय में साक्ष्य प्रस्तुत कर दे तब न्यायालय अपराध किए जाने का अनुमान करेगा और इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध न करने को सिद्ध करने का दायित्व अभियुक्त पर होगा।

### 13- tqekZus dk Hkqxrku u djus ij dkjkokl dh ltk&

न्यायालय के आदेशानुसार जुर्माने का भुगतान जानबूझकर या अन्यथा न करने पर अपराधी को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 64 के अधीन उपबंधित सजा भुगतनी होगी।

### 14- tqekZus dh jkf'k eqvkots ds :i esa ihfM+r dks fn;k tkuk&

1) इस अधिनियम के अधीन अपराध के दंड के रूप में वसूली गई जुर्माने की राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।

2) उप–धारा (1) के अधीन दी गई मुआवजे की राशि किसी भी ऐसे अन्य मुआवजे या वित्तीय सहायता की राशि में कम्पाउंड नहीं की जाएगी, जो सरकार ने तात्कालिक राहत के रूप में पीड़ित को दी हो और अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पुनर्वास अनुदान के रूप में देय हो।

### 15- vihy&

संहिता के उपबंधों के अधीन पीड़ित व्यक्ति संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि में अगले उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने का पात्र होगा;

परंतु यह कि यदि न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाए कि तीस दिनों की अवधि में अपील दायर न कर पाने के लिए अपीलार्थी के पास कोई पर्याप्त कारण था तो न्यायालय तीस दिनों की उक्त अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है।

## v/;k; & IV
## vR;kpkjksa ls laj{k.k ds fy, fuokjd mik;

### 16- vR;kpkjksa ds fuokj.k ,oa efgykvksa ds laj{k.k ds mik;&

(1) जब किसी पुलिस अधिकारी को कोई अत्याचार किए जाने की संभावना की कोई जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त हो तभी वह उस स्थान की ओर चल देगा तथा उस अत्याचार के निवारण एवं महिला को संरक्षण प्रदान करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेगा, जिनमें उसे किसी मान्यताप्राप्त संरक्षणात्मक या आश्रय गृह में प्रवेश दिलाना भी शामिल है यदि उस महिला के पास अन्य कोई आश्रय स्थल न हो।

(2) पुलिस अधिकारी तत्काल उन व्यक्तियों और वस्तुओं को हटाएगा या हटवाएगा, जिनसे महिला को क्षति पहुँचने की संभावना हो। पुलिस अधिकारी महिला के साथ अत्याचार करने का इरादा रखने या अत्याचार का प्रयास करने के लिए आरोपित व्यक्ति या व्यक्तियों को तत्काल उस स्थान से चले जाने और महिला को कोई भी क्षति न पहुँचाने के लिए मौखिक या लिखित चेतावनी देगा।

(3) यदि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो तो पुलिस अधिकारी व्यक्ति या व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकता है तथा संहिता की धारा 151 के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्षेत्र के कार्यकारी दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि संहिता की धारा 107 और 116 के अनुसार कार्यवाही करेगा।

## 17- bl vf/kfu;e d v/khu vijk/k fd, tku dh fjikVZ dju dk nkf;Ro &

1) एतद्‌वारा सभी सरकारी अधिकारियों से इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के निष्पादन में पुलिस की सहायता करने की अपेक्षा की जाती है व उन्हें ऐसा करने के अधिकार दिए जाते हैं।

2) यदि ग्राम पंचायत के सदस्यों को अत्याचार की संभावित घटना की कोई जानकारी या आभास हो तो ऐसी सभी घटनाओं को शुरुआत में ही रोकना ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होगी संबंधित क्षेत्र या क्षेत्रों में अत्याचार की घटनाओं के मामलों में दो वर्ष तक की अवधि के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

## 18- vijk/kh dk dN Jf.k;k dh lifÙk mÙkjkf/kdkj e çkIr dju d fy, fu;kX; Bgjkuk&

(क) अत्याचार करने के संबंध में धारा में किसी बात के होते हुए भी उप–धारा (2) (3) और (4) के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध होने वाला व्यक्ति उस महिला की संपत्ति उत्तराधिकार में पाने के लिए निर्योग्य ठहरा दिया जाएगा, जिस महिला के साथ ऐसा अत्याचार किया गया हो।

(ख) जहाँ किसी व्यक्ति पर इस अध्याय के अधीन कोई आरोप लगा हो वहाँ उसके अपराध की सुनवाई कर रहा न्यायालय उस व्यक्ति की चल या अचल या दोनों प्रकार की संपत्ति को ऐसी सुनवाई की अवधि में कुर्क करने तथा जहाँ सुनवाई के अंत में दोष सिद्ध हो जाए वहाँ कुर्क की हुई उस संपत्ति के उतने हिस्से को जब्त करने का आदेश पारित कर सकेगा, जितना हिस्सा इस अध्याय के अधीन लगाए गए जुर्माने की वसूली के लिए जब्त किए जाने की आवश्यकता हो।

## v/;k;&VI
## cpko ,o l/kkjkRed dk;

## 19- ihfMr dk cpko&

1) जहाँ पुलिस थाने या इस विषय में सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी के आधार पर दंडाधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी महिला के साथ अत्याचार करके उसे पीड़ा पहुँचाई गई है वहाँ दंडाधिकारी कम से कम उप–निरीक्षक स्तर के

पुलिस अधिकारी को ऐसे स्थान में प्रवेश करने तथा ऐसी महिला को वहाँ से बचाने और अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

2) पुलिस अधिकारी उस महिला को बचाने के तुरंत बाद उस दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसने आदेश जारी किया था।

**20- lj{k.kkRed xg vkj iuokl dæ&**

(1) सरकार इस अधिनियम के अधीन उतने संरक्षणात्मक गृह एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी, जितने कि वह उचित समझे और ऐसे गृहों एवं केंद्रों का रखरखाव यथा विहित ढंग से किया जाएगा।

**21- ihfMrk d fy, fu%'kYd fpfdRlh; lgk;rk&**

सरकार इस अधिनियम के अधीन अत्याचारों से पीड़िता को दवाओं और अन्य सहायता व्यवस्थाओं सहित निःशुल्क चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

**22- ihfMrk d fy, iuokl vunku&**

सरकार इस अधिनियम के अधीन अत्याचारों से पीड़िता में से प्रत्येक को यथा विहित ढंग से पुनर्वास अनुदान उपलब्ध कराएगी।

**23- ihfMr efgykvk d fy, fu%'kYd fof/kd lok,&**

पीड़ित महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या 39) के अधीन निःशुल्क विधिक सेवाएं पाने का अधिकार होगा।

**v/;k;&vI**

**çdh.k**

**24- lfgrk dh /kkjk 360 ;k vijk/kh ifjoh{kk vf/kfu;e dk ykx u gkuk&**

इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने के दोषी पाए जाने वाले इक्कीस वर्ष और इससे अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति पर संहिता की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम संख्या 20) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

**25- lfgrk dh /kkjk 438 dk ykx u gkuk&**

संहिता की धारा 438 में उल्लिखित कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के आरोप पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित किसी मामले पर लागू नहीं होगी।

**26- Hkkjrh; nM lfgrk d dN mic/kk dk vuç;kx&**

इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 34, अध्याय III, अध्याय IV, अध्याय V, अध्याय V-A, धारा 149 और अध्याय XXIII के उपबंध जहाँ तक हो सके इस अधिनियम

के प्रयोजनार्थ वैसे ही लागू होंगे जैसे कि भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ लागू होते हैं।

**27- vf/kfu;e dk vU; dkuuk ij vfHkHkkoh gkuk&**

किसी रीति या प्रयोग या किसी प्रभावी लिखत में इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

**28- InHkkoiod dh xbl dkjokbl dk lj{k.k&**

सद्भावपूर्वक या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी कार्य के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

**29- dæ ljdkj dh fu;e cuku dh 'kfä&**

1) केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए नियम राजकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी करके बना सकती है।

2) विशेषकर और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में आगे दर्शाए गए सभी या उनमें से किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे

(i) धारा 14 के अधीन पीड़िता को मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया।

(ii) धारा 22 के अधीन अत्याचारों की पीड़िता को पुनर्वास अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया।

(iii) विहित किया जाने वाला अन्य कोई विषय। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए समुचित दिशानिर्देशों का प्रारूपण।

(iv) अत्याचारों के मुद्दे के विषय में पुलिस अधिकारियों का संचेतना विकास और प्रशिक्षण।

(v) गवाहों के साथ–साथ पीड़िता के परिसाक्ष्य के दौरान गोपनीयता।

(vi) घटनाओं की रिपोर्टों की समुचित निगरानी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई।

(vii) अत्याचारों से पीड़िता के लिए राहत एवं मुआवजा।

(viii) अत्याचारों से पीड़िता के लिए पुनर्वास व्यवस्थाएं और योजनाएं।

(ix) अत्याचारों से पीड़िता के लिए परामर्श सेवाएं।

(x) शिक्षा व जागरूकता, स्कूली पाठ्यक्रम में अत्याचारों के मुद्दे का समावेशन।

(xi) समुदायों को इस अधिनियम की जानकारी देने के लिए जन जागरूकता योजनाएं।

(x) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए समुचित चिकित्सा सुविधाएं और

जागरूकता तथा निःशुल्क स्वास्थ्य देखरेख के अधिकार का प्रवर्तन।

(xi) सरकार, प्रशासन, स्वैच्छिक संगठनों, स्कूलों इत्यादि के संयुक्त प्रयासों से विशेषकर उन क्षेत्रों में अंधविश्वासों और अन्य ऐसी कुरीतियों के विरुद्ध अभियानों का शुभारंभ तथा पद यात्राओं एवं जन जागरूकता बैठकों का आयोजन, जहाँ यह कुरीति सबसे ज्यादा पाई जाती है।

(xii) ग्राम स्तर पर महिला समूहों का गठन करके ऐसे क्षेत्रों में कमजोर वर्ग की महिलाओं में आत्मविश्वास और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की सर्जनात्मक योजनाएं ऐसे समूहों के परामर्श से तैयार करना।

(xiii) उप–खंड (घ) से (ढ) के अनुपालन की जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व की व्यवस्था।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष तब प्रस्तुत किया जाएगा जब संसद का सत्र कुल तीस दिनों की अवधि के लिए जारी हो और यह अवधि एक सत्र या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है और यदि सत्र की समाप्ति से पूर्व सत्र के तत्काल बाद या उक्त आनुक्रमिक सत्रों में दोनों सदन उस नियम में कोई संशोधन करने या इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि वह नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो वह नियम तत्पश्चात यथास्थिति ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगाय तथापि ऐसे किसी आशोधन या बातिलीकरण का उस नियम के अधीन किए गए किसी भी पूर्ववर्ती कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

vuqyXud-xI

## o"kZ 2014&15 ds nkSjku jk"Vªh; efgyk vk;ksx }kjk çk;ksftr dkuwuh tkx:drk dk;Øe ¼,y,ih½ dk vk;kstu djus okys xSj&ljdkjh laxBuksa dh jkT;&okj lwph

| Ø-la- | jkT; dk uke | f'kfojksa dh la[;k |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4 |
| 2. | बिहार | 25 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 14 |
| 4. | दिल्ली | 2 |
| 5. | हरियाणा | 13 |
| 6. | झारखण्ड | 4 |
| 7. | कर्नाटक | 2 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 26 |
| 9. | महाराष्ट्र | 12 |
| 10. | ओडिशा | 10 |
| 11. | पंजाब | 4 |
| 12. | राजस्थान | 26 |
| 13. | तमिलनाडु | 6 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 43 |
| 15. | उत्तराखण्ड | 8 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 4 |

## o"kZ 2014&15 ds nkSjku jk"Vªh; efgyk vk;ksx }kjk çk;ksftr ikfjokfjd efgyk yksd vnkyr ¼ih,e,y,½ dk vk;kstu djus okys xSj&ljdkjh laxBuksa dh jkT;&okj lwph

| Ø-la- | jkT;k dk uke | f'kfojksa dh la[;k |
|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश | 30 |

## o"k 2014&15 d nkjku jk"Vh; efgyk vk;kx }kjk çk;kftr dkuuh tkx:drk dk;Øe ¼,y,ih½ dk vk;ktu dju oky xj&ljdkjh lxBuk dh jkT;&okj lph

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBuk@lxBuk@ lLFkkuk dk uke vkj irk | tkx:drk fodkl dk;Øe dh l[;k@egRo oky {k= rFkk vk;ktu LFky | lLohÑr jkf'k ¼#i;k e½ |
|---|---|---|---|
| | **vk/k çn'k** | | |
| 1 | निकिलेश शिक्षा अकादमी, कुरुनूल, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर कुरुनूल, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 2 | धर्मा तेजा कल्याण सोसायटी, करीमनगर, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर करीमनगर, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **fcgkj** | | |
| 3 | जीवन ज्योति केंद्र, मुजफ्फरपुर, बिहार | "अल्पसंख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर सीतामढ़ी, बिहार में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 250000/- |
| 4 | चिक्का फेडरेशन ऑफ इण्डिया, मुजफ्फरपुर, बिहार | "अल्पसंख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर सीतामढ़ी, बिहार में छह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 300000/- |
| 5 | हिमालय फाउण्डेशन, श्योहर, बिहार | "अल्पसंख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर श्योहर, बिहार में छह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 300000/- |
| 6 | युवा और समाज कल्याण सोसायटी, मुजफ्फरपुर, बिहार | "अल्पसंख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर पूर्वी चम्पारण, बिहार में छह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 300000/- |
| 7 | दीन एवं बेरोजगार सखा, नालंदा, बिहार | नालंदा, बिहार में महिलाओं हेतु दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **NÙkhlx<** | | |
| 8 | सर्वांगीण विकास महिला मण्डल, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | "महिलाओं का सम्पत्ति का अधिकार" विषय पर बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 9 | जनजाति विकास समिति, कोन्डागांव, छत्तीसगढ | "महिलाओं का वैवाहिक सम्पत्ति का अधिकार" विषय पर कोन्ड्गांव, छत्तीसगढ़ में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBuk@lxBuk@ lLFkkuk dk uke vkj irk | tkx:drk fodkl dk;Øe dh l[;k@egRo oky {k= rFkk vk;ktu LFky | lLoh Ñr jkf'k ¼#i;k e½ |
|---|---|---|---|
| 10 | आदर्श नेहरू युवा मण्डल, नरायनपुर, छत्तीसगढ़ | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर नरायनपुर, छत्तीसगढ़ में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 11 | निशता महिला मण्ड्ल, रायगढ़, छत्तीसगढ़ | "बलात्कार निवारण पर महिलाएं" विषय पर रायगढ़, छत्तीसगढ़ में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **fnYyh** | | |
| 12 | गुड शेफर्ड फाउण्डेशन, दिल्ली | "कानूनी अधिकार" विषय पर रायगढ़, छत्तीसगढ़ में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **gfj;k.kk** | | |
| 13 | श्रृष्टि कल्याण समिति, पानीपत, हरियाणा | "ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न मुफ्त विधिक सेवाएं" विषय पर पानीपत, हरियाणा में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 14 | विश्वकर्मा शिक्षा सोसायटी, सोनीपत, हरियाणा | "कानूनी अधिकार" विषय पर सोनीपत, हरियाणा में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 15 | भारतीय मानव अधिकार मोर्चा, यमुनानगर, हरियाणा | "महिला मजदूरों के मुद्दे" विषय पर यमुनानगर, हरियाणा में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 250000/- |
| | **>kj[k.M** | | |
| 16 | एसोसिएशन फॉर सोशल एण्ड ह्युमन अवेयरनेस, रांची, झारखण्ड | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर रांची, झारखण्ड में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| | **dukVd** | | |
| 17 | श्री सिद्दालिंगेश्वकरा उन्ने नेकारारा क्षेमाभीविरुधी संघ, बैंगलुरु, कर्नाटक | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर बैंगलुरु, कर्नाटक में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **e/; çn'k** | | |
| 18 | बालाजी सर्वांगीण विकास समिति, भिण्ड, मध्य प्रदेश | "महिला हिंसा" विषय पर भिण्ड, मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 19 | सर्व कल्याण महिला मण्ड्ल, भोपाल, मध्य प्रदेश | "लिंग अनुपात और मादा भ्रूण हत्या " विषय पर झबुआ और जबलपुर, मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |

| Ø-l- | xSj&ljdkjh laxBu@laxBu@ laLFkkuk dk uke vkSj irk | tkx:drk fodkl dk;Øe dh fo"k;@egRo okys {ks= rFkk vk;kstu LFky | lLohÑr jkf'k ¼#i;k esa½ |
|---|---|---|---|
| 20 | नारी विकास महिला मण्डल, रीवा, मध्य प्रदेश | ″महिलाएं और लड़कियां″ विषय पर रीवा,मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 21 | डालचन्द अजब बाल शिक्षा सोसायटी, भोपाल, मध्य प्रदेश | ″महिलाओं के साथ हिंसा″ विषय पर भोपाल, मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 22 | डालचन्द अजब बाल शिक्षा सोसायटी, भोपाल, मध्य प्रदेश | ″महिलाएं और लड़कियां″ विषय पर बेतूल, मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 23 | विजयासन देवी मण्ड़ल, भोपाल, मध्य प्रदेश | ″मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे″ विषय पर भोपाल, मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 24 | युवा जोश कल्याण संगठन, भोपाल, मध्य प्रदेश | ″जेंडर संवेदीकरण″ विषय पर उज्जैन, मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 25 | मयंक फाउण्डेशन समिति, जबलपुर, मध्य प्रदेश | ″मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक विकास″ विषय पर जबलपुर, मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 26 | हस्तक्षेप कल्याण समाज सोसायटी, पन्ना, मध्य प्रदेश | ″महिलाओं और लड़कियों के अधिकार″ विषय पर पन्ना, मध्य प्रदेश में आठ कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 400000/- |
| 27 | जनमानस एवं पर्यावास समिति, गुना, मध्य प्रदेश | ″महिलाओं और लड़कियों के अधिकार″ विषय पर गुना, मध्य प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **egkjk"V** | | |
| 28 | पदमावती बहुउद्देशीय महिला मण्डल, औरंगाबाद, महाराष्ट्र | ″महिलाओं के अधिकार″ विषय पर औरंगाबाद, महाराष्ट्रं में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 29 | युवक प्रतिष्ठान, जालना, महाराष्ट्र | ″महिलाओं के अधिकार″ विषय पर जालना, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 30 | धम्मादीप नगर प्रगति सांस्कृतिक मण्डल, नागपुर, महाराष्ट्र | ″महिलाओं और बच्चों का उचित विकास″ विषय पर नागपुर, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 31 | नवजीवन बहुउद्देशीय सेवाभावी, संस्था, भण्डारा, महाराष्ट्र | ″अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और लड़कियां″ विषय पर भण्डारा, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh laxBu@laxBu@ laLFkkuksa dk uke vkSj irk | tkx:drk fodkl dk;Øe dh la[;k@egRo oky {k= rFkk vk;kstu LFky | laLohÑr jkf'k ¼#i;s e½ |
|---|---|---|---|
| 32 | श्री वज्रेश्वतर व्यायाम शाला क्रीड़ा मण्डल, जालना, महाराष्ट्र | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर जालना, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 33 | आदित्य नागराज धर्मार्थ न्यास, परभानी, महाराष्ट्र | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर परभानी, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **vkfM'kk** | | |
| 34 | एसोसिएशन फॉर वीमेन एण्ड रूरल इनरिचमेंट (अवेयर), खुर्दा, ओडिशा | "महिलाओं और बालिकाओं के अधिकार" विषय पर खुर्दा, ओडिशा में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 35 | संस्कार, नौपाडा, ओडिशा | "महिलाओं के मुद्दे" विषय पर नौपाडा, ओडिशा में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 36 | अधिकार, कालाहांडी, ओडिशा | "महिलाओं के कानूनी मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर कालाहांडी, ओडिशा में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| | **iatkc** | | |
| 37 | 21वीं शताब्दी मानव संसाधन विकास सोसायटी, अमृतसर, पंजाब | "महिलाओं के कानूनी अधिकार, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मुद्दे" विषय पर अमृतसर, पंजाब में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| | **jktLFkku** | | |
| 38 | अरिहन्त समाज कार्य सोसायटी, भरतपुर, राजस्थान | "महिलाओं के कानूनी अधिकार" विषय पर भरतपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 39 | चेतना बाल शिक्षा समिति, करौली, राजस्थान | "जनजातीय महिलाओं के कानूनी अधिकार" विषय पर करौली, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 40 | पवन बाल शिक्षा संचालन समिति, करौली, राजस्थान | "जनजातीय महिलाओं के कानूनी अधिकार" विषय पर सवाई माधोपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu@lxBu@ lLFkkuk dk uke vkj irk | tkx:drk fodkl dk;Øek dh l[;k@egRo okys {k= rFkk vk;ktu LFky | lLohÑr jkf'k ¼#i;k e½ |
|---|---|---|---|
| 41 | किसान भारती विकास संस्थान भीलवाड़ा, राजस्थान | ”महिला सशक्तीकरण” विषय पर बूंदी, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 42 | गायत्री ग्राम विकास संस्थान, डूंगरपुर, राजस्थान | ”कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा” विषय पर डूंगरपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 43 | श्री आसरा विकास संस्थान, उदयपुर, राजस्थान | ”महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव” विषय पर उदयपुर, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 44 | महिला एवं बाल उत्थान समिति, जयपुर, राजस्थान | ”महिलाओं के कानूनी अधिकार” विषय पर जयपुर, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 45 | लोकितर कल्याण सोसायटी, जयपुर, राजस्थान | ”भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार और कमजोर वर्ग” विषय पर जयपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| | **rfeyukM** | | |
| 46 | शेयर एजूकेशन रूरल अमोंग पीपल्स हैल्थ सोसायटी, तिरुवल्लूर, तमिलनाडु | ”महिलाएं और लड़कियां” विषय पर तिरुवल्लूर, तमिलनाडु में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 47 | तमिलनाडु मागलीर नाला संगम, मदुरै, तमिलनाडु | ”ग्रामीण महिलाएं” विषय पर मदुरै, तमिलनाडु में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 48 | टी.ए.वी. एजूकेशनल एण्ड रूरल डवलपमेंट ट्रस्ट , डिन्डीनगुल, तमिलनाडु | ”महिलाएं और लड़कियां” विषय पर डिन्डी गुल, तमिलनाडु में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **mÙkj çns'k** | | |
| 49 | जनहित सेवा संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | ”महिलाओं के अधिकार” विषय पर लखनऊ, उत्तकर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 50 | शिशु कल्याााण एवं बालवाड़ी केंद्र, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश | ”महिलाओं के अधिकार” विषय पर संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 51 | श्री स्वामी धरनीधर सेवा संस्थ्ान, अयोध्या, उत्तर प्रदेश | ”ग्रामीण महिलाएं” विषय पर अयोध्या, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu@lxBu@ lLFkku dk uke vkj irk | tkx:drk fodkl dk;Øek dh l[;k@egRo oky {k= rFkk vk;kstu LFky | lLohÑr jkf'k ¼#i;k e½ |
|---|---|---|---|
| 52 | भारतवासी सेवा संस्थान, हाथरस, उत्तर प्रदेश | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर हाथरस, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 53 | महिला एवं ग्राम विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश | "महिला श्रमिक" विषय पर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 54 | राजपुर ग्राम्य विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | ग्रामीण क्षेत्र विषय पर लखमीपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 55 | ग्रामीण सेवा संस्थान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 56 | आयशा ग्रामोद्योग समिति, हरदोई, उत्तर प्रदेश | "महिलाएं" विषय पर हरदोई, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 150000/- |
| 57 | मौर्य शाक्य छात्रावास जन कल्याण समिति, बदायूं, उत्तर प्रदेश | "महिलाएं और हिंसा" विषय पर बदायूं, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 58 | श्रीमती सुभवती देवी बाल एवं महिला संस्थान, बस्ती, उत्तर प्रदेश | "कार्यस्थल पर महिलाएं" विषय पर संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 59 | रजत ग्रामोद्योग विकास संस्थान, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश | "लिंग अनुपात और मादा भ्रूण हत्याद" विषय पर मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 60 | विनीता मेमोरियल सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक सोसायटी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश | "हिंसा और जेंडर" विषय पर बरेली, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 61 | रोशनी राष्ट्रीय सेवा ग्रामोद्योग संस्थान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश | "ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं" विषय पर सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 62 | मीरा देवी नारी कल्याण समिति, बस्ती, उत्तर प्रदेश | "महिलाएं और लड़कियां (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)" विषय पर बस्ती , उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBuk@lxBuk@ lLFkkuk dk uke vkj irk | tkx:drk fodkl dk;Øek dh l[;k@egRo oky {k= rFkk vk;ktu LFky | lLohÑr jkf'k ¼#i;k e½ |
|---|---|---|---|
| 63 | सर्वोदय विकास समिति, संभल, उत्तर प्रदेश | "अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं और लड़कियां" विषय पर संभल, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 64 | रिया जनकल्याण समिति, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश | "मद्यपान एवं मदोन्मत से हानियां" विषय पर मुरादाबाद, उत्तंर प्रदेश में महिलाओं के लिए चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 65 | श्री सत्यक साईं शिक्षा एवं ग्राम्य विकास संस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर मथुरा, उत्तर प्रदेश में छह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 300000/- |
| | **mÙkjk[k.M** | | |
| 66 | डिप्राइव्डण इनहैबिटेंट सोसायटी फॉर हिमालयन एडवांसमेंट (दिशा), पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड | महिलाएं के मुद्दों पर पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 67 | पंचायती रूल एण्ड जेंडर अवेयरनैस ट्रैनिंग इंस्टीट्यूट, देहरादून, उत्तराखण्ड | "महिलाएं और लड़कियां" विषय पर देहरादून, उत्तराखण्ड में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| | **if'pe cxky** | | |
| 68 | मैनकाइंड इन एक्शन फॉर रूरल ग्रोथ, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल | "जेंडर एवं हिंसा : दार्जिलिंग की पहाडियों में अवैध व्यापार निवारण" विषय पर दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |

## o"k 2014&15 d nkjku jk"Vh; efgyk vk;kx }kjk çk;kftr ikfjokfjd efgyk ykd vnkyr ¼ih,e,y,½ dk vk;ktu dju oky xj&ljdkjh lxBuk dh jkT;&okj lph

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBuk@lxBuk@ lLFkkuk dk uke vkj irk | ikfjokfjd efgyk ykd vnkyrk dh l[;k | lLohÑr jkf'k ¼#i;k e½ |
|---|---|---|---|
| | mÙkj çns'k | | |
| 1 | सत्यम शिवम सेवा संस्थान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश | छह पारिवारिक महिला लोक अदालतें | ₹ 180000/- |
| 2 | नेचर, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश | छह पारिवारिक महिला लोक अदालतें | ₹ 180000/- |
| 3 | सरस्वती शिशु शिक्षा निकेतन, बदायूं, उत्तर प्रदेश | आठ पारिवारिक महिला लोक अदालतें | ₹ 240000/- |
| 4 | पुष्पा महिला कल्याण संस्था्न, मेरठ, उत्तर प्रदेश | पांच पारिवारिक महिला लोक अदालतें | ₹ 150000/- |
| 5 | ग्रामोदय जन जागृति समिति, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश | पांच पारिवारिक महिला लोक अदालतें | ₹ 150000/- |

vuqyXud-XII

## lxBuk dh jkT;&okj lph ftUgksu o"k 2014&15 d nkjku jk"Vªh; efgyk vk;kx }kjk çk;kftr jk"Vªh; @ {k= @ jkT; Lrjh; lxkf"B;k dk vk;ktu fd;k

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu dk uke ,o irk | lxk"Bh @ dk;'kkyk | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| | **vk/k çns'k** | | |
| 1. | सी.वी. रमन शिक्षा सोसायटी, आंध्र प्रदेश | 'दलित महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और उनका सशक्तीकरण' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 2. | नव कैपीटल भारत रूरल एण्ड एजूकेशन सोसायटी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश | 'महिला सशक्तीकरण' विषय पर क्षेत्रीय संगोष्ठी | ₹ 2,00,000/- |
| 3. | सोसायटी फॉर कम्यूनिटी एक्शन नेटवर्क, आंध्र प्रदेश | 'प्रजनन और स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 4. | आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग, आंध्र प्रदेश | 'भारत में देवदासियों की स्थिति' विषय पर परामर्श बैठक | ₹ 3,00,038/- |
| 5. | मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय | 'भारतीय मुस्लिम महिलाओं को मुख्याधारा से जोड़ना – आगे की राह' विषय पर परामर्श बैठक | ₹ 72,630/- |
| 6. | आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग, आंध्र प्रदेश | भारतीय मुस्लिम महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ना – आगे की राह' विषय पर परामर्श बैठक | ₹ 49,200/- |
| | **fcgkj** | | |
| 7. | जागृति जनकल्याण समिति, भागलपुर, बिहार | 'घरेलू हिंसा' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 8. | रामेश्वरम, मधुबनी, बिहार | 'कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 9. | इलाश्री सेवा संस्थान, बिहार | 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' विषय पर राष्ट्र–स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 3,00,000/- |
| | **NÙkhlx<** | | |
| 10. | एवीएस(अंबिकापुर विकास समिति), जिला सुरगुजा, छत्तीसगढ़ | 'बलात्कार / अवैध व्यापार' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |

| Ø-l- | xj&l jdkjh lxBu dk uke ,o irk | lxk"Bh @ dk;'kkyk | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| | fnYyh | | |
| 11. | हील इण्डिया, नई दिल्ली | 'महिलाओं के विरुद्ध छेड़छाड़ पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा' विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 3,00,000/- |
| 12. | ऑल इण्डिया शिक्षा एवं विकास एसोसिएशन, द्वारिका, नई दिल्ली | 'घटता हुआ लिंग अनुपात' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 13. | जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, | 'महिलाएं और संपत्तिं से संबंधित कानून, परिवारों में सुरक्षा' विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 3,00,000/- |
| 14. | राष्ट्रीय बधिर एसोसिएशन, नई दिल्ली, | 'बधिर महिलाओं का संरक्षण, संचार एवं प्रौद्योगिकी' विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 3,68,000/- |
| 15. | राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली | 'साइबर अपराधों से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के तरीके और साधन' पर परामर्श बैठक | ₹ 2,25,989/- |
| 16. | समाज कल्याण एवं अनुसंधान एसोसिएशन, नई दिल्ली | 'घरेलू हिंसा' विषय पर राज्य स्तररीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 17. | राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना फाउण्डेशन, नई दिल्ली | 'शांति और सद्भावना का संवर्धन : अल्पसंख्यक महिलाओं का बहिष्कार–चुनौतियां एवं उपचार' विषय पर परामर्श बैठक | ₹ 1,87,606/- |
| 18. | जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, | 'अल्पसंख्यक महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, चुनौतियां एवं उपचार : सिख और जैन समुदाय की महिलाओं का व्यापक अध्ययन' विषय पर कार्यशाला | ₹ 83,375/- |
| 19. | समर्थयम वीमेन विद डिसेबिलिटीज फॉरम, नई दिल्ली | 'विकलांग महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे' विषय पर परामर्श बैठक | ₹ 18,723/- |
| 20. | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली | 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और महिला सशक्तीकरण' विषय पर परामर्श बैठक | ₹ 2,50,796/- |
| 21. | महिला एवं बाल विकास, विकास मंत्रालय और भारतीय औद्योगिक परिसंघ | 'महिलाओं के वातावरण का सृजन और सशक्तीकरण' विषय पर परामर्श बैठक | ₹ 36,340/- |

| Ø-l- | xj&l jdkjh lxBu dk uke ,o irk | lxk"Bh @ dk;'kkyk | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 22. | सामाजिक विकास फाउण्डेशन, नई दिल्ली | 'हाथों से सफाई करने के काम से जुड़ी सर्वाधिक उपेक्षित महिलाओं की आवाज को सुनना' विषय पर सम्मेलन | ₹ 2,10,125/- |
| | **fgekpy çn'k** | | |
| 23. | हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग,शिमला | 'पर्वतीय क्षेत्र में महिलाएं और विकास : मुद्दे एवं सरोकार' विषय पर क्षेत्रीय संगोष्ठी | ₹ 2,60,800/- |
| | **>kj[k.M** | | |
| 24. | भारतीय लोक कल्याण संस्थान, रांची, झारखण्ड | 'महिलाओं और लड़कियों का अवैध व्यापार' विषय पर जन सुनवाई | ₹ 20,000/- |
| 25. | भारतीय लोक कल्याण संस्थान, रांची, झारखण्ड | 'चुड़ैल हत्या' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी जन प्रचार माध्यमों में महिलाओं का चित्रण | ₹ 1,00,000/- |
| | **dukVd** | | |
| 26. | क्रांति वेलफेयर एसोसिएशन, जिला तुमकर, कर्नाटक | केंद्रीय बोर्ड की नारीवादी भूमिका' विषय पर क्षेत्र स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 2,00,000/- |
| 27. | बालाजी ग्रामीण विकास सोसायटी, कर्नाटक | 'भूमिहीनों का सशक्तीकरण' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 28. | विशाल वरियाह ग्रामीण विकास सोसायटी, चिकबल्लासपुर, कर्नाटक | 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के बारे में जन जागरूकता' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 29. | गायत्री ग्रामीण विकास सोसायटी, कर्नाटक | 'एकल महिलाओं की स्थिति' विषय पर क्षेत्र स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 2,00,000/- |
| | **egkjk"V** | | |
| 30. | श्री राजा श्री छत्रपति शिक्षण प्रसारक मण्डल, नान्देड, महाराष्ट्र | 'बाल विवाह निषेध' विषय पर क्षेत्र स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 2,00,000/- |
| 31. | गंगा देवी संस्था, अमरावती, महाराष्ट्र | 'बाल विवाह और इसके प्रभाव' विषय पर राज्य् स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| | **vkfM'kk** | | |
| 32. | वॉलिएन्टरी एजेंसीफॉर सोशल एक्शन (वीएएसए), भुवनेश्वर, ओडिशा | 'महिलाओं पर अत्याचार का निवारण' विषय पर राज्य स्त्री संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |

| Ø-l- | xj&l jdkjh lxBu dk uke ,o irk | lxk"Bh @ dk;'kkyk | lLoh Ñr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 33. | बिलग वेलफेयर एसोसिएशन, ओडिशा | 'नरला, ओडिशा में अनुसूचित जाति, अनुसचित जनजाति की महिलाओं के विरुद्ध हिंसा' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| | jkt LFkku | | |
| 34. | उदय संस्थान, बुनाली, राजस्थान | 'महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध' विषय पर राष्ट्रीय परामर्श | ₹ 3,00,000/- |
| 35. | श्री राम जन कल्याण विकास समिति, कोटा, राजस्थान | 'सामाजिक संघटन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी के माध्यम से व्यवसायिक यौन शोषण' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 36. | श्रीमती हेलेन्दा कौशिक महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झुंझुनू, राज. | 'कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं सशक्तीकरण' विषय पर राष्ट्र स्त्री संगोष्ठी | ₹ 3,00,000/- |
| 37. | त्रि संस्थान सुन्दरी, सवाई माधेपुर, राजस्थान | 'जेंडर हिंसा और प्रजनन प्रणाली सहित महिलाओं के जीवन चक्र पर इसका प्रभाव' विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 3,00,000/- |
| 38. | रामेश्वर मधु विकास संस्थान, बूंदी, राजस्थान | 'सामाजिक संघटन और स्थानीय महिलाओं की भागीदारी के माध्यम से व्यवसायिक यौन शोषण' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| | rfeyukM | | |
| 39. | वैकल्पिक ग्रामीण रोजगार केंद्र, तमिलनाडु | 'महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा और अत्याचार' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 40. | शिक्षा एवं ग्रामीण विकास सोसायटी, जिला वल्लूपुरम, तमिलनाडु | 'वैवाहिक संपति का अधिकार' विषय पर राज्य स्तंरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 41. | ग्रेमियम, तमिलनाडु | 'दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तीकरण' विषय पर राज्य स्तरीय सं. | ₹ 1,00,000/- |
| 42. | महिला अध्यध्यन विभाग, भरतियार विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु | भारत में 'वैवाहिक संपत्ति का अधिकार' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी | ₹ 3,00,000/- |
| | mÙkjk[k.M | | |
| 43. | महर्षि योगीराज कल्याण समिति, उत्तराखण्ड | 'उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति की महिलाओं में निरक्षरता' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |

| Ø-l- | xSj&ljdkjh laxBu dk uke ,oa irk | laxks"Bh @ dk;Z'kkyk | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 44. | मानव सेवा समिति, नैनीताल, उत्तराखण्ड | 'पुरुषों में अधिक शराब पीने की लत के कारण महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी' | ₹ 1,00,000/- |
| 45. | उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड | 'पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्त्किरण' विषय पर राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 3,00,000/- |
| | mÙkj çns'k | | |
| 46. | नेहरू युवा मण्डल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश | 'कन्या भ्रूण हत्या एवम लिंग अनुपात' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 47. | सांस्कृतिक सामाजिक समिति, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश | राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 48. | बंधन फाउण्डेशन, उत्तर प्रदेश | राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 49. | लक्ष्यसेवा संस्थांन, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश | 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 50. | आर.बी. मेमोरियल, उत्तर प्रदेश | 'यौन व्यापार और बलात्कार' विषय पर राज्य. स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 51. | बंधन फाउण्ड्शन, उत्तर प्रदेश | 'पंचायती राज में महिलाएं' विषय पर राज्यं स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 52. | आगरा जन कल्याणसेवा समिति, आगरा, उत्तर प्रदेश | 'गांवों में दहेज से संबंधित समस्याएं' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| | if'pe caxky | | |
| 53. | सिलीगुडियल बोधी भारती वोकेशनल इस्टीट्यूट, पश्चिम बंगाल | 'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और जेंडर आधारित हिंसा' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |
| 54. | चाइल्ड इन नील इस्टीट्यूट (सिनी), दौलतपुर, पश्चिम बंगाल | 'अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए लड़कियों का क्षमता निर्माण और सशक्तीकरण' विषय पर परामर्श | ₹ 3,00,000/- |
| 55. | एकला चलो–एन ऑर्गनाइजेशन फॉर अर्बन एण्ड रूरल डवलपमेंट, पश्चिम बंगाल | 'बलात्कार से संबंधित कानून महिलाओं' विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी | ₹ 1,00,000/- |

vuyXud-XIII

## o"k 2014&15 d nkjku jk"Vh; efgyk vk;kx }kjk çk;kftr vuqla/kku @ v/;;u

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu @ lLFkk dk uke | fo"k; | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 1. | विजया, भुवनेश्वर, ओडिशा | "अगम्यों तक पहुंच – ओडिशा में जेल में सजा काट रही महिलाओं के बच्चों की स्थिति" विषय पर अध्ययन | ₹ 2,44,650/- |
| 2. | इण्डियन सोसायटी फॉर एप्लाइड रिसर्च एण्ड डवलपमेंट, नई दिल्ली | "झबुआ जिला (मध्य प्रदेश) और बांसवाड़ा जिला (राजस्थान) में महिला मुखिया वाले जनजातीय वंचित एवं छोटे किसान परिवारों के सशक्तीकरण के लिए उचित कार्यनीति अभिनिर्धारित करने के लिए उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति – एक तुलनात्मक अध्ययन" विषय पर अनुसंधान अध्ययन | ₹ 3,03,450/- |
| 3. | कार्वे समाज सेवा संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र | "जेंडर आधारित हिंसा के निवारण में पंचायती राज संस्थाओं की चुनी गई महिला प्रतिनिधियों द्वारा निभाई जा रही भूमिका की जांच करना : पश्चिमी महाराष्ट्र की दशा" विषय पर अनुसंधान अध्ययन | ₹ 3,67,500/- |
| 4. | भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली | "कार्य स्थल पर महिलाओं के सामने आ रहीं बाधाएं : दिल्ली क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का एक विश्लेषण" विषय पर अध्ययन | ₹ 3,21,300/- |
| 5. | स्कूल ऑफ कम्यूनिकेशन, मनीपाल, कर्नाटक | "कर्नाटक में महिला इलैक्ट्रोनिक मीडिया पत्रकारों की स्थिति" विषय पर अध्ययन | ₹ 2,41,290/- |
| 6. | थेन्ड्रोल मूवमेंट, वैल्लोर, तमिलनाडु | "वैल्लोर जिला पर विशेष संदर्भ के साथ तमिलनाडु में कृषि और इससे संबंधित कार्यकलापों में संलग्न महिलाओं की स्थिति" विषय पर अध्ययन | ₹ 2,98,200/- |

| Ø- l- | xj& l jdkjh lxBu @ lLFkk dk uke | fo"k; | lLoh Ñr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 7. | अकेडमी ऑफ ग्रासरूट्स स्टडीज एण्ड रिसर्च ऑफ इण्डिया, तिरुपति, आंध्र प्रदेश | "ग्रामीण आंध्र प्रदेश में मदिरापान के कारण महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि : चित्तूर जिले का मामला अध्ययन" विषय पर अध्ययन | ₹ 3,86,925/- |
| 8. | अर्थशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय कालेज, तिरुवनन्तपुरम, केरल | "घरेलू हिंसा पर भूमि अधिकारों, सामुदायिक पहलों और अवसरों का प्रभाव" विषय पर अध्ययन | ₹ 1,93,200/- |
| 9. | साहस (ब्रदरहुड अपलिफ्टिंग सीवाईडब्ल्यूओ), शिमला, हिमाचल प्रदेश | "हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के भूमि अधिकार : हिमाचल प्रदेश में प्रभाव और चुनौतियां" विषय पर अध्ययन | ₹ 2,81,400/- |
| 10. | भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी कालेज (एएससीआई), बेल्ला वासा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश | "ओडिशा राज्य में महिलाओं और लड़कियों का परिस्थितिकीय विश्लेषण" विषय पर अध्ययन | ₹ 6,81,590/- |
| 11. | आर्थिक विकास मानीटरी संस्थान (आईएमईजी), तिरुवनन्तपुरम, केरल | "वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए केरल में महिलाओं के भूमि अधिकार" विषय पर अध्ययन | ₹ 2,74,050/- |
| 12. | महिला अध्ययन विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय, चेपक, चैन्नई | "देवदासियों और इससे जुड़ी कुरीतियों के रूप में महिलाओं का शोषण" विषय पर अध्ययन | ₹ 7,02,900/- |
| 13. | ज्ञानोदय फाउण्डेशन, मधुबनी, बिहार | "बिहार में घरेलू हिंसा की पीडितों को सान्त्वना देने में संरक्षण अधिकारियों की भूमिका" विषय पर अध्ययन | ₹ 3,40,200/- |

## o"kZ 2014&15 ds nkSjku jk"Vªh; efgyk vk;ksx }kjk çk;ksftr dkuwuh tkx:drk dk;ZØe ¼,y,ih½ vk;ksftr djus okys xSj&ljdkjh laxBuksa dh lwph

| Ø-la- | xSj&ljdkjh laxBu @ laxBuksa @ laLFkkuksa dk uke vkSj irk | tkx#drk fodkl dk;ZØeksa dh la[;k@ egRo okys {ks= rFkk vk;kstu LFky | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| | vkU/kz çns'k | | |
| 1. | एल मदीना मुस्लिम एजूकेशन एण्ड् कल्चरल एसोसिएशन, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर गुन्टूर, आंध्र प्रदेश में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 150000/- |
| 2. | प्रेमचंद शिक्षा एवं विकास सोसायटी, ओंगोले, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर ओंगेले, आंध्र प्रदेश में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| 3. | मदर सोसायटी (मिरेकल ऑर्गनाइजेशन टूवर्ड्स हैल्थ एण्ड एजूकेशनल रेमेडियल सोसायटी), कुरनूल, आंध्र प्रदेश | "बलात्कार निवारण पर महिलाएं" विषय पर कुरनूल, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 4. | भारतीय सेवा समिति, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर गुन्टूर, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 5. | वैंकटेश्वरा महिला मण्डल, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर गुन्टूर, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 6. | पीपल्स एजूकेशन एण्ड अवेयरनैस सर्विस सोसायटी, रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश | "बलात्कार निवारण" विषय पर रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 7. | भारतीय सोशल सेवा, वारंगल, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर वारंगल, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 8. | जगन माता महिला संगम, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 9. | सोसायटी फॉर हैल्था अवेयरनैस एण्ड रूरल इनलाइटमेंट (शेयर), खम्माम, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर खम्माम, आंध्र प्रदेश में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 150000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu @ lxBuk @ lLFkkuk dk uke vkj irk | tkx#drk fodkl dk;Øe dh l[;k@ egRo oky {k= rFkk vk;kstu LFky | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 10. | सोसायटी फॉर टैक्नीकल एण्ड इनवायरमेंटल मूवमेंट (स्टेम), अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर अनंतपुरम, आंध्र प्रदेश में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 150000/- |
| 11. | विवेकानन्द युवजन समिति, कुरनूल, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर कुरनूल, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 12. | श्री भुवनेश्वरी महिला मण्डली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश | "महिलाओं के साथ हिंसा" विषय पर चित्तूर, आंध्र प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **fcgkj** | | |
| 13. | आदर्श सेवा संस्थान, समस्तीपुर, बिहार | "अल्पसंख्याक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर समस्तीपुर, बिहार में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 14. | राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद, श्योहर, बिहार | "अल्पसंख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर श्योहर, बिहार में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 150000/- |
| 15. | मानव विकास कल्याण एवं देखरेख संस्थान, सारन, बिहार | "अल्पसंख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर सारन, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| 16. | जीवन ज्योति संस्थान, पटना, बिहार | "अल्पसंख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर पटना, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| 17. | अनुग्रह नरायन शिक्षा सोसायटी, सारन, बिहार | महिलाओं के लिए सारन, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| 18. | सीता महिला विकास प्रशिक्षण संस्थान, छपरा, बिहार | "अल्पसंख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर छपरा, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| 19. | बुद्ध प्रदूषण नियत्रण एवं समाज कल्याण विकास, गया, बिहार | "अल्पसंख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर गया, बिहार में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 150000/- |
| 20. | साहिबा, कटिहार, बिहार | "घरेलू हिंसा" विषय पर कटिहार, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu @ lxBuk @ lLFkkuk dk uke vkj irk | tkx#drk fodkl dk;Øe dh l[;k@ egRo oky {k= rFkk vk;kstu LFky | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 21. | ओम महारूपी, मधुबनी, बिहार | "अल्पसंख्यक समुदायों में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" विषय पर मधुबनी, बिहार में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| | **NÙkh lx<** | | |
| 22. | अरीना शिक्षण एवं जनकल्याण समिति, दुर्ग, छत्तीसगढ | "महिलाओं का संपत्तिं का अधिकार" विषय पर बिलासपुर, छत्तीसगढ में छह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 300000/- |
| 23. | श्रृष्टि जन कल्यानण सांस्कृतिक समिति, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ | "महिलाओं का वैवाहिक संपत्तिं का अधिकार" विषय पर बिलासपुर, छत्तीसगढ में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 250000/- |
| 24. | सर्वहारा लोक कल्याण समिति, महासमुन्द, छत्तीसगढ़ | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर महासमुन्द, छत्तीसगढ में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 25. | सुरगुजा कल्याणकारी सेवा समिति, बलरामपुर, छत्तीसगढ़ | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर बलरामपुर, छत्तीसगढ में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| | **fnYyh** | | |
| 26. | हरि श्री, दिल्ली | "कानूनी अधिकार" विषय पर नई दिल्ली में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **xqtjkr** | | |
| 27. | नवचेतन सार्वजनिक ट्रस्ट, साबरकांठा, गुजरात | "बलात्कार निवारण" विषय पर साबरकांठा, गुजरात में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 28. | ध्रुव धर्मार्थ न्यास, अहमदाबाद, गुजरात | "बलात्कार निवारण" विषय पर अहमदाबाद, गुजरात में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **gfj;k.kk** | | |
| 29. | श्री कृष्णा शिक्षा समिति, पलवल, | "ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न मुफ्त कानूनी सेवाएं" विषय पर पलवल, हरियाणा में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 30. | परिवर्तन, जींद, हरियाणा | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर जींद, हरियाणा में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu @ lxBuk @ lLFkkuk dk uke vkj irk | tkx#drk fodkl dk;Øek dh l[;k@ egRo oky {k= rFkk vk;kstu LFky | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 31. | चौ. सुरेन्दर सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स वेलफेयर अकादमी, भिवानी, हरियाणा | "महिलाओं को मुद्दे" विषय पर भिवानी, हरियाणा में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| | >kj[k.M | | |
| 32. | समाज सेवा ट्रस्ट, देवघर, झारखण्ड | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर देवघर, झारखण्ड में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 33. | हैरिटेज एजूकेशनल सोसायटी, रांची, झारखण्ड | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर रांची, झारखण्ड में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| 34. | खादी ग्रामोद्योग कला निकेतन, बोकारो, झारखण्ड | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर बोकारो, झारखण्ड में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | dukVd | | |
| 35. | आदर्श ग्रामीण एवं शैक्षणिक विकास सोसायटी, चिकबल्लापुर, कर्नाटक | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर चिकबल्लापुर, कर्नाटक में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 150000/- |
| 36. | प्रियदर्शनी समस्थे, हसन, कर्नाटक | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर हसन, कर्नाटक में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | e/; çn'k | | |
| 37. | प्रगति युवा विकास केंद्र, लवकुश नगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश | "महिला हिंसा" विषय पर छतरपुर, मध्य प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 38. | दया कृष्ण समाज कल्याण समिति, ग्वालियर, मध्य प्रदेश | "लिंग अनुपात और मादा भ्रूण हत्या" विषय पर ग्वालियर, मध्य प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 39. | द मदर टेरेसा मेमोरियल महिला एवं बाल उत्थान समिति, ग्वालियर,म. प्रदेश | "महिलाएं और लड़कियां" विषय पर ग्वालियर, मध्य" प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 40. | एक्टिव इन्स्टीट्यूट महिला मण्डल, भिण्ड, मध्य प्रदेश | "महिला के प्रति हिंसा" विषय पर भिण्ड, मध्य प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| | egkjk"V | | |
| 41. | श्री चन्दन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर नागपुर, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 42. | संकल्प साधना, अकोला, महाराष्ट्र | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर अकोला, महाराष्ट्र में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu @ lxBuk @ lLFkkuk dk uke vkj irk | tkx#drk fodkl dk;Øe dh l[;k@ egRo okyk {k= rFkk vk;ktu LFky | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| | **vkfM'kk** | | |
| 43. | ग्राम राज्य स्थापन समिति, नौपाडा, ओडिशा | "महिलाओं और लड़कियों के अधिकार" विषय पर नौपाडा, ओडिशा में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 150000/- |
| 44. | नारी मंगल महिला समिति, पुरी, ओडिशा | "महिलाओं के मुद्दे" विषय पर पुरी, ओडिशा में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 45. | सोसायटी फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट एण्ड रूरल एजूकेशन (शेयर), धेंकनाल, ओडिशा | "महिलाओं के कानूनी मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर धेंकनाल, ओडिशा में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 46. | उन्नयन, पुरी, ओडिशा | "महिलाओं के मुद्दे" विषय पर पुरी, ओडिशा में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **itkc** | | |
| 47. | महिला कल्याण समिति, मानसा, पंजाब | "महिलाओं के कानूनी अधिकार, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के मुद्दे" विषय पर मानसा, पंजाब में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 48. | डा. अम्बेडकर नगर वेलफेयर सोसायटी, लुधियाना, पंजाब | "महिलाओं के कानूनी अधिकार" विषय पर लुधियाना, पंजाब में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| | **jktLFkku** | | |
| 49. | राष्ट्रीय ग्राम्य व समाज कल्यांण समिति, भरतपुर, राजस्थान | "महिलाओं के कानूनी अधिकार" विषय पर भरतपुर, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 50. | मॉ सरस्वती शिक्षण संस्थान, धौलपुर, राजस्थान | "जनजातीय महिलाओं के कानूनी अधिकार" विषय पर धौलपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 51. | गांधी स्मृति संस्थान, राजसमन्द, राजस्थान | "महिलाओं के कानूनी अधिकारो" पर राजसमन्द, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 52. | रामदास विकास संस्थान, दौसा, राजस्थान | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर दौसा, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu @ lxBuk @ lLFkkuk dk uke vkj irk | tkx#drk fodkl dk;Øe dh l[;k@ egRo oky {k= rFkk vk;kstu LFky | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 53. | संस्कार सेवा संस्थान, बैरट, राजस्थान | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर बैरट, राजस्थाान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 54. | कोर फॉर रूरल इम्लॉायमेंट एडवांसमेंट टैक्नोलोजी एजूकेशन सोसायटी, जयपुर, राजस्थान | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर जयपुर, राजस्थान में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 55. | गांधी स्मृति संस्थान, राजसमन्द, राजस्थान | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर राजसमन्द, राजस्थान में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| | **rfeyukM** | | |
| 56. | डवलपमेंट ऑफ रूरल एजूकेशन एग्रीकल्चर एण्ड मल्टीपरपज सर्विस ट्रस्ट (ड्रीम ट्रस्ट) डिन्डी्गुल, तमिलनाडू | "महिलाएं और लड़कियां" विषय पर डिन्डीगुल, तमिलनाडु में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| 57. | वनाविल सोशल वेलफेयर डवलपमेंट ट्रस्ट , तिरुवरूर, तमिलनाडु | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर तिरुवरूर, तमिलनाडु में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 58. | अन्नई थेरसा सोशल डवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, त्रिची, तमिलनाडु | "महिलाएं और लड़कियां" विषय पर त्रिची, तमिलनाडु में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 59. | ऑल वीमेन एण्ड् रूरल डवलपमेंट सोसायटी (अवार्ड्स), तिरुवल्लूर, तमिलनाडु | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर तिरुवल्लूर, तमिलनाडु में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| 60. | रूरल इनवायरमेंट अवेयरनैस लीगल एण्ड डवलपमेंट सोसायटी, थेनी, तमिलनाडू | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर थेनी, तमिलनाडु में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 500000/- |
| 61. | पीपल्स मूवमेंट फॉर डवलपमेंट, रामनाथपुरम, तमिलनाडु | "महिलाएं और लड़कियां" विषय पर रामनाथपुरम, तमिलनाडु में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **f=ijk** | | |
| 63. | गोलाघाटी वेलफेयर सोसायटी, पश्चिमी त्रिपुरा, त्रिपुरा | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर पश्चिमी त्रिपुरा, त्रिपुरा में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 300000/- |
| | **mÙkj çn'k** | | |
| 64. | अलंकार वीमेन एण्ड चाइल्ड कैरियर एजूकेशन इन्टीट्यूट वेलफेयर सोसायटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 150000/- |

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu @ lxBuk @ lLFkkuk dk uke vkj irk | tkx#drk fodkl dk;Øek dh l[;k@ egRo oky {k= rFkk vk;ktu LFky | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 65. | संघर्षोत्थान, हाथरस, उत्तर प्रदेश | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर हाथरस, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 53 | श्री राधा कृष्ण सेवा समिति, मथुरा, उत्तर प्रदेश | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर मथुरा, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 66. | महिला एवं बाल कल्याण संस्थान, सीतापुर, उत्तर प्रदेश | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 67. | महिला शिक्षण समिति, कासगंज, उत्तर प्रदेश | "महिला श्रमिक" विषय पर कासगंज, उत्तर प्रदेश में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| 68. | निर्बल विकास परिषद, बरेली, उत्तर प्रदेश | ग्रामीण क्षेत्र, बरेली, उत्तर प्रदेश दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 69. | स्टार ग्रामद्योग सेवा संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश | "महिलाओं के अधिकार" विषय पर कानपुर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 70. | जन जागरूकता उत्थान कल्याण समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | "महिलाएं" विषय पर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| 71. | नवदीप सामाजिक विकास संस्थाए, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश | "महिलाएं और हिंसा" विषय पर बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 72. | आगरा ग्रामीण विकास एसोसिएशन, आगरा, उत्तर प्रदेश | "कार्य स्थल पर महिलाएं" विषय पर आगरा, उत्तर प्रदेश में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| | **mÙkjk[k.M** | | |
| 73. | नागबूमि चेतना समिति, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड | "महिलाओं के अधिकारों" पर पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 50000/- |
| 74. | आश्रम ट्रस्ट, पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड | "महिलाएं और लड़कियां" विषय पर पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 200000/- |
| | **if'pe cxky** | | |
| 75. | अग्रदूत पॉली उन्नंयन समिति, हावड़ा, पश्चिंम बंगाल | "जेंडर और हिंसा – दार्जिलिंग की पहाडियों में अवैध व्यापार निवारण" विषय पर हावड़ा, पश्चिम बंगाल में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |
| 76. | हरिपुर डा. अम्बेडकर जनसेवा मिशन, मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल | "महिला सशक्तीकरण" विषय पर मुर्शीदाबाद, पश्चिम बंगाल में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 150000/- |
| 77. | मकरामपुर मनीशा युवा कल्याण संघ, मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल | "ग्रामीण महिलाएं" विषय पर मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम | ₹ 100000/- |

vuyXud-xv

## o"k 2014&15 d nkjku jk"Vªh; efgyk vk;kx }kjk çk;kftr ikfjokfjd efgyk ykd vnkyr ¼ih,e,y,½ dk vk;kstu djus oky xj&ljdkjh lxBuksa dh jkT;&okj lph

| Ø-l- | xj&ljdkjh lxBu @lxBu @ lLFkku dk uke ,oa irk | ikfjokfjd efgyk ykd vnkyrksa dh l[;k | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| | mÙkj çn'k | | |
| 1 | ग्रामीण शिक्षा एवं विकास समिति, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | चार पारिवारिक महिला लोक अदालतें | ₹ 120000/- |

vuqyXud-XVI

# o"kZ 2014&15 ds nkSjku jk"Vªh; efgyk vk;ksx }kjk iznÙk fd, x, vuqeksfnr vuqla/kku @ v/;;uksa dh lwph

| Ø-l- | xSj&ljdkjh laxBu dk uke | fo"k; | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 1. | सृजन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश | लखनऊ और इसके आस–पास के बाराबंकी, सीतापुर एवं उन्नाव जिलों में प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित हस्ताशिल्प महिला कारीगरों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन और मूल्यांकन | ₹ 2,36,250/- |
| 2. | साहस ब्रदरहुड अपलिफ्टिंग सीवाईडब्ल्यूओ, शिमला, हिमाचल प्रदेश | मादा भ्रूण हत्या के लिए उत्तरदायी कारकों की जमीनी हकीकत पर ध्यान केंद्रित करना हिमाचल प्रदेश | ₹ 3,53,850/- |
| 3. | पूर्वोत्तर अध्ययन केंद्र (एमएमएजे अंतरराष्ट्रीय अध्ययन अकादमी), मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, जामिया इस्लामिया, नई दिल्ली | पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं के सामने भेदभाव और चुनौतियां का अध्ययन : नई दिल्ली , मुम्बई, कोलकाता, बैंगलुरु चार महानगरों की दशा का अध्ययन | ₹ 3,13,868/- |
| 4. | विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली | तेजाब हमला : भारत में महिलाओं के विरुद्ध तेजाब हमलों के निहित कारणों और राज्य् के प्रत्युत्तर की प्रकृति का अध्ययन | ₹ 1,60,000/- |
| 5. | सदर्न इण्डिया एजूकेशन ट्रस्ट, चैन्नई, तमिलनाडु | भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के खतरे को नियंत्रित करने के तरीकों का अध्ययन | ₹ 3,33,900/- |
| 6. | सामाजिक अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली | प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 के कारगर क्रियान्वयन का विश्लेषण पर अध्ययन | ₹ 3,79,500/- |
| 7. | अखिल भारतीय शांति और आपदा प्रबंधन फाउण्डेशन, नई दिल्ली | दिल्ली में निम्न आय वर्ग के महिला समूहों की सामुदायिक स्तर पर संवेदनशीलता का मूल्यांकन पर अध्ययन | ₹ 3,64,350/- |
| 8. | आर.वी. इंजीनियरिंग कालेज, कर्नाटक | कर्नाटक में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही महिला कल्याण की स्कीमों की प्रभावशीलता का अध्ययन | ₹ 2,55,150/- |

| Ø-l- | xSj&ljdkjh laxBu dk uke | fo"k; | lLohÑr jkf'k |
|---|---|---|---|
| 9. | अभिव्यक्ति फाउण्डेशन, नई दिल्ली | अल्पसंख्यक महिलाओं पर विशेष ध्यान के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिलाओं का गहन विश्लेषण संबंधी अध्ययन | ₹ 1,96,950/- |
| 10. | एक्टिविस्ट्स ऑफ वॉलिएन्टरी एक्शन फॉर डवलपमेंट ऑफ ह्यूमेनिटी, उत्तर प्रदेश | लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर और उन्नाव में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का अध्ययन | ₹ 1,93,200/- |
| 11. | सेवा यतन जीवो कल्याण संस्थान, जयपुर, राजस्थान | अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में महिला गर्भनिरोधकों की उपलब्धता, पहुंच और उपयोग पर अनुसंधान अध्ययन | ₹ 2,43,600/- |
| 12. | डा. ऊषा टण्डन, सह–आचार्य विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली | उत्तरी भारत में सम्मान के लिए हत्या के सामाजिक–कानूनी पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन : खाप पंचायतों और समान गोत्र में विवाह के विशेष संदर्भ में अनुभवजन्यं अध्ययन | ₹ 2,40,240/- |
| 13. | सेंटर ऑफ स्टडी वैल्यू, उदयपुर, राजस्थान | दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़ प्रांत में हस्तशिल्प के क्षेत्र में महिला श्रमिकों की स्थिति पर अनुसंधान अध्ययन | ₹ 2,28,900/- |
| 14. | जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली | खाप पंचायतों, गैर–कानूनी न्यायालयों और शालिशी न्यायालयों पर अनुसंधान अध्ययन | ₹ 3,61,008/- |

v/;k;&10

# okf"kd ys[k 2014&15

## NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

## BALANCE SHEET (NON PROFIT ORGANISATION) AS AT 31ST MARCH,2015

(Amount in ₹ )

| CAPITAL FUND AND LIABILITIES | SCHEDULE | CURRENT YEAR Plan | CURRENT YEAR Non-Plan | CURRENT YEAR Total | PREVIOUS YEAR Plan | PREVIOUS YEAR Non-Plan | PREVIOUS YEAR Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Fund | 1 | 22,45,38,839.00 | 38,79,540.00 | 22,84,18,379.00 | 6,58,52,325.00 | - | 6,58,52,325.00 |
| Reserves and Surplus | 2 | - | - | - | 1,79,24,242.00 | 75,65,145.00 | 2,54,89,387.00 |
| Earmarked/Endowment Fund | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Secured Loans and Borrowings | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Unsecured Loan and Borrowings | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Defered Credit Liabilities | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Current Liabilities and Provisions | 7 | 3,76,89,814.00 | 16,86,007.00 | 3,93,75,821.00 | 3,78,15,619.00 | 1,09,565.00 | 3,79,25,184.00 |
| | | 26,22,28,653.00 | 55,65,547.00 | 26,77,94,200.00 | 12,15,92,186.00 | 76,74,710.00 | 12,92,66,896.00 |
| **ASSETS** | | | | | | | |
| Fixed Assets | 8 | 2,17,98,662.00 | - | 2,17,98,662.00 | 2,02,45,071.00 | - | 2,02,45,071.00 |
| Investment -From Earmarked/Endowment Funds | 9 | | | | | | - |
| Inverstment -Others | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Current Assets, Loans & Advances | 11 | 24,57,93,213.00 | 2,02,325.00 | 24,59,95,538.00 | 10,67,12,158.00 | 23,09,667.00 | 10,90,21,825.00 |
| Miscellaneous Expenditure | | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | | 26,75,91,875.00 | 2,02,325.00 | 26,77,94,200.00 | 12,69,57,229.00 | 23,09,667.00 | 12,92,66,896.00 |
| Significant Accounting Policies | 24 | | | | | | |
| Contingent Liabilities and Notes of Accounts | 25 | | | | | | |

Pay & Accounts Officer

राजेश कुमार आहूजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women

Sarada Ali Khan

MEMBER SECRETARY

(शारदा अली खाँ)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

## NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

## INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT ( NON - PROFIT ORGANISATIONS)
## FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(Amount in ₹ )

| INCOME | SCHEDULE | CURRENT YEAR | | PREVIOUS YEAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Income from Sales/Sevices | 12 | - | - | | - |
| Grants/ Subsidies | 13 | 21,78,74,796.00 | 4,79,40,000.00 | 12,85,52,411.00 | 4,85,00,000.00 |
| Fees/ Subscriptions | 14 | - | 10,898.00 | - | 4,363.00 |
| Income from Investment (Income on Invest. From Earmarked/ | 15 | - | - | - | |
| Endow. Funds transferred to Funds) | | - | - | - | - |
| Income from Royalty, Publication etc. | 16 | - | - | - | - |
| Interest Earned | 17 | 12,13,427.00 | 2,50,270.00 | 9,97,578.00 | 3,72,173.00 |
| Other Income | 18 | 35,51,373.00 | 5,96,474.00 | 46,91,435.00 | 3,400.00 |
| Increase/(Decrease) in stock of Finished goods | | - | - | - | - |
| Increasse/(decrease) in stock of Finished goods & works -in progı | 19 | - | - | | |
| Previous Year Adjustments Other Income(Depriciation charged on Building from 2008-09 to 2011-12) | | - | - | - | - |
| **TOTAL (A)** | | **22,26,39,596.00** | **4,87,97,642.00** | **13,42,41,424.00** | **4,88,79,936.00** |
| **EXPENDITURE** | | | | | |
| Establishment Expenses | 20 | 1,36,35,039.00 | 3,33,59,767.00 | 1,16,59,129.00 | 3,03,11,610.00 |
| Other Administrative Expenses etc. | 21 | 2,70,53,840.00 | 1,91,23,480.00 | 4,78,34,946.00 | 1,80,31,042.00 |
| Expenditure on Grants, Subsidies etc. | 22 | 3,94,44,036.00 | - | 4,64,06,602.00 | - |
| Interest | 23 | - | - | - | - |
| Depreciation (Net Total at the year end) | | 24,06,613.00 | - | 40,98,221.00 | - |
| Loss on sale of Fixed Assets | | - | | 35,544.00 | |
| **TOTAL (B)** | | **8,25,39,528.00** | **5,24,83,247.00** | **11,00,34,442.00** | **4,83,42,652.00** |
| **Balance Being excess of income over Expenditure (A-B)** | | **14,01,00,068.00** | **(36,85,605.00)** | **2,42,06,982.00** | **5,37,284.00** |
| Transfer to Special Reserve | | - | - | - | - |
| Transfer to/from General Reserve | | - | - | - | - |
| Balance Being suplus/(Deficit) carried to Corpus/Capital Fund | | **14,01,00,068.00** | **(36,85,605.00)** | **2,42,06,982.00** | **5,37,284.00** |

**Pay & Accounts Officer**
राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA

**MEMBER SECRETARY**
(शारदा अली खाँ)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

## NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

### RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT ( NON - PROFIT ORGANISATIONS)
### FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(Amount in ₹ )

| RECEIPTS | CURRENT YEAR | | PREVIOUS YEAR | | PAYMENTS | CURRENT YEAR | | PREVIOUS YEAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan | | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Opening Balances | | | | | | | | | |
| Cash in hand | - | - | | - | Establishment Expenses(Sch.-26) | 1,36,28,194.00 | 3,17,88,075.00 | 1,16,59,129.00 | 3,01,45,535.00 |
| Postage stamps in hand | | 29,479.00 | | 43,213.00 | | | | | |
| Bank Balance | 1,25,99,844.00 | 21,35,507.00 | 14,76,918.00 | 12,61,267.00 | | | | | |
| | | | | | Other Administrative Expenses (Schedule-27) P-38-39 | 17,40,40,322.00 | 1,79,93,827.00 | 7,23,15,915.00 | 1,78,99,095.00 |
| | | | | | Prior Period Expenditure | - | 11,50,832.00 | | |
| | | | | | Payment made against funds for various projects (Sch-28) | 3,74,36,213.00 | - | 3,69,35,696.00 | - |
| Grants Received | 22,73,99,674.00 | 4,85,15,574.00 | 13,00,00,000.00 | 4,85,00,000.00 | Remittance (Schedule-29) | - | 98,09,531.00 | - | 64,58,824.00 |
| Income on Investments | | | | | | | | | |
| Endow Funds | - | - | - | - | Security Deposit | - | 6,000.00 | - | - |
| Own Funds | - | - | - | - | Expenditure on Fixed Assets | 6,62,204.00 | - | 14,47,589.00 | - |
| Interest on Investment | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | Closing Balances | | | | |
| Interest Received | | | | | Cash in hand | - | | - | - |
| | | | | | Postage stamps in hand | | 35,115.00 | | 29,479.00 |
| Bank deposits | 12,13,427.00 | 2,50,270.00 | 9,97,578.00 | 3,72,173.00 | Bank Balances | 1,56,55,981.00 | 18,779.00 | 1,25,99,844.00 | 21,35,507.00 |
| Interest on HBA | - | - | - | - | | | | | |
| Loans & Advances | - | - | - | - | | | | | |
| Investment Encashed | - | - | - | - | | | | | |
| Interest on CPF | - | - | - | - | | | | | |
| Other Income | | | | | | | | | |
| RTI | - | 10,898.00 | - | 4,363.00 | | | | | |
| Miscellaneous Income | 2,01,405.00 | 20,900.00 | 58,15,035.00 | 28,600.00 | | | | | |
| Mis Income Prior period | 3,264.00 | | | | | | | | |
| Remittance (Schedule-29) | - | 98,09,531.00 | - | 64,58,824.00 | | | | | |
| Security Deposit | 5,300.00 | 30,000.00 | 1,000.00 | - | | | | | |
| | 24,14,22,914.00 | 6,08,02,159.00 | 13,82,90,531.00 | 5,66,68,440.00 | | 24,14,22,914.00 | 6,08,02,159.00 | 138290531.00 | 5,66,68,440.00 |

Pay & Accounts Officer
राजेश कुमार आहूजा/RAJESH KUMAR AHUJA
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

MEMBER SECRETARY
(शारदा अली खां)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

# NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

(Amount in ₹)

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| **SCHEDULE 1- CAPITAL FUND** | | | | |
| Balance as at the beginning of the year | 6,58,52,325.00 | | 6,44,04,736.00 | - |
| Add :- Transfer from Rserves & Surplus | 1,79,24,242.00 | 75,65,145.00 | - | - |
| Add/(Deduct) :- Balance of Net Income/(Expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account | 14,01,00,068.00 | (36,85,605.00) | - | - |
| Add: Adjustment Entry for Refund of TDS on Interest | - | - | - | - |
| Add: Rectify Entry for sale of Fixed Assets | | - | | - |
| Add: Addition of Capital Fund during the year | 6,62,204.00 | - | 14,47,589.00 | - |
| Less: Sale of Fixed Assets for the FY 2013-14 | | - | - | - |
| Less: Adjustment Entry for sale of Fixed Assets for the FY 20112-13 | | - | | - |
| Balance At at the Year End | **22,45,38,839** | **38,79,540.00** | **6,58,52,325.00** | **-** |
| **SCHEDULE 2- RESERVES & SURPLUS** | | | | |
| 1) ***Capital Reserve*** | | | | |
| As Per Last Account | 1,79,24,242.00 | 75,65,145.00 | (62,82,740.00) | 70,27,861.00 |
| Less : Trasfer to Capital fund Schedule 1 | (1,79,24,242.00) | (75,65,145.00) | | |
| | | | 2,42,06,982.00 | 5,37,284.00 |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **1,79,24,242.00** | **75,65,145.00** |

**Pay & Accounts Officer**

राजेश कुमार आहूजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg

Sarada Ali Khan

**MEMBER SECRETARY**

(शारदा अली खां)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(Amount in ₹ )

| | | Current Year Plan | Non-Plan | Previous Year Plan | Non-Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 3- EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS** | | | NIL | | |
| **SCHEDULE 4- SECURED LOANS AND BORROWINGS** | | | NIL | | |
| **SCHEDULE 5- UNSECURED LOANS AND BORROWINGS** | | | NIL | | |
| **SCHEDULE 6- DEFFERRED CREDIT LIABILITIES** | | | NIL | | |
| **SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS** | | | | | |
| ***CURRENT LIABILITIES*** | | | | | |
| Salary Payable for the month of March,2015 | | - | 13,50,584.00 | - | - |
| Security Deposit | | 96,289.00 | 1,33,565.00 | 90,989.00 | 1,09,565.00 |
| Advances to NGO Payable | A+B+C+D+E | 3,19,61,219.00 | - | 3,08,11,495.00 | - |
| Advances to NGO (NER) Payable | F+G+H | 56,32,306.00 | - | 69,13,135.00 | - |
| Remittance Payable for the month of March,2015 | | - | 2,01,858.00 | - | - |
| | | **3,76,89,814.00** | **16,86,007.00** | **3,78,15,619.00** | **1,09,565.00** |
| ***Special Study*** | (A) | **83,31,279.00** | | **76,70,701.00** | |
| Abhivyakti Foundation | | - | | 1,37,970.00 | |
| Abhiyan, Chattisgarh | | - | | 83,000.00 | |
| Academy of Grassroots Studies & Research-AP-SPST | | 2,32,155.00 | | - | |
| Activit of Voluntary Action for Development | | 38,640.00 | | 1,15,920.00 | |
| Administrative Staff College of India, Hydrabd Sp.S | | 4,08,954.00 | | - | |
| All India Foundation for Peace & Disaster Mang.Delh | | - | | 2,18,610.00 | |
| Anjneya Sewa Samitee Rajasth | | 1,34,190.00 | | 1,34,190.00 | |
| Association for Develp & Research (ADARAS). | | 1,35,000.00 | | 1,35,000.00 | |
| Astha Mahila Vikas Avam Paryavaran Kota | | 1,64,430.00 | | 1,64,430.00 | |
| Bomongram Resham Khadi Pratishan | | 1,42,380.00 | | 1,42,380.00 | |
| Center for Social Research, New Delhi | | 28,086.00 | | 28,086.00 | |
| Center for Women Studies | | 1,41,120.00 | | 1,41,120.00 | |
| Centre for Alternative Dalit Media(CADAM) Delhi | | 56,910.00 | | 1,70,730.00 | |
| Centre for Social Research, Vasant Kunj, Delhi | | 47,940.00 | | 47,940.00 | |
| Centre for Studies for cultural indentity of weaker | | 1,01,400.00 | | 1,01,400.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002

(Amount in ₹)

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Centre of the Study of Values | - | | 45,780.00 | |
| Chaitanya Mohan kothi, Gaya | 58,800.00 | | 58,800.00 | |
| Chhayadeep Samiti Village Rajkheta Chattigar | 1,58,760.00 | | 1,58,760.00 | |
| Chikhali Vikas Pratisthan Maharashtra | 1,64,430.00 | | 1,64,430.00 | |
| Dhanvandhiri Mentally Retarded & Drug Addictors | 2,20,710.00 | | 2,20,710.00 | |
| Dhara Jharkhand | 1,49,940.00 | | 1,49,940.00 | |
| Director Karve Institute of Social Sciences,Pune-Sp | 2,20,500.00 | | - | |
| Dr. Shaila Parveen, Lecturer, Varanasi, U.P. | 61,000.00 | | 61,000.00 | |
| Dr. Usha Tandon Associate Professor, DU, New Delhi | 60,060.00 | | 60,060.00 | |
| Ehsaas foundation, New Delhi | - | | 1,52,400.00 | |
| Environics Trust, New Delhi | 1,09,200.00 | | 1,09,200.00 | |
| Faculty of Law University of Delhi | - | | 1,00,800.00 | |
| Forum for Fact Finding Documentation & Advocacy | 1,40,730.00 | | 1,40,730.00 | |
| Gyanodaya Foundation Itharwa Bihar-Sp.St. | 2,04,120.00 | | - | |
| HELP Organisation Jaipur | 1,31,670.00 | | 1,31,670.00 | |
| Indian Council For scientific Research & Devlopment | 65,100.00 | | 65,100.00 | |
| Indian Institute of Publjic Administration Delhi-SP | 1,14,660.00 | | - | |
| Indian Institute of Technology WB | 64,050.00 | | 64,050.00 | |
| Indian School of Women's Studies & Devlot. | - | | 72,870.00 | |
| Indian Social Institute Delhi | - | | 2,63,550.00 | |
| Indian Society for Applied Research& Devlpt-Sp.St. | 1,82,070.00 | | - | |
| Institute for Monitoring Economic Growth Kerala-Sp. | 1,64,430.00 | | - | |
| Jabala Action Research organisation | 48,615.00 | | 48,615.00 | |
| Jamia Milia Islamia, Delhi | - | | 81,100.00 | |
| Jan Kalyan Parishad Chhattisgarh | 1,33,560.00 | | 1,33,560.00 | |
| Kalyani Rural Development Foundation, Ajmer | 48,720.00 | | 48,720.00 | |
| Kundan Welfare Society | 1,16,550.00 | | 1,16,550.00 | |
| Legal services Near Apollo Hospital, New Delhi | 65,200.00 | | 65,200.00 | |
| Liaqut Ali Khan, Jaipur | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| Lok Sewa Sansthan UP | 46,620.00 | | 46,620.00 | |
| Masoom society for social Science | 38,600.00 | | 38,600.00 | |
| Mathura Krishna Foundation, Bihar | 41,200.00 | | 41,200.00 | |
| Mother's LAP Charitable Org. | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Mother Teresa Women's University Tamilnadu | 1,34,820.00 | | 1,34,820.00 | |
| Mother Teresa Rural Development Society | 1,08,360.00 | | 1,08,360.00 | |
| Ms. Sheela Choudhary | 49,200.00 | | 49,200.00 | |
| Nabakrushna Choudhary Centre for Development Studies | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| Nav Rajiv Gandhi Foundation & Research | 1,19,700.00 | | 1,19,700.00 | |
| Pashim Banga Yuba Kalyan Manch | 38,640.00 | | 38,640.00 | |
| Phagwara Environment Association Punjab | 1,19,700.00 | | 1,19,700.00 | |
| Principal University College Kerala-Sp.St | 1,15,920.00 | | - | |
| Prof. Vijaya Laxmi, Udaipur | 42,600.00 | | 42,600.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer

(Amount in ₹)

| | | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Registrar, Jamia Millia Islamia Univert-Sp.St | | 86,400.00 | | 3,26,655.00 | |
| Registrar University of Madras-SP.St. | | 4,21,740.00 | | - | |
| Rural Devlopment and welfare Society,Jaipur Rajasthan | | 1,15,930.00 | | 1,15,930.00 | |
| Rural Education Working Society, Tamilnadu | | 1,78,290.00 | | 1,78,290.00 | |
| Rural Organisation for Social Improvement | | 1,28,520.00 | | 1,28,520.00 | |
| R.V. College of Engineering Mysore | | - | | 1,53,090.00 | |
| Sahas Brotherhood Uplifting HP | | 1,68,840.00 | | 70,770.00 | |
| Samajik Nyay Sanstha Delhi | | 3,19,725.00 | | 3,19,725.00 | |
| School of Communication, Manipal University -Sp St. | | 1,44,774.00 | | - | |
| Seva Yatan Jeevo Kalyan Sansthan, Rajasthan | | 48,720.00 | | 48,720.00 | |
| Shiv Charan Mathur Social Policy Research Inst. | | 51,450.00 | | 51,450.00 | |
| Shri Raj Singh Nirwan | | - | | 2,32,000.00 | |
| Situational Analysis of Homeless Women | | 1,50,000.00 | | 1,50,000.00 | |
| Society for Universal Welfare Jaipur | | 50,820.00 | | 50,820.00 | |
| Southern India Education Trust | | 66,780.00 | | 66,780.00 | |
| South Vihar Welfare Society for Tribal | | 2,11,680.00 | | 2,11,680.00 | |
| Srijana,Lucknow | | 1,41,750.00 | | 1,41,750.00 | |
| Surul Centre for Services in Rural Area | | 2,43,810.00 | | 2,43,810.00 | |
| The Association For Development Initiative | | 47,460.00 | | 47,460.00 | |
| Thendral Movement Tamilnadu-Sp.St. | | 1,78,920.00 | | - | |
| United Trust PTR Nagar,Tamilnadu. | | 48,040.00 | | 48,040.00 | |
| Vijaya Odisha-Sp.St. | | 1,46,790.00 | | - | |
| Women Study & Development, Kochi | | 1,16,400.00 | | 1,16,400.00 | |
| ***Legal Awareness Programme*** | (B) | **1,40,25,500.00** | | **1,29,45,500.00** | |
| | | | | | |
| Aakash Seva sansthan, Udaipur | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Aaysha Gramodyog Samiti-UP-LAP | | 75,000.00 | | - | |
| Abhijan Udyog Gramin Vikas Society Guwhati-LAP | | 1,20,000.00 | | - | |
| Abhinav vikas Manch, Bihar | | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Abhyudaya Seva Samithi AP-LAP | | - | | 20,000.00 | |
| Active Institute Mahila Mandal MP-LAP | | 1,00,000.00 | | - | |
| ADARSA, Odisha | | 55,000.00 | | 55,000.00 | |
| Adarsha Rural & Educational Develmt-LAP | | 75,000.00 | | - | |
| Adarsh Gramin Shikshan Samiti , Rajasthan | | - | | 50,000.00 | |
| Adarsh Seva Sansthan Bihar-LAP | | 1,00,000.00 | | - | |
| Adhikar Odisha-LAP | | 1,00,000.00 | | - | |
| Adity A Nagraj Charitable Trust Maharstra-LAP | | 50,000.00 | | - | |
| Agradut Polly Unnayan WB-LAP | | 50,000.00 | | - | |
| Agra Rural Devlpmt Association- LAP | | 50,000.00 | | - | |
| Aikatan Sangha Village & Post Dara, West Bengal | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Akhil Bhartiya Nav Yuvak Kala Sangam, Haryana | | - | | 50,000.00 | |
| Akhil Bhartiya Gramin Vikas Sansthan UP | | - | | - | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women

(Amount in ₹ )

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Akhil Bhartiya Samajik Vikas Samit UP | - | | 25,000.00 | |
| Akhil Progressive & Cultural Society Delhi | - | | 15,000.00 | |
| All India Common Wealth Org. Haryana | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| All India Grauates Associa. (AIGA) | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| All Women and Rural Devlopmt Tamilnadu-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Al-Madina Muslim Education AP-LAP | 75,000.00 | | - | |
| Aman Gram Udyog Samiti, Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Ambpali Handloom & Handicraft Bihar LAP | - | | 50,000.00 | |
| Anand Swaroop Bahhudeshiya Sewabhavi | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Ancient Science Historic Research & Academic LAPUtt | 1,00,000.00 | | - | |
| Ankur Samajik Sewvabhavi Sanstha-Maharstra-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Annapurana Jan Vikas Sansthan UP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Anusuchit Jaati Avam Anusuchit Jan Jati | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Aravali Institute of Devpt. Research(LAP) | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| ARISE, Rajahmndry, AP-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Arpana Siksha Samiti Rajsthan | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Arunodaya Samiti Rewa MP | - | | 50,000.00 | |
| Asha, Odisha | - | | 25,000.00 | |
| Asha Vikas Sansthna, Udaipur | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Association for Neglected Group Oddisha | - | | 50,000.00 | |
| Association for Social & Human Awareness(ASHA) LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Association for Women's rural Development, Odisha | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Associatn for Women & Rural Enrichmet-(AWARE) | 1,00,000.00 | | - | |
| Astitva Babu Uddeshiya Manav Uthan Sansthan | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Audyogik Jan Kalyan Sansthan UP | - | | 50,000.00 | |
| Balaji Sarvageen Vikash Samiti-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Balanandana Trust Karnataka | - | | 1,00,000.00 | |
| Bal Niketan Siksha Samiti, UP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Bal Vikas Education Society, Faridabad | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Bandhana Foundation UP | - | | 50,000.00 | |
| Barnamala Educational and Cultural Society WB | - | | 30,000.00 | |
| Bastar Samajik Jan Vikas Samiti-Chhattisgarh LAP | - | | 45,000.00 | |
| Benodini Centre for Urban & Rural Devl. West. Bengal | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Bhagwati Devlopmt Samittee, Jharkhand-LAP | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Bharatiya Seva Samithi AP- LAP | 50,000.00 | | - | |
| Bharatpur Conija Handicap School WB-LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Bharat Uday Sansthan- Rajasth-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Bharatvasi Seva Sansthan UP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Bhartiya Dhyanvardhini Lokvikas, Maharashtra | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Bhartiya Gramin Vikas Seva SansthanLAP UP | - | | 50,000.00 | |
| Bhartiya Shashika Prasar Sansthan | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Bhartiya Shilpkar Samaj Kalyan Samiti,UP LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Bijiram Swain Mahila Samity, Odisha | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Buddha Institute of Pollution Control & Social Welf | 75,000.00 | | - | |
| Center for Action on Disabled Right AP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Champa Sudama Sewa Sansthan-LAP | - | | 25,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer

(Amount in ₹ )

| | Current Year Plan | Current Year Non-Plan | Previous Year Plan | Previous Year Non-Plan |
|---|---|---|---|---|
| Chandipur Gramin Develpmt WB-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Chandpur International Club & Library WB- LAP | - | | 50,000.00 | |
| Chattisgarh State Commission for Women | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Chhayadeep Samiti Chhattisgarh-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Chikka Federation of India Bihar-LAP | 1,50,000.00 | | - | |
| Ch.Surender Singh Memorial Sports Hary.LAP | 25,000.00 | | - | |
| Club Bright Star Orrissa-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Committee for Legal Aid to Poor Odisha-LAP | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Core for Rural Employment Advancement Technology L | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Crafts & Social Development Org. Tri Nagar | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Dalit Mahila Rachnatmak Parishad | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Dalit Solidarity Peoples Delhi-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Daya Krishna Samaj Kalyan Samiti MP LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Deen Avam Berozgar Sakha Bihar -LAP | 50,000.00 | | - | |
| Deepak Jan Kalyan Sewa Sansthan=LAP | - | | 50,000.00 | |
| Deprive in Havitent Society for Himalayan Uttarakd | 1,00,000.00 | | - | |
| Development of Rura Education Agritur Tamilnadu LAP | 25,000.00 | | - | |
| Dhammadip Nagar Pragati Sanskrutic Maharstra-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Dhyani Education & Charitable Trust Gujrat-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Digambarpur Angikar, WB-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| DISA (Develpt Integrated Socity for Human-LAP | - | | 75,000.00 | |
| District Magistrate & Collector | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Dr. Ambedkar Nagar Welfare Society Punjab-LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Dronacharya Shikshan Samiti-LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| East Magrahat Akatal Bal | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| Fortune Sewa Sansthan, Rajasth.-LAP | - | | 1,25,000.00 | |
| Foundation for Social Research & Dynamic Bihar Lap | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Gandhi sewa sansthan | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Golden Future Foundation Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Grama Rajya Sthapan Samittee Odisah-LAP | 75,000.00 | | - | |
| Gramin Jan Kalyan Sansthan , Rajasthan-LAP | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Gramin Jankalyan Sewa Samiti UP | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Gramin Mahila Vikas Samiti, Jhajjar, Haryana | - | | 75,000.00 | |
| Gramin Uthan Manav Sansthan Rajst.-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Gramin Uthan Sasnthan, Rajasthan | - | | - | |
| Gramin Vikas Sansthan, Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Gramin Yuva Vikas Mandal Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Gramodhar Kalyan Samiti, Bihar | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Gramodyog Ashram, Bihar | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Gram Sudhar Samiti, Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Gram Vikas Sewa Sansthan Rajasthan-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Gurubhakti Shaikshanik &Sevabhavi | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Gyan Dharshan Acadamy | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Gyan Sagar, Bihar | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Harijan Adivasi Mahila Kalyan Samiti, Bihar- LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Harijan Mahila Evam Bal Vikas Sansthan, Bihar | 15,000.00 | | 15,000.00 | |

राजेश कुमार आहूजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women

(Amount in ₹ )

| | Current Year Plan | Current Year Non-Plan | Previous Year Plan | Previous Year Non-Plan |
|---|---|---|---|---|
| Harijan Sewa Samiti Bhihar-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Haripur Dr. Ambedkar Jansseba MissionLAP | 75,000.00 | | - | |
| Hari Shri New Delhi -LAP | 50,000.00 | | - | |
| Harmain Educational & Welfare Society- UP | - | | 30,000.00 | |
| Heera Sewa Sansthan UP LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Help Aim India Sansthan, Rajasth.-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Helpful Society, Delhi | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Heritage Educational Society Jharkhand LAP | 25,000.00 | | - | |
| Himalaya Foundation Bihar-LAP | 1,50,000.00 | | - | |
| India Evangelical & Educational Rural Devtlp AP LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Indian Minoriti Youth Association, UP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Indian Social Service AP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Indian Society, Udaipur | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Indira Vikas Mahila Mandali, AP | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| Indo Nepal Women Welfare Society | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Insaf Foundation UP-LAP | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Institute of Social Welfare & Education-LAP | - | | 1,25,000.00 | |
| Institution of Social Welfare Action, Gujrat | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Jagan Matha Mahila SangamAP LAP | 50,000.00 | | - | |
| Jagriti Jan Kalyan Samiti Bihar | - | | 75,000.00 | |
| Janasadhana Odisha-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Jan Hiteshini Kalyan Samiti Uttrakhand | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| Jan Jagrukta Uthan Kalyan Samiti-UP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Jan Jati Vikas Samiti, Chhatisgarh-LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Janmanas Evam Paryawas Samiti MP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Janmanas Society for Social & Environtl Delhi-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Jan Sewa Samiti, Rohtak Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Jeevan Jyoti Sansthan Bihar, LAP | 25,000.00 | | - | |
| Jeewan Jyoti Kendra Bihar-LAP | 1,25,000.00 | | - | |
| Jharkhand Mahila Jagriti-LAP | - | | 20,000.00 | |
| Jivan Jyoti Samiti, Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Joint women's Programme | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Kadambani Shiksah Evam Samaj Kalyan Sewa MP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Kamal Khadi Gramodyog Mandal-LAP | - | | 25,000.00 | |
| Karnavati Khadi Gramodhyog Seva Gujrat-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Kaushal Seva Sansthan Rajasth-LAP | 75,000.00 | | - | |
| Khadi Gramodyog Kala Niketan Jharkhand-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Khirpai Sri Ramkrishna Society WB LAP | - | | 50,000.00 | |
| Koti Reddy Subbi Reddy Amarnath AP-LAP | 75,000.00 | | 75,000.00 | |
| Kriti Sansthan -Rajasth-LAP | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Lakecity Movement Society, Rajasthan | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| Lakshay education, Art & Cultural Society, Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Liberal Friendz Association Maharashtra | - | | - | |
| Life Line Service Socty, MP-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Maa Dindeshwari Shiksha Samiti,Chattigarh | - | | 75,000.00 | |
| Maa Draupadai Jansewa Samiti,UP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Ma

(Amount in ₹ )

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Maa Gajalaxmi Youth Social Org. Orissa-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Maa Saraswati Shikshan Rajthn-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Maa Satabhauni Club Odisha-LAP | - | | 75,000.00 | |
| Mahatma Sairam Pratistan Maharastra | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Mahaveer Shiksha Samiti- LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Mahila Evam Bal Kalyan Sansthan-UP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Mahila Evam Bal Uthan Samiti- Uttarakhand | - | | 50,000.00 | |
| Mahila jagrukta shiksha & Kalyan samiti | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Mahila Janjati Sewa Samiti- Uttarakhand-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Mahila Kala Kendra -Bihar-LAP | - | | 75,000.00 | |
| Mahila Kalyan Evam Vidya Vikas Samiti, Kanpur | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Mahila Kalyan Samiti, Punjab-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Mahila Prayas Jagriti Mission Delhi | - | | 50,000.00 | |
| Mahila Sewak Samaj,Bihar-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Mahila Shikshan Samiti UP-LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Mahila Udyog Kendra Parmeshwar Bhawan, Bihar | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Makarampur Manisha Juba Kalyan WB LAP | 50,000.00 | | - | |
| Mallabpur People Rural Development Society WB | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Mallikarjuna Weker Section Devlpmt AP-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Mamatha Makkalay Mandira, Karnataka-LAP | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| MANASWI SHAHDARA DELHI-LAP | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Manav Kalyan Avam Suraksha Samiti, Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Manav Kalyan Chetna Sansthan Rajasth | - | | - | |
| Manav Kalyan Samiti, Almora | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Manav Kalyan Sansthan,Dehradun | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Mangal Shantimahila Vikas Charitable Gujrat | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Marudhara Sansthan Jaipur | 2,50,000.00 | | 2,50,000.00 | |
| Matra Darshan Shiksha Samiti, Baswara | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Matra dhashan shiksha samiti, Udaipur | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Maulasai Sewabhavi Sansthan Maharashtra | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Maurya Shakya Chatrawas Jan Kalyan Samiti-UP LAP | - | | 50,000.00 | |
| Mayank Foundation Samiti MP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| M.K.Gandhi Mission Maharastra-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Modern Shiksha Vikas Samiti | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Motherly Association fo rSocial Serv.(MASS) | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Mother Society (Miracle Org.) AP LAP | 50,000.00 | | - | |
| Mrityunjoy Nagar Mukti Tirtha WB-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Mukat Bharti Siksha Samiti Rajasthan LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Murshidabad Adibashi Gramin WB-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Muslim Mahsshara Tarraqui Society MP-LAP | - | | 30,000.00 | |
| Nabin Sangha West Bengal | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Nagbhumi Chetna Samiti Uttarakhand-LAP | 25,000.00 | | - | |
| Nalanda Educational Society, Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Narayana Vyayamshala& Krida Mandal-Lap | - | | 50,000.00 | |
| Nari Mangal Mahila Samity Odisha-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Nari Vikas Mahila Mandal MP-LAP | 50,000.00 | | - | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
& Account Officer

(Amount in ₹)

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| National Alliance of Women(NAWO)-LAP | 2,25,000.00 | | 2,25,000.00 | |
| National Council of Social Welfare Bihar-LAP | 75,000.00 | | - | |
| National Youth Association | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| Native Education & Employment Develp. Society, MP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Natural Institute of Social Chnge and Resource | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Navdeep Samajik Vikas Sanstha-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Navjeevan Bahuudeshiya Sevabhavi Maharstra-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Navjeevan Sansthan Rajasthan-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Navrachna Mahila Vikas Trust-LAP | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Nav Vihar Udhyod Mandal, Bihar-LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| NAWANDAGAR Chhatisgarh-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Nehru Yuva Mandal Fatehpur Rajsthan-LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| New age foundation | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| New life club | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Nikkilesh Educational Academy-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Nirbal Vikas Parishad-UP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| N.J.Maratha Vidya Prasarak Samaj-Gujr.LAP | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| OASIS Foundation, Tamilnadu | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| Om Maharupi, Bihar -LAP | 25,000.00 | | - | |
| Organization for Development Rural Eco.Odisha-LAP | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Odisha state commission for women | 50,000.00 | | 2,00,000.00 | |
| Pace Academy , Maharashtra-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Padmavati Bahudeshiya Mahila Mandal Mahastr-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Panchayati Rule & Gender Awareness-LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Parbhat Sagar Gyan Vikas Sansthan Rajasthan | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Partha Samaj Sewa Evam Mahila Uthan MP-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Parvatiya Mahila Vikas Samiti Uttakhand | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| People's Movement for Devlpmt Tamilnadu-LAP | 50,000.00 | | - | |
| People Education & Awareness Service Socty AP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| People for Education Research Scholarship ,(LAP) | - | | 75,000.00 | |
| People Voluntary IntegralService Org | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Pragati Mahila Bhauuddeshiya, Maharastra LAP | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Pragati Yuva Vikass Kendra MP-LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Prantiya Partakar Association UP LAP | - | | 50,000.00 | |
| Prasad Ekta Samiti MP-LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| Premchand Educational Devlpt. Socity AP-LAP | 25,000.00 | | - | |
| PRERNA Jharkhand-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Priyadarshini Samsthe Karnataka-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Public Health & Medical Techonology,Delhi | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Public Welfare & Development Society Tamilnadu-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Purvanchal Vikas Samiti | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Pushpa kekatiya charitable | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Rachheri janta vikas gram udyog saiti | 12,500.00 | | 12,500.00 | |
| Rural Organisation for Poverty Eradication | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Rajapur Gramya Vikas Evam Prashikshan Sansthan-LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Rajasthan Gramin Vikas Rajsthan-Lap | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer

(Amount in ₹)

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Rajat Gramodhyog Vikas Sansthan, Muradabad ( U.P.) | 50,000.00 | | - | |
| Rajputana Purv Sainik Avam Jan Kalyan Rajath.LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| Ramanand Memorial Seva Samiti-Lap | - | | 1,00,000.00 | |
| Rana Javik Gramin Evam Krishi Sewa Samiti, Uttarakh | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Ranjana Royal Educational Welfare Delhi-LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| Ranthambhour Sewa Sansthan, Rajath.-LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| Rashtra Ratna Samaj Kalyan Sansthan-Bihar-LAP | - | | 75,000.00 | |
| Rashtriya Sadbhav Sewa Samiti-Hary-LAP | 1,25,000.00 | | 1,25,000.00 | |
| Reformer Educational & Social Welfare Society- LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Roshni National Sewa Gramodhyog Sansthan UP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Rural Development Society-AP-LAP | 75,000.00 | | 75,000.00 | |
| Rural Development Trust Tamilnadu-LAP | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Rural Devlopment & Welfare Society, Rajasthan | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Rural Environment Awareness Legal & Dev Tamil LAP | 25,000.00 | | - | |
| Rural Litigation & Entitlement Kendra Dehradun-LAP | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Rural Women Developmt Society Tamilnaddu-LAP | - | | 25,000.00 | |
| Sadrauna Jan Kalyan Samiti-UP-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Sahayoga India-Orissa-LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| Sahayta Samajik Sanstha Chattisgrh-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Samaj Kalyan Samiti Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Samaj sansthan & sarvagin vikas sansthan | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| Samaj Seva Trust Parul Nursery Jharkhd-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Samaj uthan samiti | 13,250.00 | | 13,250.00 | |
| Samaj Vikas Samiti Hisar-LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| Samaj Vikas Sewa Sanstha Delhi-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Samta sewa sansthan | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Samvedna Sarvoday Sansthan UP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Sangeeta Rao Educational Society-AP, LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| Sangharsothan UP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Sanjivani Bahuuddheshiya Gramin Vikas Sanstha, Maha | - | | 50,000.00 | |
| Sanjivani Educational & Social Developt Sanstha-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Sankalp Sadhana Maharstra LAP | 50,000.00 | | - | |
| Sankalp Sansthan Rajasthan-LAP | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Sanskar Odisha-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Sanskar Seva Sansthan Rajasthan-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Sanskritik Samajik Samiti Balia UP LAP | 50,000.00 | | - | |
| Santhakabi Bhima Bhoi Sanskrutik Anusthan Odisha-LA | - | | 25,000.00 | |
| Sant Sewa Sansthan UP-LAP | - | | 75,000.00 | |
| Sarbangin Unnayan Samiti | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Sarijan Foundation UP-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Sarva Kalyan Mahila Mandal MP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Sarvodaya Vikas Samiti UP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Sarvohara Lokh Kalyan Samiti-LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| Sarv Samaj Manav Utthan Samiti UP-LAP | - | | 75,000.00 | |
| SAVEGE (Society on Action Villange Edu. AP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Savitri Manav Vikas Sansthan- UP | - | | - | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya M
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

(Amount in ₹)

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| SCRAAC Oddisha-LAP | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Sevarth Sansthan Rajsthan-LAP | - | | 1,25,000.00 | |
| Sewahar (Society for Education, Welf & Healt (Haryana) | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Share Education Rural Among Peoples Tamilnadu-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Shekhar Shikshan Evam Samajoothan Samiti UP-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Shivam Shiksha Samiti Rajasth.LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| Shiv Jan Jagriti Shiksha Samiti,Haryana | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Shiv Shankar Sewa Sansthan - Rajsth- LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Shree Chandan Bahuuddeshiya Mahrstra-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Shree Dhruv Charitable Trust Gujrat-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Shree Sidha Dev Gramoudiog Sansthan | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Shri Aasra Vikas Sansthan, UdaipurLAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Shri Banashankari Mahila Mandal | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Shri Bateshwar Dayal Samaj Kalyan Samiti-UP-LAP | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Shri Bhuvaneshwari Mahila Mandali AP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Shri Govind Manav Sewa Sansthan | - | | 50,000.00 | |
| Shri hari krishan shiksha sewa samiti | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Shri Krishna Shiksha Prasar Samiti(LAP) | - | | 1,25,000.00 | |
| Shri Laxmi Narayan Badri Vishal | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Shri Laxmi Rural Devlpt & Educa. Society,AP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| SHRI NARAYAN &VIKAS SANSTHAN -Lap | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Shri Radha Krishna Seva Samiti-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Shri Rajiv gandhi Memorial Public Sansthan, Rajasthan | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| Shristi Jan Kalyan Sanskritil Samiti Chaatisgarh-LA | 1,25,000.00 | | - | |
| Shristi Kalyan Samiti Panipat-LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Shri Vajreshwar Vyayamshala Maharstr-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Shyam Gramodyog Sewa Sansthan UP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Siddalingeshwara Hunne Nekarara Karntka-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Siddharth Trust, Gujrat-LAP | - | | 30,000.00 | |
| Sir Chotu Ram Yuva Club, Haryana | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Sirijan Mahilavikas Manch , Jharkhand | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Sita Mahila Vikas Prashikshan Sansthan-LAP | 25,000.00 | | - | |
| Smt sushila devi eduational society | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Snegam Multi Social Actio Movement Tamilnadu | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| Social action network group | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Social Development Service Odisha-LAP | - | | 25,000.00 | |
| Society for Cause of People's Empowerment(SCOPE) UP | - | | 50,000.00 | |
| Society for Health Awareness & Rural Enlgt.AP-LAP | 75,000.00 | | - | |
| Society for Humanitarian Action Rehabilitation Orri | - | | 45,000.00 | |
| Society for Integrated Rural Developt-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Society for Nurturing Education Health-AP | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Society for Social Developt Tamilnadu-LAP | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Society for Social Transformation LAP | - | | 50,000.00 | |
| Society for Technical & Environmental Movmt(STEM) L | 75,000.00 | | - | |
| Society for Training, Amelioration, OrissaLAP | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Sosva Traning and Promotion Pune | 50,000.00 | | 50,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

(Amount in ₹ )

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Soundarya Rural & Urban Development Association Kar | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Spandan Sitapur UP | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Sriguru Ayyappaswamy Educational Trust, Karnataka-L | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| Sri Krishna Shiksha Prasar Samiti, MP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Sri Sai Sewa Samiti UP- LAP | - | | 50,000.00 | |
| Sri Swami Dharnidhar Sewa Sanstha UP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| STAIRS, UP-LAP | 75,750.00 | | 75,750.00 | |
| Star Gramodyog Sewa Sansthan UP-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Sujas Sanskritik Sewa Sanstha Rajasth | - | | 1,50,000.00 | |
| Sumitra samajik kalyan sansthan | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Suresh Sharma Foundation Rajasthan | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Surguja Kalyankari Seva Samiti Chatisgarh-LAP | 1,00,000.00 | | - | |
| Sustainable Research & Develpmt Centre Maharst.LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| S.V.S. sansthan | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Swargiya Rajjulal Kashyap Shikshan Chhatisg-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Swar Social Service Sansthan UP-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Swavlambi Gramodhyog & Jan Chetna Vikas Sansthan | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Talent Trust , Tamilnadu-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Tamilnadu Mahalir Nala Sangam -LAP | 50,000.00 | | - | |
| T.A.V. Educationa & Rural Development Tamilnadu-LA | 50,000.00 | | - | |
| Thamizhial Aayyu Arakkattalai, Tamilnadu LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| The Karnataka State Harijan-LAP | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| The Mother Teressa Memorial Mahila Evam Bal UthanL | 50,000.00 | | - | |
| The Society for Women & Child Development & Serv. Delhi | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| The Women's Welfare Society Karnataka-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Thirumanagai Charitable Trust, Tamilnadu | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Tiwari Vikas Avam Seva Sansthan Rasth- LAP | - | | 50,000.00 | |
| Tri Sansthan Sundri, Rajasthan-LAP | - | | 1,00,000.00 | |
| Tulsi Gramodyog Sewa Samiti, U.P | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| Ummid Samiti-Rajasthan | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Unnayan -Odisha-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Usha Jan Kalyan Samiti Jaipur-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Utkarsh Mahila Avam Bal Kalyan MP | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Uttarakhand State Commission for Women | 1,25,000.00 | | 1,25,000.00 | |
| Vanavil Social Welfare Devlopt-LAP | 50,000.00 | | - | |
| VEED-Tamilnadu-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Venkatewara Mahila Mandali-LAP | 50,000.00 | | - | |
| Vidya Bhushan Yuvak Mandal -LAP | 75,000.00 | | 75,000.00 | |
| Vigyan shiksha kendra | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Vikas Gram Udyog Mandal,Sonipat Haryana | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| VISA(Voluntary Institutn for Social Activit) Odis L | - | | 75,000.00 | |
| Vishwamanava Srvathomukha Abhirudhi Sanga-Karnatka- | 75,000.00 | | 75,000.00 | |
| Vivekanand Yuvajana Samithi AP--LAP | 50,000.00 | | - | |
| Yamuna Sanstha Rajasthan | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Yash Bahuuddeshiya Gramin Vikas Sanstha Mahartr-LAP | - | | 50,000.00 | |
| Youth & Social Welfare Society Bihar-LAP | 1,50,000.00 | | - | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Account Officer

(Amount in ₹ )

| | | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Yuvak Pratishthan Maharstra LAP | | 50,000.00 | | - | |
| Yuva Sangharsh Samit Haryana | | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| Yuva Sports Samiti, Haryana | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| ***PMLA*** | (C) | **14,25,000.00** | | **12,75,000.00** | |
| Aharnish Sewa Sansthan, Deoria UP | | 60000.00 | | 60000.00 | |
| Asha Mahila Janklalyan Pratishthan | | 30000.00 | | 30000.00 | |
| Ayisha Welfare Society UP | | 60000.00 | | 60000.00 | |
| Chand Talimi Society, U.P. | | - | | - | |
| Dalit Uthan Rashtriya Girls Samiti,UP-PMLA | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Gramin Vikas Sansthan UP | | - | | 90000.00 | |
| Haryana State Legal Service Authority, Haryana | | 150000.00 | | 150000.00 | |
| Islamia Maktab Primary Girls School, U.P. | | 15000.00 | | 15000.00 | |
| Jan Samadhan Sewa Sansthan-UP-PMLA | | 30000.00 | | 30000.00 | |
| Kshetriya Mahila Evam Bal Vikas Samit- | | 30000.00 | | 30000.00 | |
| Maa Purna Jan Kalyan Sewa Sansthan - PMLA | | 30000.00 | | 30000.00 | |
| Mahila Kala Kendra Bihar | | - | | - | |
| Manav Kalyan Samiti | | 30000.00 | | 30000.00 | |
| Maulana Azad Educational Society UP-PMLA | | 60000.00 | | 60000.00 | |
| Mother Teresa Foundation UP | | - | | - | |
| Narendra Dev Educational School, Maharahtra | | 15000.00 | | 15000.00 | |
| Nature UP-PMLA | | 90000.00 | | - | |
| Panchla Reliance Society WB | | 30000.00 | | 30000.00 | |
| Polymers Education Society AP | | - | | - | |
| Pratibha , UP | | 1,50,000.00 | | 1,50,000.00 | |
| RANJANA ROYAL EDUCATIONALWELFARE | | - | | - | |
| Sahara Samiti | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Sainik Mahila Prashikshan, Gorakhpur | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Sant Sewa Sansthan -UP-PMLA | | - | | 60,000.00 | |
| Saraswati Shishu Shiksha Niketa UP-PMLA | | 1,20,000.00 | | - | |
| Sarvodaya Jan Kalyan Sansthan UP | | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Satyam Shivam Seva SansthanUP-PMLA | | 90,000.00 | | - | |
| Shri Bodhewar Mahadev Sansthan | | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Shri Meera Saraswati Shiksha Samiti-PMLA | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Spandan Sitapur, UP- PMLA | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| The Women's Welfare Society Karnataka (PMLA) | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Upkar Samiti -UP-PMLA | | - | | - | |
| Yashwant Sevabhavi Bahuuddeshiya, Latur | | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Yuva Chetna Samaj Kalyan Samiti, Delhi | | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| Zain Social Welfare Society, Lucknow | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/Deen Dayal Upadhyaya Marg

(Amount in ₹ )

| | | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| ***Seminar & Conference*** | (D) | **73,98,456.00** | | **81,85,604.00** | |
| Andhra Pradesh State Women Commission-S/C | | 1,05,582.00 | | 1,01,400.00 | |
| Bharat Youth Welfare Education & Rural- Karnataka | | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Bharthiar University Coimbatore Tamilndu-S/C NL | | 90,000.00 | | - | |
| Gandhi Smaraka Grama Seva, Kerala-S/C | | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Heal India -S/C NL | | 90,000.00 | | - | |
| Institute of Chartered Management Association S/C | | - | | 90,000.00 | |
| Isabella Thoburn College Lucknow-S/C | | 90,000.00 | | - | |
| JAWAHAR LAL NEHRRU University - S/C | | - | | 90,000.00 | |
| Odisa Yuva Sanskrutik Puri S/C NL | | - | | 90,000.00 | |
| Punjab State Commission for Women-S/C | | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Registrar,Jmia Millia Islamia-S/C | | 90,000.00 | | - | |
| Sarthak, Shakarpur-S/C NL | | - | | 90,000.00 | |
| Social Development Foundation Delhi-S/C NL | | 74,700.00 | | - | |
| Society for Community Action AP-S/C NL | | 30,000.00 | | - | |
| The Registrar Uttarakhand Open University-S/C NL | | 90,000.00 | | - | |
| Udisha Vasant Kunj Delhi-S/C | | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| University Maharani College,Jaipur-S/C NL | | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| University of Kota Rajsth-S/C NL | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Aal-E-Yaseen Human Resources Developt. S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Abhyudaya Seva Samithi AP-S/C- | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Adarsha Rural Devlpt. & Traing Socty.Karnt-S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Adarsha Women Devlpt Society, AP-S/C | | - | | 30,000.00 | |
| Adarsh Kalyankari SewaUP S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Agra Jan Kalyan Sewa Samiti U:P-S/C | | 30,000.00 | | - | |
| All India Shiksha Evam Vikas Associaltion-Delhi | | 30,000.00 | | - | |
| Ambikapur Vikas Samit(AVS), Chattisgarh | | 30,000.00 | | - | |
| A.R.Foundation AP-S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Arun Institute of Rural Affairs- Odisha-S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Asthana-A-Chistia Mahila Mandali-S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Balaji Rural Development Society Karnataka-S/C | | 30,000.00 | | - | |
| Bankura Manas Social Welfare Socity, WB-S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Barberia Chetana Satsang WB-S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Bharatiya Samvalamvan Sansthan UP-S/C | | - | | 30,000.00 | |
| Bhartiya Lok Kalyan Sansthan, Jharkhand-S/C | | 30,000.00 | | - | |
| Bhartiya Lok Kalyan Sansthan Ranchi-S/C SL | | 6,000.00 | | - | |
| Bihang Welfare Association Orrisa-S/C | | 30,000.00 | | - | |
| Brij Bal Vikas Kendra , UP-S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Centre for Alternate Rural (CARE)-S/C | | 30,000.00 | | - | |
| Chandrasekhar Azad Gramin Vikas Seva -S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Chaplin Club WB-S/C | | - | | 30,000.00 | |
| Chetanalaya Delhi-S/C (SL) | | - | | 30,000.00 | |
| Community Rural Welfare Develpmt-S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| C.V.Raman Educational Society AP S/C | | 30,000.00 | | - | |
| Deep Vidya Mandir Samit (DVMS) Rajth-S/C | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली/New Delhi

(Amount in ₹ )

| | Current Year Plan | Current Year Non-Plan | Previous Year Plan | Previous Year Non-Plan |
|---|---|---|---|---|
| Dhwani Kala Sangam UP-S/C | 30,000.00 | | - | |
| D.S.Social Society Awas Vikas, UP-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Ekla Chalo-An Organization for Urban & Rural WB-S/C | 30,000.00 | | - | |
| Fellowship , Orissa-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Ganoja Devi Sanstha Maharsthra-S/C SL | 30,000.00 | | - | |
| Gramium, Tamilnadu-S/C | 30,000.00 | | - | |
| Gram Vikas Sewa Sansthan Rajathn-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Gurukul Shiksha Evam Gramin Vikas Sansthan-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Hira Nagpur Alpsankhyak Mahila Jharkhand-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Holy Mission for Children's Welfare WB-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Indian Social Institute Delhi-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Islamic Education Welfare Associat.WB-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Jai Devi Siksha Prasar Samiti MP-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Jai Kisan Shikshan Prasarak Mandal-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Jai Maa Bhawani Foundation- MP S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Jai Shree Arihant Vidhya Mandir Bundi-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Jan Jagriti Sewa Samiti UP-S/C SL | - | | 30,000.00 | |
| Jan Kalyan Samaj Sewa Trust-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Jeevankiran Sreekrishna Kerala-S/C SL | - | | 30,000.00 | |
| Kamla Nehru Mahavidyalaya -S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Karunamayi Mahila Mandali- S.C | - | | 30,000.00 | |
| KKC Institute PG Studies(KIPS)-AP S/C SL | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Lakshya Sewa Sansthan UP S/C SL | 30,000.00 | | - | |
| Lok Sewa Sansthan- S/C (Statelevel) | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Maa Hawwa Minority Multipurpose Women's-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Maathru Bhoomi Foundation-S/CSL | - | | 30,000.00 | |
| Maharashtra State Commission for Women-S/C | - | | 49,000.00 | |
| Maharishi Yogiraj Kalyan Samiti Uttarakhd-S/C SL | 30,000.00 | | - | |
| Mahila Janshakti Sanghathan Jharkhand S/C | - | | 30,000.00 | |
| Manav Seva Kalyan Sansthan MP-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Manav Sewa Samaj Mallital-S/C | 30,000.00 | | - | |
| Manav Vikas Foudation -Delhi-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Maqsad Sansthan Almora-S/C(SL) | - | | 30,000.00 | |
| Mata Shree Jan Kalyan Sewa Sansthan, UP-S/C SL | - | | - | |
| Matoshri Maisahed Ambedkar Gram Vikas- S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Mitra Awareness Social Service-AP-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Mothers LAP Charitable Org. AP-S/C SL | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Mother Teressa Rural & Tribal Devlpt. AP-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Mukti Mamta Mahial Mandal-MP S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Nagrik Utthan Samiti UP-S/C | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Naini Mahila Evam Bal Vikas Samiti Uttarakand-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Navchetan Sarvajanik Trust-Gujrat LAP | 50,000.00 | | - | |
| Nehru Studies Centre-S/C(SL) | - | | 30,000.00 | |
| Nehru Yuva Club -Haryana-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Nivedita Kalyan Samiti MP-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Noble Reformation Integration Society -S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
Commission for Women

(Amount in ₹)

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Pirojpur Noboday Welfare Society WB S/C | - | | 30,000.00 | |
| Rajdhani College,Delhi-S/c | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Rameshwaram Bihar-S/C SL | 30,000.00 | | - | |
| Rameshwar Mahadev Vikas Sanstha-S/C | 30,000.00 | | - | |
| Ranjana Royal Educational Welfare & Cultrl Ass.S/C | - | | 30,000.00 | |
| Sadayanodai Ilaingar Narpani-Tamilnadu-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Safe Society - S/C SL | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Sahayta Samajik Sansthan ,Chattisgarh-S/m | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Salem District People Service Society -S/C SL | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Samaj Sewa Sansthan UP-S/C SL | - | | - | |
| Sangini Mahila Samiti-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Sanjeevani Vikas Foundation, Maharashtra-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Sankar Gyan Peeth Shikshan Chhattisgarh-S?C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Sanskritik Samajik Samiti UP-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Sarva Uttan Sansthan- UP- S/C SL | - | | - | |
| Sarvjan Sewa Sansthan -S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Satvinder Shiksha Samiti-S/C SL | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Savitribai Fule Bhau Shikshan Sansthan-S/C SL | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| SHARE (Socty for Humanita . Action) Orissa-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Shree Darpan Charitable Institute-Gujrat, S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Shri Krishna Samiti Kuldeep Haryana-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Shripad Navjeevan Pratishthan Maharashtra-S/C SL | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Shri Rajiv Gandhi Smruti Khadi Gramodyog Trust S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Shri Ram Jan Kalyan Vikas Samiti S/C SL Rajs | 30,000.00 | | - | |
| Shyam Kavi Lok Kalyan Sansthan-S/c | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Siliguri Bodhi Bharati Vocational Institute-S/C SL | 30,000.00 | | - | |
| Social Action for Rural Poor Karnataka-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Social Welfare & Research Asso.Delhi-S/C | 30,000.00 | | - | |
| Society for Innovative Rural Devlpmt-Jarkhand-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Society for Promotion of Pragati Sansthan Rajth S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Society for Upliftment of Poor in Rural-AP-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Sri Mahadeswari Mahila Sewa Samaja S/C | - | | 30,000.00 | |
| Sri Sindhura Nrutya Kala Academy Karnataka-S/C | 30,000.00 | | - | |
| Suryoday Khadi Mission Gujrat, S/C | - | | 30,000.00 | |
| SWAVALAMBAN HP- S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Tarusakha -, Patana-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Trilochanpur Association WB-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Ummang Partners in Human Develpt, Delhi | - | | 30,000.00 | |
| Universal Development Foundation Rajsth-S/C SL | - | | 30,000.00 | |
| Vishweshvaraiah Rural Developmt Society Karnatka S/ | 30,000.00 | | - | |
| Voluntary Integrated Develpmt Society AP-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Weaker Section Development Society AP-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| All India Society for Social Justice-S/c | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Centre for Women & Law -S/C | - | | 60,000.00 | |
| Department-Cum- Centre for Women's Std-S/C | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Indiramma Mahila Mandali-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग/Deendayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

(Amount in ₹ )

| | Current Year Plan | Current Year Non-Plan | Previous Year Plan | Previous Year Non-Plan |
|---|---|---|---|---|
| Nava Bharath Rural & Educational Socity AP-S/C | 60,000.00 | | - | |
| Punjab School of Economics, Punjab-S/C | - | | 60,000.00 | |
| Shree Raje Shiv Chatrapati Maharashtra-S/C R | 60,000.00 | | - | |
| Society for Cause of People Empwt (SCOPE) S/C | - | | 60,000.00 | |
| Academy of Grassroots Studies & Research of India | - | | 60,000.00 | |
| Adarsa ,Orissa (S/C) | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Aikatan Sangh West Bengal | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Akhil Bhartiya Viklang Sewa Sansthan UP | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Akhil Manav Seva Parishad | 13,950.00 | | 13,950.00 | |
| All India Foundation for Peace & Disastermangt.(S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| All India Women's Conference Delhi | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Ambpali Bihar | - | | - | |
| Amity Law School. UP | 1,53,750.00 | | 1,53,750.00 | |
| Amrita Mahila Kalyan Samiti UP | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Anirban Welfare Society WB-S/C | - | | 10,000.00 | |
| ASRA Kolkatta | - | | 30,000.00 | |
| Association for Devlt & Research Odisha | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Awadh Educational Society Lucknow | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Bhagidari Jan Sahyog Samiti | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Bhartiya Gramodyog Sewa sansthan | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Bhartiya Lok Kalyan Sansthan Rajasth | - | | - | |
| Centre For Social Research, New Delhi | 1,51,674.00 | | 1,51,674.00 | |
| Centre For Women's Studies, Udaipur | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Child in Need Institute (CINI)-WB S/C | - | | 90,000.00 | |
| Dalit Samaj Bal Evam Mahila Utthan-UP S/C | - | | 30,000.00 | |
| Developing Countries Research Centre DU | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Dhanvandhiri Mentally Retarded Drug | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Dharti Foundation Odisha | - | | 60,000.00 | |
| Director Maya Foundation Chandigarh | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Divine Touch Delhi-S/c | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Dr. Hahnemann, Educational Devlt.Delhi | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Duarshani Saramik Sangha | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| Education & Rural Development, Tamil Nadu | 29,000.00 | | 29,000.00 | |
| Education & Rural Development, Tamilnadu(S/C) | 30,000.00 | | - | |
| Gandarpurkur Sri Ramkrishna AshramWB | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Gayathri Rural Development Society Karnatka | - | | 60,000.00 | |
| Geet Mahila Samiti U.P. | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Gnana Sudha Educational Society, Hyderabad | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Gramin Uthan Manav Sansthan Rajasthan | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Green World Educational Society, Udaipur | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Gujrat State Commission for Women | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Helena Kaushik Women's Collage,Jhunjhunu | 90,000.00 | | - | |
| Human Resource Advancement Welfare Delhi | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| India International Intellectual Society Delhi | - | | - | |
| Indian Institute of Youth Welfare, Maharashtra | 15,000.00 | - | 15,000.00 | |
| India World Foundation Delhi-S/C Adv | - | | 90,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
National Commission for Women
Deen Dayal Upadhyaya Marg
New Delhi-110002

(Amount in ₹ )

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Integrated Tribal development for workers | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Jagriti Jan Kalyan Samiti, Bihar (S/C) | 30,000.00 | | - | |
| Jan Kalyan Samiti, Punjab-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Jan Kalyan Yuvak Sangha, Odisha | 27,540.00 | | 27,540.00 | |
| Jeevan Prakash Trust Gujrat-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Jijamata Bahuudheshiya Mahila ,Latur | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Jan Kalyan Kutir Gramodhyog Sanstha, | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Jankalyan Orrissa | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Jharkhand State Commission | 30,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Kranthi Welfare Associ.Karnataka S/C | 60,000.00 | | - | |
| Kerala Educational Development & Emplt.,Kerala | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Krushi Mahila Mandali, NAWA, AP | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Kumarsha Rural Development Society, WB | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Kundan Welfare Society-S/C | 30,000.00 | | 60,000.00 | |
| Lokahitwadi Samajik Va Sanskrutik Krida | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Mahila Sakhi Saheli Samiti, Chhattisgarh-S/C | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Mahila Utthanam-UP S/c | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Maya Foundation Chandigarh | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Mulana Azad National Urdu University AP | 30,900.00 | | - | |
| Nagara Bhavi Urban & Rural Service(NB Urban) | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Nari O Sishu Kalyan Kendra WB-S/C | 39,360.00 | | - | |
| National Charitable Welfare Society-UP | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| National Youth Foundation Lucknow | - | | - | |
| Natun Pather Sathi Kolkata | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Nav Nirman Mahila Mandali | - | | 7,190.00 | |
| Nav Nirman Mahila Mandal Samiti Jaipur | - | | 90,000.00 | |
| Nav Rajiv Gandhi Foundation & Research-Jaipur | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Navyug social development institute | - | | 56,100.00 | |
| NAWO, Dr. Pam Rajput Women's Resource, Chandigarh | 2,00,000.00 | | 2,00,000.00 | |
| Nehru Yuva Mandal Kendra, Moradahbad(S/C) | - | | 30,000.00 | |
| Noble Social & Educational Society | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Odisa Yuva Sanskrutik -Puri-S/C | - | | 30,000.00 | |
| Om Addarsh Samiti Dausa | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Organizing Secretary, 33rd Crimonology Conf. J &K | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Pahal Welfare Society Haryana | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Parwaz Jan Kalyan Sansthan UP | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Pooja Adarsh Vidya Mandir Sanstha, Rajasthan | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Pooja Welfare Society,J&K-S/c | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Pratapgarh Gramotthan Samiti, UP | - | | - | |
| Prikarma Mahila Samiti | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Principal Miranda House,DU | - | | - | |
| Principal M.P. Govt. PG College, Rajasthan | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Rajiv gandhi janseva sansthan | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| RK HIV AIDS research & Care centre | 60,000.00 | | 80,000.00 | |
| Role of women writer in social awakening | 18,000.00 | | 18,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002

(Amount in ₹)

| | | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Sabri Educational & Welfare Society, UP | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Sadbhabhavana Samanvaya Sansthan UP | | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| Sakhi Kendra | | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Sammati Social Samiti, MP | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Sampratika Odisha | | - | | - | |
| Sanjeevani, bhuabneshwar | | 9,000.00 | | 9,000.00 | |
| Sanjeevani Delhi | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Sanjeevani Society | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Sanskritik Vikas Evam Nav Kalyan Samiti Uttara | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Sarvodaya Samegra Vikas & Sanchar Sansthan, | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Self Initiative For Total Awareness, Deogarh | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Service Education and Welfare Association, Varanasi | | - | | 30,000.00 | |
| Shaheed Ashfaque Ullah Khan Memorial Society, Prata | | - | | - | |
| Shakti Vahini | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Shiv Charan Mathur Social Policy-S/c | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Shri Giriraj Ji Maharaj Shiksha, UP | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Silda swasti unnayan samiti | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Shri Ram Smriti Shaikhnik Indor | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Society For Health & Educational Development, Hyderabad | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Stree Mukti Sanghtana, Mumbai | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Subhashit Jansewa Sanstha UP | | - | | - | |
| Suruchi Kala Kendra , Bihar | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| S.V.Educational Society AP | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Swargiya Ram Sewak Sewa Samiti UP | | - | | - | |
| Taraingini Social Service Society, AP | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| The Collector & Migistrate,Sawai Madhopur | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| The Commissioner of Police Pune | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| The Director, Centre for Women Studies Aligarh | | - | | 90,000.00 | |
| Uthan Soudh Sansthan, Rajasthan | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Vandana Samaj Kalyan Samiti UP | | - | | - | |
| Vashnao Nari Seva Sansthan UP | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Vidya Kala Sansthan, UP | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| Voluntary Agency for Social Action-Orissa | | - | | 30,000.00 | |
| West Bengal Commission for Women | | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Wippro Foundation | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| **Capacity Building of Judicial / Police** | (E) | **7,80,984.00** | | **7,34,690.00** | |
| ACP/HQ/DD, SPUWC Nanakpura | | 1,12,140.00 | | 1,12,140.00 | |
| Amity Law School Noida-Capacity Buildg | | - | | 63,000.00 | |
| Centre for Social Defence & Gender -Capacity Buidlg | | 1,52,869.00 | | - | |
| Director Police Academy Moradabad-Capacity Build | | 56,700.00 | | 56,700.00 | |
| Haryana Police Academy Madhuban-Capacity Buldg | | 82,950.00 | | 82,950.00 | |
| Maharashtra State Commission -Capacity Buildg. | | 63,000.00 | | 63,000.00 | |
| Police Training College Daroh, HP-Capacity Buildg | | 29,405.00 | | 29,405.00 | |
| Principal Constable Training School,Bihar-Capcity B | | - | | 64,575.00 | |
| Principal, KTDS Police Training Acadmy,Tripura | | 21,000.00 | | | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer

(Amount in ₹)

| | | Current Year Plan | Non-Plan | Previous Year Plan | Non-Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| Raja Bahadur Venkat Rama Reddy AP Police-Capacity | | 42,000.00 | | 42,000.00 | |
| Rajasthan Police Academy Jaipur | | 1,32,300.00 | | 1,32,300.00 | |
| The Director Haryana Police Academy | | 88,620.00 | | 88,620.00 | |
| ***Special Study( NER)*** | (F) | **15,23,806.00** | | **4,10,635.00** | |
| All Manipur Senior Citizens | | - | | 65,520.00 | |
| Assam State Commission for Women-SP.St | | 4,40,400.00 | | - | |
| Assam University | | 1,31,040.00 | | 1,31,040.00 | |
| Dream Progressive Welfare Association, Assam | | 36,600.00 | | 36,600.00 | |
| Indian institute of technology | | - | | 60,060.00 | |
| Jana Neta Irawat Foundation, Manipur | | 37,065.00 | | 37,065.00 | |
| Jana Samridhi Samiti Imphal. Manipur | | 32,350.00 | | 32,350.00 | |
| Meghalaya State Commission for Women - Sp Std (NER) | | 2,63,151.00 | | - | |
| Nagaland State Commission for Women-SpSt NER | | 3,01,200.00 | | - | |
| Omeo Kumar Das Institute A Social Change | | 48,000.00 | | 48,000.00 | |
| Tripura State Commission for Women-Sp.St | | 2,34,000.00 | | - | |
| ***Legal Awareness Programme (NER)*** | (G) | **31,01,500.00** | | **54,11,500.00** | |
| Abu Tariang Socio- Economic Dev. Soc. | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Amatsara Shillong | | 5,50,000.00 | | 5,50,000.00 | |
| Arunachal Pradesh State Comm. (LAP NER) | | - | | 2,10,000.00 | |
| Arunachal State Commission of Women | | 5,30,000.00 | | 8,30,000.00 | |
| Assam State Commission for Women, Uzanbazar | | 1,40,000.00 | | 3,50,000.00 | |
| Deera Village Forest Management, Arunachal Prades | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| District Social Welfare Office, Assam | | 56,500.00 | | 56,500.00 | |
| Dreams Assam | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Ever Green Earth , Assam | | - | | 30,000.00 | |
| Golaghati Welfare Society Tripura | | - | | - | |
| Hayang Memorial Agro Industry & Education | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| Ittehaad Socia-Cultural Organization, Assam | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Jazzy, Guwahati, Assam | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Jyotimoy Foundation Assam | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Khadi & Village Industries- | | - | | - | |
| Khomidok Muslim Women W#elfare Society, Manipur | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Kongpal Punshi Lamjing Marup Manipur-LAP Ner | | - | | 60,000.00 | |
| Konwar Chtia Sanshani Mahila Samity, Assam | | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| Light of Village, Guwahati | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Longmai Multi-Purpose Association, Manipur | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Lufuria Nava Jagaran Club | | - | | - | |
| Manav Sarathi Assam- | | - | | - | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

(Amount in ₹)

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Manipur State Commission for Women | - | | 6,60,000.00 | |
| Mascotte Development Society Nagaland- | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Meghalaya State Commission for Women, Shillong | - | | 3,50,000.00 | |
| Merit Educational Society, Assam | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Mizoram State Commission for Women | - | | 3,10,000.00 | |
| Nagaland Women Commission-LAPNER | - | | 2,10,000.00 | |
| Nandini Welfare Society Assam-LAP NER | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Naotoumai Rural Devlpt Asso.Manipur | - | | 30,000.00 | |
| National Educational Institute, Assam | - | | - | |
| Nayan Mani Pragati Sangha Assam | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| NIMS Educational & Social Asso. Assam | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| North-East Bright Society, Assam | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| North-East People Right, Assam | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Pateari Rural Development Society Assam,NER | 60,000.00 | | - | |
| Phakun Harmoti Gaon Shrimata Sankar, Assam | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| Prayas, Assam | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| Progressive Devlopment Org, Assam | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| REDCO Foundation , Manipur | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| Rotary Club Shillong | 5,10,000.00 | | 5,10,000.00 | |
| Rural Area Sarvodaya Proletariat-Manipur-LAP | 1,20,000.00 | | - | |
| Self Employed Tribla & Backwards Women's | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Sikkim State Commission for Women-LAP NER | - | | 2,10,000.00 | |
| Sun Club Assam | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Tezpur Social Service Society(TSSS)-Assam LAP | 1,80,000.00 | | - | |
| The Association for Devlopment of Backward Areas, Manipur | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| The Rural Peoples Welfare Org Manipur-LAPNeR | 1,20,000.00 | | - | |
| The Life Care Foundation,Manipur | - | | - | |
| The Sangit Natya, Manipur | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Traditional Culture & Budhist Research,Manipur | - | | - | |
| Tripura Commission for Women,Agartala(NER)LAP | - | | 1,80,000.00 | |
| United Progressive Society, Assam | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| Upliftment of Human Resource & Vocational Training | - | | - | |
| Volunteers Guild Assam-LAPNER | - | | 30,000.00 | |
| Women and Child Developmen Society, AP | - | | - | |
| Welfare to All HEPAH, Assam | 20,000.00 | | 20,000.00 | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg

(Amount in ₹ )

| | | Current Year Plan | Current Year Non-Plan | Previous Year Plan | Previous Year Non-Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Seminar & Conference (NER)*** | (H) | 10,07,000.00 | | 10,91,000.00 | |
| Akhanda, Tripura | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Assam State Commisssion for Women | | - | | 1,20,000.00 | |
| Center for Women Studies, Assam | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Department of Political Science Debrugarh Universal | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Development Networking Agency, Manipur | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Developmentofrural Education & Sporting-S/C NER | | 36,000.00 | | - | |
| Dukutia Charitable Trust, BTAD | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Foundation for Social Development Org. Imphal, Manipur | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Grassroot, Meghalaya | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| Hayang Memorial Agro Industry & Edu.AP | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Institute of Social Research & Devlpt.Manipur S-NER | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Iswarambha Samiti Sangh | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Manipur State Commission for Women | | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| Meghlaya State Commission for Women-S/C | | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| New Integrated Rural Management Agency | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| New Vision Creative Society Village & Post Era, Assam | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| North -East India Centre for Mass Communatio- S/C N | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| North East Network, Assam | | 1,35,000.00 | | 1,35,000.00 | |
| PARDA Manipur | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| People's Socio -Cultural Org (PESCO)-S/C NER | | 30,000.00 | | - | |
| Rural Develpt Society Arunachal Pradesh | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Shalom Educational & Charitable Trust | | - | | - | |
| Social Awarencess for Friendly Envirnt-Guwahat NER | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| Social Welfare Managmt & Promotional-S/C NER | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| South Asia Bamboo Foundation | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| The Iramsiphai Mamang Leikal ,Manipur | | - | | 30,000.00 | |
| The Neo Life Foundation Manipur- S/C | | - | | 30,000.00 | |
| The Will Association Singjamei Imphal-S/C NER | | 30,000.00 | | - | |
| Wangjing Women and Girsl Society, Manipur-S/C | | 1,20,000.00 | | 1,20,000.00 | |

Pay & Accounts Officer

राजेश कुमार आहूजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women

Sarada Ali Khan

MEMBER SECRETARY

(शारदा अली खाँ)
(SARADA ALI KHAN)
सयुंक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

## SCHEDULE 8- FIXED ASSETS

(Amount in ₹)

| | GROSS BLOCK | | | | | DEPRECIATION | | | | NET BLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Opening Balance | Additions | Deductions | Adjustments | Closing Balance | Opening Balance | On Additions | On Deductions | Total value at end | Current Year | Previous Year |
| FIXED ASSETS | | | | | | | | | | - | |
| Land | 35,53,443.00 | | | - | 35,53,443.00 | - | - | - | - | 35,53,443.00 | 35,53,443.00 |
| Building- Work in Progress | | | | | | - | - | - | - | | |
| Plant & Machinery | 52,84,559.00 | 64,593.00 | | - | 53,49,152.00 | 7,92,682.85 | 7,833 | - | 8,00,516 | 45,48,636 | 52,84,559.00 |
| Vehicles | 23,36,615.00 | 5,16,624.00 | | - | 28,53,239.00 | 3,50,492.25 | 38,747 | - | 3,89,239 | 24,64,000 | 23,36,615.00 |
| Furniture & Fixtures | 71,13,679.00 | 12,500.00 | | - | 71,26,179.00 | 7,11,367.90 | 1,250.00 | - | 7,12,617.90 | 64,13,562 | 71,13,679.00 |
| Computer | 6,78,452.00 | 68,487.00 | | | 7,46,939.00 | 4,07,071.20 | 41,092 | - | 4,48,163 | 2,98,776 | 6,78,452.00 |
| Books & Publications | 93,462.00 | | | - | 93,462.00 | 56,077.20 | - | - | 56,077 | 37,385 | 93,462.00 |
| Documentary Films | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total of Current Year | 1,90,60,211.00 | 6,62,204.00 | - | - | 1,97,22,414.00 | 23,17,691.40 | 88,921.70 | | 24,06,613.10 | 1,73,15,802 | 1,90,60,211.00 |
| Capital Work in Progress | 11,84,860.00 | | | 32,98,000.00 | 44,82,860.00 | | | | | 44,82,860.00 | 11,84,860.00 |
| GRAND TOTAL | 2,02,45,071.00 | 6,62,204.00 | - | 32,98,000.00 | 2,42,05,274.00 | 23,17,691 | 88,922 | - | 24,06,613 | 2,17,98,662 | 2,02,45,071.00 |

PAY & ACCOUNTS OFFICER

RAJESH KUMAR AHUJA

Pay & Account Officer

MEMBER SECRETARY

(शारदा अली खाँ)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(Amount in ₹ )

**SCHEDULE 8- FIXED ASSETS**

| | Current Year Plan | Current Year Non-Plan | Previous Year Plan | Previous Year Non-Plan |
|---|---|---|---|---|
| 1) Land | 35,53,443.00 | - | 35,53,443.00 | |
| 2) Furniture & Fixtures | 64,13,562.00 | - | 71,13,679.00 | |
| 3) Machinery & Equipments | 45,48,636.00 | - | 52,84,559.00 | |
| 4) Computer | 2,98,776.00 | - | 6,78,452.00 | |
| 5) Vehicle | 24,64,000.00 | - | 23,36,615.00 | |
| 6) Documentary Films | - | | - | |
| 7) Books & Publications | 37,385.00 | - | 93,462.00 | |
| 8) Building- work in progress | 44,82,860.00 | - | 11,84,860.00 | |
| | **2,17,98,662.00** | **-** | **2,02,45,071.00** | |

**Pay & Accounts Officer**
राजेश कुमार आहूजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी ... Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग ... Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग ... Marg
नई दिल्ली

**MEMBER SECRETARY**

(शारदा अली खाँ)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(Amount in ₹ )

| | Current Year Plan | Non-Plan | Previous Year Plan | Non-Plan |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS** | | NIL | | |
| **SCHEDULE 10- INVESTMENTS-OTHERS** | | NIL | | |
| **SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES** | | | | |
| A. ***CURRENT ASSETS*** | | | | |
| 1) Cash in Hand (Including cheques/drafts and Imprest) | - | - | - | |
| 2) Postage Stamps in Hand | | 35,115.00 | | 29,479.00 |
| 3) Bank Balance :- | | | | |
| With Schedule Banks : | | | | |
| On Saving Account | 1,56,55,981.00 | 18,779.00 | 1,25,99,844.00 | 21,35,507.00 |
| On CPF Account Canara Bank | - | - | | - |
| 4) Loan, Advances and Other Amount recoverable in cash or in kind or for value to be received :- | - | - | - | - |
| 5) Sundry Debtors | - | - | - | - |
| A | **1,56,55,981.00** | **53,894.00** | **1,25,99,844.00** | **21,64,986.00** |

**Pay & Accounts Officer**

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Accounts Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4 Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110002

**MEMBER SECRETARY**

(शारदा अली खां)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(Amount in ₹ )

| | | Current Year Plan | Non-Plan | Previous Year Plan | Non-Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| B. ***LOANS & ADVANCES*** | | | | | |
| ***Under Plan*** | B | **1,37,05,394.00** | | **1,54,47,154.00** | |
| **Advances to Employees** | | **1,28,28,604.00** | | **1,46,97,154.00** | |
| *Seminar & conference* | | | | | |
| Abdus Salam | | 3,57,109.00 | | 3,57,109.00 | |
| Anita Papreja | | 36,000.00 | | - | |
| Manju S Hembram | | 4,60,097.00 | | 4,60,097.00 | |
| Mridul Bhattacharya | | 10,000.00 | | - | |
| Charu Wali Khana,Member | | - | | 70,000.00 | |
| Kishor Samant, LIA | | - | | 6,000.00 | |
| Malkhan Singh | | - | | 1,52,640.00 | |
| R.K.Sehgal | | - | | 2,450.00 | |
| S.K.Gupta | | - | | 20,000.00 | |
| Vikas Vinod Bhale | | - | | 2,17,811.00 | |
| *Machinery & Equipment* | | - | | - | |
| *Advance for Advertisement* | | | | | |
| Accounts Officer DAVP | | - | | 35,53,655.00 | |
| Directorate of Advertising & Visual Publicity | | 1,19,10,361.00 | | 97,07,392.00 | |
| Editor Employement News | | 55,037.00 | | - | |
| India World Foundation | | - | | 1,50,000.00 | |
| **Advances to NGO** | | **8,76,790.00** | | **7,50,000.00** | |
| *Seminar & Conference* | | | | | |
| ACP, HQ, DDO, Nanak Pura | | 1,00,000.00 | | 1,00,000.00 | |
| Aparna Bhatt, Advocate | | - | | - | |
| CEQUIN, New Delhi | | 2,00,000.00 | | 2,00,000.00 | |
| Swarlipi Swagat Building, Mumbai | | 4,50,000.00 | | 4,50,000.00 | |
| *Advances for Seminar & Conference* | | | | | |
| India Institute of Public Administration (IIPA) | | 1,26,790.00 | | - | |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

(Amount in ₹)

| | | Current Year Plan | Non-Plan | Previous Year Plan | Non-Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Under Non Plan*** | C | | **1,32,931.00** | - | **1,29,181.00** |
| **Advances to Employees** | | | **1,21,778.00** | | **1,18,028.00** |
| *Repair & Maintenance Vehicle* | | | **2,500.00** | - | - |
| Daler Singh | | | 2,500.00 | - | - |
| *Office Expenses* | | | **8,700.00** | - | **700.00** |
| Airport Authority of india | | | 700.00 | - | 700.00 |
| D.B.Srivastava, JHT | | | 8,000.00 | - | - |
| *Travelling Expenses* | | | **12,500.00** | - | - |
| Sudha Chaudary, Law Officer | | | 12,500.00 | - | - |
| Advance for Telephone | | | - | | - |
| | | | - | | - |
| *Advance for Petrol* | | | **1,365.00** | | **1,365.00** |
| *B.S.Rawat* | | | 1,365.00 | | 1,365.00 |
| **Salary Advance** | | | **96,713.00** | | **1,15,963.00** |
| Kishor P. Samarth | | | | | - |
| *Festival Advance* | | | 11,550.00 | | 27,000.00 |
| LTC Advance | | | 85,163.00 | | 88,963.00 |
| **OMCA** | | | **11,153.00** | | **11,153.00** |
| Other Motor Car Advane | | | 11,153.00 | | 11,153.00 |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

(Amount in ₹ )

| | | Current Year Plan | Current Year Non-Plan | Previous Year Plan | Previous Year Non-Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Under NER*** | D | **69,04,678.00** | | **41,40,000.00** | - |
| **Advance to NGO** | | **27,40,000.00** | | **27,40,000.00** | |
| *Seminar & Conference (NER)* | | **23,40,000.00** | | **23,40,000.00** | - |
| Director of Social Welfare, Govt. Of Meghalaya | | 4,40,000.00 | | 4,40,000.00 | - |
| Mizoram State Commission | | 2,50,000.00 | | 2,50,000.00 | - |
| Pondicherry Women Commission | | 5,00,000.00 | | 5,00,000.00 | - |
| Principal Secretary, Govt. Of tripura | | 2,50,000.00 | | 2,50,000.00 | - |
| Rotary Club Shillong | | 9,00,000.00 | | 9,00,000.00 | - |
| *Legal Awareness Programme(NER)* | | **4,00,000.00** | | **4,00,000.00** | - |
| Rotary Club Shillong- NER | | 4,00,000.00 | | 4,00,000.00 | - |
| Advance for Advertisement (NER) | | **41,64,678.00** | | **14,00,000.00** | |
| Prasar Bharti | | 41,64,678.00 | | - | |
| Accounts Officer DAVP | | - | | 14,00,000.00 | |
| ***Other*** | | | | | |
| Advance to Provident Fund | | - | - | - | - |
| CPWD | | 1,47,02,000.00 | | 1,80,00,000.00 | - |
| Advance for Furniture & Fixtures-NBCC | | 1,00,00,000.00 | | - | |
| Advance for Machinary & Equipment-NBCC | | 1,98,00,000.00 | | - | |
| Advance for Building to NBCC | | 16,49,87,000.00 | | 5,64,87,000.00 | |
| | | | - | - | - |
| | E | **20,94,89,000.00** | - | **7,44,87,000.00** | - |
| **TOTAL F (B+C+D+E)** | | **23,00,99,072.00** | **1,32,931.00** | **9,40,74,154.00** | **1,29,181.00** |
| Security Deposit | G | **38,160.00** | **15,500.00** | **38,160.00** | **15,500.00** |
| **TOTAL A+F+G** | | **24,57,93,213.00** | **2,02,325.00** | **10,67,12,158.00** | **23,09,667.00** |

Sarada Ali Khan

**Pay & Accounts Officer**

...KUMAR AHUJA
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg

**MEMBER SECRETARY**

(शारदा अली खान)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

# NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

## SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(Amount in ₹)

| | Current year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| **SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES/SERVICES** | NIL | | NIL | |

### SCHEDULE 13- GRANTS

(Amount in ₹)

| | | Current year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| 1) | Central Government | | | | |
| | Grant | 21,85,37,000.00 | 4,79,40,000.00 | 13,00,00,000.00 | 4,85,00,000.00 |
| | Less: Amount Grant in aid Capit | 6,62,204.00 | - | 14,47,589.00 | - |
| | Total Grant | **21,78,74,796.00** | **4,79,40,000.00** | **12,85,52,411.00** | **4,85,00,000.00** |

### SCHEDULE 14- FEES/ SUBSCRIPTIONS

| | | Current year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| 1) | Entrance Fees | - | - | - | - |
| 2) | Annual Fees/ Subscription | - | - | - | - |
| 3) | RTI Fees | - | 10,898.00 | - | 4,363.00 |
| | | | - | | |
| | | | **10,898.00** | | **4,363.00** |

Pay & Accounts Officer

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg

Sarada Ali Khan

MEMBER SECRETARY

(शारदा अली खाँ)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(Amount in ₹)

| | Current year Plan | Current year Non-Plan | Previous Year Plan | Previous Year Non-Plan |
|---|---|---|---|---|
| **SCHEDULE 15- INCOME FROM INVESTMENTS** | NIL | | | |
| **SCHEDULE 16- INCOME FROM ROYLTY, PUBLICATION ETC.** | NIL | | | |

## SCHEDULE 17- INTEREST EARNED

(Amount in ₹)

| | | Current year Plan | Current year Non-Plan | Previous Year Plan | Previous Year Non-Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | On Saving Bank Account | | | | |
| | a) With Schedule Bank | 12,13,427.00 | 2,50,270.00 | 9,97,578.00 | 3,72,173.00 |
| | b) Interest on investment | - | - | - | - |
| 2) | Interest on HBA | - | - | - | - |
| 3) | Interest Earned on CPF | - | - | - | - |
| 4) | Interest Earned on FDR | - | - | - | - |
| | | **12,13,427.00** | **2,50,270.00** | **9,97,578.00** | **3,72,173.00** |

## SCHEDULE 18- OTHER INCOME

(Amount in ₹)

| | | Current year Plan | Current year Non-Plan | Previous Year Plan | Previous Year Non-Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Liability Written back | 23,94,351.00 | - | - | - |
| 2) | Mis. Income | 34,188.00 | 20,900.00 | 46,91,435.00 | 3,400.00 |
| 3) | Mis.Income Prior Period | 11,22,834.00 | 5,75,574.00 | - | - |
| | | **35,51,373.00** | **5,96,474.00** | **46,91,435.00** | **3,400.00** |

**Pay & Accounts Officer**

राजेश कुमार आहूजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, Deen Dayal Upadhyaya Marg

Sarada Ali Khan

**MEMBER SECRETARY**

(शारदा अली खाँ)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(Amount in ₹)

| | Current year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| **SCHEDULE 19- INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS** | NIL | | NIL | |

## SCHEDULE 20- ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in ₹)

| | | | Current year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| 1 | Salary:- | | | | | |
| | CP & Members | (9194189-265364 {Payable}) | - | 89,28,825.00 | - | 97,39,542.00 |
| | Officers | (9687845-533147 {Payable}) | - | 91,54,698.00 | - | 63,31,883.00 |
| | Staff | (13334024-753931 {Payable}) | - | 1,25,80,093.00 | - | 1,31,82,439.00 |
| 2 | Wages | | 1,00,28,385.00 | - | 81,41,740.00 | - |
| 3 | Contribution to CPF | | - | - | - | - |
| 4 | Contribution to Other Funds:- | | | | | |
| | | LSC | - | 11,43,709.00 | - | 4,80,236.00 |
| | | PC | - | - | - | 5,77,510.00 |
| 5 | Payment for Professional Fees & Services | | 36,06,654.00 | - | 35,17,389.00 | - |
| 6 | Salary payable for the month of March,2015 | | - | 13,50,584.00 | - | - |
| 7 | Remittance payable for the month of March,2015 | | - | 2,01,858.00 | - | - |
| | | | **1,36,35,039.00** | **3,33,59,767.00** | **1,16,59,129.00** | **3,03,11,610.00** |

Pay & Accounts Officer

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer

MEMBER SECRETARY

(शारदा अली खां)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

## SCHEDULE 21- OTHER ADMINISTRATIVE EX

(Amount in ₹)

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| Advertisement Exps. | 78,43,288.00 | - | 2,36,39,337.00 | - |
| Legal Awareness Programme | - | - | - | - |
| Printing | 4,46,473.00 | - | 10,99,910.00 | - |
| Seminar & Conference | 67,73,729.00 | - | 79,59,981.00 | - |
| Special Study | 47,40,423.00 | - | 44,94,295.00 | - |
| Review of Law | 2,75,477.00 | - | 15,44,722.00 | - |
| PMLA | - | - | - | - |
| Funds for NGO's for Nukkad Natak | - | - | - | - |
| Audio Visual Publicity-Spot, Documentry Films etc. | - | - | 28,00,903.00 | - |
| Capacity Building of Judicial & Police official | - | - | - | - |
| Establishment of 24X7 Help Line & Call Center | - | - | - | - |
| Repair & Maintenance Plan | - | - | 2,94,474.00 | - |
| Land & Building RRT | - | - | 1,36,338.00 | - |
| Networking of NCW with SWC & Teleconferencing | 3,72,881.00 | - | 5,16,368.00 | - |
| Printing of Pamphlets, Leaflets & other Materials | 13,94,514.00 | - | 14,53,867.00 | - |
| Office Expenses | - | 58,37,190.00 | - | 57,37,265.00 |
| Repair & Maintenance | - | 7,49,929.00 | - | 10,54,565.00 |
| Telephone | - | 6,56,847.00 | - | 8,47,864.00 |
| Travelling Expenses | - | 15,53,001.00 | - | 25,81,978.00 |
| Audit Fees | - | 1,40,640.00 | - | 2,37,480.00 |
| Bank Charges | - | 13,978.00 | - | 11,485.00 |
| Petrol, Oil & Lubricants | - | 12,95,077.00 | - | 12,65,955.00 |
| Prior Period Expenditure-Rent | - | 11,50,832.00 | - | - |
| Rent, Rates & Taxes | - | 77,25,986.00 | - | 62,75,090.00 |
| Litigation | | - | | 19,360.00 |
| Advertisement NER | 52,07,055.00 | - | 35,99,396.00 | - |
| Legal Awareness Programme NER | - | - | - | - |
| Seminar & Conference NER | - | - | - | - |
| Special Study NER | - | - | 2,95,355.00 | - |
| | - | | | |
| | 2,70,53,840.00 | 1,91,23,480.00 | 4,78,34,946.00 | 1,80,31,042.00 |

Pay & Accounts Officer

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

MEMBER SECRETARY

(शारदा अली खां)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

## SCHEDULE 22- EXPENDITURE GRANT, SUBSIDIES etc.

(Amount in ₹)

| | Current Year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|
| | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| **Under Plan Head** | | | | |
| Legal Awareness Programme | 1,97,85,645.00 | - | 1,92,30,849.00 | - |
| Seminar & Conference | 79,41,473.00 | - | 1,83,14,447.00 | - |
| Special Study | 52,01,038.00 | - | 18,92,900.00 | - |
| PMLA | 9,55,260.00 | - | 8,40,000.00 | - |
| Funds for NGO's for Nukkad Natak | 3,50,000.00 | - | 1,04,415.00 | - |
| Capacity Building of Judicial & Police official | 5,79,565.00 | - | 13,20,931.00 | - |
| A | **3,48,12,981.00** | - | **4,17,03,542.00** | - |
| **Under Plan-NER Head** | | | | |
| Legal Awareness Programme NER | 21,43,780.00 | - | 38,04,710.00 | - |
| Seminar & Conference NER | 9,86,956.00 | - | 8,98,350.00 | - |
| Special Study NER | 14,47,819.00 | - | - | - |
| Printing NER | 52,500.00 | - | - | |
| B | **46,31,055.00** | - | **47,03,060.00** | |
| **Total (A+B)** | **3,94,44,036.00** | - | **4,64,06,602.00** | |

## SCHEDULE 23- INTEREST

**NIL**

**Pay & Accounts Officer**

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4 Deen Dayal Upadhyaya Marg
New Delhi-110002

Sarada Ali Khan

**MEMBER SECRETARY**

(शारदा अली खाँ)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

## NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
## SCHEDULES FORMING PART OF RECEIPT & PAYMENT AS AT MARCH 31, 2015

### SCHEDULE 26- ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in ₹ )

| | | Current year | | Previous Year | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan | Non-Plan | Plan | Non-Plan |
| 1 | Salary:- | | | | |
| | CP & Members | | 3,06,44,366.00 | | 2,90,87,789.00 |
| | Officers | | | | |
| | Staff | | | | |
| 2 | Wages | 1,00,29,690.00 | | 81,41,740.00 | |
| 3 | Contribution to CPF | | | | |
| 4 | Contribution to Other Funds:- | | | | |
| | LSC | | 1143709 | | 1057746 |
| | PC | | | | |
| 5 | Payment for Professional Fees & Services | 35,98,504.00 | | 35,17,389.00 | |
| | | **1,36,28,194.00** | **3,17,88,075.00** | **1,16,59,129.00** | **3,01,45,535.00** |

Pay & Accounts Officer

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
-110002

MEMBER SECRETARY

(शारदा अली खां)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

## SCHEDULE 27- OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount in ₹ )

| Particulars | | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| 1 ***Under Plan*** | | | |
| Advertisement Exps. | | 7748325 | 16248293 |
| Legal Awareness Programme | | - | - |
| Printing | | 446473 | 1109910 |
| Seminar & Conference | | 6243344 | 7326772 |
| Special Study | | 4740423 | 4416967 |
| Review of LAW | | 2,75,477.00 | 15,44,722.00 |
| PMLA | | - | - |
| Audio visual Publicity | | 49,77,418.00 | 7931346 |
| Land & Building work in progress advance | | 10,85,00,000.00 | 3,47,87,000.00 |
| Machinary & Equipment Advances to NBCC | | 1,98,00,000.00 | - |
| Furniture & Fixtures Advance to NBCC | | 1,00,00,000.00 | - |
| Advance for Motor Vechicle | | - | - |
| Printing of Pamphlets, Leaflets & other materials for distribution | | 1394514 | 1453867 |
| Capacity Building of Judicial & Police officials on proper Implementation of women laws | | - | - |
| Networking of NCW with State Women Commission & Teleconferencing | | 372881 | 516368 |
| Funds to NGOs for Nukkad Natak & local songs etc | | - | - |
| | A | **16,44,98,855.00** | **6,81,12,888.00** |
| 2 ***Under Non Plan*** | | | |
| Office Expenses | | 5843369 | 5704673 |
| Repair & Maintenance | | 752429 | 1035510 |
| Telephone | | 656847 | 847864 |
| Travelling Expenses | | 1565501 | 2573273 |
| Audit Fees | | 140640 | 237480 |
| Bank Charges | | 13978 | 11485 |
| Petrol, Oil & Lubricants | | 1295077 | 1194360 |
| Rent, Rates & Taxes | | 7725986 | 6275090 |
| Litigation | | - | 19360 |
| | B | **1,79,93,827.00** | **1,78,99,095.00** |

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

3 ***Under NER***

| Particulars | | Current Year | Previous Year |
|---|---|---|---|
| | | | (Amount in ₹ ) |
| Advertisement | | 9371733 | - |
| Legal Awareness Programme | | - | - |
| Seminar & Conference | | - | - |
| Special Study | | 117234 | 313028 |
| Printing | | 52500 | - |
| | C | **95,41,467.00** | **3,13,028.00** |

## SCHEDULE 28- PAYMENTS MADE AGAINST FUNDS FOR VARIOUS PROJECT

| | | | (Amount in ₹ ) |
|---|---|---|---|
| **Under Plan-General** | | | |
| Legal Awareness Programme | | 18729075 | 13100099 |
| Seminar & Conference | | **8421428** | 16491592 |
| Special Study | | **3178278** | 1644290 |
| PMLA | | **793260** | 765000 |
| Capacity Building of Judicial & Police officials on proper Implementation of women laws | | **533271** | 940301 |
| Funds to NGOs for Nukkad Natak & local songs etc | | **350000** | 104415 |
| | D | **3,20,05,312.00** | **3,30,45,697.00** |
| ***Under NER*** | | | |
| Legal Awareness Programme | | **34,28,591.00** | 2839710 |
| Seminar & Conference | | **11,10,956.00** | 917180 |
| Special Study | | **8,91,354.00** | **1,33,109.00** |
| | E | **54,30,901.00** | **38,89,999.00** |
| | Total A+B+C+D+E | **22,94,70,362.00** | **13,04,83,064.00** |

**Pay & Accounts Officer**

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अ... count Officer
राष्ट्रीय महिला आ... sion for Women
4, दीन दयाल उपा... Upadhyaya Marg
नई दि... 002

**MEMBER SECRETARY**

(शारदा अली खां)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

## Remittance Schedule-29

(Amount in ₹)

| | Current year | | Previous year | |
|---|---|---|---|---|
| | Addition | Amount Remitted | Addition | Amount Remitted |
| GPF | 17,39,900.00 | 17,39,900.00 | 14,03,000.00 | 14,03,000.00 |
| Licence Fee | 69,335.00 | 69,335.00 | 87,270.00 | 87,270.00 |
| Income tax | 26,20,128.00 | 26,20,128.00 | 30,87,268.00 | 30,87,268.00 |
| CGHS | 35,475.00 | 35,475.00 | 33,875.00 | 33,875.00 |
| CGEGIS | 16,842.00 | 16,842.00 | 16,475.00 | 16,475.00 |
| HBA | - | - | 1,760.00 | 1,760.00 |
| Interest on HBA | 28,675.00 | 28,675.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| MCA + (Intt.) | 22,400.00 | 22,400.00 | 15,936.00 | 15,936.00 |
| OMCA | - | - | - | - |
| Interest on OMCA | - | - | - | - |
| Festival Advance | 2,100.00 | 2,100.00 | - | - |
| Computer Advance | 20,358.00 | 20,358.00 | 22,540.00 | 22,540.00 |
| Computer Interest | - | - | - | - |
| CPF Subscription | 6,88,817.00 | 6,88,817.00 | 4,39,356.00 | 4,39,356.00 |
| CPF Advance | - | - | 2,500.00 | 2,500.00 |
| EPF | 1,60,013.00 | 1,60,013.00 | 1,26,505.00 | 1,26,505.00 |
| TDS | 44,05,488.00 | 44,05,488.00 | 11,74,339.00 | 11,74,339.00 |
| Other Recovery | | | | |
| Total | 98,09,531.00 | 98,09,531.00 | 64,58,824.00 | 64,58,824.00 |

Pay & Accounts Officer

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

MEMBER SECRETARY

(शारदा अली खां)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

# National Commission for Women

**SCHEDULES -24 FORMING PART OF THE FINANCIAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDING 31.03.2015.**

**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

## 1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on accrual basis . Financial statements have been prepared in format for Central Autonomous bodies (Non Profit Organization and Similar Institution) provided by the office of the CGA .

## 2. INVESTMENTS

2.1 No Investment has been done by NCW in any form as on date.

## 3. FIXED ASSETS

3.1 Fixed assets are stated the total cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to the acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses, form the part of the value of the assets capitalized.

3.2 For the construction of NCW building at Jasola, New Delhi, NCW had been given an advance of Rs. 180 lakh to CPWD in 2004. CPWD has intimated that out of Rs. 180 lakhs, expenditure of Rs. 32.98 lakh has been incurred for preparing boundary walls. Accordingly, we deducted Rs. 32.98 lakh from advance under Current Assets and added it to Capital Work-in-progress under Fixed Assets in compliance of previous audit para no. A.2.1.1.

3.3 Fixed Assets includes the books gifted/Donated to NCW are capitalized at book value.

## 4. DEPRECIATION

4.1 Depreciation is provided on written down value method as per rates specified in the Income-tax Act, 1961 . The financial statements are prepared on accrual basis .

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4 Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

## 5. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

5.1 Government grants are accounted on realization basis.

**SCHEDULE-25 FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.3.2015.**

**NOTES ON ACCOUNTS**

## 1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Commission acknowledged as debts – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.2 In respect of :

- Bank guarantees given by/on behalf of the Commission – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Letters of credit opened by Bank on behalf of the Commission – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Bills discounted with Commission – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.3 Disputed demands in respect of:

Income – tax Rs. Nil (previous year Rs. NIL)

Sales – Tax Rs. Nil (previous year Rs. NIL)

Municipal Tax Rs. Nil (previous year Rs. NIL)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Commission Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

## 2. CAPITAL COMMITMENTS

Initial Estimated cost of construction of the office Building of NCW at Jasola was for Rs. 6.09 crore as per estimate given by the CPWD and an amount of Rs. 1.80 crore was paid as an advance to them. But due to the administrative reason the building could not be constructed. But CPWD had by that

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

time incurred Rs. 32.98 lakhs for boundary walls etc. After that the fresh estimate was called from CPWD as well as from NBCC in which NBCC has quoted the less estimated cost for construction. Hence the fresh SFC was done and the work has been awarded to NBCC. The NBCC has started the work. CPWD has already been requested to refund the balance amount Rs. 147.02 lakhs of advance paid to them.

**3. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES**

The current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal to at least the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

**4. TAXATION**

In view of no taxable income under Income- tax Act, 1961, no provision for Income tax has been considered necessary.

**5. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

| | | |
|---|---|---|
| 5.1 | Value of imports calculated on C.I.F.Basis: | |
| | Purchase of finished goods | NIL |
| | Raw Materials & Components (including in transit) | NIL |
| | Capital Goods | NIL |
| | Stores, Spares and Consumables | NIL |
| 5.2 | Expenditure in foreign currency : | |
| (a) | Travel | NIL |
| (b) | Remittances and Interest payment to Financial Institution / Banks in Foreign Currency. | NIL |
| ( C) | Other expenditure | NIL |
| | Commission on sales | NIL |
| | Legal and Professional Expenses | NIL |
| | Miscellaneous Expenses | NIL |
| 5.3 | Earnings: | |
| | Value of exports on FOB basis | NIL |

6. The presentation of the financial statements is based on the prescribed format given by Office of CGA applicable to our Commission.

7. No liability towards Gratuity payable on death/retirement and Accumulated leave encashment benefits to the employees has been made in the books of accounts.

राजेश कुमार आहूजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4 Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110002

National Commission for women is an autonomous body. This organization is not having its Permanent employee. All the employees are either on deputation from the Central Govt. and Semi Govt. organization or employees working as casual/contract basis to whom no gratuity/ pension is payable

8. The Ministry of Women and Child Development, Govt. of India funds the National Commission for Women. The summarized position of the Grants received by the Commission for the year ending March, 2015 is as under:

| S.No. | Particular | Plan(Rs.) | Non-Plan(Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Unspent balance of Grant at the beginning of the year | 1,25,99,844 | 21,35,507 |
| 2. | Unspent balance of Cash in hand at the beginning of the year | -- | -- |
| 3. | Unspent balance of Postage stamps in hand | -- | 29,479 |
| 4. | Grants received during the year (A)<br>Add: Outstanding cheques from 2010 to 2013 cancelled and taken as Grant with the approval of Ministry of WCD (B) | 21,85,37,000<br>88,62,674 | 4,79,40,000<br>5,75,574 |
| | Total Grant (A+B) | **22,73,99,674** | **4,85,15,574** |
| 5. | Unspent balance (including miscellaneous receipts) of the Grant at the end of the year | 1,56,55,981 | 18,779 |
| 6. | Unspent balance of Cash in hand at the end of the year | -- | -- |
| 7. | Unspent balance of Postage stamps in hand | -- | 35115 |

9. Grants/Financial Assistance to NGO's etc. having similar aims and objectives are being accounted for and booked as expenditure on adjustment of grant/financial assistance.

10. Pay & allowances amounting to Rs. 15,52,442/- ( 13,50,584+ 2,01,858) for the month of March,2015 payable in April,2015 has been shown as current liabilities in Balance

राजेश कुमार आहूजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

sheet and Income & Expenditure A/C in compliance of previous audit para no. A.2.1.2.

11. Capital Reserves as per last year Balance sheet amounting to Rs. 254.89 lakhs ( Rs. 179.24 lakhs under Plan head + Rs. 75.65 lakhs under Non-Plan head) has been transferred to Capital fund (Schedule 1) and an amount of Rs. 1401.00 lakh is surplus under 'Plan ' and Rs. 36.86 lakhs is deficit under 'Non-Plan' head as per Income & Expenditure A/c are shown in Schedule 1 under 'Corpus/Capital Fund' in compliance of previous audit para no. A.1.1.2.

12. Uncashed cheques (issued between March, 2010 to November,2013) amounting to Rs. 94.39 lakhs have been cancelled and amount utilized as Grant in aid received by NCW with the approval of Ministry of WCD vide their letter No.9-10/2014-WW/NCW(A) dated 28th October,2014 . Accordingly, Ministry has released grant after deducting Rs. 94.39 lakhs.

13. Schedule 1 to 29 are annexed which form an integral part of the balance sheet and the Income and Expenditure account for the year 2014-15.

**Pay & Accounts Officer**

राजेश कुमार आहुजा/RAJESH KUMAR AHUJA
वेतन एवं लेखा अधिकारी/Pay & Account Officer
राष्ट्रीय महिला आयोग/National Commission for Women
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग/4, Deen Dayal Upadhyaya Marg
नई दिल्ली-110002/New Delhi-110002

**Member Secretary**

(शारदा अली खां)
(SARADA ALI KHAN)
संयुक्त सचिव/Joint Secretary
महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय
Ministry of Women & Child Dev.
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

# AUDIT CERTIFICATE

**Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Commission for Women, New Delhi for the year ended 31 March 2015**

We have audited the attached Balance Sheet of National Commission for Women (NCW), New Delhi as at 31 March 2015, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the NCW's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by NCW in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

## A. Balance Sheet

### A.1 Assets

#### A.1.1 Current Assets, Loans & advances (Schedule-11) Rs. 2.02 lakh

An amount of Rs. 2.52 lakh was paid to NICSI, New Delhi for providing the services of one Sr. Programmer for the period from January to June 2015. The amount was paid in advance and half of the period, i.e. April to June 2015 pertained to the next financial year. NCW did not depict the amount of Rs. 1.26 lakh being amount prepaid pertaining to the next financial year, under the head 'Current Assets' and booked the entire amount paid as expenditure. This resulted in understatement of current assets by Rs. 1.26 lakh and overstatement of expenditure by the like amount.

#### A.1.2 Current Assets, Loans & advances (Schedule-11) Rs. 24.58 crore

An amount of Rs. 19.48 crore was depicted under advances given to NBCC for the construction of NCW building at Jasola, New Delhi and for providing machinery & equipment. NBCC had incurred an expenditure of Rs. 17.78 crore as of March 2015. However, NCW neither depicted the amount of Rs. 17.78 crore under work in progress nor booked the amount as final expenditure. This has resulted in understatement of 'work in progress' and overstatement of 'advances' by Rs. 17.78 crore.

## B. General

**B.1** NCW did not have separate bank accounts for Plan and Non-Plan grants, in the absence of which the 'interest earned' as well as the 'opening and closing bank balances' under 'Plan' and 'Non Plan' shown in accounts could not be verified in audit. This was also pointed out in the previous audit report but no remedial action was taken.

**B.2** The accession register of library books with accession number up to 5000 was lost. Further, a physical verification of library books in 2014 revealed that 696 books were lost and 75 books were not available. Thus, the value of books shown in the accounts of the NCW was not verifiable in audit.

**B.3** Separate Audit Report for the year 2013-14 has not been laid in the Parliament.

## C. Grants-in-aid

NCW received Rs. 2664.77 lakh (Rs. 2185.37 lakh under Plan and Rs. 479.40 lakh under Non-Plan) from Ministry of Women & Child Development. It had unspent balance of Rs. 147.36 lakh (Rs. 126.00 lakh under Plan and Rs. 21.36 lakh under Non-Plan) of previous year's grants. Further, it had other receipts of Rs. 111.73 lakh (Rs. 102.85 lakh: Plan and Rs. 8.88 lakh: Non Plan). Out of the total available funds of Rs. 2923.86 lakh (Rs. 2414.22 under Plan and Rs. 509.64 under Non Plan), it utilized Rs. 2767.11 lakh (Rs. 2257.66 lakh: Plan and Rs. 509.45 lakh: Non-Plan)

lakh: Non-Plan) leaving unspent balance of 156.75 lakh (Rs. 156.56 lakh under Plan and Rs. 0.19 lakh under Non-Plan) as on 31.3.2015.

**5.** Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipt & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the book of accounts.

**6.** In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policy and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India :

(a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Commission for Women as at 31st March, 2015; and

(b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of the C&AG of India**

Place : New Delhi
Date : 19.10.2015

**Director General of Audit**
**(Central Expenditure)**

## Annexure

### 1. Adequacy of internal audit system

- Internal Audit has been conducted up to July 2013 by Internal Audit Wing, Ministry of Human Resource Development. No internal audit was conducted for the year 2014-15.

### 2. Adequacy of Internal control System

➢ **Control Environment**

- Recruitment Rules have not been framed even after more than 20 years of constitution of the Commission.

➢ **Monitoring**

- 28 audit paras for the period from 2008-09 to 2013-14 were outstanding.
- Sundry creditors amounting to Rs. 99.57 lakh are more than four years old (for the years 2008-09 to 2011-12). Besides these, creditors amounting to Rs. 134.82 lakh are more than one year old (for the years 2012-13 and 2013-14).
- Utilization certificates amounting to Rs. 156.81 lakh pertaining to 2008-09 to 2012-13 were outstanding from the organizations/institutions to whom the grants were released for seminars, conferences, programmes, etc.
- Advances amounting to Rs. 2.07 crore were outstanding as of March 2015.

In view of above, Internal Control System in NCW needs strengthening.

### 3. System of physical verification of assets

- Register of Fixed Assets has not been maintained in proper format (GFR 40).
- Physical verification of Library books has been conducted up to Nov. 2014. Audit comment has been given at B.2 of this report.
- Physical verification of assets has been conducted only up to December 2011. However, report was not made available to audit.

### 4. System of physical verification of inventory

- Physical verification of inventory has been conducted only up to December 2011. However, report was not made available to audit.

### 5. Regularity in payment of dues

- No payment over six months in respect of statutory dues was outstanding.

## राष्ट्रीय महिला आयोग

4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली–110 002

वेबसाईट : http://ncw.nic.in

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

Akanksha Impressions 28764051, 98110 82194